राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अट्ठारहवां दिवस [संख्या 4.

सोमवार,

दिनांक 11 मार्च, 1991

विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास।

उद्योग लगाने हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण

211. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने ग्राम पंचायत सिरसी व मीनावाली जिला जयपुर में किस-किस खसरा की कृषि भूमि को उद्योग लगाने हेतु अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत सिरसी व मीनावाली के कृषकों की भूमि को रीको द्वारा अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में क्या कोई मापदण्ड तय किये गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि रीको द्वारा कृषि भूमि खसरा नं. 10, 36, 37, 42, 38, 41 जिसमें आवागमन का रास्ता नहीं है और जो रेलवे विभाग द्वारा बड़ी रेलवे लाइन निकालने हेतु अधिग्रहण की जा रही है, रीको के प्रशासनिक अधिकारी उनके सम्बन्धियों को फायदा देने हेतु ऊंची रेट पर उक्त कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही कर रहे हैं?

(4) क्या यह सही है कि रीको द्वारा उद्योग हेतु भूमि अधिग्रहण करने में प्रभावशाली लोगों की भूमि को जान बूझकर छोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है रीको द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खातेदारों द्वारा उद्योग लगाने हेतु पूर्व में भूमि रूपान्तरित करने हेतु सरकार को आवेदन किया था? यदि हां, तो उस आवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिरसी एवं मीनावाली की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर करीब 35,000 वृक्ष लगे हैं जो 10 से 15 वर्ष पुराने हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वृक्षों को काटकर उद्योग हेतु भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है? क्या इस सम्बन्ध में पर्यावरण

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

व वन विभाग से स्वीकृति ले ली गई है ?

(7) क्या यह सही है कि दिनांक 13-12-1990 को उद्योग मंत्री एवं रीको के वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का निरीक्षण किया था ? यदि हां तो निरीक्षण करने पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को नजरन्दाज कर क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

(8) क्या सरकार इसकी पुनः निष्पक्ष जांच करवा कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) ग्राम सिरसी व मीनावाली जिला जयपुर की अवाप्ति अधीन भूमि की खसरावार सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) इस क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की दो महत्वपूर्ण इकाइयां राजस्थान कम्यूनिकेशन लि. व राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि, चल रही है। इस प्रकार रीको द्वारा इस क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग स्थापित करने के लिये आदर्श क्षेत्र मान कर एवं इस क्षेत्र में काफी इलैक्ट्रोनिक्स उद्योगों के आने की सम्भावनाओं के आधार पर रीको द्वारा वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उक्त भूमि को अवाप्त करने के प्रस्ताव तैयार किए गये थे।

(3) प्राप्त सूचना के अनुसार रेल्वे विभाग द्वारा बड़ी लाइन निकालने हेतु केवल खसरा नं. 36 की कुल 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से एक बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 37 की कुल 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से केवल 3 बीघा 13 बिस्वा अवाप्ति अधीन है। यह सही नहीं है कि रीको के प्रशासनिक अधिकारी उनके सम्बन्धियों को फायदा देने हेतु ऊंची रेट पर उक्त कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

(4) मौके की स्थिति के अनुसार जितनी भूमि की वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिये रीको को आवश्यकता थी, उतनी ही भूमि को अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमि को अवाप्ति में शामिल करने व शामिल नहीं करने का अवाप्ति के प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) जी हां, रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति अधीन होने के कारण जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया था।

(6) अवाप्ति अधीन भूमि पर जो वृक्ष हैं उनकी संख्या, उपयोगिता और कीमत कि बारे में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जावेगा और उसी के आधार पर उसका समावेश, भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा-5 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में वे इसके उपरांत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में किया जा सकता है। यदि यह भूमि अवाप्ति के उपरांत रीको को उपलब्ध करा दी जाती है तो रीको द्वारा इस क्षेत्र का प्लानिंग करते समय इस बात का पूर्ण प्रयास किया जावेगा कि वृक्षों की

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अनावश्यक रूप से काटने की आवश्यकता नहीं पड़े और वृक्ष वाले क्षेत्र को यथा सम्भव खुले क्षेत्र में अथवा वुडलैंड के रूप में रखा जावे। वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में जिस सम्बन्धित विभाग से यदि किसी स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो रीको द्वारा भूमि प्राप्त होने के उपरांत उसकी स्वीकृति ले ली जावेगी।

(7) जी हां, दिनांक 13.12.1990 को उद्योग मंत्री और रीको के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के उपरांत किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी गई है। भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही इस निरीक्षण से पूर्व ही चल रही है

(8) इस भूमि में अवाप्ति में किसी अधिकारी का दोष नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मेरा यह मानना है, क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिरसी में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मध्य में स्थित उद्योगपति श्री खेतान भारतीय पुलिस अधिकारी के भतीजे अनिल पुरी एवं खाद्य एवं रसद अधिकारी श्री हनुमंत सिंह भाटी, केन्द्रीय मंत्री की भूमि को जान बूझ कर अधिग्रहण से मुक्त रखा गया। यदि हां तो क्यों?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर के अन्दर स्पष्ट बताया है कि जितनी हमको आवश्यकता थी उसी के आधार पर अवाप्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है। अध्यक्ष जी, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र काफी डवलप क्षेत्र है और स्थिति यह आ गयी है कि इसमें दो बड़े इलैक्ट्रोनिक्स, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में दिया है राजस्थान कम्यूनिकेशन लि., व राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स लि. वहां पर स्थापित हैं और इसके साथ–साथ 1987 में जब अवाप्ति की कार्यवाही की गयी तो हमारे सामने पांच व्यक्ति ऐसे थे जो इलैक्ट्रोनिक्स के कारखाने लगाना चाहते थे। 6 व्यक्ति और ऐसे थे वह चाहते थे कि उनको भूमि मिल जाये तो वह इलैक्ट्रोनिक्स कारखाने लगा सकते हैं। यह देख करके कि इलैक्ट्रोनिक्स के जो कारखानें आयेंगे वह प्रदूषण रहित है। इसलिए बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र मिलता नहीं और इसी बात को ध्यान में रख करके यह निश्चित किया गया कि लगभग 50 एकड़ भूमि और अवाप्त की जाये। इसी कनकपुरा क्षेत्र से लगती हुई, ताकि यहां पर इलैक्ट्रोनिक्स के कारखाने लगाये जा सकें और यह एक आदर्श क्षेत्र बन सके। इसी आधार पर यह लिये गये। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह सच है कि इस भूमि के पास, जैसा कि उन्होंने पूछा खेतान की जमीन खाली पड़ी है। मिस्टर अनिल पुरी जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल थे, उनकी जमीन भी हैं। यह सच है कि वहां पर केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार की जमीन भी मौजूद है लेकिन जैसा उत्तर के अन्दर कहा गया हमें जितनी जमीन की आवश्यकता थी उतनी जमीन हमने एक्वायर करने की कार्यवाही की है और उसी के आधार पर

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मैं समझता हूं किसी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या जमीन को जिसको एक्वायर किया गया उसका मास्टर प्लान में क्या यूज बताया गया है ? यदि ग्रीन बेल्ट में, मास्टर प्लान में इस भूमि को बताया गया है तो उसके लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से क्या एन. ओ. सी. प्राप्त की गयी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर बाद में आयेगा। श्री कालीचरणजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो आवश्यकता बताई गयी है इसका मापदण्ड क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि इतनी ही भूमि की आवश्यकता थी इसलिए यह भूमि ली गयी है। यह जो विभाग ने बनाकर जवाब दिया है उसी को ज्यों का त्यों यहां पर पढ़ दिया। वास्तविकता यह है कि इसमें कुछ तो राजनेताओं की, कुछ सरकारी अधिकारियों की और कुछ बड़े उद्योगपतियों की जमीनें छोड़ी गयी हैं और वह केवल इसलिए छोड़ी गयी हैं कि अधिकारी और राजनेता ने तो अपने प्रभाव के कारण डी-एक्वायर करवा ली। जो उद्योगपति थे उन्होंने मोटी रकम दे कर डी-एक्वायर करवा ली। जिनकी एक्वायर की गयी है या जिन गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण की गयी है वह केवल ऐसे लोगों की की गयी जिनके पास कोई एप्रोच नहीं थी। इसमें जिन्होंने यह अधिग्रहण किया है वह अधिकारी दोषी है इसलिए मैं मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच करवायी जाये और जब तक जांच नहीं हो तब तक आपने जो एक्वीजीशन की कार्यवाही की है उस पर रोक लगायी जाये। यह मेरा कहना है मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन एक्वायर की गयी है इसमें काफी अनियमिततायें बरती गयी हैं। जब कभी भी जमीन एक्वायर की जाती है तो यह देख कर नहीं की जाती कि यह खसरा नम्बर लिया जायेगा इससे अगला छोड़ा जायेगा और तीसरा लिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अगर इस जमीन के अधिग्रहण में यह हुआ है कि बीच–बीच में खसरा नम्बर छोड़े गये हैं तो क्या ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कोई एन्क्वायरी बैठायेंगे और एक्शन लेंगे। क्योंकि यह उस तरह से एक्वायर नहीं की गयी है जिस तरह से मंत्री महोदय आप बता रहे हैं। इसमें कहीं से कर ली गयी है फिर कोई प्रभावशाली की जमीन आई उसे छोड़ दिया गया है, फिर किसी गरीब काश्तकार की जमीन आई उसको एक्वायर किया गया

(श्री जुबेर खान)

है। इसलिए मेरी मांग है, आपसे निवेदन है कि आप एक उच्च स्तरीय समिति बनाइये। वही इस पूरे प्रकरण की जांच करे और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, आपने 36, 37 ले लिया और फिर 38, 39 व 40 छोड़ दिया। फिर 42 ले लिया। इससे क्लीयर लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह रह-रह कर क्यों याद आ रहा है? पहले क्यों नहीं पूछा?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह तथ्यों से परे है। मैं उक्त अधिग्रहित भूमि और उसके नजदीक की भूमि का नक्शा आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने राजस्थान टेलीकम फैक्ट्री और राजस्थान साईक्लिंग फैक्ट्री की जो बात बताई है वह उक्त अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से बहुत दूरी पर है और उसके बीच में उन प्रभावशाली लोगों की जमीनें भी हैं जिनको इससे मुक्त किया गया है। दूसरा मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण की सूचना निकालने से पूर्व ही रीको के अधिकारियों तथा कुछ भूमि के स्वामी आई.ए.एस. व आई.पी.एस. अधिकारियों के रिश्तेदारों के मध्य कोई समझौता यानि लिखित अनुबन्ध हुआ था? यदि हां तो उसे सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि के संबंध में जो अधिकारी थे उनमें श्री ओ.पी. मीणा जी उस समय डिप्टी सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज थे। उन्होंने नोटिस निकलने से पहले ही लिखित में अनुबन्ध कर लिया कि 90 हजार रुपये बीघा में यह जमीन आप अधिग्रहित कर लीजिए, जबकि सूचना निकली नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि 1984 में श्री भीमसेन गर्ग ने रीको और जिलाधीश महोदय को उक्त भूमि को उद्योग भूमि में कन्वर्ट करने के लिए आवेदन किया था। जिलाधीश महोदय ने दिनांक 16.7.84 को यह जवाब दिया कि उक्त भूमि उद्योग भूमि में परिवर्तित नहीं हो सकती है क्योंकि इस पर जे.डी.ए. लोहा मण्डी स्थानान्तरित करना चाहता है। 1984 में जे.डी.ए. उस पर लोहा मण्डी स्थानान्तरित करना चाहता है और जब उक्त भूमि का स्वामी उक्त भूमि को स्वयं उद्योग कार्य के लिए उपयोग में लेने के लिए स्वीकृति चाह रहा था तब इनके पास उद्योगों के विकास की योजना नहीं थी, लेकिन उसके बाद अधिकारियों की जमीन ज्यादा रेट अधिग्रहित करने का सवाल आया तो उस संबंध में इस जमीन को भी ले लिया गया। हमारा प्रश्न यह है कि अगर अधिग्रहित करने के लिए आवश्यकता थी तो इसके आसपास की जमीन बल्कि इसके पहले भी आती है खेतान जी की जमीन है, केशर यादव की जमीन है, आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों की जमीन है उनको मुक्त किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह मामला बड़े स्तर पर घपले का है। उद्योग मंत्री जी, आपको अधिकारियों ने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सही जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। जो जवाब आपने यहां दिया है वह बिल्कुल निराधार है। जिन-जिन खसरा नं. की जमीन एक्वायर की हैं खसरा नं. 653, 654, 659 और 662 को औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तित करने के लिए 1984 में आवेदित कर दिया गया था तब आपकी अधिग्रहित करने की योजना नहीं थी। उसके बाद भी आपने उसको औद्योगिक रूप में परिवर्तित करने की मंजूरी नहीं दी और आप कहते हैं कि वहां आप इलेक्ट्रोनिक उद्योग लगाना चाहते हैं। उक्त भूमि का स्वामी भी या कोई प्राइवेट व्यक्ति एक नल लगाकर कहे कि मैं इससे जनता को मुफ्त पानी सुलभ कराऊंगा तो आप कहेंगे कि तेरा नल तो उखाड़ हम तो सरकारी नल लगाकर ही पानी पीएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : मेरा प्रश्न आ गया।

श्री अध्यक्ष : आ गया। श्री हेमराज जी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब आने दो, इसको स्पष्ट करने दो, ये अधिकारियों की मदद करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते है। आज यह काम नहीं होगा तब कुछ भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज (व्यवधान)

मैं एक-एक के नाम बोल रहा हूं। बैठिए आप (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बात ही खत्म नहीं हुई, कोई फैसला भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आई.ए.एस, आई.पी.एस. अधिकारियों को जमीन दिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा इनके ऊपर खुला आरोप है। जब तक इसका निर्णय नहीं होगा यह बात पूरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : हां बात हो रही है, पूरी हो रही है। (व्यवधान)

आप जवाब तो सुन लें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारियों की मदद करना चाहते हैं और आम आदमी के हक को छीनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सूर्यकान्ता जी आपका कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। श्री हेमराज मीणा (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सबसे गंभीर मामला इसमें यह है कि वहां सिवाय चक भूमि होने के बावजूद भी खातेदार की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दूसरी बात खातेदार भी कौनसे खातेदार जो गरीब किसान हैं जिनके पास छोटी-छोटी जोत की खेती है और प्रभावशाली लोग हैं उनकी भूमि को अधिग्रहित नहीं किया है। यह बड़े अधिकारियों का बहुत गंभीर मामला है। दूसरा, वहां पर लोहा मण्डी

(श्री हेमराज मीणा)·

मास्टर प्लान के अंदर थी, उसके बाद भी उस भूमि को अधिग्रहित किया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए ताकि इस मामले की साफ-साफ जांच हो सके।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। श्री महावीर प्रसाद जी। (व्यवधान)

आपका भी नम्बर आ जाएगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मंत्रियों को ये आफिसर लोग गुमराह कर रहे हैं और इनकी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आएगा। बैठिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जितनी आवश्यकता थी उतनी भूमि अधिग्रहित की है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आवश्यकता का मापदण्ड आपके पास कौनसा है? जैसा कि आपने कहा कि 5 या 6 इलेक्ट्रोनिक इण्डस्ट्रीज वहां पर लगाने की योजना है। जयपुर जैसी राजधानी में और इस प्रकार इण्डिस्ट्रीयल एरिया बनाया जाय और 50 एकड़ में बनाकर आप यह संतोष करें कि हमारी आवश्यकता केवल इतनी ही थी। जयपुर में, राजधानी में कितने उद्योग लगे और उस समय जब पहले औद्योगिक क्षेत्र की बात चली थी उसमें सारी भूमि को अधिग्रहीत करने की बात हुई। उसमें सारी भूमि को अधिग्रहित नहीं करने के कौनसे कारण सामने आए। ऐसे कौनसे कारण थे। क्या आपको यह लगा कि यहां पर इण्डस्ट्रीज कम लगेगी और केवल इतना ही इण्डस्ट्रीलाइजेशन करना है। ऐसे कौनसे कारण थे, ऐसे कौनसे मापदण्ड हैं जिनके कारण विभाग को यह सोचना पड़ा कि हमको केवल इतनी ही भूमि लेनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : यह बड़ा भारी गंभीर मामला है। इसमें करोड़ों का घपला हुआ दिखता है।

श्री अध्यक्ष : हां गंभीर मामला है। आप विराजिए। (व्यवधान)

आपका नाम बोल दूंगा। मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि अधिग्रहण की कार्यवाही 1990 में प्रारम्भ नहीं हुई। इस अधिग्रहण की कार्यवाही 1987 में प्रारंभ हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लीजिए। आप पूरी बात नहीं सुनेंगे? (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : और जैसा कि माननीय कल्ला जी ने कहा कि मास्टर प्लान को ग्रीन बैल्ट में तो नहीं किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ग्रीन बैल्ट के अंदर यह एरिया नहीं आता और जैसा मैंने पूर्व में आपने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कनकपुरा को लगा हुआ जो एरिया है इससे जुड़ा है और जिस प्रकार से मास्टर प्लान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है उसको देखते हुए इलैक्ट्रोनिक्स के एरिया को डवलप करने के लिए इसको लिया गया है। इसलिए मास्टर प्लान तो बीच में अड़चन में नहीं आता और दूसरा कालीचरणजी ने कहा था कि बड़े लोगों की जमीनें छोड़ दी गई

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

हैं और साथ-साथ यह कहा गया कि बीच-बीच में जमीनें छोड़ दी गई तो यह सूचना मेरे ख्याल से गलत है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नक्शा देख लीजिए। यह नक्शा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नक्शा मेरे पास भी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपको अधिकारियों ने गलत नक्शा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। एक बार जवाब सुन लीजिए। बैठिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके आरोपों में इतना तथ्य अवश्य है कि कुछ लोगों की जमीनें छोड़ी गई। मैं स्वयं एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर-रीको को लेकर मौके पर गया था। राजस्व के जो अधिकारी थे उनको वहां पर बुलाया था और मौके पर देखने पर पता लगा कि यह जमीन अवाप्त की जाने वाली हैं। इसके पहले अनिल स्टील की जमीन खाली पड़ी है उसको नहीं छेड़ा गया। उसकी जानकारी यह दी गई कि आलरेडी उसको नोटिस दे दिया गया है। उसकी जमीन रीको ने ही सन् 1978 के अंदर सरेण्डर की थी। उसमें अभी ऐसा नहीं कहा गया है। यह जमीन उससे क्यों ली जाय इसलिए जमीन को तो हमको अवाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप अपनी कार्यवाही करने तक जमीन को ले सकते हैं। जो जमीन है वह मेन रूट पर है, सीकर रूट पर है। इस जमीन के आगे, काफी आगे रास्ता जाता है जो रेलवे लाइन तक जाता है। उसके बीच में दो जमीनें है मि. पुरी की जो नाम बताया है कि मि. डी.आर. पुरी के भतीजे हैं और दूसरी मिर्धा जी की जो कि शायद केन्द्रीय मंत्री जी के भतीजे हैं। इन दो की जमीनें उस जमीन के पहले और आती थी। तो मैंने सीधा सा प्रश्न किया था कि अगर आपको एक्वायर ही करना था तो ये जमीनें दोनों क्यों छोड़ी गई ? इनको भी आपको एक्वायर करना चाहिए था। और इसलिए यह कहना कि गरीब आदमियों की जमीनें ली गई हैं, गरीब आदमी की जमीन अवाप्ति में एक भी नहीं है, सारे पैसे वाले हैं। आपका खुद का आरोप है कि प्रभावी लोग हैं, आई.पी.एस., आई.ए.एस. अधिकारी हैं जिसकी जमीन आपने ले ली और उनको अवाप्त करना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनकी नहीं ली गई है, माननीय उद्योग मंत्रीजी। (व्यवधान)

लिखित में अनुबन्ध हुआ था नहीं, आप यह बताइये। पहले ही अनुबन्ध हो गया कि हम यह जमीन इस रेट पर एक्वायर कर लें.... (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी नहीं हो जायेगी, यह अवाप्ति की कार्यवाही स्थगित रखी जायेगी। मैं इतना कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले माननीय सदस्य यह भी बता दें कि किस-किस की जमीन अवाप्त करनी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान ।

श्री जुबेर खान : वह आप निर्देश दे दें साहब ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जमीन से पहले ही एग्रीमेंट कर लिया गया । (व्यवधान)

ग्राम सेवकों को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति

242. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की पंचायत समितियों में पंचायत प्रसार अधिकारियों के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ? विवरण पंचायत समिति का नाम मय जिले के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर ही पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के सेवकों को अब तक पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या ग्राम सेवकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है ? यदि हां, तो वर्ष 1983, 1985 व 1991 की वरिष्ठता सूचियां सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ग्राम सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री हीरालाल सिंह खर्रा) : (1) राज्य की पंचायत समितियों में पंचायत प्रसार अधिकारियों के कुल 60 पद व जिला स्तर पर 21 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों की तिथि सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यरत पदोन्नत ग्राम-सेवकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । वर्ष 1982 एवं 1989 में प्रकाशित ग्राम सेवकों की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । वर्ष 1991 की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है ।

(4) जी हां । पूर्व में तदर्थ आधार पर पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत ग्राम सेवकों को विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा नियमित करवाया जाना है जिसके लिए अभिलेख तैयार करवाया जा रहा है । तत्पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जावेंगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस पदोन्नति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा ग्राम

(श्री हीरासिंह चौहान)

सेवकों की पदोन्नति के लिए डी.पी.सी. की बैठक कब आयोजित की गई ? 60 पद जैसे रिक्त बताये गये हैं, इतने लम्बे समय तक डी.पी.सी. की मीटिंग क्यों नहीं की गई ? इसके क्या कारण है और अब कह रहे हैं कि सभी प्रकार के कागजात शामिल कर लिये जायेंगे, उसके बाद शीघ्र बैठक कर ली जायेगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक कर ली जायेगी ? कब इनको पदोन्नति दे दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी जा रही थी। यह बात जब मेरे सामने आई तो मैंने उनको कहा कि डी.पी.सी. की बैठक में इनकी जांच करवा कर, उनको नियमित कर इनकी वरिष्ठता सूची बना कर नये पदोन्नति आदेश निकाले जायें। उस संदर्भ में तीन-चार महीनों से यह कार्य चल रहा है। कुछ की सर्विस बुक्स और पुरानी चीजें नहीं मिल रही थी, मैंने उनसे यह भी कहा है कि बी.डी. ओज. से आप उनके बारे में सर्टिफिकेट लेकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी डी. पी. सी. बैठा कर इनको पदोन्नति दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय श्री अचला राम ।

पाली नगर पालिका की नागरिक समितियां

213, **श्री अचलाराम** (देसूरी) : श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित(सुमेरपुर), एवं श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका पाली; द्वारा नागरिक समितियों की कार्य प्रणाली व कृत्य राजस्थान नगर-पालिका (समितियों का कार्य संचालन) नियम, 1974 में विहित प्रक्रिया के विरुद्ध है ?

(2) इन नागरिक समितियों का वैधानिक अस्तित्व व औचित्य क्या है ? क्या इन गैर कानूनी नागरिक समितियों को भंग करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार अध्यक्ष नगर-परिषद, पाली को नियम विरुद्ध कार्य करने के कारण निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) नगर परिषद, पाली में गठित नागरिक समितियों का गठन नियम, 1974 के तहत नहीं किया जाकर विभागीय स्तर पर लिये गये प्रशासनिक निर्णय के तहत किया गया है।

(2) इन नागरिक समितियों का गठन प्रशासनिक निर्णय के तहत किया गया है, लेकिन उनकी उपादेयता नहीं है, अतः अब उन्हें भंग किया जा रहा है।

(3) नागरिक समितियों का गठन प्रशासनिक निर्णय के तहत किया गया था। अतः पालिका अध्यक्ष के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने की परिस्थिति नहीं है।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, अगर नागरिक समितियों को गठित करने का नियम 1974 था तो प्रशासनिक आधार पर निर्णय लेकर यह नागरिक समितियां क्यों गठित की गई? क्या कारण है और इसमें यह भी बताया गया है कि इनकी कोई उपादेयता नहीं है और इनको भंग किया जा रहा है, तो कब किया जा रहा है ? कोई निश्चित तिथि बताइये। इसी के साथ-साथ यह भी बताया गया कि पालिकाध्यक्ष के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने की परिस्थिति नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसके कारण क्या हैं ? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह, एक बार इनके हो जायें ।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : सेम है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, है श्री दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 213 का खण्ड (1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगर पालिका, पाली द्वारा गठित नागरिक समितियों की कार्य प्रणाली व कृत्य राजस्थान नगरपालिका नियम, 1974 में विहित प्रक्रिया के विरुद्ध है ? इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया। दूसरा मेरा प्रश्न है पाली नगर परिषद हेतु उक्त सफाई हेतु नागरिक समितियों के लिए कितनी अनुदान की राशि स्वीकृत की गई ? पाली नगर परिषद में कुल कितने वार्ड हैं तथा कितने वार्डों में नागरिक समितियों का गठन किया गया ? उक्त नागरिक समितियों के गठन में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश दिये गये ? क्या उक्त निर्देशों की पालना की गई ? उक्त समितियों के गठन में क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया तय की गई ? नेक्स्ट प्रश्न है कि परिषद के अन्य वार्डों में नागरिक समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियम, 1974 का सवाल है मैंने पहले निवेदन किया कि यह समितियां उसके नियमों के अन्तर्गत गठित नहीं की गई, न की जा सकती थी। 1974 के जो नियम हैं उनमें नगर पालिका के सदस्यों की समिति बनती है। इसलिये वह उनके अन्तर्गत नहीं है । एक बार 4.7.89 को नगरपालिका, पाली में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में तत्कालीन मंत्री महोदय, सचिव महोदय, तथा अन्य लोग उपस्थित थे और मंत्री महोदय, ने यह कहा कि नगरपालिका के कामों में अगर जन सहयोग लिया जा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसलिए नागरिकों को भी इसमें जोड़ा जाये और इनको जोड़ने के लिए सफाई के कामों के लिए यह व्यवस्था की जाये। उसके अन्तर्गत ही प्रस्ताव किया पाली के अध्यक्ष महोदय ने, कि सब में तो हमारी आवश्यकता नहीं है, 38 वार्डों में केवल आठ वार्ड ऐसे हैं जहां हम इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई। यहां से अनुमति मिली उनको कि आठ वार्डों में समिति बना सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि यह कोई कानून के अन्तर्गत नहीं थी, यह तत्कालीन मंत्री महोदय की इच्छा थी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि नागरिक इसमें जुड़े और सफाई के काम में लगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी इच्छा क्या है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : केवल सफाई के लिए ?

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल सफाई के लिए, यह था उसमें, केवल आठ वार्डों में....

श्री कालीचरण सराफ : यह क्या बात हुई ? सफाई केवल आठ वार्डों में ही, बाकी वार्डों में सफाई नहीं होगी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी इच्छा इसके विपरीत है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने तो लिख दिया था, मैंने कह दिया कि इनको भंग कर रहे हैं....

श्री कालीचरण सराफ : यह बात समझ में नहीं आई, केवल आठ वार्डों में सफाई करानी थी क्या मंत्रीजी को ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी यह राय है कि सफाई जैसे मामलों में जनता सहयोग नहीं दे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, अगर एक-एक कोई बात पूछेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : पहले आप जवाब सुनिये । माननीय सदस्य, बैठिये । पहले जवाब सुनिये आप पूरा ।

श्री अचला राम : आठ वार्डों में यह समितियां गठित करने का क्या औचित्य था क्या वहां के नगर पार्षदों का कोई दवाब था या क्या था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने निवेदन किया कि उस वक्त एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था और जब मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि इनका औचित्य मैं तो मानता ही नहीं हूं इसलिए इनको भंग किया जा रहा है । जो स्थिति पूर्वकाल में रही उसका वर्णन मैंने आपके सामने कर दिया आठ वार्डों में इसलिए कि वहां पर बाकी जगह हरिजन कर्मचारी उनके पास उपलब्ध थे, उनसे काम कराते रहे । इन आठ वार्डों के लिए उन्होंने नागरिकों को काम दे दिया कि आप अपने इलाके में सफाई करवाइये । इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं इसलिए मैंने निवेदन किया कि इनको भंग कर रहे हैं हम तो । अब आप कह दें कि कब भंग करेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जिन आठ वार्डों के अन्दर नागरिक समितियां गठित की गई हैं....(व्यवधान) अलग अलग वार्ड में विशेष रूप से की जाती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । उनको तो बोलने दीजिये, आप बीच में ही, प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन आठ वार्डों के अन्दर नागरिक समितियां बनाई गई और उन समितियों का संयोजक उस वार्ड के नगर पार्षद को बनाया गया और उन लोगों को

(13)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

नगरपालिका से रोकड़ भुगतान, कैश वाउचर लेकर उनको राशि दी गई। यह भ्रष्टाचार की तारीफ में आता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन नगर-पार्षदों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए वहां रिपोर्ट दर्ज की गई और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या यह भ्रष्टाचार की तारीफ में आता है या नहीं आता है?

श्री अचला राम : यह भ्रष्टाचार नगर परिषद में होने की किसकी जिम्मेदारी है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मंत्री जी। यह भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि यह समितियां तो भंग कर रहे हैं और इसमें जो पैसा दिया गया है उसके लिए जांच करवा रहे हैं कि इस पैसे का ठीक उपयोग हुआ या नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष जी, नगर पार्षदों ने खुद ने सफाई के ठेके ले लिए क्या यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है?

श्री अध्यक्ष : सारे के सारे बोल रहे हैं एक साथ। मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं। इस बात से सहमत हूं। खुद ही नहीं हूं। इसलिये इसको भंग कर रहे हैं। जो अनुदान या पैसा दिया गया है उसकी जांच कर रहा हूं कि ठीक खर्च हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप सुनेंगे नहीं। मंत्री जी बोल रहे हैं। सुनिये आप बीच में खड़े हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि उन वार्डों में हरिजनों की व्यवस्था नहीं थी और कुछ वार्डों में हरिजनों की व्यवस्था थी इसलिए यह कमेटियां नियुक्त की। मेरा तो यह प्रश्न है कि क्या हरिजनों की व्यवस्था भी किसी अलग-अलग वार्ड में स्पेशल है या पार्षदों को इसका ठेका दे दिया गया था कि वह सफाई का प्रबन्ध करें?

श्री अध्यक्ष : यह मंत्री जी ने नहीं कहा है उन्होंने कहा है कि सफाई के सम्बन्ध में कमेटियां बनी हैं।

नेक्स्ट,

श्री हुकमाराम– (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

राजस्थान में भेड़ पालकों की समस्यायें

214. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में भेड़ पालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(2) राज्य सरकार भेड़ पालकों की समस्याओं को दूर करने हेतु क्या विशेष प्रयास कर रही है?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री रमजान खां) : (1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार भेड़पालकों की समस्याओं को दूर करने हेतु निम्न विशेष प्रयास कर रही है :—

1. भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा करना ।

2. नस्ल सुधार : (क) संकर प्रजनन (ब) चयनित प्रजनन,

3. ऊन व मांस विक्रय के लिए फेडरेशन का गठन,

4. भेड़ पालकों को तकनीकें ज्ञान देना ।

5. भेड़पालकों व तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

6. निष्क्रमण को नियमित करने के लिए स्थायी एवं अस्थायी चौकियां स्थापित करना ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भेड़पालकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं क्या वे पर्याप्त हैं ? क्या यह सही है कि यह सुविधाएं इतनी न्यून हैं कि जिनका असर या परिणाम कहीं भी परिलक्षित नहीं होता और आज भी भेड़पालकों की वही स्थिति हैं जो कई वर्षों से थी ?

नं. दो, क्या यह सही है कि पिछले वर्षों से ऊन के भावों में हर वर्ष कमी होती जा रही हैं जिससे भेड़ पालकों के अन्दर असन्तोष है ?

तीसरे क्या यह भी सही है कि भेड़पालकों को अकाल के कारण अपनी भेड़ों को लेकर बाहर निष्क्रमण करना पड़ता है जिससे उनका रास्ता और कहां वह ठहरेंगी इसके बीच व्यवस्था नहीं होने की वजह से वह एक स्थान पर ही इकट्ठी हो जाती हैं । वहां का चारा नष्ट कर देती हैं, फसलें बरबाद करती हैं और कृषकों और उनमें आपस में हर वर्ष झगड़ा होता है जिससे बहुत बड़ी कानून और व्यवस्था की दिक्कत खड़ी हो जाती है । क्या यह भी सही है कि बूंदी जिले के वर्ग क्षेत्र में हर साल इस प्रकार से संख्या से अधिक भेड़ें इकट्ठी होती हैं जिससे वहां की हमेशा कानून और व्यवस्था भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है । क्या भेड़ों के निष्क्रमण की उचित व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने निष्क्रमण का मामला उठाया कि बूंदी जिले में सब भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं । इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है हर साल और तमाम जिलों के जिला कलक्टरों को बुलाया जाता है और वहां पर भेड़ों की संख्या निर्धारित की जाती है कि कौन-कौन से मार्ग से कितनी भेड़ें निकलेंगी और कौन से मार्ग से कितनी भेड़ें निकलेंगी और बूंदी जिले के लिए डेढ़ लाख भेड़ों का तय किया हुआ है इस वर्ष और जहां तक निष्क्रमण के समय लड़ाई झगड़े का सवाल है यह बात सही है कि लड़ाई-झगड़े भेड़पालकों के बीच हो जाते हैं परन्तु पिछले एक वर्ष के अन्दर हमने ठीक ढंग से व्यवस्था की

(श्री रमजान खां)

जिसके कारण से मैं सभी सदस्य साहेबानों से कहना चाहूंगा कि एक भी लड़ाई–झगड़े का केस इस वर्ष नहीं हो पाया। उसका तत्काल बन्दोबस्त किया गया है।

ऊन के भावों के गिरने की चिंता वाजिब है। तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने सीमा शुल्क में गिरावट करके और जो ऊन आयात होती है विदेशों से उसकी सीमा शुल्क में बहुत ज्यादा गिरावट कर दी और उसकी वजह से बड़े-बड़े आदमियों ने ऊन का आयात शुरू कर दिया बाहर से इसलिए हमारी ऊन से यहां पर कार्पेट बनाने के लिए या खादी ग्रामोद्योग के लोगों ने भी खरीददारी करना बन्द कर दिया जिसकी वजह से ऊन के भाव गिरे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोशिश की है और कोशिश करके सीमा शुल्क को कुछ बढ़ाया है और बढ़ने के कारण कुछ ऊन के भाव ऊपर भी आये हैं। अभी भी कोशिश लगातार जारी है और मुझे उम्मीद है कि सीमा शुल्क जैसे ही आयात होने वाली ऊन पर बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी ऊन के भाव यहां पर बढ़ पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि शीप एण्ड वूल फैडरेशन के द्वारा प्रतिवर्ष हजारों भेड़ों को काटकर डिब्बों में बन्द करके निर्यात किया जाता है ? जहां एक ओर हम भेड़ से ऊन प्राप्ति कम बता रहे हैं और प्रतिवर्ष लाखों भेड़ों को काटकर डिब्बों में बन्द करके, हम एक तरफ हमारी ही भेड़ों को काटकर विदेश भेज रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशों से ऊन का आयात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश हैं जहां मध्यप्रदेश के बाद सबसे ज्यादा भू भाग हमारे पास में है। यह सही है तो क्या हम हमारी पुरानी लैप्ट बैंक स्कीम जहां चारागांह का विकास शीप एण्ड ब्रीडिंग फार्म वहां डवलप करने करने का विचार रखते हैं ?

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि भेड़ों के सुधार और इलाज की व्यवस्था के लिए जगह–जगह इन्तजाम हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। राजस्थानी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा 90 फीसदी लोगों का धंधा पशुपालन है। वहां मासोड़ा, प्रसाड़ा की दवाई में आप इस साल भी बता दो कि कितनी जगह दवाइयों का इन्तजाम किया ? मेरा यह आरोप है कि कहीं टक्के की दवाई का भी इन्तजाम नहीं हुआ है। जब उस इलाके में अकाल पड़ता है तो बाहर चराने के लिए लोग जाते हैं उनको सरकारी तौर से कोई इंतजाम नहीं होता है। कहीं कहीं लड़ाई होती है और लोग मरते हैं और जहां तक पशु नस्ल सुधारने का सवाल है यह कहीं बड़े–बड़े अधिकारी या बहुत बड़े–बड़े सेठ या शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी कोई भेड़ या रिश्तेदार संबंधी के लिए आपके खजाने से कोई इन्तजाम हो तो हो सकता है लेकिन ग्रामीण एक भी भेड़पालक के नस्ल सुधारने की इन दो जिलों में एक मिसाल भी बता दो। तो मैं मानूंगा कि आपका कोई इन्तजाम है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय यह सारा घपला है। सरकारी

(श्री अमीन खां)

महकमे में रोजगार लगाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों के लिए इन्तजाम है और कृषकों के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि गत साल के अन्दर प्रति भेड़ जो ऊन हैं उसमें कितनी गिरावट आई है ? क्या दो सालों में लगातार गिरावट आ रही है और उसकी गिरावट रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है ? दूसरी बात यह पूछना चाह रहा हूं कि जो भेड़ों के अन्दर बीमारी हो रही है जैसा माननीय सदस्य ने बताया क्या नागौर जिले के अन्दर गत साल के अंदर कोई ऐसा अभियान चलाया है कि जहां भेड़ें मरी हैं और उनका कोई ठीक करने का या दवाइयों का अभियान चलाया गया है ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के जालौर जिले से आता हूं जहां सबसे ज्यादा भेड़पालक जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा भेड़पालक रहते हैं। इस साल अतिवृष्टि से इतनी भेड़ें मरीं उनका कोई इलाज नहीं हुआ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर जिला बाकासेर से करीब 250 किलोमीटर दूर है जहां पशुपालक, भेड़पालक 150 किलोमीटर एक जालौर जिला हैड क्वार्टर पर भेड़ों के इलाज का प्रबन्ध है बाकी कहीं भी नहीं है, 250–250 कि. मी. की दूरी पर भेड़ पालक बसते हैं और इस वर्ष तो भयंकर बाढ़ के कारण पशु पालकों में इतनी तबाही मची, इतना नुकसान हुआ जिसका कोई लेखा–जोखा करने वाला अधिकारी समय पर वहां नहीं पहुचा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर। आप बिराजिए। हो गया आपका सवाल।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए भेड़ पालकों के लिए कोई नस्ल सुधार का प्रबन्ध होना चाहिए। एक और निवेदन है कि पहले नस्ल सुधारने के लिए हर पंचायत समिति में मेला होता था। आजकल 77 से आज दिन तक कभी पंचायत समिति में प्रदर्शनी नहीं हुई और नस्ल सुधारने की सारी कागजी कार्यवाही हो रही है बाकी कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, भेड़पालकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके लिए चरागाह उपलब्ध नहीं है। तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि भेड़ों के लिए चरागाह की उपलब्धता के संबंध में क्या राज्य सरकार की कोई योजना है ? दूसरा प्रश्न यह है कि गत वर्षों में राज्य सरकार के शीप एंड वूल डिपार्टमेंट में कुछ चरागाह भेड़ों के लिए चारा डवलपमेंट के लिए ले रखे थे, उनकी आज क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गुलाम मुस्तफा।

श्री गुलाममुस्तफा खान : अध्यक्ष महोदय, देश की सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में होती है और राजस्थान में भी 80% पश्चिमी राजस्थान मे होती है और भेड़ पालकों को सबसे बड़ी समस्या है कि उनके लिए मार्केटिंग और उद्योग की कोई व्यवस्था नहीं हैं इसलिए सारी ऊन कच्चे

(श्री गुलाममुस्तफा खान)

रूप में उत्तरप्रदेश को जाती है तो राजस्थान में इसके कुटीर उद्योग और मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती, यह मेरा निवेदन है, इस ओर ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपालसिंह।

श्री गोपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि राजस्थान की भेड़ मध्य प्रदेश आदि, दूसरे प्रान्तों में माइग्रेट करती है उनको रोकने के लिए राजस्थान की भेड़ों के लिए इतनी ज्यादा रेट बढ़ा दी है जिससे सारी की सारी भेड़ें राजस्थान में ही पड़ी रहती हैं और आगे मध्य प्रदेश में नहीं जा पाती। तो राजस्थान जब तक कोई अपनी व्यवस्था नहीं कर लेता या अन्य व्यवस्था नहीं कर लेता, इसके लिए अपनी राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार से बात करके क्या इस रेट को रिवाइज करा सकती है जिससे फिलहाल भेड़ पालकों को राहत मिल सके। दूसरा, बाढ़ के दिनों में लाखों की संख्या में भेड़ों की जान गई है उसके लिए भेड़ पालकों को किसी तरह का कोई मुआवजा, राहत, सब्सिडी या लोन के बारे में राज्य सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। क्या उसके बारे में भी राज्य सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री खंगारसिंह चौधरी।

श्री खंगार सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हर साल बाहर के प्रान्तों में कुछ भेड़ें चरने के लिए जाती हैं और बाहर के राज्यों में उन पर कितना टैक्स लगता हैं, क्या वह टैक्स देने के काबिल हैं ? जबकि एक भेड़ जो बाहर जाती है उस पर 8 रुपये टैक्स लगता है। उसके पहले दस रुपये थे और सबसे पहले चार आने प्रति भेड़ थे फिर एक रुपया किया गया, उसके बाद में दस रुपये मध्य प्रदेश में किये गये और फिलहाल आठ रुपये लगाये जा रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन भेड़ पालकों के लिए बाहर जो प्रान्तों में अकाल के समय जाते हैं और भेड़ ऐसा पशु है जिसके लिए काफी लम्बी जगह रोजाना चरने के लिए चाहिए। इसलिए उनका बढ़ावा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से या हरियाणा या गुजरात सरकार से ऐसा कोई न कोई नियम बना कर उन भेड़ पालकों को सहूलियत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भेड़ों के वेक्सीनेशन के लिए जो 80–90 के बजट में प्रावधान था क्या 90–91 में उससे भी कम खर्च किया गया है और आने वाले वर्ष में वेक्सीनेशन के लिए कितने धन का प्रावधान है और क्या भेड़ पालकों को इसकी जानकारी रहती है या नहीं कि सरकार की ओर से वेक्सीनेशन का इन्तजाम है। दूसरा मेरा सवाल है कि राजस्थान के भेड़ पालक अन्य राज्यों में अपनी भेड़ें चराने के लिए जाते है तो जो बोर्डर के जिले हैं जैसे—धौलपुर, कोटा और मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग जाते हैं या हरियाणा जाते हैं तो वहां बोर्डर पर उन लोगों का बड़ा शोषण होता है। उनसे एक अलग तरह की फीस, एन्ट्री टैक्स वसूला जाता है। उसे बन्द करने के लिए सरकार की ओर से क्या

(डा. चन्द्रभान)

कोई कदम उठाया गया है ? जो भेड़ पालक बोर्डर क्रॉस करते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं तो वहां पर झगड़ा हो जाता है और झूठे मुकदमें भी दर्ज कर लेते हैं। क्या उन मुकदमों के संबंध में सरकार को जानकारी है या सरकार उन्हें वापिस उठवाएगी ?

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मरूस्थलीय जिले जैसलमेर में अधिकांश लोगों की जीविका भेड़ पालन पर निर्भर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भेड़ों की नस्ल सुधारने या उनको दवाई उपलब्ध करवाने या जब अकाल पड़ता है तो भेड़ों का पलायन होता है उसे रोकने की कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और इस मामले में विभाग की सक्रियता बिल्कुल प्रतीत नहीं होती। दूसरे, अकाल के दौरान और प्राकृतिक आपदा के दौरान हजारों की संख्या में भेड़ें मर गई उसका भेड़ पालकों को मुआवजा या सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि या तो भेड़ों के लिए कोई बीमा योजना या इस तरह की योजना लागू की जाय और जो भेड़ पालक हैं उनको ऊन विक्रय के लिए सरकार या सहकारी संस्था या मार्केटिंग ऐजेन्सी ऐसा प्रबन्ध करे जिससे भेड़ पालकों को उचित मूल्य मिले और उनको राहत प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। पहले मंत्री जी का जवाब सुन लें, वह भूल जाएंगे।

श्री मनोहर सिंह इन्दा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भेड़ों को फेमिन कोड में शामिल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फेडरेशन के माध्यम से डिब्बा मीट के निर्यात करने का प्रश्न आया तो फेडरेशन के माध्यम से कोई भी मीट निर्यात नहीं किया जाता है। यह उनकी गलतफहमी है। जहां तक चारागाह विकास करने का प्रश्न है। चारागाह विकास के लिए ऊंट, गाय, भैंस के लिए राजस्थान टीनेंसी एक्ट में प्रावधान लागू है कि उनके लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाय। भेड़ पालकों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है कि भेड़ पालकों के लिए भी इस तरह की भूमि अलाट की जाय ताकि उनके लिए चारागाह का विकास किया जाय। फिर भी चारागाह विकास के लिए मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हेक्टेयर जमीन में चारागाह विकास किया गया है और हमने प्रस्ताव भेजा है कि इंदिरा गांधी नहर के ऊपर बीकानेर और जैसलमेर के पास कुछ भूमि भेड़ और बकरियों के लिए अलाट की जाय ताकि वहां पर चारागाह का विकास किया जाय ताकि हमारी भेड़ें ज्यादातर बाहर के प्रदेशों में निष्क्रमण न करें और अकाल पड़ जाय तो चारागाह में ठहर सकें। जहां तक अतिवृष्टि से मरने वाली भेड़ों का प्रश्न है, यह बात सही है कि अतिवृष्टि से हजारों भेड़ें

(श्री रमजान खां)

मरीं परन्तु विभाग ने जिस वक्त बाढ़ आई थी, काफी तादाद में दवाई वगैरह सप्लाई की है और हमने तो यहां तक किया है अध्यक्ष महोदय, हमारे पाली के माननीय सांसद महोदय ने बम्बई जाकर ऐसे लोगों के लिए कुछ धनराशि इकट्ठी की है और पिछले महीने करीबन 40 हजार रुपये उन भेड़ पालकों को जिनकी भेड़ें अतिवृष्टि में वह गई, उनको वितरित किये हैं और भेड़ पालकों को समय समय पर राहत दे रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : उन सांसद महोदय को भेड़ क्या होती है और बकरी क्या होती है इसका ही पता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें आप।

श्री रमजान खां : जहां तक डा. चन्द्रभान जी ने दवाइयों के बारे में पूछा है। माननीय सदस्य की दवाइयों के बारे में चिन्ता करने की बात सही है परन्तु इस वर्ष हमने बजट में करीब 40 लाख का प्रावधान रखा है फिर भी मेरे हिसाब से दवाइयों का पैसा बहुत कम है। एक करोड़ भेड़ें हैं, प्रति भेड़ एक रुपया होना चाहिए था। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी कहा है और उम्मीद है कि इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। जहां तक मध्यप्रदेश सरकार से वार्ता करने का प्रश्न है, यह बात सही है कि हमारी भेड़ें जो मध्यप्रदेश के अन्दर जाती हैं, उनके ऊपर 8 रुपये टैक्स प्रति भेड़ दिया जा रहा है। जिससे भेड़ पालकों को काफी नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री पटवा जी से बात की है। माननीय शेखावत साहब ने भी उस सम्बन्ध में बात की है और जिस वक्त भोपाल में विधायकों का और सांसदों का अधिवेशन था, उस सम्बन्ध में करीबन आधे घन्टे तक इस टैक्स को कम करने के लिए चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ टैक्स कम होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गुलाब सिंह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सर, एक का ही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप सब एक साथ बोलेंगे। एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। एक-एक बोलिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

आप एक साथ क्यों बोल रहे हैं?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मैंने एक शब्द तक नहीं कहा है। कृपया उन जैसी इजाजत दें, स्पष्टीकरण दें....

श्री अध्यक्ष : सब बोल रहे हैं। पहले आप एक मिनट बैठिये। आप बिराजिये। हीरालाल जी पूछ रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भेड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए, भेड़ पालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो सुविधाएं बताई हैं, क्या यह सही है कि जैसा मैंने पूर्व में कहा कि यह बहुत ही अपर्याप्त है। इनके स्वास्थ्य में सुधार और नस्ल सुधार के लिए जो केन्द्र हैं, क्या वहां पर सुधार की आवश्यकता है और उसके विस्तार की आवश्यकता है? यदि हां, तो इसके सुधार और विस्तार के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) आप जवाब नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझनूं) : जब 10 आदमियों के जवाब दिये हैं, अब तो 3 ही बचे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय ने पिछले 10 सदस्यों के प्रश्नों के जवाब नहीं दिये हैं। हम तो 2-3 ही बचे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बैठिये। आप पूछिये क्या है, हीरासिंह जी क्या पूछ रहे हैं ?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : सीधा सवाल करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह भेड़ों की समस्या के समाधान के लिए जनरल क्वेश्चन है। इनको बांधा तो नहीं जा सकता। निवेदन मेरा यह है कि हमारे इस राज्य में या राजस्थान में भेड़ पालन करने में या भेड़ पालकों का हिन्दुस्तान भर में प्रथम नम्बर है। अब निवेदन यह है कि इतने भेड़ पालक हैं, इतने लोग इस व्यवसाय में लगे हैं और हजारों भेड़ें, अतिवृष्टि में, या अत्यधिक ठंड पड़ती है, उसमें मर जाती हैं। उसके अन्दर निवेदन है माननीय मंत्री जी से क्या इस प्रकार की बीमा योजना या इस प्रकार का आयोग गठित करके इन भेड़ पालकों के लिए सरकार की तरफ से जब-जब इनका नुकसान होता है, तब-तब उनको कम्पनसेट करने की कोई योजना बनाने का विचार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद। पहले इनका सवाल है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात से तो इन्कार किया कि भेड़ों का मांस....

श्री अध्यक्ष : भारत के इस सबसे गरीब जानवर की वकालत विधान सभा में हो रही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : विदेशों में निर्यात नहीं किया जाता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शीप एण्ड वूल डिपार्टमेन्ट की राजस्थान में मांस बेचने की शाप्स हैं ? दूसरा क्या पिछले वर्ष मिलिट्री, जो यहां जयपुर में है, उसको शीप एण्ड वूल डिपार्टमेन्ट ने मांस सप्लाई किया, कान्ट्रेक्ट किया था, वह किस कारणवश सौदा रद्द हो गया और इसमें कितना नुकसान हुआ ? यह माननीय मंत्री जी बतावें।

श्री अध्यक्ष : मदन कौर जी पूछ रही हैं ?

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमें यह बतावें कि उनके पास, उनके विभाग के पास मरूस्थलीय जिलों में चारा विकास के लिए कुछ फार्म्स आलरेडी उनके पास हैं ? उनकी क्या स्थिति है ? उन पर ऊन चारागाह विकास का काम किया है या खाली पड़े हैं ?

(श्रीमती मदन कौर)

उनकी क्या गति है ? यह तो बतावें हमें और कितनी जमीन लेना चाह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रमजान खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने नस्ल सुधार के सम्बन्ध में जो बात पूछी है, इस सम्बन्ध में विभाग.....

श्री अध्यक्ष : आप तो यह बतावें कि ये समस्या बहुत दिनों से सबको आंदोलित कर रही है, भेड़ों के चरने की प्रोबलम्स, उन्हें वहां ले जाने की प्रोबलम्स, तो उसके कोई निराकरण के बारे में आप सोच रहे हैं तो बता दीजिये। (व्यवधान) अब आप सुनिये। प्लीज।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नस्ल सुधार का संबंध है, हमारे यहां 8 किस्म की भेड़े हैं। उनमें 4 किस्म की भेड़ों को हम विदेशी प्रजनन के द्वारा उनमें नस्ल सुधार कर रहे हैं और 4 किस्म की दूसरी अन्य भेड़ें हैं, उसमें चयनित भेड़ों से उसकी नस्ल का सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें काफी उपलब्धि मिली है। हमारी ऊन की क्वालिटी में चेंजेज आया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहां कई महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब पूरा होने दीजिये। जवाब सुनना नहीं चाहते हैं आप (व्यवधान)

नैक्स्ट। श्री गुलाब सिंह। (व्यवधान)

अब बिराजिये। हो गया आपका।

जवाई बांध में जल वृद्धि हेतु नई योजनाएं

215. **श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित** (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सरकार के पास नई योजनाएं विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा कितने-कितने लागत की हैं, उसे कितने-कितने मिलियन घन फुट पानी का इजाफा होगा तथा यह कब तक प्रारम्भ कर दी जावेंगी ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मालनू के पास सोनगिरी नदी पर बांध बनाकर उसका पानी जवाई बांध में लाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसकी अब तक क्या प्रगति रही ?

सिंचाई मंत्री (श्री विजयसिंह झाला) : (1) जी हां। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु काली बोर डाइवर्सन योजना जिसकी अनुमानित लागत 207,80 लाख रुपये है, स्वीकृत हो चुकी है, कार्य प्रगति पर है। इससे 245 मिलियन घनफुट पानी उपलब्ध होगा। सेई एनीकट जिसकी अनुमानित लागत 10.745 लाख रुपये है, अभी जांच में चल रही है। इससे 18.33 मिलियन घनफुट का अतिरिक्त पानी सेई बांध के माध्यम से जवाई में डालना प्रस्तावित है।

(श्री विजयसिंह झाला)

(2) सोनगिरी नदी पर सोनगिरी का वाला डाइवर्सन योजना (चिमनपुरा गांव के पास) का सर्वेक्षण कार्य करवाया जा रहा है एवं उपयोगिता की तकनीकी जांच के पश्चात् योजना का प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकमीना बनवाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सेही ऐनीकट की स्थिति बताई कि अभी जांच में चल रही है। यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार की जांच में चल रही है, उसकी अभी क्या प्रगति है, किस स्थिति में वह है और कब तक उसकी स्वीकृति मिल जायेगी ?

दूसरे खण्ड में जो सोनगिरी नदी पर सोनगिरी का वाला डाइवर्सन स्कीम का बताया कि सर्वेक्षण कार्य करवाया जा रहा है, फिजिबिलिटी की टेक्नीकल जांच चल रही है। तो यह पिछले 5–7 वर्षों से चल रहा है और हमेशा से यही है कि इसका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जवाई बांध में पानी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि नई योजना स्वीकृत करके वहां के लोगों को लाभान्वित करने के लिए जल्दी से जल्दी उसमें पानी आये और अकाल की स्थिति वहां बनी रहती है. इस दृष्टि से जब तक जवाई बांध में पानी की आवक उसमें नहीं बढ़ाई जायेगी, वहां किसी भी काश्तकार को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा तो यह बताने की कृपा करें कि यह सोनगिरी वाला में जो आपकी डाइवर्सन योजना चल रही है, वह कब तक स्वीकृत हो जायेगी और इस पर काम कब तक शुरू हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री विजयसिंह झाला : बजट के अनुसार काम प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं वे पूछ रहे हैं कब तक समाप्त हो जायेगा।

श्री विजय सिंह झाला : सर्वे चल रहा है। सर्वे होने के बाद में बजट में प्रावधान लेकर इसका काम चालू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल। (व्यवधान)

अब आप बैठिये। अब आप सवाल ही नहीं पूछ सकते तो जवाब क्या लोगे ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैंने सवाल पूछा है। मैंने जवाई बांध के बारे में पूछा है ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह जवाई बांध महत्वपूर्ण बांध है, जो सिंचित जमीन है, वह हर साल खाली रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री हीरासिंह चौहान : यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने यह कहकर टाल दिया कि बजट में प्रावधान हो तो किया जायेगा। तो क्या हम पाली जिले वाले इस पानी को रोक दें जो जोधपुर जा रहा है। डाइवर्सन के द्वारा पानी

(श्री हीरासिंह चौहान)

बढ़ाने की बात कही गई है। उस जवाई बांध में पानी बढ़ावें आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। सुन तो लें आप।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है....

श्री अध्यक्ष : सुन तो लें आप। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैंने यह पूछा कि जो जांच चल रही है, वह किस तरह की जांच चल रही है और उसकी क्या प्रगति है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : दूसरा मैंने यह पूछा कि सोनगिरी का वाला डाइवर्सन योजना....

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब सुनिये। बैठिये आप। आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : हम तो सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कारागृहों में कैदियों को सुविधाएं

363. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किन–किन जिलों में कितने-कितने कारागृह हैं ?

(2) कारागृहों में कितनी कितनी मात्रा में बन्दियों को भोजन दिया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कारागृह में बन्दियों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार को गत वर्ष कब-कब इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रत्येक जिले में वर्तमान में स्थित कारागृहों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कारागृहों में बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में भोजन सामग्री दी जाती है। निर्धारित भोजन सामग्री का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) यह सही नहीं है। गत वर्ष बंदियों को घटिया भोजन दिये जाने के संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के आयुर्वेद औषधालय

364. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंह नगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने औषधालय हैं, उनमें से कितने कार्यशील हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक औषधालय में कितना-कितना स्टाफ स्वीकृत है एवं कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं ?

(3) स्वीकृत औषधालयों में से बन्द पड़े औषधालयों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में 20 आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत हैं जिनमें से 19 औषधालय संचालित हैं । स्वीकृत औषधालयों की सूची (परिरिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र के औषधालय बिशनपुरा में चिकित्सक एवं परिचारक का एक एक पद तथा शेष सभी औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक का एक एक पद स्वीकृत है। इन स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का विवरण, औषधालयवार (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) ग्राम अमरसर (रामजीवाला) में स्वीकृत आयुर्वेद औषधालय के लिए भवन की व्यवस्था नहीं होने से इस औषधालय को सरपंच, ग्राम पंचायत भौमपुरा के वैकल्पिक सुझाव पर ग्राम अमरसर के स्थान पर ग्राम भौमपुरा में आरम्भ करने की स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में नियुक्तियां

365. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुन्झुनूं जिले में कितने पूर्व सैनिकों ने नौकरी हेतु जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन किये ? उनमें से कितने लोगों को अब तक कहां कहां नौकरी दिलाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में पूर्व सैनिकों के लिए कैन्टीन चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसके विगत 10 वर्षों की बैलेन्स सीट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 4468 पूर्व सैनिकों ने नौकरी हेतु जिला सैनिक बोर्ड, झुन्झुनूं में आवेदन किया है, जिनमें से 937 सैनिकों को निम्नानुसार नौकरी दिलाई गई है:-

1. सरकारी विभाग	269
2. राज्य/केन्द्र द्वारा प्रशासित संस्थानों में	329

(सैनिक कल्याण मंत्री)

3. अर्ध सरकारी/निजी संस्थानों में	339
योग –	937

(2) जी हां । झुन्झुनू जिले में पूर्व सैनिकों के लिए निकारा केंटीन, जयपुर का एक्सटेंसन काउन्टर वर्ष 1986 से संचालित है, जिसका संबंध रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से है ।

भेड़ पालकों को आर्थिक सहायता

366. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि ऊन के भाव दिन प्रतिदिन गिर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भेड़ पालकों को जोखिम से बचाने के लिए ऊन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर भेड़ पालकों को राहत देने की दिशा में कोई कदम उठाना चाहती है यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

ऊन के भाव पूर्व में गिर रहे थे, वर्तमान में नहीं । गिरने के स्थान पर स्थायित्व के साथ-साथ आंशिक रूप में पिछले दिनों में भावों में वृद्धि हुई है । ऊन को कृषि उत्पाद घोषित कराने तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित कराने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है और इसके विषय में केन्द्र सरकार के स्तर पर निर्णय हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की चारागाह विकास योजना के लिए भू-खण्डों का चयन

367. **श्री गुलाब सिंह** (सुमेरपुर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व ऊन विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की चारागाह विकास योजना के तहत राजस्थान के ग्यारह जिलों में 100 हैक्टेयर के 200 से अधिक भू-खण्डों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो जिलों व भू-खण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस योजना के तहत इन भू-खण्डों का विकास कर इन्हें गांव की भेड़ पालक सहकारी समितियों को सौंपने का प्रावधान था ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग ने इन्हें वन विभाग को लौटा दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो योजना से लाभान्वित समितियों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, 100 हैक्टेयर के 150 भू-खण्डों का चयन कर विकास किया गया था, विवरण संलग्न है ।

(2) जी हां ।

(3) 158 भू-खण्डों में से 101 भू-खण्ड जो सहकारी समितियों को इकानोमिक वायबल नहीं होने के कारण वन विभाग

(भेड़ व ऊन राज्य मंत्री)

को हस्तानान्तरण किया गया है। विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जवाहरात उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को ऋण

368. **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में अक्टूबर में हुए दंगों तथा खाड़ी युद्ध के कारण जवाहरात उद्योग में कार्यरत करीब 2 लाख मजदूर बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे कुशल कारीगरों को शिल्प बाड़ी योजना के तहत ऋण सुलभ कराने का मानस रखती है या अन्य कोई योजना इन कारीगरों के लिए विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उचित विपणन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ तत्व विशेष इन कुशल कारीगरों का शोषण करते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उचित विपणन की व्यवस्था कर इन कारीगरों को शोषण से मुक्त कराने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) जवाहरात उद्योग संगठित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आते हैं अपितु पारम्परिक कुटीर उद्योग हैं। जयपुर की जवाहरात एसोशियेशन अथवा इस उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों अथवा अन्य संगठनों से ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी ऐसा कुशल कारीगर शिल्प बाड़ी योजना के अन्तर्गत स्वयं का उद्योग लगाने हेतु 50,000/– रुपये तक का ऋण राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त कर सकता है।

(2) राज्य सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

अलवर जिले में खनन हेतु आवंटित पट्टे

369. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में खनन पट्टे जारी करने की क्या नीति है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक अलवर जिले में कितने खनन पट्टे किस-किस स्थान के लिए, किस किस किस्म के, किन किन व्यक्तियों को जारी किये गये हैं ? सूची नाम-वल्दियत एवं पते सहित, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रधान खनिजों के खनन पट्टे खनिज रियायत नियम, 1960 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। अप्रधान खनिजों के खनन पट्टे अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों तथा नीलामी/टेण्डर के द्वारा दिये जाते हैं।

(2) 1 जनवरी, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक अलवर जिले में 140

(खनिज राज्य मंत्री)

खनन पट्टे जिन व्यक्तियों को स्वीकृत किये हैं, उनके स्थान व अन्य विवरण प्रपत्र-"अ" में संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

खानों की रायल्टी वसूली में अनियमितताएं

370. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) वर्तमान में खनिजों की रायल्टी वसूल करने की क्या प्रक्रिया है तथा इस हेतु कितने नाके स्थापित किए हुए हैं ?

(2) गत पांच वर्षों में खान मालिकों से रायल्टी की वसूल की गई राशि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस मामले में भारी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(4) रायल्टी की वसूली तत्परता से करने हेतु राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रधान एवं अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रों की रायल्टी विभाग द्वारा अधिशुल्क निर्धारण के आधार पर वसूल की जाती है तथा क्वारी लाइसेंस के अन्तर्गत चालू क्षेत्रों की रायल्टी विभागीय नाकों अथवा रायल्टी कलेक्शन कन्ट्रेक्टर्स के द्वारा वसूल की जाती है। राजकीय निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों की रॉयल्टी निर्माण विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा ठेके की एक प्रतिशत की राशि के बराबर ठेकेदारों के बिलों से काटी जाती है। विभागीय रॉयल्टी वसूली हेतु 193 नाके/चैकपोस्टें कार्यरत हैं।

(2) गत 5 वर्षों में खान मालिकों से रेंट एण्ड रॉयल्टी आदि से आय प्राप्ति निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)
1.	85-86	2481.23
2.	86-87	2625.23
3.	87-88	3801.68
4.	88-89	4728.68
5.	89-90	5480.30

(3) जी नहीं।

(4) बिन्दु संख्या "एफ" के उत्तर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार रॉयल्टी की वसूली तत्परता से नियमानुसार की जा रही है। साथ ही साथ सुविधा अनुसार अधिशुल्क वसूली के निजी व्यक्तियों को ठेके देने की कार्यवाही की जा रही है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 371 स्थगित।)

निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़ में लाइम स्टोन) खनन के लिए आवंटित पट्टे

372. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल (तहसील निम्बाहेड़ा) में प्रस्तावित सीमेन्ट उद्योग में काम आने वाले खनिज लाइम स्टोन के लिए दो पट्टे उद्योगपति को दिये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

खनन पट्टों से जो खनिज दोहन किया गया है उसका उपयोग अन्य स्थान पर स्थापित उद्योगों में किया जा रहा है ?

(3) क्या ऐसा करना नियमों एवं लाइसेन्स व खनन पट्टों की शर्तों का उल्लंघन नहीं है ? यदि है, तो अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या शर्तों का उल्लंघन होने पर भी सरकार सीमेन्ट लाइसेन्स व खनन पट्टा जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम मांगरोल (तहसील निम्बाहेड़ा) में प्रस्तावित सीमेन्ट उद्योग में काम आने वाले लाइमस्टोन के लिए एक खनन-पट्टा मैसर्स जे. के. सीमेन्ट वर्क्स के पक्ष में स्वीकृत किया है जो निकट ग्राम कारूण्डा तहसील निम्बाहेड़ा क्षेत्र 336.70 हेक्टेयर दिनांक 13.12.84 से प्रभावशाली है।

(2) उक्त वर्णित सिर्फ एक ही खनन पट्टा क्षेत्र खनिज लाइम स्टोन का उपयोग निम्बाहेड़ा में स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री में किया गया है।

(3) शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टाधारी को वैधानिक चेतना पत्र दिनांक 19.11.90 को जारी किया जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) शर्तों का उल्लंघन होना पाये जाने पर खनन पट्टा जारी रखने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। लाइसेन्स का संबंध राज्य सरकार से नहीं होकर केन्द्र सरकार से है।

जिला सवाई माधोपुर में स्थापित उद्योग

373. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री एवं अन्य उद्योग की स्थापना कब-कब की गई एवं कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां स्थापित किये गये ? इन उद्योगों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर कब बन्द हुई ? बन्द होने के क्या कारण हैं ? इसमें कितने मजदूर व अधिकारी काम कर रहे हैं ? इसके चालू करने में सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ? यह फैक्ट्री अब कब तक चालू कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री वर्ष 1953 में स्थापित की गई थी। इसमें 1.1.91 को कुल 2944 कर्मचारी कार्यरत थे। अन्य उद्योगों की तहसील वाइज सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर जुलाई, 1987 से बंद है इसमें 1.1.91 को 121 अधिकारी एवं 2823 श्रमिक कार्यरत थे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दिये जाने के फलस्वरूप यह फैक्ट्री बंद हो गई। इस फैक्ट्री को चालू

(उद्योग मंत्री)

करने के प्रयासों के विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। इस फैक्ट्री के पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन का मामला बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन है। बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुर्नसंस्थापन योजना स्वीकृत करने पर ही उक्त सीमेंट फैक्ट्री का पुर्नचालन सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य के वृहत् रुग्ण उद्योग

374. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने वृहत् उद्योग रुग्ण (बीमार) अवस्था में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। पुनः प्रारम्भ करने हेतु क्या योजना बनाई गई है ?

(2) क्या सरकार जयपुर उद्योग एवं कृष्णा उद्योग, ब्यावर को विक्रय करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो कब तक इन उद्योगों को पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के ग्वारगम एवं स्टील उद्योग भारी मात्रा में रुग्ण हो रहे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(4) प्रदेश में जिलेवार सिक यूनिट की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वृहत् रुग्ण उद्योगों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से 16 उद्योगों का पुर्नचालन पैकेज स्वीकृत हो चुका है। 4 उद्योगों के आवेदन रद्द हो चुका हैं। 12 मामलों में अवसायन के आदेश पारित किये गये हैं तथा शेष 16 के प्रकरण बी. आई. एफ. आर. में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। मैसर्स जयपुर उद्योग लि. एवं कृष्णा मिल लि. ब्यावर के पुर्नसंस्थापन का मामला क्रमशः बी. आई. एफ. आर. एवं बी. आई. एफ. आर. की एपीलेट अथोरिटी के विचाराधीन है। इनका पुनः स्थापन/पुर्न चालन उक्त एजेन्सियों के द्वारा पुर्नसंस्थापन पैकेज स्वीकार करने पर ही सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। राज्य में 1983-84 के पूर्व ग्वारगम एवं स्टील उद्योगों में भारी रुग्णता व्याप्त थी। लेकिन अब अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में ग्वारगम की स्थिति में सुधार आने से ग्वारगम उद्योगों में रुग्णता कम हो गयी है और स्टील उद्योग भी उनके तकनीकी परिवर्तन करने से पुनः उत्पादन में आने लगे है। अतः रुग्णता में काफी सुधार हो रहा है। फिर भी अधिकृत जानकारी के लिए राज्य में रुग्ण उद्योगों का सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के परिणामों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) रुग्ण उद्योगों का सर्वे चल रहा है जिसके पूरा होने पर ही जिलेवार सूचियां बनाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अलवर जिले में वृक्षारोपण

375. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अलवर जिले की सड़कों पर अब तक कितने किलोमीटर वृक्षारोपण कर दिया गया तथा कितने किलोमीटर वृक्षारोपण सड़कों पर करना शेष है ? शेष पर वृक्षारोपण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले की सड़कों पर पिछले दो वर्षों से धन के अभाव में वृक्षारोपण बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो ऐसी महत्वपूर्ण योजना को पुनः कब तक शुरू करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 35 किलोमीटर एवं राज्य उच्च मार्गों पर 173.68 किलोमीटर वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। शेष राज्य उच्च मार्ग 197.32 किलोमीटर जिले की मुख्य मार्ग 167 किमी. तथा अन्य मार्ग 559.80 किमी. तथा ग्रामीण मार्ग 1051.62 किमी. पर वृक्षारोपण कार्य अभी नहीं कराया गया है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(2) पिछले दो वर्षों में अलवर जिले की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण नहीं करवाया जा सका था। अभी योजना बंद नहीं हुई है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर भविष्य में कार्य लिया जा सकेगा।

सामाजिक वानिकी हेतु वितरित पौधे

376. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सामाजिक वानिकी हेतु कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि रेवेन्यु विभाग द्वारा कब आवंटित की गई थी ? आवंटित भूमि में से कितने क्षेत्र में वन लगाया है ? विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु कितने पौधे किस जाति के वितरित किये हैं ?

उत्तर

सामाजिक वानिकी हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं पंचायतों को राजस्व विभाग द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त आवंटित भूमि में से वृक्षारोपण किये गये क्षेत्र की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

वन विभाग द्वारा इस वर्ष कृषि वानिकी के अन्तर्गत (फरवरी, 91 तक) 322.96 लाख पौधे बंजर भूमि एवं अन्य कृषि भूमि/पंचायत भूमि/संस्थाओं की भूमि पर लगाने हेतु सफेदा, शीशम, बांस, देशी बबूल, अशोक, अमलतास, गुलमोहर, आम अनार इत्यादि के वितरित किये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना

377. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बंजर भूमि विकास के लिए

(श्रीमती रमा पायलट)

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की सन् 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापना की गई थी ?

(2) इस योजना के तहत राजस्थान में क्या कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना के तहत राज्य सरकार को क्या सुविधाएं यथा कार, स्टाफ इत्यादि उपलब्ध करवायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई व उनकी क्रियान्विति राज्य में किस प्रकार की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया हैं।

(3) इस योजना के तहत वन विभाग को स्वीकृत साधनों यथा स्टाफ, कार आदि का विवरण परिशिष्ट "ग" के अनुसार रख दिया गया है।

(4) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा राज्य में वन विभाग के माध्यम से स्वीकृत योजनाओं एवं क्रियान्विति का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम थली जयपुर की वन भूमि पर अवैध खनन कार्य

378 **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ के ग्राम थली के अधीनस्थ वन विभाग की भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान रेन्जर ने खनन कार्य करने वालों की रिपोर्ट अभी तक विभाग में नहीं की है ?

उत्तर

(1) जी हां। खनिज विभाग की लीज के आधार पर खनन कार्य हो रहा है। इन लीजों को निरस्त करने हेतु खनिज विभाग को लिखा गया है।

(2) जी हां। वर्तमान क्षेत्रीय ने अपने कार्यकाल में किसी खनन कार्य की सूचना विभाग को प्रेषित नहीं की है।

आमेर (जयपुर) में कपड़े के कारखाने की स्थापना

379. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर के पास स्थित कपड़े के कारखाने को प्रदूषण के

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

खतरे के कारण बन्द कर दिया गया था ? अगर हां, तो कब व किस के आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कारखाना पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस कारखाने को पुनः चालू करने के विरोध स्वरूप राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किन-किन से, कब-कब और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि कस्बा आमेर में अंबिका टैक्साइल प्रिंटर्स के नाम से कारखाना था, जिसके विरूद्ध अंतर्गत धारा 133 जा. फौ. प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस दिया गया । कारखाने के मालिक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि कारखाना बंद हो गया, जिसका मौका देखा जाकर कार्यवाही प्रकरण 133 जा. फौ. समाप्त कर दिया गया था ।

(2) जी हां, उसी उद्योग परिसर में दि. 19.1.91 को राज. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल, जयपुर द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान दो कारखाने अन्य नामों से कार्यरत पाये गये ।

(3) जी हां, इस विषय में शिकायत मंत्री, मोतावाई केसरलाल फागीवाला चेरिटेबल ट्रस्ट, आमेर की तरफ से प्राप्त हुई थी जो प्रशासक (उपजिलाधीश आमेर) नगरपालिका आमेर को कार्यवाही हेतु भेजी गई है । एस.एच.ओ. आमेर से दि 22.2.91 को धारा 133 जा. फौ. का प्रकरण प्राप्त होने पर दि. 23.2.91 को सशर्त आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाकर आगामी तारीख पेशी दि. 7.3.91 नियत की गई है ।

इसके अलावा राज. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल द्वारा दि. 13.2.91 को जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये हैं ।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में पौध संरक्षण

380. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिवाना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 में कितने पौधे तैयार किए गए एवं उन पर कितना खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सिवाना व सिणधरी रेन्ज द्वारा कहां-कहां, कितने-कितने नये एरिये बनवाए गए व इन पर कितनी राशि खर्च की गई ? अधूरे पड़े एरिये को कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में और नए एरिया बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) सिवाना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 में 4.25 लाख पौधे तैयार किये गये थे जिन पर रुपये 2.55 लाख खर्च किया गया।

(2) सिवाना व सिणधरी रेंज में वर्ष 1989–90 के दौरान कराये गये नये विकास कार्यों एवं व्यय की सूची परिशिष्ट "क" पर अंकित है। अधूरे पड़े विकास कार्य वर्ष 1990–91 में पूरा करा लिए गये हैं।

(3) जी हां। मरू विकास कार्यक्रम की 1991–92 की वार्षिक योजना के सूत्रीकरण के समय ही नये एरिया बनाने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

फलौदी (जोधपुर) में बांधों एवं तालाबों का निर्माण

381. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1975 से वर्तमान वर्ष तक फलौदी तहसील, जिला-जोधपुर में भू-संरक्षण विभाग ने 1 लाख रुपये अथवा उससे अधिक लागत के खडीन तालाब अथवा छोटे बांध किन-किन गांवों में निर्मित करवाये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन निर्माण कार्यों में से प्रत्येक से कितने लोग लाभान्वित हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस काल में कौन व्यक्ति जिला एवं तहसील स्तर पर भू-संरक्षण अधिकारी रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर की फलौदी तहसील क्षेत्र में वर्ष 1975 से 1990–91 तक एक लाख रुपये एवं एक लाख रुपये से अधिक लागत के 26 खडीन कार्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किये गये, जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (तालिका "क")

(2) उक्त कार्यों में से डीपीएपी/डीडीपी, आरएलइजीपी योजनाओं के तहत सम्पादित कार्यों से 88 कृषक लाभान्वित होंगे, जिनका विवरण सदन की मेज पर रखा दिया गया है (तालिका 'ख")

जिला जोधपुर की फलौदी तहसील क्षेत्र में वर्ष 1975 से 1982 तक एक भू. सं. इकाई कार्यरत रही जिस पर निम्न अधिकारी उप खण्डीय भू-संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे :—

क्र. सं.	अवधि	नाम अधिकारी
1.	अप्रेल, 75 से दिसम्बर, 76	श्री प्रताप सिंह
2.	जनवरी, 77 से दिसम्बर, 77	श्री बी. एम. व्यास
3.	जनवरी, 78 से नवम्बर, 82	बी. एस. सर्रा

(कृषि मंत्री)

(3) वर्ष 1982 से उक्त इकाई समाप्त कर दी गई एवं वह क्षेत्र जोधपुर में पदस्थापित जिला भू. सं. अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि के कार्यक्षेत्र में रख दिया गया, जिस पर निम्न अधिकारी कार्यरत रहे :—

1. नवम्बर, 82 से नवम्बर, 85	श्री ओ.एल. माथुर
2. दिसम्बर, 85 से जुलाई, 89	श्री आर.एम. शर्मा
3. अगस्त, 89 से लगातार	श्री एम. एम. श्रीवास्तव

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखे)

बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी भवन का निर्माण

382. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ से कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) इस मण्डी के निर्माण में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बड़ी सादड़ी का निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 से चल रहा है। परियोजना के अनुसार कार्यालय भवन एवं दुकान मय गोदाम के कार्य के अलावा शेष कार्य पूर्ण हो गये है। उक्त अधूरे कार्य जून, 1991 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) बड़ी सादड़ी की परियोजना 19.86 लाख रुपये की स्वीकृति है। जिसमें से 14.50 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

पाली जिले में खड़ीन निर्माण

383. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में वर्ष 1985 से आज तक कुल कितने खड़ीन बनाये गये ? उसमें से कितने अकाल राहत के तहत व कितने विभाग की तरफ से थे ? तहसीलवार, मय लागत के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवधि में इन जिलों में ऐसे कितने खड़ीन बनाये गये, जो तकनीकी दृष्टि से सही नहीं है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से 1990-91 तक कुल 205 खड़ीन राशि रु. 227.15 के निर्माण कराये गये जिसमें से योजनान्तर्गत 69 खड़ीन राशि रु. 92.45 एवम अकाल

(कृषि मंत्री)

राहत के अन्तर्गत 136 खडीन राशि 134.70 तहसीलवार कराये गये खड़ीनों की सूची सदन की मेज पर तालिका "क" में रख दी गई है।

(2) जो भी खड़ीन इस अवधि के दौरान बनाये गये है, तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त बना वेग ये है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सांवलपुरा से पावटा (सीकर) मार्ग पर अतिक्रमण

384. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सांवलपुरा (तेवरान) (सीकर) से पावटा जाने वाले मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने की शिकायत सरपंच व ग्रामीण जनता से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उसे हटाने की क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां तहसीलदार नीमका थाना की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्होंने कार्यवाही करके अतिक्रमण हटवा दिया।

बांसवाड़ा जिले में संचालित सिंचाई परियोजनाएं

385. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितनी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी की जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में हिम्मतगढ़, पिपलोन, गोपालपुर, कोटडी, बगायछा, चरकनी, सातसेरा देवकी, नाका तालाबों पर अकाल राहत में कार्य चालू किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त सात तालाबों पर कितनी-कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है?

(3) क्या सरकार उक्त अधूरे तालाबों को प्लानिंग में लेकर चालू कराना चाहती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के माही परियोजना पर लिफ्ट सिंचाई लगाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां तो कहां–कहां तथा किस-किस स्थान पर?

(5) क्या बांसवाड़ा जिले के माही परियोजना के तहत कुशलगढ़ क्षेत्र में लिफ्ट लगाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां तो सरकार कब तक लिफ्ट कार्य चालू करवाने की मंशा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग में राज्य योजना के अन्तर्गत माही वृहद परियोजना व 8 लघु परियोजनाएं चल रही हैं सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इनमें

(सिचाई मंत्री)

से क्रम संख्या 5 से 8 की योजनाएं वित्त वर्ष 91–92 में पूरी होने की सम्भावना है। शेष को पूर्ण होना वांछित धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। माही परियोजना के नवीं योजना के अंत तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) सिंचाई खन्ड बांसवाड़ा के अन्तर्गत हिम्मतगढ़ी, पिपलोन, कोठड़ी वगायछा, देवकी कानाका, अकाल राहत के अन्तर्गत चालू किये गये थे एवं गोपालपुरा, चरकनी के कार्य एन.आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत चालू किये गये थे। इन कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सातसेरा पंचायत समिति सज्जनगढ़ का अधूरा अकाल राहत कार्य है।

(3) गोपालपुरा एवं चरकनी परियोजना के कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू है। शेष अधूरे तालाबों को वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर शेष कार्य भी पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जाएगा।

(4) जी हां। 12 लिफ्ट योजनाएं प्रस्तावित हैं। इनकी परियोजना की द्वितीय इकाई के तखमीने में शामिल करके स्वीकृति के लिये केन्द्रीय जल-आयोग को जनवरी, 1991 में भेजा है इन 12 लिफ्ट योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) कुशलगढ़ लिफ्ट योजना के सर्वेक्षण के उपरान्त उक्त प्रस्ताव में यह योजना भी शामिल की गई है। स्वीकृति जारी होने पर ही कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बांडी व माशी नदी (जयपुर) पर ऐनीकट्स का निर्माण

386. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी में बांडी व माशी नदी पर कितने एनीकट बने हुये हैं ?

(2) क्या उक्त एनीकट पूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधूरे एनीकटों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी में बान्डी व माशी नदी पर आठ एनिकटों का निर्माण अकाल राहत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है।

(2) जी नहीं। ये एनीकट अकाल राहत के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये थे। उक्त अधूरे कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध होने पर ही इन्हें पूर्ण कराया जा सकेगा।

जिला नागौर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

387. **श्री मोहनलाल** (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल में कितने-कितने अध्यापकों के किस-किस श्रेणी में विषय के पद कब-कब से

(37)

(श्री मोहनलाल)

रिक्त हैं ? कृपया सूची विद्यालय के नाम सहित, सदन की मेज पर रखें।

(2) सैकन्ड्री व सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य के पद किस-किस विद्यालय में कब से रिक्त हैं ? सूची विद्यालय के नाम सहित, सदन की मेज पर रखें।

(3) इन रिक्त पदों को पूर्ति क्यों नही की गई है ? सरकार अब कब तक इन रिक्त पदों की पूति करने का विचार रखती हैं ? यदि नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

(2) रिक्त पदों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही जारी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवगंज के छात्रों की गणवेश

388. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या पंचायती-राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की शाला गणवेश को इच्छा अनुसार हर वर्ष बदलने की नीति है ? यदि नहीं, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवगंज के प्रधानाध्यापक ने अपने कार्यकाल में कितनी बार छात्रों की शाला गणवेश को बदला ?

(2) क्या शाला गणवेश को बदलने के लिये विभागीय स्वीकृति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या प्रधानाध्यापक ने इसकी स्वीकृति ली थी ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की शाला गणवेश को इच्छानुसार हर वर्ष बदलने की नीति नहीं है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवगंज के प्रधानाध्यापक ने छात्र अभिभावक संघ एवं छात्र संसद के वार्षिक बैठक दिनांक 11.4.89 के निर्णय पर एक बार सत्र 89–90 में गणवेश बदला है।

(2) शाला गणवेश को बदलने के लिये विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। संस्था प्रधान स्वयं सक्षम हैं। विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सायला (जालोर) में रिक्त पद

389. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल सायला (जिला जालोर) में कौन-कौन से पद किन-किन विषयों के खाली हैं ? इन

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

(2) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सायला जिला जालौर में कितने पद किन-किन विषयों के रिक्त हैं ? उन पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी सायला (जालौर) में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पद का नाम	विषय
1.	व्याख्याता	वाणिज्य बैंकिंग
2.	व्याख्याता	हिन्दी
3.	व्याख्याता	ना. शा.

(2) पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सायला रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पद का नाम	विषय
1.	वरिष्ठ अध्यापक	गणित
2.	वरिष्ठ अध्यापक	हिन्दी
3.	वरिष्ठ अध्यापक	संस्कृत
4.	व्यायाम शिक्षक	—

पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

पंचायत समिति, रायपुर (पाली) में नई पंचायतों का गठन

390. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-88 में राज्य सरकार द्वारा गठित पंचायत पुनर्गठन कमेटी ने पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति में कालबकला, बगड़ी, रातड़िया प्रतापगढ़, मेगड़दा तथा झालाकी चौकी नयी पंचायतें सृजित करने का अनुमोदन किया गया था ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार इन पंचायतों का गठन कर देगी ?

(2) क्या रायपुर पंचायत समिति जिला पाली में नयी पंचायतें बनाने के लिये सिगला करमावास तथा मेसिवा के प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार इस पर निर्णय ले लेगी ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले की सोजत पंचायत समिति में रापराकलां, पिपलाद तथा गजनाई नयी पंचायतें बनाना जन प्रतिनिधियों से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन पुनर्सीमा निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अन्तिम कार्यवाही करने से पूर्व ही राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.10.87 के द्वारा उक्त समिति को भंग कर दिया था अतः उक्त समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। जिला स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है। पंचायत समिति स्तर पर सूचना संकलित करवाई जा रही हैं। ज़िले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार नियमानुसार निर्णय लेगी।

(3) जी हां। प्रस्तावित नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव एवं नई पंचायतों की सहमति/असहमति के बारे में पंचायत समिति की स्थाई समिति के प्रस्ताव व मानचित्र आदि भिजवाने हेतु जिला स्तर से विकास अधिकारी सोजत को लिखा गया है।

रतन तालाब (शेरगढ़) की नहर का निर्माण

391. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत शेरगढ़ रतन तालाब की नहर का कार्य बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो अब कब तक पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) उक्त तालाब में कितनी राशि व्यय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रतन तालाब ग्राम पंचायत शेरगढ़ में नहीं है, तथा न ही इस नाम से कोई नहर का कार्य आरम्भ हुआ है। अतः सूचना शून्य समझी जावें।

(2) शून्य।

सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना

392. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत नए राजस्व ग्राम व बड़ी बड़ी ढाणियों में पेयजल योजनाएं बनाना चाहती है?

(2) जिला बाड़मेर–जैसलमेर के लिए कितनी योजनाएं बनाई हैं? उनमें कितनी स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) पूरी सीमावर्ती बस्तियों में कब तक पीने का पानी का माकूल इन्तजाम करने का सरकार इरादा रखती है?

उत्तर

(1) संदर्भित कार्यक्रम के अन्त में प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये गये हैं।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में 46 ग्रामों व 138 ढाणियों तथा जैसलमेर ज़िले में 70 ग्रामों व 7 ढाणियों के प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये गये हैं। विशेष सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार से इनकी स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्तावित है।

(3) अधिकांश ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। शेष में व्यवस्था धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

जयपुर शहरी सीमा क्षेत्र में स्थित भू-खण्डों का व्यावसायिक भू-खण्डों में परिवर्तन

393. **श्री रामनारायण वर्मा**(नैनवां) : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहरी सीमा क्षेत्र में स्थित भू-खण्डों को व्यवसायिक भू-खण्डों में बदलने के लिए नियमों में क्या प्रावधान है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के भू-खण्डों को व्यावसायिक भू-खण्डों में बदलने के लिए कोई सीमा निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो उसके लिए निर्धारित माप सीमा कितनी है ?

(3) क्या सन् 1990 एवं 1991 में सिनेमा निर्माण के लिए भू-खण्डों को व्यावसायिक भू-खण्डों में बदला गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कलेण्डर वर्ष 1990 एवं 1991 में कितने सिनेमा भवनों का निर्माण हुआ है और उनकी लोकेशन तथा मालिकों के नाम पते क्या हैं ? उक्त सिनेमा भवनों की ऊंचाई तथा चारों ओर छोड़ी गई जगह का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त अवधि में निर्मित सिनेमा भवनों की ऊंचाई, तलघर का निर्माण तथा उनके चारों तरफ छोड़ी गई खाली भूमि आदि विद्यमान नियमों के अन्तर्गत है ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन दोषी हैं ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा–25 के अन्तर्गत जयपुर शहरी सीमा क्षेत्र में स्थित भू-खण्डों को व्यावसायिक भू-खण्ड में बदलने का प्रावधान है ।

(2) उक्त क्षेत्र के भू-खण्ड को व्यवसायिक भूखण्ड में बदलने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) वर्ष 1990 एवं 1991 में सिनेमा निर्माण के लिए कोई भू-खण्ड व्यावसायिक भू-खण्ड में नहीं बदला गया है।

(3) वर्ष 1990 एवं 1991 में किसी सिनेमा भवन का निर्माण नहीं हुआ है । लोकेशन तथा पालिकाओं के नाम पते देने व उक्त सिनेमा भवनों की ऊंचाई तथा चारों ओर छोड़ी गई जगह के विवरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जोधपुर नगर सुधार न्यास के क्षेत्र पर अतिक्रमण

394 **श्री हरिश्चन्द्र** (नावां) एवं **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास को किसी अतिक्रमण को हटाने में कितना न्यूनतम व अधिकतम समय आमतौर से लगता है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रायः नगर

(श्री हरिश्चन्द्र)

सुधार न्यास के अधिकारी अतिक्रमण को प्रोत्साहन देने के लिए ही तुरन्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नहीं करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास की लापरवाही के कारण ग्राम भद-वासिया–पुन्दला के खसरा नम्बर 58/2 की भूमि पर अतिक्रमण गत छः माह से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत आती है। जिसके प्रावधानों के अनुसार कुछ अतिक्रमण तुरन्त हटा दिये जाते हैं। जिसमें कोई समय नहीं लगता तथा कुछ मामलों में नोटिस जारी करने के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। जिसमें अधिक समय भी लग जाता है।

(2) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(3) ग्राम भदवासिया के खसरा नं. 58/2 न्यास की भूमि नहीं है। इस कारण अतिक्रमण हटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत आरक्षित भूमि

395. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी अधिगृहीत जमीन आरक्षित कर रखी है तथा उस जमीन के स्वामी कौन कौन थे ?

(2) क्या जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया है उन जमीनों के स्वामियों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना-कितना व कब-कब दिया गया ?

(3) क्या अधिगृहीत भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब व नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई जमीन के पट्टे भी, गृह निर्माण सहकारी समितियों ने काट कर बेच दिये हैं ? यदि हां, तो किन समितियों ने ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के गठन (जुलाई 1982) के पश्चात जिन भूमियों का अधिग्रहण किया है उनके भुगतान का विवरण निम्नानुसार है।

योजना 22 गोदाम के पास रेल्वे ओवर ब्रिज भुगतान राशि 35,595.15 पैसे वर्ष 1990 सैक्टर नं. 1 भाग बी।

(नगरीय विकास मंत्री)

भुगतान राशि 3,78,591/- वर्ष 1990 सैक्टर नं. एक भाग–सी।

भुगतान राशि 4,52,895/- 1989-90

इसमें विवादित भूमि/ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों से प्रभावित मुआवजे के मामलों में निहित भुगतान को छोड़कर वास्तविक भुगतान किया गया है उसकी उपरोक्त सूचना दी जा रही है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 1495 बीघा 12 बिस्वा भूमि का कब्जा वर्ष 1984, 1985, 1986, 1987 एवं 1989 में प्राप्त कर लिया है। तथा जिन मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये है उन भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

(4) विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चल रही अवाप्ति की कार्यवाही के तहत भूमियों पर पट्टे जारी किये गये है। उन समितियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इस भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया था। चूंकि सहकारी समितियों के नियमितिकरण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसलिये इन समितियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 396

(स्थगित)

जोधपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों की संख्या

397, **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) जोधपुर नगर परिषद् में सन् 1971 में सफाई कर्मचारियों की संख्या नगर की आबादी के अनुपात में कितनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि 1981 की जनगणनानुसार जोधपुर नगर की जनसंख्या में 1971 की जनगणना की तुलना में कई गुना वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसके अनुपात में सफाई कर्मचारियों की स्थिति क्या रही ?

(3) सन् 1971 से दिसम्बर 1990 तक जोधपुर नगर परिषद् में कितने कर्मचारी, किस-किस पद से सेवानिवृत्त हुए ? क्या रिक्त हुए सभी पदों पर पुनः नियुक्तियां दे दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

(4) जोधपुर नगर परिषद् व नगर सुधार न्यास क्षेत्र में कितनी हरिजन व कच्ची बस्तियां हैं ? इस बस्तियों के सुधार हेतु क्या-क्या विकास कार्य हो रहे हैं ?

(5) उदय मंदिर, कलाल कॉलोनी, नागौरी गेट एवं हरिजन बस्ती की सड़क सीवरेज लाइन, गटर के मैन होल और रोड़ लाइट की अव्यवस्था कब तक दूर हो जायेगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर की सन्

43

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1971 की जनसंख्या 3,17,612 थी जिसके अनुपात में 1270 सफाई कर्मचारी थे।

(2) जी, हां, सन् 1981 की जनसंख्या 50,6345 के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की संख्या 2032 है।

(3) सन् 1971 से दिसम्बर 1990 तक 632 कर्मचारी सेवा निवृत्त हुये है। कर्मचारियों की पदवार सूची संलग्न है। इनमें सफाई/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर पुनः नियुक्तियां हो गई हैं। शेष सेवा चयन आयोग के क्षेत्र में आने वाले अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों का चयन होने पर इन्हें भर दिया जावेगा।

(4) जोधपुर नगर परिषद् क्षेत्र में 14 कच्ची बस्तियां है इसमें 2 हरिजन बस्तियां है तथा नगर सुधार न्यास क्षेत्र में 117 चिन्हित कच्ची बस्तियां व 14 हरिजन बस्तियां है। इन बस्तियों के सुधार हेतु सड़क नाली, बिजली व पानी आदि के विकास कार्य हो रहे है।

(5) इन बस्तियों में सड़क का काम किया जा चुका है। रोड लाइट व्यवस्था शीघ्र होने की संभावना है। कलाल कॉलोनी में सीवरेज लाइन का तखमीना स्वीकृत किया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

जयपुर नगर परिषद् के गंगापोल क्षेत्र की सफाई व्यवस्था

398. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा चौकड़ी गंगापोल क्षेत्र में कितने सफाई कर्मचारी व इन्सपेक्टर कब से व कहां-कहां कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वहां पदस्थापित इन्सपेक्टर की मिली भगत से उक्त चौकड़ी में बान्दरी का नासिक व लवाण का घेर आदि क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आते व समय पर सफाई व्यवस्था नहीं होती जिससे उस क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त है तथा नागरिकों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की गंदी गलियों की सफाई काफी लम्बी अवधि से नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक उक्त गलियों की सफाई कब तक सरकार करवाने का विचार रखती हैं ? अंतिम बार उक्त क्षेत्र की गलियों की सफाई कब करवाई गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि सफाई कर्मचारियों ने जगह-जगह कूड़े के ढेर लगा रखे हैं और अनावश्यक डिपो बना रखे हैं तथा डिपो नियमित साफ नहीं होते हैं ?

(5) क्या सरकार अनावश्यक डिपो हटाकर ऐसे स्थान का चयन करेगी जिससे आम नागरिकों को असुविधा नहीं हो ?

उत्तर

(1) जयपुर नगरपरिषद् के चौकड़ी गंगापोल क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इन्सपेक्टर, जब से जहां–जहां कार्यरत है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं ।

(3) गंगापोल के वार्ड नम्बर 7 व 8 में गंदी गलियों की सफाई जून 1990 में करवाई गई थी। प्रत्येक वर्ष, वर्षा से पूर्व गंदी गलियों की आम तौर पर सफाई करवाई जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है '

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों पर खर्च

399. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

टोंक जिला विकास अभिकरण विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस–किस कार्य के लिए कहां–कहां पर, कितनी–कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना–कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग–अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक के द्वारा वर्ष 1989–90 एवं 1.4.90 से 15 फरवरी 91 तक डी. पी. ए. पी. मैसिव, सीलिंग, जलोत्थान, सिंचाई योजना, बायो गैस, जीवनधारा, इन्द्रा आवास योजनान्तर्गत ग्रामवार तथा कार्यवार व्यय की गई राशि की सूचना परिशिष्ट–1 पर तथा प्रशासनिक व्यय का विवरण (माह जनवरी, 91 तक) परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर जिले के किसानों को डी. आर. डी. ए. के. अन्तर्गत पम्प सैटों की स्वीकृति

400. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत जयपुर जिले में कृषि कार्य हेतु अनुसूचित जाति के किसानों को पम्पसैटों (इंजनों) की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो स्वीकृति का विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) इनकी स्वीकृति के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को इन इन्जनों व पम्प सैटों की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना लघु एवं सीमान्त कृषकों का कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायतार्थ (मैसिव) कार्यक्रम में डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत जयपुर जिले में कृषि कार्य हेतु अनुसूचित जाति के किसानों को पम्पसैटों (इंजिनों) की स्वीकृति दी है। स्वीकृति का पंचायत समितिवार विवरण वर्ष 1987-88 से 1990-91 (फरवरी, 1991) तक निम्नानुसार है—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	वर्ष 1987–88	1988–89	1989–90	1990–91 (फरवरी, 1991 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आमेर	33	13	—	—
2.	गोविन्दगढ़	—	—	—	—
3.	जमवारामगढ़	22	8	—	—
4.	दौसा	30	5	22	20
5.	बांदीकुई	49	7	—	—
6.	लालसोट	1	12	20	26
7.	सिकराय	—	—	—	—
8.	बस्सी	37	17	9	8
9.	झोटवाड़ा	—	—	—	—
10.	चाकसू	9	6	9	5
11.	सांगानेर	4	—	—	—
12.	कोटपूतली	11	—	10	—
13.	शाहपुरा	3	5	1	1
14.	विराटनगर	13	9	—	4
15.	फागी	5	23	25	13
16.	दूदू	6	9	11	5
17.	सांभर	15	5	8	3
	योग :—	238	119	115	88

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) योजनान्तर्गत प्रार्थी लघु अथवा सीमान्त कृषक होना चाहिए। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत इकाई राशि का बैंक ऋण स्वीकृत होने पर अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को बढ़ी दरों पर देय अनुदान" के साथ 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, किन्तु सितम्बर, 1990 से अनुसूचित जाति के लघु कृषकों को 25 प्रतिशत एवं सीमान्त कृषकों को 33–1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(3) इंजिनों व पम्पसैटों की स्वीकृति तथा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

एन. डी. पी. एस एक्ट के अन्तर्गत अजमेर जिले में दर्ज मुकदमें

401. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर-पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) देश में पहली बार लागू किये गये एन. डी. पी. एस. एक्ट के अन्तर्गत अब तक अजमेर जिले में कुल कितने मुकदमे दर्ज किये गये हैं ?

(2) इनमें से कितने मुकदमों में मुलजिमों को दोषमुक्त किया गया व कितने को सजा हुई ?

(3) कितने मुकदमों में अनुसंधान कर्ता अधिकारी की उक्त कानून के अनुरूप अनुसंधान नहीं करने के आधार पर मुलजिम न्यायालयों से दोष मुक्त हुए ?

(4) अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) एन. डी. पी. एस. एक्ट 1985 के अन्तर्गत अजमेर जिले में वर्ष 1986 से जनवरी, 1991 तक कुल 322 अपराध पंजीबद्ध किये गये।

(2) न्यायालय द्वारा 46 मुकदमों में 55 व्यक्तियों को दोष मुक्त किया गया एवं 39 मुकदमों में 41 व्यक्तियों को सजा दी गई।

(3) कोई भी नहीं।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

थाना कोटपूतली में दर्ज आपराधिक मुकदमें

402. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) एक वर्ष में कोटपूतली तहसील में डकैती व लूट के कितने मुकदमे दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त किस-किस मुकदमें की फाइल को कितनी दफा किस अधिकारी के आदेश से कोटपूतली पुलिस कार्यालय से जयपुर मंगाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि मु. सं. 36 की फाइल वर्षों से कोटपूतली और जयपुर के बीच घूम रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एक वर्ष में कोटपूतली तहसील में डकैती के दो अभियोग व लूट के 8 अभि-

(गृह मंत्री)

योग थाना कोटपूतली में दर्ज हुये। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त अभियोग पत्रावली उच्च-अधिकारियों द्वारा तलब नही की गई। ना ही कोटपूतली पुलिस द्वारा भेजी गई।

(3) जी नहीं। मु. नं. 36/90 अन्तर्गत धारा 147, 342, 386 आई.पी.सी. सन् 1990 का अभियोग है। इस पत्रावली को पुलिस अधीक्षक जयपुर देहात के यहां से जरिये पत्र सं. 14398–99 दिनांक 16–6–90 के द्वारा पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) राजस्थान जयपुर के यहां प्राप्त की जाकर पत्रावली का परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात् आई.जी.पी. के आदेश सं 1983–86 दिनांक 15–9–90 के आदेशानुसार इस अभियोग का अनुसंधान सी.आई. डी. सी.बी. में लिया जाकर आदेश सं 5075–79 दिनांक 22–2–90 के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. सी.बी. रेन्ज जयपुर द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा हाजरी अनुसंधान अभी जेर तफतीश है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

जयपुर के ऋषि गालव नगर में आगजनी एवं तोड़-फोड़ की घटनाएं

403. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अक्टूबर, 1990 के दंगों में ऋषि गालव नगर, जयपुर में कुल कितने मकानों में तोड़फोड़, आगजनी व लूट की घटनायें हुई ? इस मौहल्ले में इन दंगों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? इनमें कितने मुसलमान व कितने हिन्दू थे ?

(2) राज्य सरकार की ओर से इन दंगा पीडितों को क्या राहत दी गई ?

(3) पुलिस द्वारा कितने डकैती, आगजनी व कत्ल के मुकदमें बनाये गये तथा किस-किस अपराध के तहत कितने-कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ? कितने व्यक्तियों के विरुद्ध किस-किस धारा में चालान किये गये ? इन अपराधियों की जमानत किस न्यायालय द्वारा की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार द्वारा अजमानतीय मामलों में जमानत होने पर उच्च न्यायालय में रिवीजन/अपील की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अक्टूबर, 1990 के दंगों में ऋषिगालव नगर, जयपुर में हुई क्षति के सर्वेक्षण में 25 परिवारों के मकानों में तोड़फोड़, आगजनी एवं लूटपाट रिपोर्ट मिली। इस मौहल्ले में दंगों में 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जिनमें 15 व्यक्तियों की पूर्ण शिनाख्त हो चुकी है। और एक का नाम ज्ञात हुआ है लेकिन पुलिस द्वारा आगे तस्दीक की कार्यवाही की जा रही है। शेष एक अज्ञात है। इस प्रकार मृतकों में एक हिन्दू, पन्द्रह मुसलमान एवं एक अज्ञात है।

(2) राज्य सरकार की ओर से मकानों एवं सामान की क्षति के लिये 25 परिवारों को 1,76,700/– रु. की सहायता दी गई। इनमें से 7 परिवारों को खाद्य सामग्री, बर्तन व कम्बल आदि के रूप में सहायता भी उपलब्ध कराई गई। 17 मृतकों में से 15 मृतकों के परिजनों को 15 लाख रु. की

(गृह मंत्री)

सहायता दी गई है। शेष 2 मृतकों की पूर्ण तस्दीक होना शेष है।

(3) पुलिस द्वारा थाना रामगंज पर अभियोग संख्या : 455/90 धारा 147, 148, 149, 302 भा. दं. सं. व मुकदमा नं. 458/90 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 354, 395, 458, 460, 436, 285, 323 भा. दं. सं. दर्ज किये गये। अभियोग संख्या : 458/90 में 6 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये है जिनमें से 5 अभियुक्तों की जमानत जिला सत्र न्यायालय की अदालत से तथा एक अभियुक्त की जमानत उच्च न्यायालय जयपुर से हुई है। अभियोग संख्या 455/90 में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमों की तफतीश चल रही है। चालान नहीं किये गये हैं।

(4) ठोस आधार के अभाव में अभियुक्तों की जमानत के सम्बन्ध में हुए आदेश के विरुद्ध कोई रिविजन, अपील नहीं की गई है।

जोधपुर जिले के ग्रीन कार्डधारी व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन

404. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन व्यक्तियों व महिलाओं के ग्रीन कार्ड जारी किये हैं उन व्यक्तियों व महिलाओं के कितने प्रार्थना पत्र 1985 से दिसम्बर, 1990 तक विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने उपभोक्ताओं को कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन दे दिए गये हैं व कितने उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में सुरक्षा सेवा के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु 1985 से दिसम्बर, 1990 तक प्राप्त प्रार्थना पत्र में से कितनों को कृषि कनेक्शन दे दिये गये हैं व कितनों के विचाराधीन हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में ग्रीन कार्ड धारी व्यक्तियों के कृषि कनेक्शन हेतु मार्च, 1985 से दिसम्बर, 90 तक 212 आवेदन प्राप्त हुए। 142 कनेक्शन जारी किये गये। ग्रामवार संख्या सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है। इस वर्ष कनेक्शन देने की नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की अलग से प्राथमिकता नहीं रखी गयी है क्योंकि विभिन्न प्राथमिकताओं से अनियमितताओं की संभावना अधिक थी।

(2) जोधपुर जिले में सुरक्षा सेवा के निवृत एवं कार्यरत व्यक्तियों के मार्च 1985 से दिसम्बर, 90 तक 212 आवेदन प्राप्त हुये। 75 कनेक्शन जारी किये। ग्रामवार सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है। चूंकि ये प्राथमिकताएं नई नीति में रखी गई हैं अतः शेष मामले इस श्रेणी में विचाराधीन नहीं माने जा सकते और इनका निपटारा सामान्य श्रेणी के आवेदनों के साथ नियमानुसार नम्बर आने पर किया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के गांवों का विद्युतीकरण

405. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के गांव रामनगर, मुबादा, तलार, चितोड़ियां, जहां राणाप्रताप सागर की डूब के लोगों को आज से 23–24 साल पहले बसाया था, उक्त गांव को बिजली से जोड़ने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक उक्त गांवों को विद्युतिकृत कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । पचायत समिति भैंस–रोड़गढ के ग्राम मुबादा, तलार एवं चित्तो–ड़िया को विद्युतीकृत करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है, अतः इनके विद्युतीकरण के बारे में फिलहाल बता पाना संभव नहीं है । ग्राम रामनगर पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है । अतः इसके विद्युतिकरण के बारे में भी बता पाना संभव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्रामों का विद्युतीकरण

406. **श्री शंभूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितने राजस्व गांव व ढाणियां ऐसी हैं, जिनका विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है ? अब कब तक इनका विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति केकड़ी के कितने गांवों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण होना शेष है ? अब कब तक इनका विद्युतीकरण करने का सरकार का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केकडी विधान सभा क्षेत्र के 22 ग्रामों का विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है । इन ग्रामों में से 2 ग्राम इस वर्ष 1990–91 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं जिनका विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक हो जाने की सम्भावना है । शेष 20 ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार शनैः शनैः किया जा सकेगा । अतः निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल संभव नहीं है ।

(2) पचायत समिति केकडी के 17 ग्रामों की 19 हरिजन बस्तियों के विद्युति–करण हेतु क्षेत्र के सरपंचो ने आवेदन किया है । इनके विद्युतीकरण करने की कार्यवाही जारी है । सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

अधिशाषी अभियन्ता, सोजत द्वारा सीमेन्ट के पोलों की खरीद

407. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्ड-वाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1990 से आज तक सोजत उपखण्ड में अधिशाषी अभियन्ता सोजत द्वारा कितने एवं किस फर्म से किस-किस दर से, कब-कब सीमेन्ट के पोल खरीदे गये तथा उक्त सीमेन्ट के पोल किस-किस स्थान पर काम में लिये गये तथा कितने पोल विभाग में बेकार पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फर्मों को कब-कब भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1990 से आज तक अधिशाषी-अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) विद्युत मण्डल सोजत द्वारा कोई सीमेन्ट पोल नहीं खरीदे गये। जब अधिशाषी-अभियन्ता द्वारा पोल खरीदे ही नहीं गये तो ऐसे पोल लगने या बेकार पडे रहने बाबत कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है।

(2) उपरोक्तानुसार चूंकि सीमेन्ट पोल अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) विद्युत मण्डल सोजत द्वारा खरीदे ही नहीं गये अतः उनके द्वारा भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नैनवा के गांवों का विद्युतीकरण

408. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नैनवा विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव, मजरे तथा ढाणियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के कृषकों से विद्युत् सम्बन्ध हेतु डिमाण्ड राशि जमा कर-वाई जाने के बाद भी विद्युत् संबंध नहीं दिए गए हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे लोगों की सूची डिमाण्ड राशि जमा करने की तिथि के, विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 1990 से अब तक उक्त क्षेत्र के किसानों को कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं ? कृपया सूची डिमाण्ड राशि जमा करने की तिथि तथा विद्युत् कनेक्शन देने की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या डिमाण्ड राशि जमा करने के बाद विद्युत् संबंध दिए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) सन 1981 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार नैनवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति तालेडा के 59 ग्राम व पंचायत समिति नैनवा के 167 ग्राम आते हैं जिनमें से पंचायत समिति तालेडा में 24 ग्रामों को तथा पंचायत समिति नैनवा के सभी 167 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। पंचायत समिति तालेडा के 35 ग्रामों को विद्युतीकृत करना शेष है। मजरों व ढाणियों

(ऊर्जा मंत्री)

का अलग से कोई विवरण संकलित नहीं किया जाता है । इन्हें गांव का ही भाग मानते हुए विद्युतीकृत किया जाता है।

(2) नैनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति तालेडा के अब तक 3 कृषकों व पंचायत समिति नैनवां के 1.3.91 तक 101 कृषकों के मांग पत्रों की राशि जमा है जिनको कनेक्शन नहीं दिये गये । कृषकों के नाम, मांग पत्र की जमा कराने की तिथि दर्शाते हुए सूची "अ" व "ब" संलग्न है।

(3) नैनवां विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति तालेडा में 1 जनवरी, 1990 से 28.2.91 तक 13 कृषकों एवं पंचायत समिति नैनवा में 1 जनवरी 90 से 2.3.91 तक 265 कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं जिनकी नामवार, ग्रामवार सूची "स" व "द" संलग्न है।

(4) आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराने, अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने व प्रस्तुत "एल फार्म" के अनुसार फिटिंग सही पाये जाने के बाद यथाशीघ्र कनेक्शन दिये जाते हैं । कुछ मामलों में वांछित सामान नहीं उपलब्ध होने पर विलम्ब हो सकता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

बिलास सिंचाई परियोजना बारां द्वारा सामग्री का क्रय विक्रय

409. श्री हेमराज (किशनगज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिलास सिंचाई खण्ड बारां में वर्ष 1985 से 1990 तक वर्षवार कितने–कितने लाख की क्या क्या सामग्री सप्लाई की गई है ? कौन-कौनसी फर्म से सामान क्रय किया गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बिलास सिंचाई परियोजना बारां की सप्लाई की विभागीय जांच की गई है ? जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बिलास परियोजना खण्ड बारां का सृजन जुलाई 87 में हुआ । तब से मार्च 90 की अवधि में जो सामग्री क्रय की गई उसका ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । बिलास सिंचाई परियोजना में सप्लाईज के सम्बन्ध में विभागीय आडिट कराया गया है, जिस पर संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है तथा उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

नमाणां बांध पर खारी फीडर का निर्माण

410. श्री शान्ति लाल (राजसमंद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांति लाल)

(1) क्या नमाणां बांध पर निर्मित खारी फीडर के निर्माण के बाद मरम्मत की गई एवं मलवा निकाला गया है ?

(2) यदि हां, तो कब-कब और क्या क्या कार्य करवाया गया है ?

(3) उन कार्यों पर किये गये खर्च का पृथक्–पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1978–79 से 1984–85 तक तथा 1986–87 से 1990–91 की अवधि में मलवा हटाने एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्षवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) मरम्मत कार्य एवं मलवा हटाने पर किये गये व्यय के ब्यौरे का वर्षवार विवरण उपरोक्तानुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में पानी के कनेक्शन

411. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कितने गांवों में पेयजल स्कीम के तहत वाटर कनेक्शन दिये जा चुके हैं व कितने गांव शेष रहे ? इनको कब तक पूरा करने की सम्भावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किन-किन गांवों में नये वाटर सप्लाई की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) संदर्भित क्षेत्र हेतु वर्ष 1990–91 में किसी नई पेयजल योजना की स्वीकृति नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की हरिजन बस्तियों में पेयजल सुविधा

412. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा, पीपल्दा, गैंता, खातौली, करवाड़, मांगरोल बामौरी, कला, इन्द्रगढ़, सुमेरगंज मंडी तथा मोहनपुरा में हरिजन मौहल्लों में नल लाइन बिछाने की मांग वहां की जनता समय–समय पर करती रही है ? यदि हां, तो हरिजन मौहल्लों में अभी तक पाइप लाइन नहीं बिछाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार जनहित में हरिजन

(श्री हीरालाल आर्य)

मौहल्लों में शीघ्र पाइप लाइनें बिछाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मांगरोल एवं बामोरी कला के हरिजन मौहल्लों में पाइप लाइन तथा हैण्डपम्प लगाकर व्यवस्था कर दी गई है । शेष स्थानों पर धनाभाव के कारण कार्य नहीं किया जा सका है ।

(2) धन उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाना सम्भव होगा ।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा नगर की सीमा के बाहर भवन निर्माण की स्वीकृति

413. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 से अब तक नगर सुधार न्यास, जोधपुर, जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत है ?

(2) वर्ष 1981 से आज तक जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर नगर परिषद जोधपुर ने किन-किन को और कहां-कहां भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की ? सूची सदन की मेज पर रखे ।

(3) क्या उक्त स्वीकृतियां अवैधानिक हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार स्वीकृति निरस्त करने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) नगर परिषद जोधपुर द्वारा जारी भवन निर्माण की स्वीकृतियों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 7-6-1976 में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में ओवरलेपिंग की स्थिति में न्यास केवल न्यास के योजना क्षेत्र में ही भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करेगी । अतः नगर परिषद जोधपुर द्वारा जो भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 414
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 415
(स्थगित)

विकलांगों को आवास सुविधा

416. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989 में आवासन मण्डल जयपुर में कितने आवेदकों ने मकानों हेतु आवेदन किया ? सरकार इन आवेदकों को कब तक मकान देने का विचार रखती है ?

(श्री रामकरण सिंह)

(2) क्या सरकार विकलांगों को शहर के नजदीक जल्दी मकान मिल सके इस बारे में कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो विकलांगों की आवास सुविधा के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 में आवासन मण्डल जयपुर में कुल 14,495 आवेदकों ने मकान हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल के पास जयपुर शहर में भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि अवाप्ति के प्रयास बराबर किये जा रहे हैं। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इन पंजीकृत आवेदकों को मकान उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(2) ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। विकलांगों के लिये राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में 1.5% के आरक्षण का सम्पत्ति निस्तारण नियमों में प्रावधान है।

नगरपालिका (अजमेर) में निर्मित अनधिकृत कालोनियां

417. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर–पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अजमेर नगर पालिका सीमा में निर्मित अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 08(78)नविग्रा/4/79 दिनांक 21.1.82 के तहत कच्ची बस्तियों में राजकीय/नगरपालिका/न्यास की भूमि पर दिनांक 1.1.81 से पूर्व के अतिक्रमण का नियमन किया जा रहा है। जिलाधीश के माध्यम से सर्वे कराकर अधिकांश मामलों में पट्टे दिये जा चुके हैं। कुछ विवादास्पद मामलों तथा जिन मामलों में सूचना पूर्ण उपलब्ध नहीं कराई गई है या राशि जमा नहीं कराई गई है उन्हीं में नियमन की कार्यवाही शेष है। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 13(13) नविग्रा/ 87 दिनांक 27.12.89 के द्वारा 15 अगस्त, 1989 तक बसी हुई कच्ची बस्तियों का सर्वे कराकर नियमन करने के निर्देश दिये थे जिसके तहत सर्वे कराने हेतु कलक्टर महोदय से निवेदन किया गया है। सर्वे पूर्ण होने पर नियमन की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों की आवासीय योजनाओं के नियमन की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में नियुक्त अधिकारियों को भू-खण्ड आवंटन

418. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में नियुक्त अधिकारियों को भू-खण्ड उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या उन पर निर्माण कार्य के नक्शे भी पास किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । दूरदर्शन केन्द्र को स्टाफ क्वार्टर हेतु मालवीय नगर विस्तार योजना में दो बार भूमि आवंटित की गई थी, दोनों ही बार मांग राशि जमा नहीं कराने के कारण आवंटन निरस्त किया गया ।

फतेहपुर (सीकर) की नगरपालिका में रिक्त पद

419. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) फतेहपुर, जिला सीकर की नगर पालिका में नाकेदार के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या इन रिक्त पदों में से कुछ पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि नाकेदार के एक रिक्त पद पर नियुक्ति दिये जाने के आदेश एक इच्छुक आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर वर्ष 1990 में प्रशासक को दिये गये थे ? यदि हां, तो यह आदेश किसके द्वारा दिये गये थे ? प्रार्थना-पत्र की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उपरोक्त आदेश देने वाला इसके लिये सक्षम था ? यदि नहीं, तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) फतेहपुर नगरपालिका में वर्तमान में नाकेदार का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

इटावा में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था

420. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे में भारी भीड़ रहने से यातायात अव्यवस्थित रहता है तथा आये दिन दुर्घटनाएं होने की सम्भावना बनी रहती हैं ?

(2) क्या सरकार यातायात को व्यवस्थित करने हेतु इटावा में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) स्थानीय पुलिस ही सक्षम है एवं इस हेतु सुधार के और अधिक प्रयास करने के निर्देश दे दिये गये हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर यातायात पुलिस भी लगायें ।

ब्यावर में साम्प्रदायिक दंगे

421. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ब्यावर में साम्प्रदायिक दंगों को भविष्य में रोकने के लिए सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है ?

(2) क्या सरकार पुलिस की विशेष

(श्री चम्पालाल जैन)

चौकियां भी स्थापित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने पर भी विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर में अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) ब्यावर में पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) ब्यावर शहर में पूर्व से ही पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय है तथा पुलिस थाना ब्यावर हेतु निरीक्षक स्तर के अधिकारी का पद पूर्व से ही सृजित है। अपर पुलिस अधीक्षक के पद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जोधपुर जिले में चोरी व कत्ल की घटनाएं

422. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में 1989 से दिसम्बर, 1990 तक कितनी घटनाएं चोरी व कत्ल की हुईं ? इन घटनाओं में कितने अभियुक्तों को पुलिस पकड़ पाई व क्या बरामदगी हुई ? कृपया थाना क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कितनों के विरुद्ध अदालतों में चालान प्रस्तुत कर दिये गये व कितनों के चालान पेश करना शेष है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 1989 में कुल 37 अभियोग हत्या के व 512 अभियोग चोरी के दर्ज हुए। इसी प्रकार दिसम्बर, 90 तक हत्या के 45 अभियोग व चोरी के 495 अभियोग दर्ज हुए। इन घटनाओं में से सन् 1989 में हत्या के अपराधों में 95 अभियुक्त व चोरी के 304 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया व सन् 1990 में कत्ल के 101 अभियुक्त व चोरी के 219 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। चोरी की घटनाओं में सन् 1989 में 12,83,242/– का व 1990 में 23,45,488/– रुपये का माल बरामद किया गया। थानेवार सूची संलग्न है।

(2) सन् 1989 में हत्या के दर्ज कुल अभियोगों में से 94 व्यक्तियों के खिलाफ व सन् 1990 में कुल दर्ज अभियोगों में 100 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। सन् 1989 व 1990 की अवधि का एक-एक अभियुक्त का चालान पेश किया जाना शेष है। इसी प्रकार वर्ष 1989 में दर्ज हुए अपराधों में 304 अभियुक्तों का व 1990 में दर्ज हुए चोरी के अपराधों में 219 व्यक्तियों का चालान न्यायालय में पेश किया गया। कोई अभियुक्त जिसके विरुद्ध चोरी के मामले में चालान पेश किया जाना शेष नहीं हैं। सूची संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी

423. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक राज्य में किन-किन देवताओं की मूर्तियां किन-किन मन्दिरों से चोरी की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चोरियों में से कितनी चोरियों का पता लगाकर मूर्तियां बरामद की गई हैं एवं अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक कुल 80 अभियोग देवी-देवताओं की मूर्ति की चोरी के दर्ज हुये जिनका विस्तार से विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) देवी देवताओं की चोरी सम्बन्धी 80 अभियोगों में से 15 अपराधों में चालान, 52 एफ. आर. अदम पता, एक वक्‌ एवं 12 अभियोग अनुसंधानाधीन है। उक्त अभियोगों की तफतीश के दौरान कुल 37 अपराधियों को गिरफ्तार कर 31 मूर्तियां बरामद की गई।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत क्षेत्र आनन्दपुरी में माही सिचाई परियोजना

424. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आनन्दपुरी पंचायत क्षेत्र में माही सिचाई परियोजना की खुदाई चल रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आमलिया भंदारा, आमादा पर भी खुदाई करने का सरकार का विचार है ? ग्राम पोठीवाड़ा में सिचाई विभाग के तालाब की स्वीकृति होने के बावजूद कार्य बन्द पड़े रहने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, आनन्दपुरी नहर पर 0 से 14 किमी. के बीच खुदाई कार्य चल रहा है। जिसमें राजपुरा, उदपुरा इत्यादि ग्राम सम्मिलित हैं।

(2) ग्राम आमलिया, आम्बाधरा आदि आनन्दपुरी नहर के अन्तिम छोर के पास स्थित है, इन ग्रामों को आनन्दपुरी नहर से ही सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ग्राम पोठीवाड़ा में तालाब की स्वीकृति का मामला सिचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

कोटा जिले की उच्च माध्यमिक शालाओं में रिक्त पद

425. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले के कितने उच्च माध्यमिक शालाओं में कितने पद जुलाई से अभी तक रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले की उच्च माध्यमिक शालाओं में जुलाई, 90 से रिक्त पदों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

पंचायत समिति नीमका थाना में अध्यापक लगाने का मापदण्ड

426. **श्री फूलचन्द** (नीम का थाना) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक शालाओं में अध्यापक लगाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) नीम का थाना पंचायत समिति की कितनी प्राथमिक शालाओं में इस वर्ष मापदण्ड के अनुसार अध्यापक लगाये गये ? कृपया शाला का नाम, छात्र संख्या व अध्यापकों की संख्या सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के पदों की संख्या के निर्धारण हेतु निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जाते हैं:—

1. यदि नामांकन 49 या कम हो एक अध्यापक
2. ,, 50 से 89 हो —दो अध्यापक
3. ,, 90 से 129 हो –तीन अध्यापक
4. ,, 130 से 169 हो–चार अध्यापक
5. ,, 179 से 209 हो–पांच अध्यापक

(2) नीम का थाना पंचायत समिति की 29 प्राथमिक विद्यालयों में इस वर्ष मापदण्डानुसार अध्यापक लगाये गये हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

चितौडगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत योजनाएं

427. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1989–90 में चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पचायतों में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि कब-कब उठाई और क्या-क्या कार्य किये ? क्या सभी कार्य पूरे हो गये ? यदि नहीं, तो क्या क्या कार्य अधूरे रहे ?

(2) क्या अधूरे कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 1991–92 में पूरे करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989–90 में चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु. 111,41,474/– की राशि उठाई गई एवं 1161 कार्य स्वीकृत किये गये स्वीकृत कार्यो में से 899 कार्य पूर्ण किये गये एवं शेष 262 कार्य अधूरे रहे।

(2) अधूरे रहे कार्यों को वर्ष 90-91 व 91–92 में पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

52

पंचायत समिति घाटोल में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य

428. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जवाहर योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति घाटोल एवं पिपलखूंट में वित्त वर्ष 1989-90 व 1990-91 में प्रत्येक पंचायत के कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के करवाये गये ? सूची मय गांव, स्थान व कार्य सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये गये कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण व अपूर्ण रहे कार्यों की सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत वर्षों में निर्माणाधीन कार्य-कुए, एनिकट, तालाब सड़कें आदि अपूर्ण हालत में पड़े हैं ? क्या राज्य सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ये कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(3) हां। गत वर्ष के जवाहर रोजगार के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को इस वर्ष पूर्ण कराये जा रहे है एवं कार्य प्रगति पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम पंचायत रावतपुरा चित्तौड़गढ़ में आबादी भूमि की नीलामी

429. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रावतपुरा पंचायत समिति डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कोई आबादी भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित हुई ? यदि हां, तो कितनी व कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से कुछ प्लाट नीलामी में व कुछ निःशुल्क आवंटित किये गये है ? यदि हां, तो सूची मय व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, राशि दिनांक सहित, सदन की मेज पर रखें।

(3) नीलामी में दिये गये प्लाट के आदेश की प्रति व पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आवंटन में हुए गबन एवं अनियमितताओं की जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर उक्त आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) 1989-90 में ज़िला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा पंचायत रावतपुरा को आराजी नं. 274/2 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। वर्ष 1990-91 में कोई आवंटन नहीं किया गया।

(2) जी हां। पंचायत द्वारा वर्ष 1990-91 में नीलामी द्वारा 51 प्लाट विक्रय एवं 14 प्लाट निःशुल्क आवंटन किये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नीलामी में दिये गये प्लाटों के आदेश एवं पंचायत द्वारा जारी किये गये प्लाटों के 28 पट्टों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) इस आवंटन के सम्बन्ध में गबन एवं अनियमितताओं की जांच जिला स्तर पर विचाराधीन है। जांच निष्कर्ष के आधार पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मण्डी जमवारामगढ़ द्वारा सड़कों का निर्माण

430. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मंडी जमवारामगढ़ (जयपुर) द्वारा बनाई गई कितनी सड़कें इस विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी हुई हैं ?

(2) क्या सरकार इन अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में जमवारामगढ़ के नाम से कोई कृषि उपज मण्डी समिति नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषकों को खाद एवं बीज न मिलने सम्बन्धी शिकायतें

431. **श्रीमती रमा पायलट** (हिन्डोली)
श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खरीफ व रबी की इस वर्ष की फसल में उन्नत दलहन व तिलहन विकास के लिए सरकार ने क्या सुविधायें कृषकों को प्रदान की ?

(2) क्या कृषकों को खाद एवं बीज न मिलने सम्बन्धी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कृपया शिकायतों की सूची व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ एवं रबी की इस वर्ष की फसल में उन्नत दलहन एवं तिलहन विकास के लिए दी गई सुविधाएं तालिका "क" एवं "ख" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

कृषि उपज मंडी समिति सुमेरपुर द्वारा सड़कों पर डामरीकरण

432. श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) :

श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर, रानी तथा पाली के अन्तर्गत, कितनी ग्रामीण सड़कें हैं ? इन सड़कों में से कितनी सड़कों का डामरीकरण करवाया जा चुका है तथा कितनी कच्ची है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष आई बाढ़ के दौरान कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई तथा उनमें से कितनी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ करवाये जा चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या कृषि उपज मंडी समिति पाली रानी तथा सुमेरपुर में चालू वर्ष में नई सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों के और उन्हें कब आरम्भ करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर, रानी तथा पाली के अन्तर्गत 50 सड़कें हैं। इन सड़कों में से 30 सड़कों पर डामरीकरण करवाया जा चुका है। शेष 20 सड़कें कच्ची हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इस वर्ष बाढ़ के दौरान 19 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। पांच सड़कों पर कार्य कराया गया। जिसका वितरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति पाली एवं रानी की कोई सड़कें प्रस्तावित नहीं हैं। मण्डी समिति सुमेरपुर की निम्नलिखित सड़कें वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित हैं जो कि राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं:—

1. सम्पर्क सड़क समोश्वर महादेव
2. सम्पर्क सड़क खिन्दारा गांव
3. सम्पर्क सड़क नेतरा से रोजड़ा
4. सम्पर्क सड़क पराकिया से खिदारा गांव
5. सम्पर्क सड़क नेतरा से पराकिया
6. सम्पर्क सड़क बिठड़ा से अनोपपुरा
7. सम्पर्क सड़क पावा से भावून्दा पेरावा
8. सम्पर्क सड़क भावून्दा से बड़गावाड़ा
9. सम्पर्क सड़क सनोदारिया से फतापुरा
10. सम्पर्क सड़क कानपुरा से सनोदरिया
11. सम्पर्क सड़क भालनू से सिपेरा
12. सम्पर्क सड़क सेवाडी से पीपला
13. सम्पर्क सड़क चामुन्डेरी से नुन्दाड़ा

(3) वित्तीय उपलब्धता के पश्चात् ही इनकी स्वीकृति/निर्माण पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री परसादी लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालय मण्डावरी तथा माध्यमिक विद्यालय खेडला-खुर्द में काफी समय से अध्यापक नहीं लगाये जाने के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला धौलपुर तथा अलवर के कई ग्रामों में ओलावृष्टि से खड़ी फसल को हुई भारी क्षति तथा किसानों को राहत नहीं प्रदान करने से व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(3) प्रोफेसर केदार नाथ और डाक्टर चन्द्रभान व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बीगोद जिला भीलवाड़ा में दिनांक 8.3.1991 को शीतला अष्टमी का जुलूस निकाले जाने पर हुई पत्थरबाजी व भयंकर आगजनी तथा वहां व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त में विद्युत व्यवस्था में निरन्तर ह्रास तथा किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने, उद्योगों में भारी कटौती किये जाने तथा किसानों से विद्युत सम्बन्ध के लिए अधिक राशि प्राप्त किये जाने की व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर में 253 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों के स्वीकृत 252 पदों के मुकाबले 161 ग्राम सेवकों के पद रिक्त होने के कारण बेरोजगार लोगों में व्याप्त असन्तोष तथा पंचायतों की व्यवस्था बिगड़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री पूनम चन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वेद व्यास को हटाये जाने, उक्त अकादमी की अनुदान की अंतिम किश्त रोक दिये जाने के कारण दो माह से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

(2) प्रोफेसर सांवर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर की राजस्व रेकार्ड सम्बन्धी समस्या के समाधान नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या के कारण किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर स्थित शक्ति नगर निवासी सुश्री किरण जाम्बानी आत्मज श्री जगदीश जाम्बानी की सड़ी गली लाश 11 अप्रैल, 1990 को उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर बड़ी तालाब में मिलने और उसके बाद इस सम्बन्ध में तेजी से

(श्री अध्यक्ष)

जांच कर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

(4) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य विधान सभा की ओर से गांव सोडलपुर ठीकरिया, केशरपुरा, सीदड़ी, मउंदड़ी तथा तलाइयां रूपाघाटी भुरीघाटी बांसवाड़ा में तथा चित्तौड़गढ़ के गांव गोतमेश्वर से देवस्थान से अरनोद तहसील में बनी सड़कों पर बसें चलाने के परमिट देने से उक्त बसों में अत्यधिक यात्रियों को भरे जाने से यात्रियों की जान खतरे में पड़े रहने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य टंग्स्टन विकास निगम जयपुर की इकाई टंग्स्टन परियोजना डेगाना में कार्यरत 120 महिला कर्मचारियों की छंटनी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

(6) श्री घासी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडाराय सिंह में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल टोडारायसिंह दतोध, देवली, सैकण्डरी स्कूल, पंवालिया, मोर, आरियाली, हमीरपुर, बरवास, खरेडा, भासू, बासेडा, राजमहल उनियारा व अन्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े रहने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार, में होने से स्थिति के समाधान के बारे में।

(7) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनवा जो सर्वाधिक सूखा पीड़ित एवं पिछड़ा हुआ है के अधिकांश गांवों में अकाल की स्थिति के समाधान के लिए एनीकटों का निर्माण करवाये जाने के बारे में।

(8) श्री प्रभूलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा जिले में सड़कों का अभाव और पिछड़े क्षेत्र केलादेवी से हाड़ौती, ताजपुर से टटवारा वाया खिरखिड़ा भरतून, सपोटरा से वारेल वाया नैनियाकी गुआरी, कुडगांव से गैरई तथा केलादेवी से मण्डरायल सड़कों के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से अम्बर सिनेमा के पीछे, स्थित खण्डेला हाउस कालोनी में सड़क पर हमेशा सीवरेज लाइन के गंदे पानी के भरे रहने से व्याप्त गंदगी के निराकरण के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती रेगिस्थानी जिलों में राहत कार्यों के तहत बनायी जाने वाली अधिकांश ग्रेवल सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसानों को आवागमन में हो रही भारी असुविधा को दूर करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, झुंझनू, जालौर, नागौर, सीकर, सिरोही, जयपुर आदि अनेक जिलों में विभिन्न विभागों में रिक्त 2000 कनिष्ठ लिपिकों के भर्ती किये जाने तथा इसी सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों को वर्तमान कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर अविलम्ब

(श्री अध्यक्ष)

नियुक्ति दिये जाने एवं वरियता सूची प्रदेश स्तर पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा
संगरिया में नरसंहार

श्री हेतराम वेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, मैं सारे हाउस के सामने गंगानगर जिले में जो घटनाऐं हुई है, विशेष तौर से संगरिया में जिस तरह का नरसंहार हुआ उससे पहले जो परिस्थिति····

श्री अध्यक्ष : संगरिया के बारे में आज स्टेटमेण्ट दे देंगे। मंत्रीजी स्टेटमेण्ट दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कितने बजे दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आज ही दे रहे हैं। (व्यवधान)

हां, आज ही दे रहे हैं।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह बीगोद से सम्बन्धित था और पूरे जिले भीलवाड़ा में कल साम्प्रदायिक तनाव फैल गया है। उनके लिए भीलवाड़ा में आर.एस.एस. के संचालन में भी····(व्यवधान)

धारा 144 लगी हुई है। बडा सेन्सेटिव प्लेस है। बीगोद में सरकार वहां पर····

श्री अध्यक्ष : कल इसके बारे में सरकार की ओर से उत्तर····(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो वहां पर हो आई है, आज तीन दिन हो गये, सरकार को जानकारी हो जानी चाहिये। या तो चर्चा का····

श्री अध्यक्ष : तो वक्तव्य आ रहा है, कल। आज दो स्टेटमेण्ट लगे हुए हैं। कल वक्तव्य आ रहा है बीगोद के बारे में कल वक्तव्य आ रहा है।

श्री रमजान खां : (भेड़ व ऊन राज्य मंत्री) : बीगोद में शांति हो गई है, दुकाने खुल गई हैं, इतनी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। भीलवाड़ा में तो बिल्कुल शांति है।

एक माननीय सदस्य : हिण्डौन के बारे में कितने बजे आयेगा ?

अध्यक्ष : आज आ रहा है।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गलत अफवाहें फैला फैला कर (व्यवधान)

वातावरण को तनावपूर्ण बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तुरन्त बाद। आज की कार्य सूची में लगा हुआ है। आप देख लें। कार्य सूची में लगा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : लगा हुआ है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां लगा हुआ है तो आयेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंत्री महोदय, (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी चार्ज लग रहे हैं कि हम लोग साम्प्रदायिक विवाद फैला रहे हैं। (व्यवधान) हां, आप लोग फैला रहे हैं। आपको क्या मालूम है भीलवाड़ा में क्या स्थिति है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी विराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : जिस तरह से माननीय मंत्रीजी ने कहा है। (व्यवधान) जिस तरह का उन्होंने जो आक्षेप लगाया है कि बहुत छोटी घटना हुई है बीगोद में और कुछ भी नहीं हुआ, दुकानें खुल गई। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को, यह अकेली बीगोद की घटना नहीं है, यह सारे प्रदेश के अन्दर जो वातावरण बना हुआ है, साम्प्रदायिक वातावरण उसके अन्दर राजस्थान सरकार गम्भीर नहीं है। राजस्थान सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से, मैं समझता हूं मुख्यमंत्रीजी को, खुद को जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं बीगोद के सिलसिले में।

श्री अध्यक्ष : बीगोद के बारे में कल वक्तव्य आयेगा तब आप बोलियेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अभी से स्टेटमेण्ट....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं। कल वक्तव्य आयेगा तब आप बोलियेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के लिए तो साधारण सी घटना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से कल वक्तव्य आयेगा। अभी आप विराजें। माननीय प्रद्युम्नसिंहजी,

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक पिछले शुक्रवार के दिन करीब 15 माननीय विधायकों ने जयपुर के अन्दर जो कम्युनल राइट्स हुये थे उसके बारे में हमने ज्युडिशियल इन्क्वायरी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी आपने यहां पर पढ़कर सुनाया, उसके अन्दर उसका कोई जिक्र ही नहीं है। श्रीमन् मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। इतना महत्वपूर्ण मामला है ज्युडिशियल इन्क्वायरी का, जयपुर का, इसके बारे कहीं चर्चा ही नहीं है। यह तो बड़ा अनर्थ है। जब हम नियमों के विपरीत कोई बात कहेंगे तो आप हम पर नाराज होंगे कि आप नियम के विपरीत जा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये, मैं सुन रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसके बारे में आपसे गुजारिश है कि उसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था दें, सरकार क्या कहना चाहती है। तो मैं आज इस बात को यहीं छोड़ता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं और दूसरी बात, आज 12 रोज हो गये ओलावृष्टि से हुये, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सदन की कार्यवाही शुरु हुई तब कहा कि हम लोगों को राहत देंगे लेकिन अभी तक ओलावृष्टि से इतना भारी नुकसान हुआ है, श्रीमन् अभी तक वहां गिरदावरी तक नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : इसी सप्ताह में माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में घोषणा करने वाले है। इसी सप्ताह में।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि यह मुख्यमंत्रीजी का खुद का जिला है, मुख्यमंत्री इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितनी अन्याय की बात है। आज धौलपुर के अन्दर, अलवर के अन्दर, भरतपुर के अन्दर किसानं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको राहत और मुआवजा दिया जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि भरतपुर जिले में.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी तक पटवारियों ने गांवों के अन्दर जाकर कोई देखभाल नहीं की है. कोई खराबें की रिपोर्ट नहीं बनी है। यह तो राज जो चल रहा है पता नहीं किस प्रकार का राज है। किस प्रकार से शासन तंत्र काम कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज सरकार कोई दिन इसके लिए निश्चित करें, सरकार क्या करने जा रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौन से प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री रतना राम चौधरी : हमारे यहां बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, बहुत क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी बोल रही हैं, आप बैठिये।

श्री रतना राम चौधरी : मेरे क्षेत्र के आदमियों की आवाज यहां तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : यदि आपका दु:ख आपके बोलने से मिटता है, तो मैं आपको दो घंटे तक बोलने की इजाजत देता हूं।

ओलावृष्टि से नुकसान

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के लिये मैंने प्रस्ताव दिया था और माननीय मंत्री महोदया ने कहा था कि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज पांचवां दिन हो गया, ओलावृष्टि से भयंकर तबाही हुई है, और इसमें राज्य सरकार पांच पांच दिन तक इन्तजार करें और मुख्यमंत्री जी यह कहें कि मौजूदा जो कुछ प्रावधान हैं, उसके अनुसार मैं सहायता देने को तैयार हूं। पांच दिन बीत गये, राज्य सरकार के पास किस जिले से कहां–कहां की रिपोर्ट आ गई है और राज्य सरकार ने कितनी गम्भीरता से इस प्रश्न को लिया है मैं यह जानकारी जानना चाहूंगी।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलने का....

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब मांग रही हैं, वह जवाब दे रही है, सुनिये आप।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष, महोदय, जैसे ही ओलावृष्टि की जानकारी मिली थी, मैंने उसी समय सदन में भी कहा था, मैंने सभी कलक्टर्स से सम्पूर्ण जानकारी हेतु कहा था, और दुबारा हमने और पूरी जानकारी भेजने के लिये 9 तारीख को वायरलेस मैसेज भी भेज दिया था। आप चाहें तो मैं मैसेज सदन के पटल पर रख सकती हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कौन-कौन से कलक्टर्स ने आपको रिपोर्ट भेजी है ? राज्य सरकार को पता है किस जगह क्या–क्या नुकसान हुआ है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कलक्टर्स ने जो रिपोर्ट भेजी है आपको, वह सारी की सारी झूठी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो कलक्टर्स ने जानकारी दी है, वह बतायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सात तारीख को झुन्झुनूं के जिलाधीश ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और आप 9 तारीख को मैसेज मांग रही हैं जब वह पहले ही सात तारीख को रिपोर्ट भेज चुके हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : 9 तारीख को दुबारा वायरलेस मैसेज भेजा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिस जिलाधीश ने रिपोर्ट भेज दी थी, उसको वायरलेस मैसेज भेजने का क्या मतलब ? ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सात तारीख को ही आपको भेज दी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह रिलेवन्ट बोलें तो बोलने दें न ? मैं कह रही हूं कि जिलाधीश झुंझुनूं ने सात तारीख को ओलावृष्टि की रिपोर्ट भेज दी है और मंत्री महोदया फरमा रही हैं कि 9 तारीख को वायरलेस मैसेज से रिपोर्ट मांगी है। तो रिलेवन्ट तो बोलें कम से कम। यह क्या बात हुई ?

श्री अध्यक्ष : यह बात सभी कलक्टर्स से मांगी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं, जो कलक्टर्स ने जानकारी भेज दी है।

(12.15 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी ड्युटी तो केवल जयपुर में थी। आपकी कहीं ड्युटी नहीं थी जयपुर के अलावा। और जयपुर में ओलावृष्टि हुई नहीं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बहुत नुकसान हुआ है।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार की सहानुभूति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 26 तारीख को ओलावृष्टि हुई राजस्थान के अन्दर और आज तारीख 11 हो गई है। आज 13 रोज हो गये हैं। यह सरकार की एफिशियेंसी का नमूना है। 13 रोज होने के बाद भी इनके पास रिपोर्ट नहीं है। इससे बढ़कर इन्सिक्योरिटी हो नहीं सकती। 26 तारीख को ओले पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 26 तारीख की ओलावृष्टि की रिपोर्ट अब तक इनके पास नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है इस सरकार के लिये ? धौलपुर जिले के अन्दर 26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई और आज आप कह रहे हैं। रिपोर्ट ही कहां है इनके पास। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : कोई शर्म की बात नहीं है। पूरी जानकारी मेरे पास जो है.... आप सुनें तो सही।

एक माननीय सदस्य : ओला पड़ने के तीन दिन बाद यह देखने गई हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री निर्भय लाल : आप इस मुद्दे को हंस के मत लीजिये। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप हंस रही हैं। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में जो ओलावृष्टि हुई है, वह सिर्फ झुंझुनूं में नहीं हुई। राजस्थान के 20 जिलों में ओलावृष्टि हुई है। यह एक जिले का मामला नहीं है। यह राजस्थान के लगभग 20 जिलों में ओलावृष्टि हुई है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के तकरीबन सभी जिलों में जो सरसों की फसल है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और चने की फसल उस ठण्ड की वजह से, जो ओलों से हुई है, बर्बाद हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया जो कहना चाह रही हैं, उसको सुन लें।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह समय की बात नहीं है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कलक्टर्स ने उनको जो रिपोर्ट भेजी है, वह किस-किस जिले से भेजी है और किस तरह के नुकसान की भेजी है। हम समझते हैं कि राजस्थान के जो जिले के कलक्टर्स हैं, मंत्रीजी जो जवाब दे रही हैं, उससे ऐसा लगता है, उन्होंने जवाब ही नहीं भेजा कोई। जो उन्होंने 9 तारीख को रिमाइण्डर्स भेजे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जिले के कलक्टर्स को जहां 2 तारीख को या 4 तारीख को हुई ओलावृष्टि, 2–3 दिन में रिपोर्ट आ जानी चाहिये। अगर 9 तारीख तक रिपोर्ट नहीं आती कलक्टर्स की तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि किस-किस जिले से रिपोर्ट आई है और कितने-कितने क्षेत्र की आई है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : और असत्य रिपोर्ट भेजी है तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं उसके खिलाफ, यह भी बता दें। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप सुने तो सही। आप उचक करके तो खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप उनकी बात सुन लें, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

क्या जिलाधीश जिले में ओलावृष्टि से या सामूहिक अग्निकाण्ड से या किसी भी तरीके से हुए नुकसान की रिपोर्ट जब मंगाई जाय, तभी भेजते हैं ? वैसे नहीं भेजते क्या ? जिलाधीश तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट भेज देते हैं। माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहिये कि किन-किन जिलाधीशों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है ? जिलाधीश रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो इसका मतलब कि जिन काश्तकारों का ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उनके मुआवजा और राहत के बारे में विचार नहीं किया जायेगा। इसको कब तक स्थगित करते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार बताना चाहती है, सही बात यह सुनना नहीं चाहते और बराबर यह व्यवधान डालना चाहते है। यह लोग काश्तकारों के हितैषी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : राज्य सरकार है कहां ?

एक माननीय सदस्य : किसान की सारी फसल चौपट हो चुकी है और सरकार अब तक निष्क्रिय है। (व्यवधान)

श्री किशना राम : सस्ती सहानुभूति कैसे मिले ?

श्री हरि सिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। ऐसा तो विरोध पक्ष भी नहीं कर पायेगा। माननीय मंत्रीजी से हम कोई प्रश्न पूछें और पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाय। हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप बैठे-बैठे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं आपकी बात।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी ओलावृष्टि की रिपोर्ट तुरन्त पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की बात सुनिये ना।

श्री हरि सिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार की बात तो सुन रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज से महीना पहले ओलावृष्टि हो और सरकार के पास जवाब नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मुख्य मंत्री जी, साम्प्रदायिक दगों में हुए अत्याचारों के बारे में भी अभी बयान दे डालिये।

श्री हरि सिंह : मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुन लो एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के 2 या 3 दिन पहले झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने एक प्रश्न उठाया था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पिलानी से आने वाली ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिलानी हो ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 5 दिन पहले । 3 दिन की तो छुट्टी थी । एक दिन आज का, एक दिन पहले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 5 दिन पहले । 7 दिन समझ लो । मान लिया । इसमें तीन दिन पांच दिन का क्या विवाद है ?

उस समय अध्यक्ष महोदय की तरफ से यह व्यवस्था दी गई थी और मैंने स्वयं ने यह निवेदन किया था कि सात दिन के अन्दर-अन्दर इस सम्बन्ध में विस्तार से सदन में जानकारी दे दी जायेगी । उस यह कहा कि तत्काल सहायता दी जाय और अभी भी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सरकार किसान विरोधी है, तत्काल सहायता नहीं दे रही है। अब मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि उस समय भी मैंने कहा था कि सरकार के जो पुराने नार्म्स हैं उनके आधार पर यदि तत्काल सहायता दी जाने की बात आती है तो मैं इसी समय घोषणा करने को तैयार हूं कि इस प्रकार की सहायता दे दी जाय । (व्यवधान) आप बैठिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कलक्टर्स से जो इत्तला आयी है वह तो है ही लेकिन हम ने आदेश दिया कि सब जगह स्पेशल गिरदावरी की जाय, उस गिरदावरी की 100 प्रतिशत चैकिंग तहसीलदार करेंगे और उसकी पचास प्रतिशत एस. डी. ओ. करेंगे और रेण्डम चैकिंग स्वयं कलेक्टर करेंगे । ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके और उसके आधार पर राज्य सरकार यह निर्णय ले सके कि पुराने नार्म्स में किस प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है, किसी....(व्यवधान) आप एक मिनिट बैठ जायं, बीच में न बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बात पूरी होने दीजिए ।

श्री हरि सिंह (महुआ) : एक छोटी सी बात माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस तरह से कार्यवाही चलाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह किसानों के हित की बात सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री हीरालाल आर्य : आप किसानों के हित की बात सुनना नहीं चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के हित की बात कर रहे हैं और आप सुना नहीं चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि किसानों की विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है । पुरानी सरकार का निर्णय था कि 200 रुपया पर हैक्टेयर दिया जाय वह भी केश में नहीं कुछ सब्सिडी में हो । मैंने उस दिन भी कहा था कि पुराने मापदण्ड से यदि सहायता देनी हो तो इसी समय घोषणा करने को तैयार हूं । लेकिन मैं स्वयं चाहता

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हूं कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सदन से सात दिन का समय मांगा। आज यह प्रश्न आयेगा इस की जानकारी भी नहीं थी न कोई कॉल अटेंशन था, न कोई एडजोर्नमेण्ट मोशन था...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा धौलपुर के बारे में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर के बारे में क्या बोल रहे हैं, मुझे भी जानकारी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें तो पुरानी सरकार की घोषणा है जिसको आप कहते हैं कि वह किसानों की हितैषी सरकार थी....

श्री नत्थीसिंह : पुरानी तो आयी गयी, नयी बतायें।

एक माननीय सदस्य : पुराने दो सौ और आज दो हजार हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान विरोधी सरकार की बात कहने वाले और इधर से कहने वालों को कम से कम सोचना चाहिए कि पुराने नार्म्स क्या थे, पुरानी सरकार के नार्म्स क्या थे और किस प्रकार की सहायता दी जाती थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तब की मंहगाई और आज की मंहगाई में कितना फर्क है। अब मंहगाई बढ़ गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए एक बात तो तय हो गयी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी पुरानी सरकार ने तो ऋण माफ नहीं किया था आपने तो ऋण माफ कर दिया इसलिए....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं भी जवाब नहीं देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह तो बता दें कि कितना नुकसान हुआ है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द बिश्नोई।

डा. चन्द्रभान : बीगोद के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

श्री उपाध्यक्ष : बीगोद के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है सरकार कल वक्तव्य देगी।

डा. चन्द्रभान : लेकिन, रमजान जी ने जो अभी चार्ज लगाया है....

श्री डूंगरराम पंवार : आपने 42 वर्ष तक किसानों का शोषण किया अब किसान हितैषी कहलाते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब कल इस पर चर्चा हो तब आप अपना व्यू पाइण्ट रखें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : वेक्यूम में कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ ऑर्डर।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आसन ने व्यवस्था दी है उसमें मैंने नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको जोड़ा नहीं गया है। उसमें मैंने जयपुर में और राज्य के अन्य जगहों पर जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उसकी न्यायिक जांच की मांग की है। उसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, उस पर रूलिंग दे चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी चर्चा ही नहीं की मैंने दिया है या नहीं दिया है आप पता तो लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे पहले हेतराम जी का आ चुका है उस पर व्यवस्था हो चुकी है (व्यवधान) क्या कहना चाह रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विचाराधीन विषय ही नहीं है। क्या पाइंट आफ ऑर्डर है ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा स्थगन प्रस्ताव बीगोद के बारे में नहीं है। मेरा दूसरा है जिस पर कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। वह है कि राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दंगे हुए हैं उसके बारे में राज्य सरकार ने अब तक ज्युडिशियल इनक्वायरी नहीं बैठायी है। पचास से अधिक व्यक्ति राजस्थान के कोने कोने में मारे गये हैं। मैं चाहता उस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको रिजेक्ट किया जा चुका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर विचार कर लेंगे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुनने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना है ?

डा. चन्द्रभान : मैं यह कहना चाहता हूं कि बीगोद के बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे। उसमें आपत्ति नहीं हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था दे रहे थे उस समय माननीय भेड़ ऊन मंत्री खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे मोटे दंगे होते रहते हैं और उसमें आप लोगों का हाथ है....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : कार्यवाही को देखा जाय।

श्री नत्थीसिंह : आप रिकार्ड देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : कल बोलिए आप। आज तैयारी करिये, कल बोलिए। माननीय सदस्य सहयोग करें (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, सहयोग करें। कल बोलिए जब चर्चा होगी तो····(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कल सदन में चर्चा होगी वह जायज बात है लेकिन माननीय मंत्री महोदय सदन में इस प्रकार कहें कि यह साधारण घटना है। क्या यह आपत्ति-जनक नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्री महोदय के शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल बोलिये कौन रोक रहा है आपको। माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री इस तरह का वक्तव्य देता है तो सारा का सारा प्रशासन इस बात को मान लेगा... (व्यवधान) मंत्री महोदय से इन शब्दों को वापस दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कल चर्चा होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : कल चर्चा होगी लेकिन एक मंत्री का यह कहा जाना कि वह साधारण घटना है।.... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : ओलावृष्टि से नुकसान हुआ इसके अलावा राजस्थान में सरकार ने नुकसान किया है। एक एक महीने तक राजस्थान कैनाल बन्द रही है उसकी सरकार से जानकारी चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गिरदावरी नहीं आयेगी तब तक सरकार क्या कर सकती है ? कर सकती है क्या ? आप यह नहीं समझते हैं। नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव.... (व्यवधान) आपके सीनियर लीडर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह के आपत्तिजनक शब्द रहे तो सारा का सारा प्रशासन.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि के सम्बन्ध में राजनीति नहीं आनी चाहिए। पुरानी सरकार नई सरकार की बात करने के बजाय किसानों को कब तक कितनी राहत और मुआवजा दिया जायेगा इसके बारे में हम आश्वासन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जानते हैं माननीय सदस्य गिरदावरी होने के बाद ही सरकार कार्यवाही कर सकती है। स्पष्ट जवाब आ चुका है।

श्री नत्थीसिंह : सात दिन का कहा है वह सात दिन ही होगा या दस दिन होगा।

डा. चन्द्रभान : इनको हरियाणा का अनुकरण करना चाहिए।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

राजस्थानी भाषा-साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का गठन

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

संस्कृत अकादमी का गठन सन् 1983 में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था एवं वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री वेद व्यास हैं। श्री वेदव्यास का मनोनयन सन् 1989 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने किया था। पिछले वर्ष जब से वर्तमान सरकार बनी सरकार का रवैया राजनैतिक कारणों से इस अकादमी के विरुद्ध रहा है और इसके अध्यक्ष श्री वेद व्यास को अगस्त, 1990 में अध्यक्ष पद से बिना किन्हीं कारणों से हटा दिया। श्री वेद व्यास ने इस अनियमित कार्यवाही के विरोध में राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की और उच्च न्यायालय ने श्री वेद व्यास को हटाये जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इस रोक लगाने के आदेश से राज्य सरकार ने नाराज होकर उनको अनुदान की अंतिम किश्त भी रोक दी है जिससे लगभग दो माह से अकादमी के अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है और उसका दैनिक कार्य भी बन्द हो गया है।

श्री वेद व्यास राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त साहित्यकार हैं और इन्होंने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। श्री वेद व्यास जब से इस अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, बहुत सी नई योजनाएं उन्होंने आरम्भ की हैं पर जब से वर्तमान सकार बनी है, इसका रवैया असहयोगपूर्ण रहा है जिससे इस अकादमी के कार्य में कई बाधाएं उपस्थित हो गई हैं।

मैं विधान सभा के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि श्री वेद व्यास को अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को अविलम्ब वापस ले, अकादमी को वर्ष 1990–91 की अनुदान की किश्त तुरन्त अदा करें एवं राज्य सरकार अकादमी को हर तरह से सहयोग देना आरम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

अजमेर जिले की राजस्व समस्या के कारण जिले में भयंकर आक्रोश

श्री सांवर लाल (भिनाय): बड़े दु:ख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने अजमेर की राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी समस्या के लिए आंख बन्द कर रखी है। केवल नाजानकार अफसरों के सुझाव से यह काम चलाऊ जमाबंदी बनाई गई है, जो कतई मौके के अनुसार सही नहीं है। जिसकी पूछताछ किसी भी ग्राम में की जा सकती है।

अजमेर जिला दो भागों के राजस्व के बतौर के हिसाब से बना था। प्रथम भाग में खालसा क्षेत्र, जिसमें भूमि के मालिक खेवटदारान होते थे, जो खुद काश्त करते थे और राजस्व सरकार को सीधा ही देते थे। इस क्षेत्र के अलावा ग्रामों की पड़त भूमि को तत्कालीन सरकार ने 1874 में मोजावार बन्दोबस्त के समय से ही खेवटदारान देह को सौंप दी थी। यही खेवटदारान स्वयं या अन्य काश्तकारों की हलसरा के आधार पर काश्त के लिए भूमि देते थे और उसका लगान वसूल करते थे। उस समय इनके लिए रेग्रेलश द्वितीय 1877 लागू था। इस क्षेत्र का बन्दोबस्त 10 साला, 20 साला, 30 साला 40 साला, शुरू से ही चला आ

(श्री सांवर लाल)

रहा है और इस समय 40 साला बन्दोबस्त लागू है, जो 1941–42 में श्री लालसिंह शेखावत द्वारा किया गया था।

उस क्षेत्र की शामलात देह भूमि ग्राम की 2/3 हर ग्राम में है। बाकी 1/3 भाग में खेवट भूमि है। उसके रिकार्ड 10 साला से 40 साला तक ठीक बने हुए थे। शामलात देह में किसानों के कब्जे की भूमि अलग-अलग पैमूद कर उनके नाम खतौनी में नहीं आये क्योंकि काश्तकारी कानून नहीं था। उसके बाद कहीं-कहीं किसानों के कब्जे खतौनी में दर्ज हैं, वहां उनकी मुद्दत काश्त 40–50 वर्ष अंकित है यानि 41-42 से 50 वर्ष पूर्व से ही किसान उस भूमि पर काबिज हैं। रेगूलेशन द्वितीय 1877 की धारा 7 के अनुसार यदि इसमें शामलात देह कब्जे की भूमि में नाडा या अन्य तरीके से तरक्की कर लेता है तो उस भूमि में बिस्वेदारी प्राप्त कर लेता था और वह लगान हूलसरा के बजाय राजस्व देता था। अजमेर काश्तकारी कानून लागू होने पर इन कृषकों ने उक्त मई, 1950 में ही मोरुसी अधिकार प्राप्त कर लिये थे उस कानून के अन्तर्गत लेकिन रिकार्ड सही मौके के अनुसार इस कानून के लागू नहीं होने पर यह काश्तकार बतौर ताबेमर्जी काश्तकार ही दर्ज रहा। राजस्थान में जागीरें खत्म होने पर राजस्थान सरकार ने रेकार्ड आपरेशन कराकर या सर्जरी सेटलमेंट द्वारा उस वक्त जो भी काश्तकार काबिज था उसको राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान किये। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में जानवरों की चराई की सेंसकोटी आधार मानकर या 1955 की वोटर लिस्ट को ही आधार मानकर 1955 के पूर्व की 23 बीघा नहरी भूमि की खातेदारी बिना कीमत के दी गई है, लाखों व्यक्तियों को और 1955 के बाद वालों को 17000 रुपये की कीमत 10 किश्तों में भूमि दी गई है जबकि इस पहाड़ी जिले में जहां पथरीली ढलाऊ जमीन है उसके 100 साल के कब्जे वाली भूमि से उसको बेदखल ही नहीं किया बल्कि जेल की हवा भी खिलाई गई, ऐसे एक नहीं हजारों मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं।

खालसा के अलावा आधे भाग में ईस्तमरारदारी व जागीर प्रथा प्रचलित है। जागीर क्षेत्र मुगलों के समय से ही दरगाह ख्वाजा साहब को 17 ग्राम तथा एक दो ग्राम नाथद्वारा मंदिर व कुछ ग्राम या हिस्से निजी जागीर में थे। खालसा क्षेत्र में सेवा-की क्षेत्र में उस वक्त की सरकार ने परमानेंट रेवेन्यू फारमर्स कायम किये, जो उस वक्त की सरकार को सीधा राजस्व देते थे, अपने किसानों से मनमाना लगान लेते थे, इन्हीं को ईस्तमरारदार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का सेटलमेन्ट कभी नहीं हुआ था। ईस्तमरारदार खलियानों में काश्तकारों से फसल लांटा-बांटा द्वारा अपना हिस्सा 1/2, 1/3, 1/4 वसूल करते थे लेकिन घास का कोई बांटा या लांटा नहीं था। कुछ जिन्सों की नपती पर सिकाडी भी लेते थे जैसे मिर्च, कपास, जीरा आदि। बाकी फसल का बांटा–लांटा ही खलियान में लेते इसलिए इस क्षेत्र के नक्शे व खसरे व खतौनी कभी भी खालसा की तरह नहीं बने थे और सभी कृषक ताबेमर्जी ईस्तमरारदार जागीरदार ही थे।

(श्री सांवर लाल)

सर्वप्रथम इन काश्तकारों के लिए 1950 में अजमेर काश्तकारी कानून बना था। इसके अन्तर्गत धारा 19 में 23 में उन्हें अधिकार प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात 1951-52 में इस क्षेत्र का अन्दोबस्त हादी हुसन ने किया था, उसमें किसानों ने पुख्ता काश्त, कुओं, नाडों, तालाबों से सिंचित या गोरसीय भूमि को ही अपने नाम अंकित कराई थी। बाकी बारानी भूमि को लांटा-बांटा पर यह सोचकर रखी कि पड़त का लगान न देना पड़े। काश्तकारी कानून की धारा 94 में प्रावधान था किसान अपनी पैदावार का लांटा-बांटा दे या बिघाड़ी दें। 1955 में जागीरदारी, बिस्वादारी उन्मूलन लागू किया उसका भी फायदा नहीं मिला। इस जिले में खासकर ईस्तमरारी व जागीर में बहुत अर्से तक चोसाला अमाबन्दियां भी नही बनाई गई थी। इस जिले के 75 प्रतिशत रकबे के काबिज पुश्तैनी काश्तकारों पर जब राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमें चलाये गये तो काश्तकारों में हाहाकार मचा, तब तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी का इस जिले के दौरे के समय जनप्रतिनिधियों ने इस 75 प्रतिशत रकबे के गलत रेकार्ड की तरफ ध्यान दिलाया। श्री सुखाड़िया ने तत्कालीन जिलाधीश अनिल बोरदिया को इसके समाधान के लिए आदेश दिये थे, जिलाधीश ने इस जिले के विभिन्न बतौर के ग्रामों में मौके पर ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों के साथ रेवेन्यु कैम्प रखे तथा अमीन द्वारा ऐसे ईस्तमारी ग्राम देवलिया कला, रामसर, भगवानपुरा, सुरसुरा व रेकार्ड की जांच की और पड़त रकबे में काश्तकारों के बिना मौके अनुसार पैमूद करा कर रेकार्ड तैयार किये। बाद में अगस्त, 1969 में जिला परिषद् ने एक बैठक तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री रामकिशोर जी व्यास की अध्यक्षता में बुलाई।

राज्य सरकार ने 16 फरवरी, 1970 में व्यास कमेटी की सिफारिशों पर अजमेर जिले के लिए भू सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्यक्रम स्वीकृत किया गया तथा इसकी अधिसूचना राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के तहत जारी की गई। जिले के सभी 976 ग्रामों के नक्शे, रकबे बरारी, रसरे पर्चे तैयार कर बांटे गये। इस काम को करने के लिए जिलाधीश ने विभिन्न काश्तकारी कानूनों जैसे अजमेर रेगुलेशन द्वितीय 1977, अजमेर काश्तकारी कानून 1950, मध्यस्थ उन्मूलन कानून 1955 व राजस्थान काश्तकारी कानून 1958, जमीदारी, बिस्वादारी उन्मूलन कानून 1959 शामलात उन्मूलन सन् 1960 के प्रावधानों को दर्शाते हुए करीब 27 आदेश कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु प्रसारित किये गये। इन पर्चों को मौके पर आप में तस्दीक किये गये थे, उसके बाद जमाबंदी बनाई गई, इस कार्यक्रम के साथ-साथ राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को तथा ग्राम की चरागाह का सीमांकन आबादी का विस्तार, आखिरी खलियान व शमशान कब्रिस्तान की भूमि भी पैमूद कर रेकार्ड में अमल बरामद किया गया। भूमिहीन व्यक्तियों को मौके पर भूमि 1970 के नियमों के तहत भूमि आवंटित व कब्जा मौके पर दिया गया और रेकार्ड में इन्द्राज किये गये। यह सम्पूर्ण कार्य सन्

(श्री सांवर लाल)

1972 तक पूरा हो गया था और इसके बनाने में 25 लाख रुपये राज्य सरकार के खर्चे हुए थे। इस कार्य के सम्पादन कराने वाले जिलाधीश का पास बुक पुराना लगान लगवाकर विवरण भरने के पूर्व उनका स्थानान्तरण हो गया था। नये जिलाधीश को इस कार्य की महत्ता व अजमेर की समस्याओं की ठीक जानकारी न होने के कारण अभिलेख लैण्ड आफिसर श्री गुमान सिंह, जिसकी मन्दिर की अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट से वापस पुन: अवलोकन के लिए आया था, उसने अपनी नाजानकारी की वजह से 106 व 107 के तहत बनाये गये रेकार्ड में लगान बढ़ोतरी कर रैण्ट रेट्स बढ़ाकर राज्य सरकार को भेज दी थी जिसकी मंजूरी नहीं दी गयी और पुराना लगान लगाने के आदेश दिये गये। इस वजह से इस जमाबन्दी में लगान नहीं लगाने से पास बुक नहीं बटीं। इस भू संशोधन की जमाबन्दी के आधार पर गश्त गिरदावरी व कृषकों को लाखों रुपए के ऋण विभिन्न लेखों से दिये गये और उस भूमि में काश्तकारों ने कुएं, नाडी आदि तामीर कर पम्प सेट, बिजली व डीजल के इंजन लगा लिये।

सन् 1972 के बाद से आज तक इस इस जिले के 976 ग्रामों में आज तक चोसाला जमाबन्दी नहीं बनायी गयी इसलिए विभिन्न तरह के नामान्तरण, फर्जी बेचान, अदाजों के निर्माण का भी अमल दरामद नहीं किया गया। सन् 1984 में एक नाजानकर सेटलमैण्ट आफिसर के अजमेर कानून की जानकारी की वजह से और अपना सेवाकाल बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने राज्य सरकार को यह लिखा कि भू संशोधन में गलत जानकारी दे दी गयी जैसे रास्ता, चारागाह आदि में। राज्य सरकार ने बजाय मौके पर किसी गांव जांच करने के अजमेर सर्किट हाऊस में बैठकर उस आफिसर की बात मानकर यह आदेश दे दिया कि भू सर्वेक्षण से पूर्व 1969 की बिना तस्दीक शुदा जमाबन्दी को आधार मानकर नियमन साकेट के जरिये कामचलाऊ जमाबन्दी बनाकर सैटलमैण्ट विभाग को दी जाय। यह काम चलाऊ जमाबन्दी विभिन्न राजस्व अभिलेखों से बनायी गयी है, बिना किसी लिखित हिदायत के बनायी गयी है और किसानों की मौके पर बहुत लुटाई हुई है और अभी भी सही नहीं बनी है। अब सरकार इसी को आधार मानकर राजस्व अभियान चला रही है, जो केवल धोखा होगा। यह राज्य सरकार अगर इस जिले की समस्याओं को सुलझाना ही चाहती है तो उसको तुरन्त सन् 1972 में बनायी गयी जमाबन्दी को आज तक सही करते हुए यानि 1972 के बाद के जितने भी आवंटन, नियमन, फोती, बचान अदालत के निर्णयों का समावेश करते हुए इसे तैयार कर फिर राजस्व अभियान इसके अधार पर बनावे न कि सन् 1969 की बिना तस्दीकशुदा जमाबन्दी जिसमें 75 प्रतिशत रकबे का इन्द्राज ही नहीं है, इसको आधार मानें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

सुश्री किरण जाम्बानी हत्याकाण्ड

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुश्री किरण जाम्बानी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध मे विधान

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर नगर स्थित शक्ति नगर निवासी सुश्री किरण जाम्बानी आत्मा श्री जगदीश जाम्बानी की सड़ी-गली लाश 11 अप्रैल, 90, को उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर बड़ी तालाब में मिली थी। वह 6 अप्रैल को घर से अपने कालेज मीरा कन्या महाविद्यालय गयी थी और वहां से लौटकर नहीं आयी। घर वालों के ढूंढने के पश्चात् 9 अप्रैल, 1990 को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। सुश्री किरण जाम्बानी 6 अप्रैल, को बी.ए. अन्तिम वर्ष की परीक्षा का, जिसमें वह पढ़ रही थी, कार्यक्रम लेने के लिए महाविद्यालय गयी थी और उसके बाद उसका पता नहीं चला। सुश्री किरण जाम्बानी के पिता श्री जगदीश जाम्बनी का कहना है कि वे एक दिन अपनी बेटी को खोजते रहे और 7 अप्रेल, को उन्होंने उदयपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अपनी बेटी को खोजने का अनुरोध किया और 9 अप्रैल को पुलिस में लापता होने की सूचना दर्ज करायी गयी।

यह बताया जाता है कि बड़ी क्षेत्र के सरपंच ने 9 अप्रैल, 90 को अम्बामाता थाने में यह सूचना दी कि आज तालाब में एक लाश तैरती हुई देखी गयी है। पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 11 अप्रेल, 90 को पुलिस को बड़ी के पटवारी ने सूचना दी और किरण की सड़ी-गली लाश बरामद की गयी। किरण के घायल होने और उसकी लाश मिलने पर उदयपुर शहर उद्वेलित रहा। छात्र संगठनों ने संघर्ष समिति गठित की। पूरा शहर संशय, तनाव में पाया गया। किरण मरी कैसे? क्या उसने आत्म हत्या की? उसकी हत्या की गयी? पहले तो पुलिस ने इसे आत्महत्या माना और फिर हत्या और प्रेम प्रसंग को लेकर जांच शुरू की। शहर में यह जन-चर्चा रही कि शहर में कुछ नव-धनाढ्यों के लड़के और सरकारी अफसरों के लड़के महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमते रहते हैं और अपनी रसिक मिजाजी से लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण करते हैं। यह इसी प्रकार का एक प्रकरण है। किरण के अभागे पिता ने प्रशासन को नामजद रिपोर्ट की और कुछ लड़कों पर छात्राओं को लेकर होटलों और स्टालों में घुमाने और रेस्ट हाउस में ले जाने का शक जाहिर किया था कि उनका यौन शोषण करते हैं। इस प्रकरण को लेकर उदयपुर में जब जनता का रोष तीव्र हुआ तो पुलिस ने 10 अप्रैल को टोनी नामक एक लड़के को हिरासत में लेकर इस हत्याकाण्ड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस के अनुसार टोनी और किरण एक कार द्वारा बड़ी के तालाब घूमने गये थे और वहां जलक्रीड़ा करते हुए किरण गहरे पानी में चली गयी और डूब गयी। किरण का दुपट्टा व टोनी का टूटा हुआ चश्मा पुलिस ने प्राप्त किया। दूसरी ओर जन आक्रोश बढ़ता गया। कहा गया कि यह सारा नाटकीय कार्यक्रम अपराधियों को बचाने की चाल है। लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई गिरोह है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किरण स्वेच्छा से बड़ी तालाब पर नहाने गयी तो उसकी चप्पलें अलग अलग दिशाओं में पायी गयीं और नहाने के पूर्व उसने

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

चुन्नी को किनारे पर क्यों नहीं उतारा ? किरण की फाइल, उसकी किताबें कहां गयीं ? टोनी रंगीन चश्मा पहन कर पानी में स्नान करने कैसे उतरा ? मृत किरण अच्छा तैरना जानती थी तो वह कम गहरे पानी में कैसे डूब गयी ? इस मामले को लेकर जन मानस का कहना है कि किरण हत्याकाण्ड में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदिग्ध है, क्योंकि किरण के जो फोटो लिये गये उन फोटो के अन्दर किरण की जुबान बाहर निकली हुई है। यह जुबान तभी बाहर निकल सकती है जब कि उसका गला दबाया गया हो।

इस मामले को लेकर जब धरना व जन संघर्ष तेज हुआ तो पुलिस ने इस मामले की जांच सी. आई. डी. से कराने की बात कही। दिनांक 23 अप्रेल, 1990 को किरण हत्याकाण्ड की जांच को उदयपुर पुलिस व सी. आई. डी. से हटाकर राजस्थान की विशेष इंटेलिजेंस ब्रांच के अधीन रखकर आई. जी. पुलिस की देखरेख में कराने की घोषणा भी माननीय सिंचाई मंत्री ने की। उन्होंने जनता को यह आश्वासन भी दिया कि इस हत्याकाण्ड को लेकर किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जायेगा और जांच निष्पक्ष होगी। उदयपुर की जनता आज भी इस प्रकरण को लेकर उत्तेजित है और इस मामले की जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा कर रही है। इस सम्बन्ध से माननीय मुख्य मंत्री को उनके उदयपुर प्रवास में दिनांक 27.1.1991 को उसकी मां ने एक ज्ञापन भी दिया। लगभग एक साल पूरा हो रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस या प्रशासन ने क्या जांच की, कौन दोषी है या यह पूरा गैंग है जो छात्राओं को ब्लैकमेल करता है ? सुश्री जाम्बानी की सहेलियों के बयानात क्यों नहीं लिये गये, उसके मित्रों से क्यों नहीं पूछा गया ? इस सबकी जांच होनी चाहिए। यही मैं सदन में रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवनीत लाल नीनामा।

बांसवाड़ा से अरनोद सड़क अव्यवस्था

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा नगर से अरनोद तहसील हैडक्वार्टर तक सड़क की व्यवस्था सही नहीं है फिर भी परमिट दे रखा है, जिससे हर वर्ष कई यात्री गाड़ियों के एक्सीडेण्ट से मौत के घाट उतर जाते हैं। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण और सुझाव दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव सोडलपुर से गोतमेश्वर वाया गांव ठीकरिया, केशरपुरा, सूरपुर, सीदड़ी मोउड़ी तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा एवं गांव तलाइयां, रूपाघाटी, भूरीघाटी तहसील अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ बीना सड़क पर बस गाड़ी का परमिट देने से यात्रियों की जान खतरे में बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा नगर हैडक्वार्टर से माही डैम केला मेला घण्टाली, सोडलपुर, ठीकरिया, केशरपुरा सीदड़ी मोउड़ी व आगे गांव तलाइयां, रूपाघाटी, भूरीघाटी जिला चित्तौड़गढ़ के गांव गोतमेश्वर देवस्थान से

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

अरनोद पंचायत समिति हैडक्वार्टर तक मोटर गाड़ी चलायी जा रही है। बांसवाड़ा नगर से घण्टाली तक सड़क का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन आगे सोडलपुर से गोतमेश्वर वाया ठीकरिया, सूरपुर, सीदड़ी गोमड़ी, केशरपुरा जिला बांसवाड़ा के गांव व तलाइयां, रूपाघाटी, भूरी घाटी जिला चित्तौड़गढ़ के गांवों की सड़क पर सरकार द्वारा न कोई सर्वे हुआ है न वहां कोई बस जाने लायक सड़क है। फिर भी बांसवाड़ा से अरनोद गाड़ी का परमिट दे रखा है। ऊंची-नीची घाटियां हैं, एराव नदी पर पुल नहीं है और हर वर्ष 20 से 50 यात्री बस गाड़ी के एक्सीडैण्ट द्वारा मौत के घाट उतारे जाते हैं जिससे जन धन का भारी नुकसान होता है।

अतः मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि बांसवाड़ा नगर हैड क्वार्टर से असोद तहसील हैड क्वार्टर तक वाया घंटाली, सोडलपुर, ठिकरिया, तलाइयां, रूपाघाटी, भुरीघाटी गांवों की सर्वे कराकर सरकार द्वारा सड़क निर्माण कराया जावे एवं हर वर्ष 20 से 50 यात्री सड़क के अभाव में मोटर गाड़ी घाटियों में उलटने से मारे जाते हैं, उनका घरबार जिन्दगी बर्बाद होती है व सरकार को मुआवजा देने में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है उसे रोका जावे।

नियम 295 के तहत प्रस्ताव कर मांग करता हूं कि राज्य सरकार तुरन्त विचार कर गांव सोडलपुर से गोतमेश्वर तक कच्ची सड़क का सर्वे कराकर निर्माण करावे जिससे जन–धन की हानि को बचाया जा सके और आदिवासी क्षेत्रीय जनता की आवागमन की सुविधा हो सके।

जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां। (अनुपस्थित)

श्री घासीराम यादव (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पटेल।

सपोटरा क्षेत्र की सड़कें

श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सपोटरा क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

महोदय, सपोटरा विधान सभा क्षेत्र सड़कों के कारण बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वहां पर ना तो सही प्रकार से कोइ सरकारी एजेन्सी ही पहुंच पाती है और ना ही कोई भी विकास का प्रोग्राम चल पाता है और आये दिन चोरी-डकैती हुआ करती है। साधन के अभाव के कारण सरकार उन पर काबू भी नहीं कर पाती है अतः इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए निम्न सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है :—

1. कैला देवी से हाड़ौती

2. ताजपुर से टटवारा वाया खिरखिड़ा भरतून

3. सपोटरा से वारेल वाया नैनियाकी गुआड़ी

4. कुड़गांव से गेरई

(श्री प्रभुलाल)

5. केलादेवी से मडरायल

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शीघ्र से शीघ्र ऊपर दी गई सड़कों का निर्माण करवायेंगे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट। (अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत रेगिस्तानी जिलों में जो अकाल राहत के तहत 10–15 वर्षों में सड़कें बनायी गई थीं जिससे ग्रामीणजन को आने जाने की अच्छी सुविधा मिली थी लेकिन 4–5 सालों से और खास तौर से गत एक साल से अकाल राहत के अन्तर्गत आने वाली सड़कें, कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें और दूध डेयरी के तहत आने वाली सड़कों की रिपेयरिंग के लिये राज्य सरकार के पास न तो कोई व्यवस्था है और न टूट–फूट का विभाग के पास इन्तजाम है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां से बोल रहे हैं ? पढ़िये।

श्री अमीन खां : साहब, मेरे पास है नहीं, मुझे सारा याद है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यहां से ले लीजिये।

श्री अमीन खां : मेरे को याद है, अलग से नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया जाय ? कापी दे देंवे।

श्री अमीन खां : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 295 के तहत जन हित में विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में अधिकांश सड़कें ग्रेवल की अकाल राहत कार्यो के तहत बनी थीं व डामर की सड़कें भारत सरकार द्वारा ज्यादातर बनाई गई थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बनी हैं उनकी पिछले 4–5 वर्षो से अकाल राहत में जो सड़कें बनी थीं उनकी मरम्मत या रख रखाव के लिए या नई कोई सड़क का कार्य अकाल के तहत भी नहीं किया गया है जिससे पुरानी सड़कों, जिन पर बसें आदि चलती हैं ऐसी सड़कें अब करीब करीब बन्द हो गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार अकाल में बनी सड़कों की मरम्मत आदि नहीं करवाती हैं। इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी की व दूध डेयरी से बनी सड़कों के मरम्मत आदि का कार्य भी नहीं कराया जाता है।

सीमावर्ती जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सड़कें राहत कार्यो के तहत बनी थी जो गर्मियों की तेज आंधियों की वजह से करीब करीब बन्द हो गई है जिससे ग्रामीण जनता के आने जाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिन सड़कों की महत्वता ज्यादा है, यानि पंचायत मुख्यावासों से पटवार व ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदामों के मुख्यावासों को जोड़ने वाली सड़कों के नाम, उदाहरण के

(श्री अमीन खां)

तौर पर नीचे मुजब पेश करना चाहता हूं :--

जिला जैसलमेर :

1. फतेहगढ़ से डौगरी
2. सांगड़ से खुडी
3. जीन्जनीयाली से सतो
4. देवीकोट से राया
5. रामा चौलक
6. रामा कपूरिया

जिला बाड़मेर :—

1. सवाउपदरा घेर से उन्डू वाया शहर रतेऊ
2. उन्डू से कसूरबला मारीपोन
3. डेन्डू से बौधा.
4. बाराडा से उन्डू
5. कश्मीर से रतेऊ
6. कानासर से आंखा
7. भीयाड से आरंग
8. कानासर से बौधा
9. राजडाल से धारवी
10. गंगा से मोठा
11. शिवा से नागउदा
12. मौखबा से मौसाल
13. सौजलिया डनरोज
14. गिराव जिलनीयाजी
15. सांखली सडेरी
16. गागरिया देतानी
17. माचमर तामलीयार
18. सनाउ खडीन
19. गंगाला—खारा राठोडान
20. रामसर सजनकावार
21. गडरा कैलनोर
22. खानीपानी रतडेरी
23. राणासर गिराव
24. बाड़मेर कसूम्बला वाया रतेउ
25. सेतराउ से चाड़ार

इन सारी सड़कों के खराब होने से ग्रामीण लोगों को सामान ले जाने व लाने के लिए जोंगा निशान गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

अतः आपकी मार्फत सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी जिलों में अकाल राहत, कृषि मण्डी के तहत बनी सड़कों की जनहित में मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जावे अन्यथा जनता को मजबूर होकर जन आन्दोलन करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति न की जाना

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

चयनित कनिष्ठ लिपिकों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में लगभग 30 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार नवयुवकों का प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार के नेताओं ने राजस्थान की जनता को अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह भरोसा दिलाया था कि वे प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे परन्तु बेरोजगार नवयुवकों को इस वायदे का कोई लाभ नहीं दिया। पिछले वर्षों में राज्य में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें से 1700 से भी अधिक लोगों को विभिन्न जिलों में कांग्रेस सरकार ने नियुक्तियां दी थीं। शेष रहे लोगों ने न्यूनतम प्रतिशत 37.5 जिन लोगों ने प्राप्त किये थे जिनको राज्य सरकार ने नौकरी दी थी उसके आधार पर अन्य जिलों में चयनित 37.5 प्रतिशत से अधिक नम्बर लाने वाले विद्यार्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी नियुक्ति की मांग की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 नवम्बर, 1990 को यह आदेश दिया कि 37.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की अविलम्ब नियुक्तियां दी जावे लेकिन राज्य सरकार के अड़ियल रुख एवं हठधर्मिता के कारण उच्च न्यायालय के आदेश एवं निर्देश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में चयनित कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों में भारी रोष व्याप्त है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित बेरोजगार सरकारी सेवाओं द्वारा निश्चित की गई आयु सीमा को पार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुन्झुनू, जालौर, नागौर, सीकर, सिरोही, जयपुर आदि अनेक जिलों में विभिन्न विभागों में लगभग 2000 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक है ताकि चयनित बेरोजगार युवकों को नौकरियां दी जा सकें।

बीकानेर जिले के वरीयता सूची के 219 नं. तक के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कांग्रेस शासन में मिल चुकी थी परन्तु अभी तक ऐसे बेरोजगार नवयुवक, जो वरीयता सूची में आ चुके हैं, उन्हें चयनित होने एवं पद रिक्त होने पर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार चूरू, नागौर एवं झुन्झुनू में भी ऐसी ही कठिनाइयों से नवयुवकों को भारी परेशानी हो रही है। बेरोजगारी को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान और देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. विजयशंकर व्यास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, इस समिति की बेरोजगारी मिटाने में क्या राय रही ? समिति ने प्रतिवेदन राज्य सरकार को कब प्रस्तुत किया और यदि अभी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तक राज्य सरकार ने प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया है तो उनके प्रतिवेदन को राज्य सरकार कब तक प्राप्त कर कब तक क्रियान्विति करेगी ?

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों को वर्तमान रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्तियां दी जाये एवं वरीयता सूची प्रदेश स्तर पर बनाई जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जावे, ताकि नवयुवकों को न्याय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को रोजगार देने का जो वादा किया था वह बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। जो चयनित लोग हैं उनको तो कम से कम नौकरी दी जाय।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बनास नदी से सिंचाई सुविधा प्रदान न किये जाने संबंधी

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य विधान सभा, बीसलपुर बांध की स्वीकृत योजना के अनुसार बनास नदी से सिंचाई सुविधा प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी का, इसका जवाब शायद सिंचाई मंत्री जी देंगे, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

टौंक जिले में बनास नदी बहती है और 1982 में बहुउद्देशीय पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक योजना तैयार की गई और 1986 में उसका काम प्रारम्भ हुआ। 1986 में 52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां हुई। उसके बाद 1991 में हमको प्रथम स्टेज का काम पूरा करना था और अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर को पानी पिलाना था और टौंक की प्यासी धरती को पानी देने की बात थी, उपाध्यक्ष महोदय, ज्योंहि यह कोपर डेम बना बनास नदी में तो नीचे से जो पानी बहता था वह रुक गया और उसका परिणाम यह हुआ कि टौंक तहसील में ही लगभग 125 गांवों का जल स्तर बहुत नीचे चला गया और पीने योग्य पानी भी नहीं रहा। जहां पर मीठा पानी और पानी का प्रवाह था, वहां पर पानी की हालत पेयजल की दृष्टि से भी बहुत गम्भीर हो गई। इतना ही नहीं, यह तो केवल टौंक तहसील की बात है। सारा टौंक जिला, सवाई माधोपुर जिला प्रभावित है। हजारों गांवों में इसके कारण पानी का संकट खड़ा हो गया है। धीरे-धीरे योजना के अनुसार यदि काम होता तो शायद 100-125 करोड़ में ही हो जाता लेकिन आज 400 करोड़ रुपये पर बात हुई और यह काम पूरा भी नहीं होगा। तो लापरवाही भी कारण है यानि वहां पर योजना के अनुसार काम नहीं हो रहा। आप कभी कहते हैं कि हमको 1991 इसका पानी रोकना है और पानी रोककर अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर को पानी देना है। उधर पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट अपना काम पूरा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं कर रहा है। न किशनगढ़, ब्यावर को पानी मिल रहा है। आज करोड़ों रुपये सरकार के खजाने में खर्च होने के बावजूद भी न अजमेर वालों को पानी मिल रहा है और न वहां पर पानी रोका जा रहा है। इसके जो दुष्परिणाम निकलने वाले थे वह दुष्परिणाम तो आने शुरू हो गये। वहां पर हमको पुर्नवास की व्यवस्था करनी थी। हजारों लोग, हजारों परिवार इससे बेघर-बार हो गये। हजारों बीघा जमीन डूब में आ रही है, पेड़ डूब में आ रहे हैं, कुएं डूब में आ रहे हैं। उनका मुआवजा नहीं दिया गया, उनके पुर्नवास की व्यवस्था नहीं की गई। केबिनेट से निर्णय भी लिये गये और समय समय पर वित्तीय स्वीकृतियां भी हुई, बजट लैप्स हुआ। 1990–91 में बजट लैप्स हुआ और आज पुर्नवास की व्यवस्था ही नहीं है। उनके लिए कालोनियां बसाई जानी चाहिये वह नहीं बसाई जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि वह जब डूब में आ जाएंगे तो कहां जाकर अपना सिर देंगे, कहां जाकर वह बचेंगे, कहां जाकर वह अपने जानवरों को बांधेंगे।

योजनाएं सब प्रकार की हैं। योजना में सब प्रकार का प्रावधान है। कालोनियां बसाई जाएगीं, अनुदान उनको दिया जायगा और उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था की जायेगी लेकिन आज तक भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इसलिए धीरे धीरे राजकोष पर वजन बढ़ रहा है। कभी कहते हैं कि यह तो हम पेयजल के लिए रिजर्व रखेंगे, मैं नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, कि पेयजल में कितने पानी की आपको जरूरत है और कब जरूरत है। आज हमको बहुत मामूली पानी, जो केवल कोपर डेम में रुक जाता है, केवल हमारा जो डेड स्टोरेज है, उस डेड स्टोरेज के पानी की भी आवश्यकता नहीं है और हम उस सारे पानी को रोकना चाहते हैं यह कहकर कि हमको पेयजल की जरूरत है, 2021 में जरूरत है और इसलिए हम इसका स्टोर रखेंगे या बहा देंगे। किसलिए बहा देंगे? किसलिए आप स्टोर रखना चाहते हो और कितनी जरूरत है, कभी यह अनुमान लगाया गया? मैं समझता हूं कि इस मामले में माननीय सिंचाई मंत्री जी का भी उपेक्षा का भाव रहा है माननीय सिंचाई मंत्री जी आपका किसी भी प्रकार का कन्ट्रोल और नियन्त्रण नहीं रहने की वजह से इस प्रकार की लापरवाही और इस योजना को बेकार करने की साजिश रची जा रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कई सारे सवाल और हैं जो आपके उत्तर के बाद और आप क्या उत्तर देते हैं उस पर निर्भर हैं। पर मैं यह भी चाहूंगा कि आप यह घोषणा करें कि नहर का कार्य तुरन्त आरम्भ हो। समय पर जिन्होंने काम नहीं किया है, चाहे वह ठेकेदार हों या अधिकारी हों उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर को पानी दिया जायगा।

जो जल स्तर नीचे चला गया है उसका एक मात्र उपाय ईसरदाबांध है, ईसरदा बांध यदि आप बनाएगें तो जयपुर में उसका पानी दिया जा सकेगा और जयपुर में यदि उस ईसरदा बांध का पानी आ जाएगा तो एक तरफ तो जयपुर की प्यास बुझेगी, दूसरी तरफ हमारे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यहां जो पानी जा जल स्तर नीचे चला गया है, पानी खारा हो गया है, पीने योग्य नहीं रहा है और वहां की फसलें सूख गई हैं, वहां जल स्तर ऊपर आएगा, पानी मीठा होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुरन्त ईसरदा बांध का निर्माण किया जाए। यह कार्य केवल सिंचाई विभाग नहीं कर पाएगा। पी.एच.ई.डी. विभाग में पानी के लिए कोई रेश्यो कोई बी.सी. रेश्यो वगैरह काम नहीं करते तो उसकी तुरन्त सेंक्शन हो जाएगी।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान देकर और अल्प समय में यदि समय हमने बेकार किया तो समय कभी हमको माफ नहीं करेगा और टौंक की जनता जहां का पानी आप ले जाकर पिलाना चाहते हो, वह आपके अरमान कभी पूरे नहीं होने देगी।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि समय रहते आपने वहां पर पानी ले जाने की कोशिश की तो पहले एक बांध का इन्तजाम करिये और जयपुर की प्यास बुझाइये, वहां की धरती की प्यास बुझाइये नहीं तो लोग, मरता क्या नहीं करता, लोग लाशें बिछा देंगे वहां पर। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं लेकिन पानी नहीं ले जाने देंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह टौंक जिले से सम्बन्धित है और मेरा क्षेत्र भी इससे सम्बन्धित है। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण अपना कर माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त की हैं निश्चित रूप से टौंक के लिए योजना में, बहुउद्देश्शीय योजना में जल्दी लागू करके हमारे सिंचाई के लिए भी उपलब्ध करेंगे।

श्री डूंगर राम पंवार : माननीय सदस्य से कह दें कि सिंचाई विभाग इसका कुछ नहीं करेगा सिंचाई विभाग को भेजा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री।

श्री विजय सिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारूप केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु दिनांक 26.4.82 को भेजा गया था। इस योजना के अनुसार पेयजल की आपूर्ति हेतु 8500 एस.सी.एफ.टी. एवं सिंचाई के उपयोग हेतु 15000 एस.सी.एफ.टी. प्रस्तावित था। इस प्रारूप के अनुसार परियोजना का सिंचित क्षेत्र केवल बनास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था, जिसके अनुसार वर्तमान तालाबों के सिंचित क्षेत्र के अतिरिक्त 85000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र जिसमें 331 गांव टौंक जिले के, 56 गांव बून्दी जिले के तथा 151 गांव सवाई माधोपुर जिले के में 60,000 हैक्टेयर में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित था।

अजमेर की गम्भीर पेयजल समस्या को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने सन् 1986 में योजना आयोग से परामर्श कर परियोजना के प्रथम चरण की 52 करोड़ रुपये (1985 के मूल्यों पर) की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र संख्या एफ 3(8) ए एस/सैल आई/82/1230-36 दिनांक

(श्री विजय सिंह झाला)

14.10.86 द्वारा प्रदान की। इसके अनुसार क्रेस्ट-लेवल तक बांध का निर्माण कर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों को पेयजल सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है तथा इसमें सिंचाई सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। बांध के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के क्रम में ही बांध पर दरवाजे लगवाने एवं पियर्स के निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 2 (12), सि. म. क./89 दिनांक 11/2/91 द्वारा रुपये 26.0 करोड़ रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसमें बांध पर दरवाजे लगाकर बांध के भराव क्षेत्र में पूर्ण भराव क्षमता तक 1984 की वर्षा ऋतु में जल संग्रहित किया जा सके।

बीसलपुर बांध की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार प्रथम चरण में बांध का निर्माण कार्य पूरा कर केवल अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों को पेयजल सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से अभी तक नहर प्रणाली के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। वर्तमान में इस परियोजना से सम्भावित सिंचित क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा एवं केन्द्रीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बीसलपुर बांध पर केन्द्रीय जल आयोग ने पूर्व में 21800 एम.सी.एफ.टी. की उपलब्धता अस्थाई तौर पर आंकी थी। केन्द्रीय जल आयोग ने बाद में बांध स्थल पर जल की उपलब्धता का विस्तृत पुनरावलोकन किया है जिसके अनुसार 33150 एम.सी.एफ.टी. पानी की उपलब्धि आंकी है।

योजना का प्रारूप तैयार करते समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु कुल 8500 एम.सी.एफ.टी पानी जिसमें जलाशय से वाष्पीकरण ह्रास भी सम्मिलित कर पानी की आवश्यकता इंगित की थी। राज्य सरकार की पेयजल प्राथमिकता नीति के आधार पर मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली अजमेर तथा जयपुर दोनों ही स्कीमों में पाइप लाइन के रास्ते में आने वाले तथा क्षेत्र के दूरस्थ गांवों तथा कस्बों को भी सम्मिलित करते हुये करीब 16,200 एम.सी.एफ.टी. वार्षिक की शुद्ध आवश्यकता सन् 2021 के लिए प्रस्तुत की है।

बीसलपुर बांध से पेयजल हेतु 16,200 एम.सी.एफ.टी. पानी आरक्षित करने एवं जलाशयों में वाष्पीकरण ह्रास के पश्चात् सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर करीबन 8000 एम.सी.एफ.टी. पानी उपलब्ध होगा, जिससे करीब 75,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 72 प्रतिशत सिंचाई क्षमता पर 54,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसमें वर्तमान तालाबों के करीब 10,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए बनास नदी के दायीं तरफ करीब 85,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को ही इस परियोजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

(श्री विजय सिंह झाला)

जहां तक बीसलपुर बांध के निर्माण से नीचे वाले क्षेत्र के भागों में बनास नदी के किनारे बसे लगभग 15-15 किलोमीटर दूरी के गांवों में पानी का जल स्तर नीचे जाने एवं कई जगह पानी योग्य नहीं होने का प्रश्न है। बीसलपुर बांध बनाने से पूर्व ही अभी से इसी प्रकार के गांवों में भू-जल का स्तर नीचे जा चुका है एवं कुछ गांवों में यह जल खारा भी हो गया है। भू-जल स्तर में यह गिरावट कई कारणों से हुई प्रतीत होती है, जिसमें 5- सालों से लगातार वर्षों में भारी कमी एवं बनास नदी में जल में आई कमी इत्यादि प्रमुख है। बीसलपुर बांध बन जाने एवं इससे सिंचाई सुविधा प्रदान करने से सामान्यतया भू-जल स्तर में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है। परन्तु इस क्षेत्र के गांवों में भू-जल स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी आंकलन करना कठिन प्रतीत होता है।

पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की कमी को ध्यान में रखते हुए एवं बनास नदी के पानी का अधिकतम उपयोग करने के विचार से बनास नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा गांव के पास बांध का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस बांध स्थल पर लगभग 6,000 एम.सी.एफ.टी. (वाष्पीकरण ह्रास के पश्चात) पानी उपलब्ध होने की सम्भावना है। इस परियोजना से जयपुर पेयजल स्कीम की आंशिक मांग को पूरा किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप बीसलपुर बांध से उतने ही जल की सिंचाई हेतु उपलब्धता बढ़ सकेगी और लगभग 56,400 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करना सम्भव हो सकेगा। ईसरदा बांध की फिजीबिलिटी रिपोर्ट सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार की जा रही है। ईसरदा बांध से जयपुर की पेयजल सुविधा प्रदान करने के विकल्प पर फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने पर उसका तकनीकी एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद पाये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

बीसलपुर बांध के निर्माण से कुल 63 गांव डूब में आयेंगे जिसमें टोंक जिले के 45 गांव, अजमेर जिले के 17 गांव एवं भीलवाड़ा जिले का 1 गांव सम्मिलित है। बांध के प्रथम चरण के निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रहे 304.50 मीटर तक सामान्यतया पानी का भराव रहेगा लेकिन वर्षा ऋतु में बाढ़ के दौरान (100 साल में एक बार) आर. एल. 309.00 मीटर तक भूमि एवं सम्पत्ति डूब में आयेगी जिससे कुल 29 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें टोंक जिले के 24 गांव तथा अजमेर जिले के 5 गांव सम्मिलित है। आर.एल. 309.00 मीटर एवं पूर्ण भराव क्षमता (आर.एल. 315.50) तक प्रभावित भूमि, सम्पत्ति एवं विस्थापितों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	आर. एल. 309.00 तक	आर. एल. 315.50/ 316.40 तक
1.	गांवों की संख्या जिसकी भूमि में डूब आयेगी	29	63

(श्री विजय सिंह झाला)

1	2	3	4
2.	गांवों की संख्या जिसके मकान डूब में आयेंगे	8	32
3.	निजी भूमि	2292 हैक्टेयर (5661 एकड़)	12616 हैक्टेयर (31162 एकड़)
4.	कुल भूमि (सरकारी भूमि सहित)	5111 हैक्टेयर (12624 एकड़)	21836 हैक्टेयर (53935 एकड़)
5.	मकान	1080	5901
6.	कुएं	952	2409
7.	प्रभावित काश्तकारों	1596	5703

राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों को मुआवजा एवं पुनर्वास के मानदण्ड दिनांक 25.1.91 को स्वीकृत किये गये हैं। इन मानदण्डों के अनुसार भूमि का एवं मकान का मुआवजा भुगतान के अलावा निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेगी। जिले में प्रत्येक विस्थापित को उतनी ही भूमि जितनी डूब में आ रही है, लाभान्वित जिलों में अधिकतम चार एकड़ की सीमा तक आवंटित की जावेगी। विस्थापितों को आवंटित की जाने वाली अधिकारीय भूमि का लिया जाने वाला मूल्य उसी किस्म की डूब में आने वाली विकसित भूमि के मुआवजे के 50 प्रतिशत मूल्य से अधिक नहीं होगा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र में विस्थापितों को कम से कम 4 एकड़ और अधिकतम 15 एकड़ (एक मुरब्बा) की सीमा तक भूमि आवंटित की जा सकेगी। वर्ष 1991 के दौरान बांध में पानी के भराव क्षेत्र में पानी संग्रहित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः इस वर्ष बाढ़ के दौरान सिर्फ साडला एवं बीसलपुर ग्राम ही आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। बीसलपुर ग्राम के 166 मकानों के मकान मालिकों को मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। सांडला एवं बीसलपुर ग्राम के अन्य विस्थापितों को जो इस वर्ष बांध के निर्माण से प्रभावित होंगे एवं ऐसे मकान मालिकों को जिन्हें 80 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, को पूर्ण भुगतान माह मार्च, 1991 तक किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बांध के भराव क्षेत्र में वर्ष 1992 की वर्षा ऋतु में जल भराव किया जाएगा। अतः आर.एल. 309 मीटर तक डूब में आने वाले शेष सभी विस्थापितों को उनकी भूमि एवं सम्पत्ति का मुआवजा माह जून, 1992 तक किया जाना

(श्री विजय सिंह झाला)

प्रस्तावित है। बीसलपुर बांध से पूर्ण भराव क्षमता तक प्रभावित लोगों को उनके डूब में आने वाली भूमि एवं सम्पत्ति का मुआवजे का भुगतान जून, 1994 से पहले किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछना है कोई ?

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रथम स्टेज का काम जून, 1991 में पूरा किया जाना था ? क्या यह भी सही है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष पूरा काम जो किया जाना था और नहीं किया गया और जिस ठेकेदार ने नहीं किया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ? क्या यह भी सही है कि इसका सुपरविजन ठीक से प्रकार नहीं किया गया इसलिए 23 करोड़ के मुकाबले में इस वर्ष केवल 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था आज तक भी नहीं हुई है, उनकी कालोनियां नहीं बनाई गई, उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए, वह नहीं दी गई, जो मुआवजा देना चाहिए वह नहीं दिया गया, जो अनुदान देना चाहिए वह नहीं दिया गया और उनका किसी प्रकार का आवंटन भी नहीं किया। क्या यह भी सही है कि आपने कहा कि मार्च, 1991 तक उनको मुआवजे की राशि का भुगतान करने के प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में भी आज जब हम बात कर रहे हैं आज 11 तारीख तक किसी प्रकार की कोई सक्षम कार्यवाही नहीं हुई है या कोई ऐसा स्टाफ वहां पर नहीं लगाया गया है जिसके कारण मुआवजे का भुगतान 31 मार्च से पहले किया जा सके।

जहां तक आप 309 तक भराव क्षमता की बात करते हैं उसमें 26 गांव डूब में आएंगे और उन लोगों को मुआवजा देने के प्रयास किए जा रहे हैं तो उन लोगों को भी आज तक कोई नोटिसेज ही नहीं दिए गए। यह सारी समस्या है और एक तरफ आज नहर का काम प्रारम्भ हो जाना चाहिए जब हम पानी रोकेंगे। क्या यह सही है कि अजमेर को, किशनगढ़ को, ब्यावर को, वहां पर जो पूरा ढांचा पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट का तैयार किया जाना चाहिए वह अभी तक तैयार नहीं है ? क्या यह भी सही है कि अजमेर को केवल जो अभी डेड स्टोरेज है उनको केवल 3–4 टी. एम. सी. यानि 3–4 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी की आवश्यकता है। उनको वह पानी अभी नहीं दिया जा रहा है। वह आज वहां पर उपलब्ध है, अभी भी दिया जा सकता है और 2021 की आप बात कर रहे हैं। हमने ईसरदा बांध बनाया तो उसके बाद केवल 10 टी. एम. सी. यानि 10 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी की आवश्यकता होगी। बाकी का लगभग 25 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी वहां मौजूद रहेगा, स्टाक में रहेगा। इस सिंचाई का जब तक आप नहरें नहीं बनाएंगे, जब तक इस प्रकार का ढांचा तैयार नहीं करेंगे तो क्या वह पानी यों ही बहता रहेगा या वह स्टाक में रहेगा ? क्या यह भी सही है कि टौंक तहसील का लगभग 125 गांवों का जल स्तर नीचे चला गया है और यदि ईसरदा बांध का काम प्रारम्भ नहीं किया गया तो वहां पर बड़ी भयंकर स्थिति खड़ी हो जाएगी। यह हालत तो तब है जब

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पानी बहा है। आपने यह कहा है कि इसमें पानी का प्रवाह पूरा नहीं होने के कारण पिछले 5 साल में और बारिश पूरी न होने के कारण वहां का जल स्तर नीचे चला गया। मैं यहां कहता हूं कि यह गलत जगह है। पिछले 5 साल में पूरी बारिश हुई है वहां पर जैसे 37 एम. सी. एफ. टी. पानी हमने चाहा, उसकी बजाय पिछले 5 साल में 50 टी. एम. सी. पानी, 40 टी. एम. सी. पानी, 48 टी. एम. सी. पानी और इस साल तो 72 टी. एम. सी पानी वहां पर आया है। उसके बावजूद यह स्थिति वहां पर खड़ी हो गई है। वहां पर पानी पर्याप्त है, पानी पर्याप्त आया है हमारा टोपर डेम जो हमने बनाया है और नीचे से जो पानी का प्रवाह हमने खत्म कर दिया है। उसके कारण से सवाई माधोपुर में मैं बौंली गया था, बौंली तक के दूर-दूर के गांवों में पानी खत्म हो गया है। उसका एकमात्र उपाय ईसरदा बांध है। माननीय मंत्री जी आप निश्चित रूप से यह बताए कि इसरदा का काम कब शुरु कर रहे हैं, सिंचाई बांध की नहरें कब प्रारंभ कर रहे हैं और तुरन्त पानी देना कब प्रारंभ कर रहे हैं ? इन बातों की व्यवस्था को कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3 बातें पूछी हैं। पहली बात यह पूछी है कि कोई ऐसा बजट लेप्स हुआ है। ऐसी बातें आपने बताई है। 89-90 में कुछ बजट लेप्स हुआ था और उसकी मैं जांच कराऊंगा कि क्यों लेप्स हुआ है। इस साल कोई बजट लेप्स नहीं होगा। 23 करोड़ रुपए जो रखे हैं उसमें से 40 करोड पी. एच. ई. डी. ने वापस ले लिए थे बाकी रुपए मुआवजे के लिए रखे हैं और वह सारा भुगतान मार्च में कर दिया जाएगा।

दूसरा प्रश्न पूछा है कि मुआवजे में जल्दी हो। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ? अभी नोर्म्स तय हुए हैं और सभी किसानों से बात करके जो रेट देनी है वह तय कर ली है। तो हम इसी मार्च में क्यों, माही से भी स्टाफ है वह हमने मंगा लिया है और सेटलमेंट आफिस के भी करीब 20-25 आदमी रेकार्ड तैयार करने के लिए इसमें लगा रखे हैं। तो मार्च में ही जो 6 करोड़ रुपए हमको भुगतान करने हैं वह 31 मार्च के पूर्व हम कर देंगे और कोई बजट लेप्स नहीं होगा।

जहां तक आपकी पेयजल की समस्या का प्रश्न है 16150 एम. सी. एफ. टी. पानी पेयजल वालों ने मांगा है। संवत् 2021 की जनसंख्या के आधार पर इन गावों में, टोटल गांवों में, 600 गांवों में (व्यवधान) 80 लाख की जो जनसंख्या होगी उसके लिए 16150 एम. सी. एफ. टी. पानी मांगा है और उसकी प्रति व्यक्ति जो मांग है शहरों के लिए जयपुर के लिए 170 पर हैड मांगा है जिसमें 20 इण्डस्ट्रीज का माना है और 150 वहां ड्रिंकिंग वाटर के लिए माना है। छोटे नगरों के लिए 100 लीटर प्रति हैड माना है और गांवों के लिए 70 लीटर प्रति हैड माना है। तो इस तरह 16 हजार संवत् 2081 की जनसंख्या के आधार पर 80 लाख की जनसंख्या के लिए पानी रिजर्व रखा है।

(श्री विजयसिंह झाला)

दूसरा प्रश्न जो आपने ईसरदा बांध का रखा है, माननीय सदस्य यदि इसी तरह से एक्टिव रहे तो मैं समझता हूं कि इसके जल्दी बनाने की कोशिश की जाएगी।

श्री नत्थी सिंह (नेता, जनता दल) : यह शर्त और है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री महावीरप्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो 16 हजार कुछ एम. सी. फीट पानी रिजर्व रखने की बात कही है, क्या यह सही है कि वर्तमान में जो पानी वहां पर उपलब्ध है, यानि जो अस्सी लाख की आपने जनसंख्या बताई, वह अस्सी लाख की जनसंख्या अनुमान है कि 2021 में हो जायेगी, कोई खाड़ी युद्ध और ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, या मतलब ठीक प्रकार से चलता रहा, आप और हम सर्व रहें, लेकिन उसके बावजूद भी अस्सी लाख जनता को केवल आठ टी. एम. सी. पानी बहुत है और उसमें जो यह 170 लीटर, 150 लीटर और इण्डस्ट्रीज की आवश्यकताओं का जहां सवाल है, इण्डस्ट्रीज की आवश्यकताओं के लिए नार्म्स यह बने हुए है, यह स्कीम ओरिजनली केवल पेयजल और सिंचाई के लिए बनी हुई है, यदि इण्डस्ट्रीज लगाई जायेगी, चलाई जायेगी, और किसी चीज के लिए पानी चाहिएगा तो उसके लिए जो हमारा फालतू पानी बहता है, खराब पानी बहता है उसका शुद्धिकरण करके उसका उपयोग किया जाय, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। वर्तमान में जो पानी हमें वहां पर उपलब्ध है उसको भी आपने घटाया नहीं है। उसके कारण से यह इतनी मांगें हमने बताई है। वर्तमान में केवल चार हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी जयपुर को और तीन-चार हजार एम. सी. फीट पानी की अजमेर को आवश्यकता है जो मैंने आपको बताया कि डेड स्टोरेज जो हमारे वहां पर है वही उसके लिए पर्याप्त है। उस पानी का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जो पानी है उसका उपयोग करें। पीने के लिए, पानी हर कीमत पर राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन वह पानी बेकार जाये और हमने हजारों करोड़ रुपये खर्च किये, वह बेकार जाये, अव्यवस्था के कारण जायें, केवल आपकी कम सोच के कारण जायें, मैं समझता हूं कि यह हम राजकोष पर अन्याय करेंगे। इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक नया पैसा फिजूल खर्ची में जायेगा। वहां पर फिजूल पानी बहता है। जहां तक मेरे एक्टिव होने की बात आपने कही है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा आप अपनी नींद उड़ायें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी कीमत पर भी सोने नहीं दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि आप अगर जगाते-जगाते ही नहीं जागे तो उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवदेन करूंगा कि वह जगायें....

श्री उपाध्यक्ष : इनको भी जगायें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : झाला साहब को नींद आती ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बुढ़ापा है, सोयेंगे ही ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : तो कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल हैं । मैं निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि ईसरदा बांध का काम कब शुरू होगा, अजमेर को पानी कब से मिलने लग जायेगा, वह काम कब से शुरू हो जायेगा ? जैसा आपने कहा कि मुआवजा 31 मार्च तक दे देंगे, यह आपने निश्चित आश्वासन दिया है और यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, यह ध्यान में रख कर आपने कहा है, आपको ध्यान रहे ।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...!

श्री उपाध्यक्ष : सांवरलाल जी, एक मिनट बैठिये । उनको पूछने दीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नींद तो हम उड़ा देंगे आपकी ।

श्री उपाध्यक्ष : सीधा प्रश्न पूछें ।

श्री बंशीलाल पटवा : सीधे प्रश्न कर रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रोजेक्ट की चर्चा चल रही है, पानी की क्षमता की भी चर्चा चल रही है, ईसरदा बांध की भी चर्चा चल रही है, इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में जितने भी प्रोजेक्ट बने वो कई प्रोजेक्ट बेकार साबित हो रहे हैं और बीसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में मेरा एक सीधा सा प्रश्न यह है कि जो क्षमता आंकी गई, जिन नगरों को, कस्बों को पानी देने की बात कही गई, जगह-जगह पर ऊपर के भाग में नदियों में बंधे लगा दिये गये और जो क्षमता आंकी गई, जो एम. सी. फीट पानी आंका गया, तो जब बंधे लगा दिये गये, ऑब्सट्रक्शन्स पैदा कर दिये गये, पानी आयेगा नहीं, कैचमेंट एरिया में बंधे लगा दिये गये तो उन बन्धों का क्या होगा । कैचमेंट एरिया में नियमानुसार इस तरह के बंधे नहीं बनाये जा सकते । उनके बारे में मंत्री महोदय, क्या विचार रखते हैं ? क्या उनको तुड़वायेंगे, या क्या करेंगे क्योंकि उसकी क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है । यह सीधा प्रश्न है मेरा ।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि अजमेर को पानी दिया जायेगा तो मेरा यह निवेदन है कि क्या सरकार के पास अजमेर जिले के गांवों को बीसलपुर से पानी देने की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं ? क्या सरकार की नजर में ऐसे गांवों की सूची है कि कहां पर क्लोराइड और फ्लोराइड की बीमारी से त्रस्त ग्रामीण कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ? इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि मुआवजा भुगतान के लिए कुछ नार्म्स बनाये गये हैं और गांवों वालों से बात करके... तो क्या नार्म्स गांव वालों की इच्छा के मुताबिक चेंज किये जायेंगे ?' या आपने जो नार्म्स बनाये हैं उन्हीं के अनुसार भुगतान किया जायेगा ? जब आपने नार्म्स बना लिये और गांव वालों की इच्छा के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है तो फिर भुगतान में देरी क्यों ? क्या आप यह महसूस करते हैं, ऐसे गांवों में इतनी बड़ी लम्बी सौ किलोमीटर पाइप

(श्री सांवरलाल जाट)

लाइन जायेगी और गांव वालों की हालत बड़ी खराब है, आप सीधे ही पानी पहले अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को दे देंगे और गांव वाले प्यासे मरते रहेंगे। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम प्रश्न।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें जहां मुआवजे की बात की गई है, जिन किसानों के पूरी तरह गांव डूब जायेंगे और सारी की सारी भूमि डूब जायेगी उनको भूमि अलॉट करने का प्रावधान किस रूप में होगा और वह कितनी भूमि होगी, किस रेट से होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो स्टेटमेंट में बोला था।

श्री हेतराम बेनीवाल : स्टेटमेंट में जो आया है उसके लिए मुझे उनसे यह पूछना है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में वह भूमि दी जायेगी, ऐसा विवरण है और वह भूमि चार एकड़ से पन्द्रह एकड़ तक दी जायेगी। क्या रेट्स होंगे उसके, किस नियम के तहत दी जायेगी क्योंकि राजस्थान कैनाल की जो जमीन है उसके बारे में राजस्थान सरकार कई तरह के प्रोग्राम बना रही है। मौजूदा सरकार और इससे पहले वाली सरकार, दोनों ने एक प्रोग्राम बना रखा है, उसकी अच्छी–अच्छी जमीन को बेचने का, स्पेशल अलॉटमेंट के तहत। क्या राज्य सरकार, जो हमारे प्रदेश में इस तरह के किसान उजड़ रहे हैं, उनको बसाने के लिए भूमि वहां बची रहेगी और उस क्षेत्र के लोगों को भी उस भूमि में से कुछ जमीन मिल जाये, यह सोच कर उस जमीन के बारे में पुनर्विचार करेगी ? स्पेशल अलॉटमेंट में जो जमीन बड़े-बड़े जागीरदारों को और पैसे वालों को नीलाम की जा रही है, क्या वह रोकेगी और अगर उनको चालू रखेगी तो इन लोगों को जमीन देने का मामला मेरी समझ में एक धोखा ही है बीसलपुर वालों के साथ कि जो प्रचार कर रही है सरकार। इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया है और आज बिजनस बहुत है।

श्री रामनारायण वर्मा : एक ही प्रश्न है, ज्यादा नहीं, आप अलाऊ कर दें तो।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, पूछिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं प्रभावित हूं इससे। माननीय उपाध्यक्षजी, बीसलपुर के बारे में मैं उस भावना को समझता हूं जिस भावना से माननीय महावीरजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करिये आप तो।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो भी नदियां हैं उनमें क्या बीसलपुर बारह मासी नदी है या दो माही नदी है ? पहला सवाल। दूसरा, ईसरदा बांध की बात आई

(श्री रामनारायण वर्मा)

है, क्या चम्बल का पन्द्रह मिलियन एकड़ फीट पानी जो वेस्ट जा रहा है उसको लिफ्ट करके ईसरदा बांध में डाल कर पेयजल की समस्या हल की जा सकती है ? क्या बीसलपुर से जो गांव जुड़ गये थे सर्वे में, जितने गांव टौंक की नैनवां तहसील के, उनियारा तहसील के, सवाई माधोपुर के आये थे, उन गांवों के लिए कोई अल्टरनेट सिंचाई का साधन है ? यदि नहीं है तो उन गांवों के लिए क्या किया जायेगा ? जबकि जयपुर की जनसंख्या क्या तीस साल में एक करोड़ हो जायेगी और उस एक करोड़ के अकेले जयपुर के लिए क्या बीसलपुर सफिसिएन्ट होगा ? उस स्थिति में क्या राज्य सरकार, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आधा मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए चार दिन तक इस सदन में बहस चली है तो क्या पन्द्रह मिलियन एकड़ फीट पानी, जो चम्बल में वेस्ट जा रहा है, उसका उपयोग जयपुर की पेयजल समस्या हल करने के लिए और किसानों को इन्दिरा गांधी कैनाल से जिस तरह से बीकानेर, जोधपुर को पानी दिया जा रहा है उस तरह से ओपन कैनाल के थ्रू ही पानी दिया जायेगा ? जयपुर को और रास्ते में किसानों को सींचा जायेगा, ऐसी कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुआ। अन्तिम प्रश्न।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि तकनीकी गलती के कारण कापर डैम जो पूर्व में बना था उसके स्थान पर लाइन एवं लम्बाई बदलकर फैरो-कम्पनी को 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया है ? क्या इस संबंध में कोई जांच चल रही है ?

दूसरा प्रश्न है क्या पंचवेल कं. कोटा को बिना माल सप्लाई किये लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है ?

श्री विजयसिंह झाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न पहले यह पूछा गया एक माननीय सदस्य द्वारा कि यह क्षमता पूरी नहीं है तो यह तो सी. डब्लु. सी. ने इसका पूरा सर्वेक्षण करके इसकी क्षमता 33150 एम. सी. एफ. टी. माना है। अब रहा इसके बीच में छोटे छोटे बांध बना करके पानी को कोई रोक लेता है तो इस साल सिंचाई विभाग के बगैर पूछे पहले कई एजेन्सी थी जो कि एनीकट का निर्माण कर लेती थीं लेकिन अब बगैर सिंचाई विभाग के क्लियरेन्स के कोई भी एनीकट बना नहीं सकता। इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है।

माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न यह पूछा कि अभी इतना पानी क्यों रिजर्व ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखा जाये तो यह तो पी. एस. पी. ने जैसा कहा है वैसा 16150 एम. सी. एफ. टी. ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिजर्व रखा है और उसको पी. एस. पी. ही किस तरह से उपयोग में ले सकती है इसका निर्णय वही विभाग करेगा। कापर बांध के बारे में अभी एक प्रश्न आया कि उसमें किसी प्रकार का घपला हुआ है मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मुझे अभी तक इसका

(श्री विजयसिंह झाला)

पूरा पता नहीं है । माननीय सदस्य मुझे पूरी जानकारी और तथ्य बता दें । अजमेर जिले में कितने गांवों को पानी मिलेगा तो अजमेर में 398 गांवों को पानी मिलेगा और उसका सर्वेक्षण करा लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य.... (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के पहले एक बात कहनी थी मुझे कि बाहर बहुत सारी महिलायें मुख्य मंत्री जी से मिलने खड़ी हैं और एक साल के अन्दर इतने गम्भीर अत्याचार हुए हैं महिलाओं पर वह सारी महिलायें मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहती हैं । इसलिए मुख्य मंत्री जी उनको समय दें और उनकी बात सुन लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तरफ से आप मिल लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री हिन्डौन के बारे में वक्तव्य देंगे ।

शासकीय वक्तव्य

दो समुदायों के बीच हिन्डौन सिटी जिला सवाई माधोपुर में हुई घटना के सम्बन्ध में

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 1.3.91 को धुलन्डी के दिन हिन्डौन में जाट व अन्य समाज के लोगों द्वारा हमेशा की तरह धमाल (गैर) जाटों के मौहल्लों से शुरू होकर कोलियों के मोहल्लों से होती हुई जाटवों के मोहल्लों के पास नाले की पुलिया पर करीब 1.30 बजे दोपहर पहुंची, उस समय इस धमाल में करीब 1500 व्यक्ति लाठियों, फर्सी व धारियों से लैस थे । इस धमाल के साथ स्थानीय पुलिस का पूरा जाप्ता था । इस कस्बे में हमेशा की तरह धमाल बाजार में जाने के लिए जाटवों के मोहल्ले से सड़क पर पहुंची तो जाटवों के मकानों की छतों व धमाल में शरीक जाटों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और जाटव समाज के जवान लोग लाठियां, धारियां व फर्सियों से लैस होकर मारो-मारो चिल्ला कर कहने लगे कि धमाल इधर से नहीं निकालने देंगे । चाहे उन्हें मरना मन्जूर है क्योंकि जाट लोग धमाल में साफ गालियां देते हैं और समाज की बेइज्जती करते हैं । इस तरह का अत्याचार अब वह सहन नहीं करेंगे और वे सीने पर गोलियां खाने को तैयार हैं । माहौल खराब होता देख कर मुलाजमान की सहायता से धमाल में शरीक लोगों को समझा बुझा कर कोलियों के मोहल्ले तक पीछे हटाया गया । जाटव लोगों ने खुद की छतों पर चढ़कर पुलिस बल पर भी पत्थर फेंके और अपने गोबर के कन्डों व कडबी में आग लगा दी तथा 12 बोर बन्दूकों व कट्टों से फायर किया । जाटवों ने छतों से धमाल में शामिल जाटों व पुलिस पर विस्फोटक पदार्थ भी फेंके । धमाल के पीछे के छोर ने सुरोठ रोड़ से जाटवों के मकानों पर पहुंचकर आगजनी व पथराव किया । पथराव से दोनों समुदायों के लोगों के चोटें आई । स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, करौली के निर्देशन में पुलिस द्वारा 58 चक्र गोलियां हवा में चलाई गई जिससे कोई हताहत नहीं हुआ । घटना की सूचना मिलने पर पुलिस

(श्री दिग्विजय सिंह)

अधीक्षक व जिलाधीश सवाई माधोपुर व रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर घटना स्थल पर पहुंचे । घायल युवकों में से श्री भोला जाट को इलाज हेतु करौली ले जाया गया और करौली सामान्य अस्पताल में इलाज करवाया गया । जहां दिनांक 2.3.91 को प्रातः 6.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई । बाद पोस्टमार्टम कार्यवाही के लाश का अन्तिम संस्कार पुलिस की देख रेख में शांति पूर्वक करवाया गया । इस घटना में आठ पुलिस कर्मियों को चोटें आई तथा झगड़े में 27 जाटों, 2 मुसलमान, एक कोली, एक ब्राह्मण तथा 29 जाटव समुदाय के लोगों को चोटें आई । इस घटना के क्रम में अपराध सं. 71 दिनांक 1.3.91 द्वारा 147, 148, 149, 323, 336, 332, 353, 436, 427, 307 भाद. सं व 4 विस्फोटक एक्ट के अन्तर्गत थाना हिन्डौन में दर्ज किया गया । इस प्रकरण में अनुसंधान में 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई ।

इसी दौरान दिनांक 2.3.91 को जाटवों की ओर से एक अपराध सं 73/91 धारा 395, 307, 336 भादसं व 3/7 एस.टी. व एस.सी. एक्ट के अन्तर्गत थाना हिण्डौन पर दर्ज किया तथा इसी संबंध में एक क्रास केस जाटों की ओर से अपराध सं 74/91 धारा 147, 148, 149, 323, 336 व 307 भादसं के अन्तर्गत थाना हिन्डौन पर दर्ज किया गया ।

इस प्रकरण में अपराध सं. 77 दिनांक 2.3.91 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 353, 336 भादसं थाना हिन्डौन अपराध सं 78 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना हिन्डौन, अपराध सं. 79 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना हिन्डौन अपराध सं 80 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना हिन्डौन, अपराध सं 81 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 थाना हिन्डौन, अपराध सं 82 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना हिण्डौन, अपराध सं. 83 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना हिन्डौन, अपराध सं. 84/91 दिनांक 3.3.91 अन्तर्गत धारा 42/5 शस्त्र अधिनियम थाना हिन्डौन अपराध सं 85/91 दिनांक 3-3-91 अन्तर्गत धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना हिन्डौन पर और पंजीबद्ध हुये हैं जिनका अन्वेषण जारी है ।

मैं मौके की स्थिति का जायजा लेने दिनांक 3 3.91 को हिन्डौन गया था । वहां सभी वर्गों के लोगों से बात-चीत की एवं क्षतिग्रस्त मकानों को देखा तथा संबंधित लोगों से मुलाकात की । इससे अलावा जो लोग जख्मी हुए थे उनसे मिला एवं मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी । दोनों समुदाय के लोगों की ओर से यह मत प्रकट किया कि निष्पक्ष जांच हेतु इस घटना से संबंधित मुकदमों की तफतीश स्थानीय पुलिस से न कराई जावे । उनकी यह भी मांग थी कि प्रभावित परिवारों को पुर्नस्थापित करने हेतु समुचित सहायता दी जाये । मौके की स्थिति का जायजा एव

(श्री दिग्विजय सिंह)

स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि घटना से संबंधित मुकदमों का अनुसंधान सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा कराया जायेगा। प्रभावित परिवारों के पुर्नस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त मृतक के परिवार को पन्द्रह हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घायलों की सहायता के हेतु 35,000 रुपये जिलाधीश को उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें बता दीं मगर एक बात नहीं बताई....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय किन किन आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। हरिजनों के लोगों को ज्यादा गिरफ्तार किया गया है और दूसरी जाति के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। बदमाश लोगों को एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जिनके प्रस्ताव आये हैं क्रमशः उनको इजाजत दूंगा।

श्री भरोसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लें। ऐसे तो हर आदमी बोलने लगेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने अभी जो स्टेटमैन्ट दिया है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात तो ठीक है कि यह परम्परागत....

होली एक स्थान पर भरी जाती है और उसके बाद दूसरी छोटी होलियाँ जलाने के लिए वहां से लोग आग लेकर जाते थे। यह बात भी सही है कि स्टेट के जमाने से यह धमाल चलती थी और बाजारों से होकर निकलती थी लेकिन मंत्री महोदय, जब आप अपने स्टेटमेंट में खुद कह रहे हैं कि 1500 लोग लाठी बरछे लेकर चल रहे थे तो पुलिस ने यह एहतियात क्यों नहीं बरती कि उनके हथियार पहले से रोक देती। सबसे बड़ी बेसिक जो गलती है लाठी बरछे लेकर जो 1500 लोग वहां से चल रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले उन हथियारों को वहां से हटाना चाहिए।

यह बात भी सही है कि जाटवों के मौहल्ले में होली के दिन रात को जब होली जली, उस समुदाय के लोग वहां आये आग लेने के लिए तो वहां कुछ बी.जे.पी. कार्यकर्ता मौजूद थे और बी.जे.पी. के सदस्य जो कि उनकी टिकट पर चुनाव लड़े थे--रामस्वरूप जाटव, वह वहां मौजूद था और उसने यह शब्द इस्तेमाल किये कि भाजई आ गये हैं और यह शब्द कह कर उकसाने की कार्यवाही की। यह बात भी सही है कि जाते समय उस समुदाय के लोगों ने कहा कि कल भात भरने आयेंगे। यह बात भी सही है। तो यह सारी स्थिति जब सामने थी तो वहां

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

पर संबंधित अधिकारी जो हिण्डौन में बैठे थे, पूरी जानकारी सामने आ गई थी तो समय पर उसको क्यों नहीं रोका ?

माननीय गृह मंत्री जी, आपने यह भी कहा दोनों तरफ से पथराव हुआ। यह भी सही है। यह भी सही है कि विस्फोटक पदार्थ वहां मौजूद थे। यह पदार्थ किसके यहां से प्राप्त हुए? रामस्वरूप जाटव के घर पर थे। उसकी कार में पेट्रोल बम प्राप्त हुआ। तीन सुतली बम प्राप्त हुए। तलवारें बरमाद हुई, सरिये बरामद हुए और उस रात की घटना पर जैसे दो तारीख आ गई, जैसे घटना हुई रात में हिन्डौन पहुंच कर जब वहां सम्भावना थी और दोनों समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की उसके लिए तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी तत्परता से उस कार्यवाही को किया लेकिन, मंत्री महोदय, आपके सामने यह तथ्य नहीं आया कि आखिर यह लड़ाई क्या थी जब कि पिछले चुनावों में यह जटाव समुदाय और जाटों के अंदर कोई मन मुटाव आज तक नहीं हुआ। हिण्डौन में पिछली बार जनरल इलेक्शन का वहां पर नारा था "जाट और जाटव भाई भाई, और जाति कहां से आई"। इस प्रकार का नारा था। यह हिण्डौन में पहली घटना है जब कि जाटों में और जाटवों में झगड़ा हुआ। वहां पर किसी प्रकार की घटना पहले नहीं हुई। दोनों समुदाय आपस में मिल कर रहते थे। लेकिन इस घटना को पैदा करने के लिए कौन सी ताकतें, कौनसी शक्तियों, कौन से ऐसे तत्व थे इसकी गहराई में आपने जाने की कोशिश नहीं की। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नगरपालिका के चुनावों के बाद यह बात शुरू हुई। वहां पर बी.जे.पी. की नगरपालिका है, ओम प्रकाश मित्तल वहां बी.जे.पी. के अध्यक्ष हैं उस रात जाटवों के मोहल्ले में जाकर इस बात को कहा कि यह जाट भाई जो इधर से धमाल लेकर जाते हैं, आपकी मां-बहनों को गालियां देते हैं। उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि आप इनकी धमाल मत निकलने दीजिए चाहे जान चली जाय। इसकी जड़ के अंदर यह बात है....(व्यवधान)

श्री अमृत लाल : झगड़ा कराना आप का ही काम है....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप सुनिये, आपके मंत्री जी जवाब दे देंगे। मेरे जो तथ्य सामने आये हैं। मैं तीन तारीख को गया हूं। उन तथ्यों को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई इसमें राजनैतिक प्रेरित होकर बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो सत्य है, यदि सत्य नहीं होता तो रामस्वरूप जाटव को पुलिस अरेस्ट नही करती और यह तथ्य भी साफ है कि भा.ज.पा. के टिकट पर वह लड़ा। यह तथ्य भी सामने है इसलिए मैं कोई राजनैतिक प्रेरित बात नहीं करना चाहता। मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिस घटना को लेकर जाटव समुदाय के घरों को किस प्रकार से जलाया गया। मासूम बच्चों को खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। लोग अंगोछे पहन कर जाटवों के परिवार बैठे हैं। उनके सारे घर जल गये, पहनने के कपड़े जल गये। यहां तक कि किसी जाटव परिवार के घर में शादी होने वाली थी, बच्ची के हाथ पीले

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

करने के लिए बाजार से सामान खरीद कर लाये थे वह सारा शादी का सामान स्वाहा हो गया। इतनी बड़ी जिस प्रकार से जाटवों के यहां आग लगाई गई, यह सुनियोजित षड़यंत्र था। जब एक तरफ पुलिस फायरिंग कर रही थी दूसरी तरफ जाटवों के घरों को आग लगाई जा रही थी। उनकी काफी क्षति हुई है। राज्य सरकार ने ढ़ाई लाख रुपये का मुआवजा आंका है। मंत्री महोदय, आपने स्वयं ने मौका देखा है कम से कम वहां पर मेरा आज भी यह मानना है कि दस लाख से ज्यादा का वहां पर नुकसान हुआ है इसलिए ढ़ाई लाख का मुआवजा कोई वकत नहीं रखता इसलिए जाटवों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाय और जो आदमी पुलिस की फायरिंग से मरा है, यह बात सही है कि पुलिस अगर समय पर फायरिंग नहीं करती तो मण्डावरी में जिस प्रकार पुलिस ने अपनी गलती के कारण नर-संहार कराया, अगर यहां पर पुलिस फायरिंग नहीं करती तो कम से 100 आदमियों की जान जाती और पुलिस की फायरिंग से एक भी आदमी मारा नहीं गया इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन एक बात सही है कि एक तरफ पुलिस की फायरिंग चली दूसरी तरफ जाटव समाज के घरों को दूसरे किनारे से जलाया जा रहा था इसमें कौन ऐसे लोग थे जो षड़यंत्र को रचने में, आग लगाने में काम कर रहे थे। घटना के अंदर जो मालू जाट की हत्या हुई है, सही मायने में वह पथराव की वजह से हुई है और आपने 1500 रुपये की राशि केवल मात्र दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी ने राजस्थान में जान लेने के लिए एक लाख तो पहले ही निर्धारित कर चुके हैं जिसकी जान जाय, राज्य सरकार एक लाख दे देती है क्योंकि सरकार ने यह तय कर रखी है कि एक लाख में जान ली जा सकती है इसलिए आप मालू जाट को केवल मात्र 1500 देना चाहते हो। उसके परिवार को केवल मात्र 1500 सिक्के (व्यवधान)

जिसके घर पर पांच तारीख को शादी होने वाली थी, पंडित दस्तूर का काम कर रहा था उसके घर पर मातम छा गया। उसके भतीजे को किस प्रकार तलवार से मारा गया, उसकी टांग पर तलवार का घाव लगा है, पट्टा बंधा हुआ है तो माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपके पड़ौस में बैठे हैं एक लाख तो इन्होंने जान के पहले ही तय कर रखे हैं इसलिए एक लाख से कम तो उसके परिवार को न दें क्योंकि यह मारा गया पथराव की वजह से। यह पथराव किसने किया, यह तो मैं मौके पर था नहीं इसलिए मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं।

मंत्री महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर कुछ अधिकारी एक जाति विशेष के हैं, कुछ अधिकारी दूसरी जाति विशेष के हैं, हमारी किसी अधिकारी के प्रति कोई शंका नहीं चाहे वहां पर एस.डी.एम., डी.एस.पी. एक समुदाय के हों, चाहे डी.आई.जी. एक समुदाय के हों, उनकी इंटेग्रिटी पर डाउट नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि वहां पर दोनों की समुदायों में शंका बनी हुई है। एक समुदाय सोचता है उसकी जांच सही नहीं होगी, दूसरा सोचता है उसकी जांच सही नहीं होगी और आप सी.आई.डी. सीबी के एडिशनल एस.पी. से जांच करा रहे हैं यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है या

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

तो आपको किसी बड़े अधिकारी से जांच करानी चाहिए। हम नहीं कहते आप न्यायिक जांच करायें या सीबीआई से जांच करायें लेकिन कम से कम उस स्तर से बड़ अधिकारी से जांच करायें, छोटे अधिकारी वहां क्या जांच करेंगे। इसलिए कम से कम जो लोग निहत्थे थे, आज आपने दूसरी कठिनाइयों का जिक्र किया कि उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई दोनों ही समुदायों की, अलग-अलग एफ.आई.आर. दर्ज कराई और एफ.आई.आर. में ज्यादा लोगों के नाम लिखाये गये उनमें कई बेगुनाहों के भी नाम लिखाये गये उनको भी जांच में निश्चित तौर से बचाना चाहिए जिनके बिना मतलब लोगों की रंजिश की वजह से नाम लिखा दिये। कई षड्यंत्र करने वाले लोग सही मायने में बच कर निकल गये तो ऐसी स्थिति में जो बच कर निकल गये हों और पुलिस के घेरे में नहीं आये हों ऐसे तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

सदन के कुछ सदस्यों को शायद यह नाराजगी हो सकती है कि मैंने बी.जे.पी. के सदस्य का नाम ले लिया। सही मायने में मैंने जो तथ्य वहां पर देखे उन्हीं को आपके सामने कह रहा हूं। यह बात सही है कि रामेश्वरी नाम की जो बहुजन समाज की सदस्य है उसके लड़के के घर पर भी हथियार बरामद हुए और वह भी लड़ाई में थी और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर यह हथियार, विस्फोटक पदार्थ मिले किसके यहां? और उस आग को लगाने में कौन सी शक्ति थी इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी लोग इसके अंदर हों उनको पकड़ा जाय, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

(2.00 म. प.)

श्री रामप्रसाद (बैर) : हिन्दुस्तान में ऐसा किसी का इतिहास है जो जाटों के घर में हथियार हो। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाटों के घर में हथियार लगे न हो। आप एक ऐसी जगह बता दीजिए विधानसभा में, मिसाल के तौर पर कि कहीं भी जाटों ने झगड़ा किया हो। मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसी मिसाल बता दें कि कहीं भी जाटवों ने झगड़ा किया हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दिया जाये बोलने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको टाइम दे देंगे। आप बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि झगड़ा कराने में भाजपा के पार्षद का हाथ है। मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार ... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद पेश करूं, साधुवाद पेश करूं कि, ये घटना के तुरन्त बाद पहुंच गये और इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखकर वहां के हालात भेजें। इसे एक दिन पहले विधान सभा के दो माननीय सदस्य, गृह मंत्री जी ने वहां

(श्री हरिसिंह)

भेजें। भिनाय से आने वाले प्रोफेसर साहब और केकड़ी से आने वाले माननीय गड़गूजर साहब। अगर इन दोनों से राय की होती और स्वयं अपनी आंखों देखी हुई बात पर ही अगर विश्वास करते तो शायद पुलिस की आंखों से गृह मंत्री नहीं देखते। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, वह वो नहीं है जो आप अपनी आंखों से देखकर आये हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, वह वो है जो आपने पुलिस की आंखों से देखा है। पुलिस ने जो एफ.आई.आर. नंम्बर 71 दर्ज कराई है वह डीटो आपका स्टेटमेंट उसकी भाषा है। आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बिना सुने मान रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत टेण्डर इश्यू है और मैं टेण्डर इश्यू इसलिए मानता हूं कि राजस्थान के जिस पूर्वी अंचल में और वहां के महत्वपूर्ण कस्बे हिन्डौन में जो दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ है, इसमें निश्चित बात है कि इसमें यू. पी. और आगरा का हाथ है।

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : मैं थोड़ा निवेदन करूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर आवे, तब आप बोलिये। माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ा कुछ नहीं है। दरअसल में झगड़ा यह है कि इसको अगर मैं एक सेंटेंस में सम-अप करूं तो यह समाज के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और मानसिकता का झगड़ा है। एक तरफ सवर्ण मानसिकता जो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी कि धमाल हमारा अधिकार है और गाली-गलौच करना हमारा अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता तो दूसरी तरफ यह मानसिकता कि आजादी के 42 वर्ष होने के बाद भी अगर हम जाटव समुदाय के लोग इस प्रकार गालियां खाते रहें तो तो फिर इस आजादी का क्या अर्थ निकलता है। यह टकराव था बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का। इसके साथ ही इसमें आहूती दी राजनीति ने। मैं आपके सामने ऐसा महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट पेश करता हूं। राजनीति में वे कौन लोग थे, यह जांच का विषय है। एक दिन पहले जाटवों के मोहल्ले में बाहरी तत्व थे और हिण्डौन के तत्व भी मौजूद थे। मैं स्वयं वहां गया हूं। मैंने पूर्ण इसकी डिटेल जांच की है। वे कौन लोग थे जिन्होंने संवत 1988 का महाराजा जयपुर का तथाकथित फरमान जाटव की सराय में पेश किया।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : आप गए थे इसलिए झगड़ा हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस फरमान में एक तरफ जाटवों में जाकर के यह कहा गया कि जाटों की निकलने वाली धमाल में जो लोग आते हैं, वे उनकी बहन-बेटियों को देखते हुए भी वहां गंदे अल्फाज, गाली गलौज निकालते हैं। आप उनका प्रतिरोध करिये और दूसरी तरफ जाट की सराय में जा करके जाट समुदाय के लोगों के सामने डाक्यूमेण्ट पेश किया। उपाध्यक्ष महोदय यह संवत् 1988 का डाक्यूमेंट है। इसमें लिखा हुआ था। नाजुल वहां मुसल–

(श्री हरिसिंह)

मान था, वहां पर थानेदार मुसलमान था, तहसीलदार मुसलमान था और धुलंडी के दिन जुमे का दिन पड़ रहा था और उन्होंने 15 दिन पहले ढिंढोरा पिटवा दिया हिण्डौन में कि धमाल नहीं निकलेगी। वहां के कुछ माननीय सदस्य यहां महाराजा के पास आये और उन्होंने अरदास रिपोर्ट पेश की और फिर महाराजा के यहां से हुकम जारी हुआ कि आज ही मेजरनामा का मुआयना किया गया। निजामत हिन्डौन के नाजिम तहसीलदार तथा थानेदार मनमानी कर रहे थे, इससे इससे जनरल साहब को आगाह किया जाता है कि हिन्डौन जाकर इनकी धमाल और खैर–खुशी एवं राजकीय लवा–जमे के साथ हमेशा की भांति निकलवानी चाहिये। इससे इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत पैदा न हो। यह मेरा अर्जेण्ट आर्डर है। पलटन को हुक्म देकर तत्काल इंतजाम कर देना चाहिये और बाद में नाजिम. तहसीलदार और थानेदार तीनों को नजर कैद कर देना चाहिये। इस डाक्यूमेंट में जाट की सराय में धमाल का दो दिन पहले प्रचार किया गया और उनको यह कहा गया कि यह आपका मौलिक अधिकार है, यह आपका पुरातन अधिकार है, यह आपका वंशगत अधिकार है। यह दोनों तरफ से आग लगी और उसके पीछे कारण है उपाध्यक्ष महोदय, वहां का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका का है और उपाध्यक्ष श्री रामभरोसी लाल जाट, जाट की सराय का है वह जनता दल का है। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : वहां तो भारतीय जनता पार्टी की टिकिट से ही जीते हुए पार्षद हैं, आपको मालूम होना चाहिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : एक अध्यक्ष मिस्टर बेनीवाल हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की टिकिट से लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ एक निर्दलीय केण्डीडेट खड़ा किया है। वे दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह आपके दिमाग की उपज है। इसमें जरा भी सत्यता नहीं है। आप अनावश्यक रूप से इस सबको पोलिटीकल तूल दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जाटव समुदाय के चार नगर पार्षद हैं। एक बी. एस. पी. का है, एक. बी.जे.पी. का है एक निर्दलीय पार्षद है और दूसरे वार्ड का जो दूर वार्ड है, वह भारतीय जनता पार्टी का है। रामभरोसी बेनीवाल का कहना है कि यह जाट लोग मेरे नजदीक आ रहे थे और मैं अविश्वास का प्रस्ताव रखने वाला था और मेरे अविश्वास प्रस्ताव को रोक देने के लिए ही यहां के चेयरमैन ने यह जाट–जाटव संघर्ष कराया। यह आरोप है वहां की जनता का और इसमें निहित स्वार्थी राजनैतिक लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाह रहा हूं सदन को और माननीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर से, कि एफ. आई. आर, जो पुलिस ने दर्ज की है 71 नवम्बर की और जो गृह मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है, उसमें 1500 हथियार बंद लोगों की धमाल का जिक्र है। हिन्डौन में इससे पहले हथियार बन्द धमाल नहीं निकली। मेरा भी हिन्डौन से सम्पर्क रहा है मैंने वहां वकालत की है।

(श्री हरिसिंह)

आपको भी ध्यान होगा कभी हथियार बंद धमाल हिन्डौन में नहीं निकली। और रात से ही दोनों ही समुदाय के लोगों ने थाने में आकर सूचना दे दी थी कि दोनों तरफ तनाव व्याप्त है इसलिए शान्ति व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी प्रशासन की है और इसके बाद से 1500 व्यक्ति धमाल में लाठी, फरसे और भाले लेकर के गये और पुलिस ने उनको अलाऊ किया और जब वहां गाली-गलौज शुरू हुई तो जाटव समुदाय के लोगों ने मकानों पर चढ़कर पत्थर फेंके, इसमें कोई संदेह नहीं है और उस पथराव में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, इसमें भी संदेह नहीं है और 20–25 जाट समुदाय के लोग घायल हुए इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यह घटना दो बार घटी है उपाध्यक्ष महोदय, और गृह मंत्री जी ने इस घटना को सिर्फ एक बार ही घटित होना बताया। यह घटना दिन में दो बार घटी है उसके बाद में चूंकि पुलिस वाले घायल हो गये थे, उनके मन में आक्रोश था, उनके मन में खीज थी, जाटव समुदाय से वे प्रतिशोध लेना चाहते थे और दूसरी बार में धमाल 4.30 बजे निकली है। उसमें निश्चित रूप से बाहरी तत्व थे, यह पुलिस की जानकारी थी कि 15-16 ट्रक बाहरी व्यक्तियों के हिण्डौन आ चुके हैं और हथियारों से लैस हैं और पुलिस की निगरानी में वहां गये। एडीशनल एस. पी. वहां मौजूद था, डी. वाई. एस. पी. सुगनाराम वहां मौजूद था और पुलिस के 15–20 आदमी वहां मौजूद थे और उसके बाद में हथियार बन्द गिरोह को अलाऊ किया। वहां निकलने के लिए अलाऊ किया। वे प्रतिशोध की भावना निकालना चाह रहे थे। यह आपके पूरे प्रशासन का दोष है। जब प्रशासन को यह पता था कि बाहरी तत्व इसमें है, जब प्रशासन को पता चल गया कि पूरे हथियार बन्द लोग हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय उनको क्यों नहीं रोका, यह नौबत क्यों वहां आयी। इन्होंने अलाऊ किया, उनको जानबूझकर के क्योंकि पथराव में जो पुलिस वाले घायल हुए थे, वे उसका बदला पुलिस वाले लेना चाह रहे थे जाटव समुदाय से, उन्होंने निकाला और निकालने के बाद में धमाल में कुछ लोग आगे बढ़ गए पुलिस के संरक्षण में, फिर पथराव शुरू हुआ है और पुलिस ने पीछे से फायरिंग की है और 58 चक्र गोलियां चलाई हैं। यह ऐसे फायरिंग हुआ....

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आर्मी में तोपखाना कवरिंग फायर करता है और उसके नीचे से छोटे–छोटे इन्फेन्टरी लगती है। पुलिस ने 58 चक्र गोलियां चलायीं और नीचे से 24 बोर कट्टे और 12 बोर बन्दूकों से लोग घायल हुए। दूसरी बार की घटना में जाटव समुदाय की तरफ से पथराव में कोई भी जाट समुदाय का या पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ। जितनी भी इन्जरीज आयी हैं वह सब जाटव समुदाय के आयी हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी इन्जरीज आयी हैं वह सब फायर आर्म्स की हैं। मेरे पास 20–22 ऐसे लोगों के नाम है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनी है। उनके छर्रे मैंने खुद उनके शरीर में अपनी आंखों से देखें हैं। पुलिस उनको मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए नहीं ले गई। उनकी तरफ से जो एफ. आई. आर. लिखी गई है वह बड़ी होचपोच है। इसके बाद पुलिस वहां आगे बढ़ गयी, पीछे से करीब 70–72 घरों को आग लगा दी गई। गृह मंत्रीजी आप स्वयं देख कर आये हैं। खाना पकाने

(श्री हरिसिंह)

के बर्तन तक नहीं छोड़े, खुली लूट हुई, कपड़े जला दिये और मैंने खुद ने जिलाधीश व डी. आई. जी. से कहा था कि इन जाटव को आप बर्तन तो मुहैया करवा दो ताकि यह खाना बना लें। वह भी नहीं किया। मैं आपके घर पर मिला और आपने मुझे इमदाद के लिए आश्वासन दिया था। आपने कहा था कि ढाई लाख रुपये की तो हम अभी सोच रहे हैं इसके अलावा और देंगे। मेरा आपसे एक निवेदन और है उपाध्यक्ष महोदय, जाटव समुदाय की तरफ से एक एफ. आई. आर. नम्बर-73 दर्ज है। जब 72 घरों को आग लगाई गई, लूट पाट हुई है तो उनकी हर एक की इन्डिविज्युअल एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की ? क्या यह पुलिस की ड्यूटी नहीं थी ? 72 के 72 आदमी वहां पर एफ. आई. आर. दर्ज करवाने गये और उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की और बदले में उनको वहां पर अरेस्ट करके डाल दिया। पुलिस ने जो खुद ने दर्ज की है वह फॉल्स एवं फेबरीकेटेड एफ. आई. आर. हैं। यह यह बिल्कुल निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां का जो नुकसान हुआ है उसका सही जायजा लें और जो जाटव के लड़के थे मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, यह मण्डावरी से भी बड़ा काण्ड हो जाता, उन्होंने हिम्मत पर खेल करके, जलते हुए घरों में से तीन जाटव महिलाओं को निकाला है। उनमें जाटव के दो लड़के थे। वह पुलिस के नहीं थे और पुलिस ने अपने श्रेय लेकर यह एफ. आई. आर. दर्ज की है कि यह पुलिस वालों ने जलती हुई महिलाओं को निकाला है। यह भी असत्य है। इतना सारा काण्ड हुआ, इतना सारा नुकसान हुआ और मात्र आप ढाई लाख रुपयें की इमदाद दे रहे हैं। मरने वाले मौला जो गरीब, निहत्था धमाल में तो अपनी जन्म जिन्दगी से निकलता चला आ रहा था, 60-62 वर्ष का बुढ्ढा वैसे ही होली की खुशी मनाने के लिए बाहर निकला था, उसके ऊपर पत्थर पड़ा और वह मर गया, उसके बच्चे की दो दिन बाद शादी थी 5 तारीख को, उसको आप 10 हजार 15 हजार की राशि दे रहे हैं। गृह मंत्रीजी स्वयं उसके घर पर होकर आये हैं। आपने उसका जीवन स्तर भी देखा है, उस गरीब मौला के घर पर मेरी समझ में जीवन की आवश्यक उपभोग सामग्री भी उपलब्ध नहीं हैं। पुलिस ने अपनी एफ. आई. आर. में लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, कि जाटव समुदाय के लोगों ने स्वतः ही कण्डों में आग लगा दी, झोपड़ियों में आग लगा दी।

मैं आपसे निवेदन करूं कि वह इतनी खुशहाल बस्ती है, उसमें कच्चे मकान ही नहीं हैं उसमें पक्के मकान है जाटवों के। मकानों के पीछे से दीवारें तोड़-तोड़ करके अन्दर मकानों में घुस-घुस करके सामान को जलाया हैं। इतने सारे मकान जले और उसके लिए आप सिर्फ ढाई लाख रुपये का मुआवजा दे रहे हैं, यह "ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है"। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी एक और भयंकर आशंका बनी हुई है। एक तरफ मौला के मरने का आक्रोश और उसके पीछे भी एक मानसिकता काम कर रही है कि मार्शल देश का आदमी अनु-

(श्री हरिसिंह)

सूचित जाति के आदमी ने मार दिया। मैं उन अल्फाजों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, जो गांव का आदमी कहता है, वह प्रयोग में नहीं लेना चाहता लेकिन मानसिकता यह है कि मार्शल देश का आदमी अनुसूचित जाति के लोगों ने मार दिया। हम कहां जाये, हमें जीने को जगह नहीं है। मैं यह वजन आपके ऊपर डालता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह काम करवा सकते हैं। वहां पर जाटों की चौरासी है। आपका सम्मान करते हैं सभी लोग। आप चौरासी की पंचायत करवाइये। मैं हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य और भाई लड्ढाजी को भी निवेदन करता हूं कि वहां पर जाटव की 360 गांवों की पंचायतें हैं। वो जाकर के वो पंचायत करें। यह पंचायतें अलग-अलग हों और दोनों समुदाय को इस बात के लिए तैयार किया जाय कि राजीनामा कर लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, फिर इनकी सम्मिलित पचायत हो, आपके ही नेतृत्व में हो। आपके जन हित का काम है, आप सम्भाले नहीं तो बहुत बड़ा इसमें विनाश होने वाला है तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं और उसके बाद में राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय कि दोनों समुदायों के खिलाफ जितने भी मुकदमें दर्ज हैं उन सबको वापस ले लिया जाय और इनका राजीनामा करवाया जाय। इतना ही निवेदन करके मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल (अनुपस्थित)

श्रीमती रमा पायलट (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हिण्डौन का काण्ड उठाया जा रहा है, यह वास्तव में बहुत ही दुःख की बात है क्योंकि हिण्डौन के अन्दर, एक–दो समुदायों के अन्दर एक बहुत बड़ी खाई डाल दी गई है। जाट और जाटव जो हमेशा भाई के रूप में रहते थे, एक भाई का नारा दिया करते थे। कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, कुछ अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, कुछ गुण्डों तत्वों ने फायदा उठाने के लिए इन दोनों को लड़ा दिया। होली का त्यौहार हिन्दुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। वह होली उन गरीब के घरों में जला दी गई। यह इतना बड़ा काण्ड प्रशासन की आंखों के सामने हो जाय, चाहे राज किसी का भी हो लेकिन जो असलियत होती है उसको तो सबको देखना पड़ता है। होली के दिन क्या बीती होगी उन परिवारों पर जिनके घर के आदमी मर गये होंगे, जिनके घर जल गये होंगे, जिनकी बच्ची की शादी का सामान होगा, जिन बहिनों के भाई घायल हुए होंगे। ऐसा बड़ा ताण्डव नृत्य होली के त्यौहार के दिन हिण्डौन के अन्दर खेला गया और उसके ऊपर आज हम सदन के अन्दर उस बात पर, सबसे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सब लोग मिल करके दो आंसू भी नहीं बहा रहे हैं। यह मामला कोई हिण्डौन का ही नहीं है, यह मानवता का तकाजा है, मानवता के साथ अन्याय हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं देश, प्रदेश और राज्य के अन्दर बढ़ रही

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं। इसके नतीजे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इसी का परिणाम हिण्डौन में निकला है, इस तरह का काण्ड हुआ। आज सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? जो प्रशासन वहां पर बैठा हुआ है उसकी क्या जिम्मेदारी है उस बात का पता तो इस काण्ड से लग जाता है। एक दिन पहले दोनों वर्गों के अन्दर कुछ बातें हुई, कुछ तनाव हुआ, कुछ कड़वी बातें पैदा हुई, मिठास में कड़वापन पैदा हुआ और प्रशासन को इस बात का पता लग गया कि दोनों वर्गों के आपस में झगड़ा हो सकता है तो प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की, उसके बावजूद भी प्रशासन चुप क्यों बैठा रहा ? अगर चुप नहीं बैठता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रशासन ने वहां इतनी लेट व्यवस्था की जिससे इतना बड़ा काण्ड हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने स्वयं ने भी मौका देखा है, मैं स्वयं भी मौके पर गया हूं, मैंने वहां के हालात को देखा, मैंने भी वहां पर 12 साल तक वकालत की है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप इस बात को कैसे भी तोड़-मरोड़ कर कहें लेकिन वास्तव में यह सारा मामला प्रशासन का है। एक दिन पहले जब सारे काण्ड का प्रशासन को पता लग गया था कि अब यह बहुत बड़ा काण्ड बन सकता है उसके बावजूद इतने सारे लोगों को हथियार लेकर के, प्रवेश करवाना, दोनों तरफ के लोगों में जो कहा सुनी हुई, वह आप सुनते रहे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन ने वहां पर गोली चलाई तो यह गोली चलाने की नौबत क्यों आयी ? क्या गोली चलाने से पहले पुलिस प्रशासन वहां पर अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़ सकता था ? माननीय गृह मंत्री जी बतायें कि अश्रु गैस का प्रयोग क्यों नहीं किया ? अश्रु गैस के गोले अगर छोड़े जाते तो इतना बड़ा काण्ड नहीं होता। पुलिस प्रशासन ने वहां पर गैस के गोले छोड़ने का हुक्म क्यों नहीं दिया ? इस प्रकार की बात अब तक आयी हो कहीं भी तो माननीय गृह मंत्रीजी बता दें। जब पुलिस प्रसासन सो रहा था, अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़े थे, दोनों तरफ से गाली-गलौच हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, लाठियां बरसाई जा रही थी, ऐसा ताण्डव हो रहा था और पुलिस प्रशासन देख रहा था....इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा ? इसके लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो यह प्रशासन है। चारों तरफ आज काण्ड होते चले जा रहे हैं और प्रशासन के नाम पर सब लोग चुप्पी लगा जाते है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार पुलिस प्रशासन में ढिलाई आई तो आपका और हमारा जन-प्रतिनिधियों का जीना दुर्लभ हो जायेगा। आज तो बीती है उन जाट और जाटवों बिचारों पर और कल आप और हमारी, सबकी भी यही हालत होगी। पहले भी इस प्रकार के हालात हमारे देश के अन्दर हो चुके हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन, वहां के प्रशासन को, जिसको पता था कि बहुत बड़ा काण्ड होगा, होली जुलाई जायेगी और फिर भी पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर नहीं की। काण्ड

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हो गया, उसके बाद रवाना हुए हमारे अधिकारी महोदय। वे रवाना होने के बाद चार घण्टे के बाद, मौके पर पहुंचे। क्या चार घण्टे तक वे तमाशा देखते रहे ? सुबह 11 बजे जुलूस शुरू हुआ था। शाम को छह बजे तक यह काण्ड होता रहा। उसके बीच में इन लोगों ने क्या किया, इस बात का जिक्र माननीय गृह मंत्रीजी ने कहीं पर भी नहीं किया है। ठीक है, उन लोगों के भी चोटें आई हैं। लड़ाई होती है तो पुलिस प्रशासन के भी चोटें आती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिर में इतना बड़ा काण्ड क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इस बात पर भी गौर किया जाय। इस बात को विशेष रूप से देखा जाय।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो जाट–जाटवों के अन्दर भारी नुकसान हुआ है, पचासों घरों को जला दिया गया है, उनके घरों का सामान जला दिया गया है, अनेक लोगों के गम्भीर चोटें आई हैं, तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो गम्भीर रूप से घायल हैं, एक व्यक्ति की जान चली गई है, बिल्कुल। वह 70 वर्ष का बूढ़ा जिसकी जान गई है, बताते हैं उसने पत्थर फेंका था। एक 70 वर्ष का बूढ़ा पत्थर फेंकेगा ? इस प्रकार की बात घुमाकर कही गई है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को नाकाब किया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 70 वर्ष के बुड्ढे को जो मारा गया है, वह भी बिल्कुल गलत हुआ है, एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भी क्यों न सहायता दी जाय ? निश्चित सहायता दी जाय उस व्यक्ति को। उसको सहायता क्या दी जाय, इस बात की तो कोई कीमत ही नहीं है। जिसकी जान गई है, वह बेचारा एक निर्दोष। झगड़ा हुआ किसी में। झगड़ा किया किन्हीं गुण्डा तत्वों ने और एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाय और उसकी कीमत को आप आंको एक लाख रुपये से। क्या होगा उसके बच्चों का भविष्य ? जो बच्चे आज उसके घर में विलाप कर रहे हैं, वह माता जो विलाप कर रही है उसकी घर वाली जो विलाप कर रही है, उन पर क्या बीतेगी, आप अन्दाजा लगा सकते हैं इस बात का। इसलिए एक लाख रुपये कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, उसके परिवार को रोजगार दिया जाय। उसको एक लाख नहीं 10 लाख रुपया दिया जाय। उसके घर के व्यक्ति को नौकरी दी जाय। उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिये हम सब जो सदन मे बैठने वाले माननीय सदस्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं भी वहां पधारें और जिन लोगों के आग लगाई गई है, जिनके घर के लोग मरे हैं, उनके बच्चों के घर आप स्वयं पधारें और उन लोगों को हम जाकर के सांत्वना दें इस बात की कि हम आपके साथ हैं। यह कोई पार्टीबाजी का मसला नहीं हैं। इस प्रकार हम पार्टीबाजी में मसले को लेकर एक दूसरे का बचाव करते रहे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आने वाला भविष्य हम सब के लिये खतरनाक होगा। इसलिये हिण्डौन काण्ड इस बात को साबित करता है कि यह जातिवाद के झगड़े जो प्रशासन की ढिलाई के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं, ये इसी प्रकार बढ़ते गए तो पंजाब जैसी हालत हिण्डौन, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर हो जायेगी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इसलिये, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं सख्ती से काम लें, इस बात की ओर जो इतना बड़ा काण्ड हुआ है, इसकी न्यायिक जांच करवाये आप। जो व्यक्ति दोषी पाये जाते हैं, जिन व्यक्तियों के यहां अनेकों प्रकार के हथियार मिले हैं, अवैध हथियार मिले हैं, ऐसे अवैध हथियार मिलने वाले लोगों के साथ क्या किया पुलिस ने ? कह दिया कि मुकदमा दर्ज कर लिया उन लोगों के खिलाफ। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के अवैध हथियार लेकर के जब लोग घूम रहे थे, अवैध हथियार चल रहे थे तो क्या पुलिस उनको उस समय रोक नहीं सकती थी ? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी उनको रोकने की ? इतना बड़ा काण्ड होने जा रहा था और पुलिस को खाली पत्थरों की मामूली चोटें आएं और यह कह कर दूर हो जाय कि पुलिस भी घायल हुई है, मैं कतई इस बात को नहीं मानता। अब यह आपस की बात है। यह सबसे बड़े काण्ड की अगर कोई जिम्मेदार है तो जिला प्रशासन और वहां की पुलिस है। मैं आपको सख्त कह देता हूं इस बात के लिये। किसी भी जाति का कोई दोष नहीं है इसके अन्दर। यह इतनी ढिलाई के कारण हुआ है।

त्यौहार था धुलण्डी का। हमेशा की तरह त्यौहार मनाया जा रहा था। पहली बार ऐसी घटना हुई वहां पर। इसका एक मात्र कारण यह है कि पुलिस प्रशासन ने ढिलाई की।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहां पर इस प्रकार की बात सामने नहीं आती थी जिसके कारण यह झगड़ा हुआ।

मैं अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय, जिन लोगों के घर जले हैं, उनको घर बनाकर दिये जाय, उन लोगों को एक लाख रुपये के बजाय पांच-पांच लाख रुपये दिये जाय और जिनके बच्चे घायल हुए हैं जिन लोगों को क्षति हुई है, उनके लिये आवश्यक हर प्रकार की प्राथमिक सहायता दिलायें और जो व्यक्ति मरा है, उसको भी सहायता दिलाई जाय, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन, वहां के प्रशासन की अगर इस प्रकार ढिलाई बढ़ती चली गई तो यह काण्ड दुबारा और भी भयानक रूप धारण कर सकता है। आप यह मत समझना कि यह काण्ड शान्त हो गया है। आप एक बार मौका देखकर आ गये माननीय गृह मंत्रीजी, आपको यह पता नहीं है कि अब भी तनाव बना हुआ है वहां पर। दोनों वर्गों में कितनी बड़ी खाई बना दी गई है। इसलिये आपकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के हिण्डौन चलें और चलकर के दो समुदायों के बीच जो खाई बनी है, इसको पाटें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो।

इसलिये मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी यहीं घोषणा करें कि कितने लाख रुपये की सहायता दी जायेगी, न्यायिक जांच होगी या नहीं होगी और हम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सब मिलकर कौनसी तारीख को हिण्डौन चल रहे हैं तब इन दोनों वर्गों में राजीनामा कराये, वो तारीख भी यहीं तय की जाय, यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसी लालजी।

श्री भरोसी लाल जाटव (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौन में 1–3–91 को जो दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तीन तारीख को हमारे गृह मंत्रीजी हिण्डौन पहुंचे, उसके लिये मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं।

इसके बारे में हमारे करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने ओम प्रकाश मित्तल पर जो आरोप लगाया है, यह बिल्कुल निराधार है। यह किसी का नियोजित षडयंत्र नहीं था इसमें दोनों पक्षों का आपस में जब धमाल निकल रही थी, साढ़े ग्यारह-बारह बजे की बात है, तो उस वक्त ऐसी कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं थी। जाट समुदाय के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही लिखित सूचना दे दी थी लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया। यदि पुलिस प्रशासन चुस्त होता तो यह झगड़ा टाला जा सकता था। इसके बावजूद दो समुदायों में आपस में पत्थर फिंके। पत्थर फिंके 4–सवा चार बजे। साढ़े तीन-चार बजे एडिशनल एस.पी. करौली हिण्डौन आये। उसने मेरे घर टेलीफोन किया। मैं घर पर मौजूद नहीं था। मैं गांव गया हुआ था। तो मेरे को इस बात की सूचना सवा सात बजे जिलाधीश महोदय सवाई माधोपुर ने टेलीफोन से दी। जब मेरे को बुलाया तो मैं घर गया। तो उन्होंने वहां पर कहा कि यहां पर बहुत नुकसान हो गया है, हरिजनों के कम से कम 80-85 घर जल गये है, 86 घर, इसके बावजूद 40–50 लोगों को जो चोटें आई हैं, वह बहुत ज्यादा तादाद में आई है। मैं और जिलाधीश महोदय हास्पिटल पहुंचे तो वहां जाट समुदाय के 40–50 लोग घायल हुए थे। उनकी पट्टी-मरहम, डाक्टर को बुलाया और उनका डाक्टरी मुआयना कराया। एस.डी.ओ. ने पुलिस की गाड़ी भेजकर जाटव समुदाय के लोगों को, क्योंकि वे भयभीत थे, उनको भी वहां पर हास्पिटल में बुलाकर उनकी पट्टी करवाई।

इस मामले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ज्यादा हाथ है, वह पुलिस प्रशासन का है। थानेदार ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वह बिल्कुल गलत दर्ज कराई है। इसमें जो झगड़ा हुआ है, उसमें मृतक के परिवार को कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 58 लोगों की रिपोर्ट दी है, उसमें 86 परिवार आगजनी और लूटमार से पीड़ित हैं। उनको उनके नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाय। गृह मंत्री महोदय ने स्वयं ने मौके पर जाकर देखा है। जिन व्यक्तियों को असत्य केस में फंसाया गया है, चाहे दोनों पक्ष के हो, उनको बिल्कुल निकाला जाय। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोयय, यह झगड़ा जो हुआ है, होली पर हुआ है। दोनों समुदायों और सभी समुदायों की होली जाटव बस्ती में जलती है। इसमें एक ही उपाय है कि दोनों समुदाय द्वारा अलग होली की जगह चुन ली जाय और जो आम रास्ता है, उसका दूसरा कोई पुलिस प्रशासन, प्रशासन उस रास्ते को तय

(श्री भरोसी लाल जाटव)

करें जिससे हल इसका निकाला जा सके। आगे आने वाले समय में दोनों समुदायों में झगड़ा न हो। मैं इतना ही इस मामले में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह जी।

श्री गोविन्द सहाय : नगरपालिका चैयरमेन पर यह आरोप लगाया कि उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस आ रहा था इसलिए झगड़ा कराया यह बिल्कुल असत्य है। मैं तीन तारीख को स्वयं मौजूद था, माननीय सदस्य भी मेरे साथ थे, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री आये थे उनके साथ भी लोग थे। यह आरोप है कि बी.जे.पी. का चैयरमैन है और उन्होंने यह झगड़ा कराया है यह बिल्कुल गलत है, असत्य है, राजनीति से प्रेरित है, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए ....

श्री उपाध्यक्ष : शांति कैसे हो, अपने को उस पर विचार करना चाहिए। तनाव कैसे खत्म हो, उस पर विचार करना चाहिए।

श्री गोविन्द सहाय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह कह करके गलती दोनों समुदायों की है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। सबसे अधिक बाहर से आने वालों की है। कोई कांग्रेस के भूतपूर्व एम.एल.ए. हैं उनका लड़का गुड्डू उसने आकार के जाटवों को उकासाय है ....(व्यवधान)

वह कांग्रेस के एम.एल.ए. थे और उसका लड़का हिस्ट्रीशीटर है उसने आकर सारा झगड़ा कराया और उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात सही हो सकती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा कांग्रेस और बी.जे.पी. का हो रहा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसको राजनैतिक नहीं बनायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आरोप-प्रत्यारोप शुरु हुए इससे लगता है कि झगड़ा अब इस तरफ जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये असत्य मुद्दे से हट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको गम्भीर बनायें। माननीय नत्थी सिहजी।

श्री नत्थी सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को मैं और मेरे साथी....

श्री गोविन्द सहाय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यानि मैं स्वयं गया हूं। अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है और मैं स्वयं देखकर आया हूं कि गलती किसी की है। किसी का आदमी मरा, पर अब सब जाने दीजिए। दोनों को बैठाकर के बतायें कि झगड़ा गलत है। उनको बैठा करके, विचार करके राजीनामा करना चाहिए....

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजीनामे की बातचीत के लिए मैंने उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब मिलकर सहयोग करें तो ठीक है । छींटाकसी नहीं करें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सबको इस मामले में सहयोग करना चाहिए ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अपने जो प्रक्रिया के नियम हैं उसमें नियम 290 के तहत जब मंत्री महोदय कोई स्टेटमैण्ट देते हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं पर अब भाषण हो रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलत कह रहे हैं । (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि हाउस का और भी बहुत काम बाकी है । नियमों की पालना आवश्यक है । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन नियमों से ही नहीं परम्पराओं से भी चलता है आपको मालूम नहीं है परम्पराओं का । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : ये आपको अब याद आया क्या भाषण ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थी सिंह जी। माननीय सदस्य ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना घटने के बाद मैं और मेरे साथी रामेश्वर जी यादव, डाक्टर चन्द्रभान, भरोसीजी और रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य निर्भयलालजी मौके पर गये । घटना जो हुई बहुत बुरी हुई, आदमी मरा, नुकसान भी बड़ा भारी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यह जो जाट और जाटव दो समुदायों की बात कही जा रही है यह महान असत्य बात है । जो धमाल है उसमें सब कौम जाती हैं । अब तक जाटव भी उसका स्वागत करते थे, धमाल में शामिल होते थे, यह झगड़ा जो हुआ है वह इसलिए हुआ है कि ब्रज की एक संस्कृति है, जिसमें गाना गाते हैं, रसिया गाते है, धमाल गाते हैं उसको आज की नई जनरेशन गाली के रूप में लेती है, बर्दाश्त नहीं करती है और एतराज होता है और यह एतराज रात को ही हो गया था, जिस दिन रात को होली जलती हैं उस दिन जब आग लेने गये थे तो कहा जाता है कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी पुलिस में कर दी गई । अगर पुलिस प्रशासन सतर्क होता, उसकी इण्टेलीजेंस चुस्त होती और यह पता लग जाता कि इस तरह का तनाव है तो आठ आदमी उसमें नहीं जाते, उस धमाल के साथ आठ आदमी नहीं जाते, ज्यादा पुलिस फोर्स इकट्ठी करते और उससे पहले ही दिन दोनों समुदायों के सदस्यों को बुलाकर बात करते और उनके मानस में जो तनाव था उसको दूर करते जो यह नहीं किया गया । इसलिए सबसे पहला जो फैल्योर है, जो पहली असफलता है वह प्रशासन की है जिसने इस तरह की अग्रिम कार्यवाही नहीं की, नहीं तो यह दुर्घटना नहीं घटती ।

हम मौके पर वहां गये हैं, आदमी मरा है, रिपोर्ट तो कई तरह की है कि वैसे ही मर गया वो टी.बी. का मरीजा था, लेकिन आदमी जो मूसल होता है उसकी चोट से मरा है । 65 वर्ष का बुजुर्ग था, धमाल में

(श्री नत्थी सिंह)

जा रहा था निहत्था था उससे मरा है। अभी गृहमंत्रीजी ने कह दिया कि जाटवों, सारा ऐसा नहीं है, नुकसान कम हुआ है। ऐसे भी घर हमने देखे हैं जहां कुछ नहीं रहा है, सब तहस नहस हो गया, पट्टी टूट गयी, दीवार टूट गयी, सारा सामान जल गया। विधवा औरत के यहां शादी थी लड़कों की दो दिन बाद। उसके यहां कुछ नहीं रहा, एक अन्य मृतक के बच्चे की शादी भी दो दिन बाद थी उसके यहां भी कुछ नहीं बचा। इस तरह का ताण्डव मचा है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। दूसरी बात जो है, वहां दोनों समुदाय जो कहते हैं, जाट, ब्राह्मण, चतुर्वेदी, कौली, दूसरे लोग जो धमाल में थे वह सब चाहते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो। दोनों समुदायों के लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

इसमें एक सबसे बड़ी बात हुई है आपने 15 हजार की बात कही वह बहुत गलत है। इसलिए मुआवजे के लिए हमारे माननीय सदस्य ने पांच लाख की बात कही है लेकिन अवश्य ही लाखों का मुआवजा आप देते हैं। इसलिए 15 हजार का मुआवजा मा. दिग्विजय सिंह जायें, हमारे आपके सम्पर्क कम हो गये तो आप पर ऐसा गलत असर पड़ गया कि आप संवेदनशील नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख है कि हमने आपको इतनी छूट दे दी कि आप +++ में पड़कर संवेदनशील न रहे, संवेदनहीन हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि मृतक को लाखों की तादाद में और जो नुकसान हुआ है ढाई लाख रुपये, आप कहते हैं, आपकी सरकार की रिपोर्ट है 58 घर जले, हम मौके पर गये हम कहते हैं कि 86 घर जले, सरकार इसकी सही जांच कराये, चालीस-पचास घरों में तो हम गये हैं। भारी नुकसान हुआ है। उनका पूरी तरह मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है।

एक बात और गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपने जांच तो करा दी, जांच हो रही है लेकिन आपने कहा कि चार मुकदमें बने हैं लेकिन क्या आपका प्रशासन इतना सतर्क था कि जो आदमी मरा है उसके लिए आपने खुद ने कहा है कि हम करौली के अस्पताल में दाखिल कराकर आये, यह अभी आपके बयान में आया है कि सुबह 6 बजे उसकी मृत्यु हुई। मैं जानकारी करना चाहता हूं, मुझे बताया गया है कि मरने से पहले तक वह होश में था, क्या उसका मृत्यु पूर्व बयान लिया गया है? क्यों नहीं लिया गया? क्या उसकी डाइंग डिक्लेरेशन हुई है? इतना बड़ा लेप्स क्यों है? क्या आप किसी तरह से जांच सही करना चाहते हैं? आदमी को रात को डेढ़-दो बजे उसको चोट आयी है, उसके बाद आप अस्पताल में ले गये, रात भर वो रहा है, सुबह 6 बजे वह मरा है और उसका मृत्यु पूर्व बयान नहीं लिया गया। इसका मतलब आपका प्रशासन सतर्क नहीं था, जाम हो गया था। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जांच सही हो, वहां से उसको हटा दिया अच्छा किया। निष्पक्ष जांच हो। आज इसलिए इतने आदमी दोनों तरफ से दिख रहे हैं, उन सब लोगों को सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है दोनों

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नत्थीसिंह)

तरफ के इतने आदमी निर्दोष लिखा दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही पूरी हो लेकिन निर्दोष नहीं फंसें। इसका जिम्मा भी लेना पड़ेगा। तनाव में पहले से कमी आयी है। हम लोगों ने दोनों मोहल्लों में जाकर पंचायतें की है। हम चेयरमैन से भी मिले हैं, वाइस चेयरमैन से भी हम मिले हैं, राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिण्डौन के लिए और कस्बे के लिए, सारे वर्गों के लिए जरूरी है कि तनाव मिटे। हमने कहा आप कमेटी बनायें लेकिन एक अच्छी बात हुई है। हम और आप जानते हैं कि जहां ऐसा झगड़ा होता है तो उसका विस्तार करने की कोशिश होती है लेकिन मुझे खुशी है कि यह झगड़ा जिसे अखबारों ने भी जाट-जाटव झगड़ा लिख दिया, समुदायों का झगड़ा लिखते बात अलग थी और हमारे गृहमंत्री महोदय ने बयान में भी इस बात को दोहरा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 84 गांव की बात कही गयी है इतने लोगों का वहा पर जमाव है लेकिन एक भी गांव में इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैं हिण्डौन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संयम बरता है और गांवों में पूरा सौहार्द्र हैं, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस झगड़े को मिटा दें। अभी 88 का डाक्युमेण्ट दिखाया गया। यह बात सही है कि वो 88 का डाक्युमेंट दिखाते हैं लेकिन हम बैठकर के यह होली का त्यौहार जो सबका त्यौहार है, जाटव भी मनाते हैं, वे भी मनाते है कि हमारा त्यौहार है, यह बंद नहीं होगा, दूसरे भी मानते हैं, मनायें, लेकिन किस प्रकार मनायें, क्या सुधार लाया जाय, इस बात को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें पहल प्रशासन, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को करना जरूरी है। मैं जानता हूं कि इसमें राजनीति क्या है? वह सब बखान करना नहीं चाहता। वहां जीतता जनता दल का आदमी है, पीड़ा इस बात की है और जाट जाटव वर्ग उसको वोट देता है, यह बात कैसे बने, इनमें तो झगड़ा हो और हमारी तुक लग जाए यह बात दिमाग में पीछे है। सुनियोजित राजनैतिक षडयंत्र इसमें है यह मैं नहीं कहता लेकिन यह दिमाग में हैं। इसलिए इस फिजां को हम बदलें और जो पीड़ित हुए हैं, शोषित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो मरे हैं, उन सबको पूरी राहत दें और सद्भावना कायम करने का प्रयास करें यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा नाम है। मेरा प्रस्ताव भी है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी घटनास्थल पर गये थे। क्या जिनका नाम है उनको ही बोलने दिया जायेगा या जो घटना स्थल पर गये थे वो लोग नहीं बोल पायेगें? उनको भी पूछने का मौका देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न करना हो या कोई बात छूट गयी हो।

डा. चन्द्रभान : हमको प्रश्न करने की इजाजत दे दीजिए। उनको तो भाषण की इजाजत देते हैं लेकिन हम को प्रश्न करने की इजाजत भी नही देंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा, सरकार से इस बात की मांग करूंगा कि इस झगड़े को समाप्त किया जाये। दूसरी बात यह है कि शामलात जो होली जलती है, उसको भी अलग-अलग किया जाये। तीसरी बात यह है कि धमाल जो जाटवों के मोहल्ले में से होकर जाते हैं दूसरी जाति के लोगों को उधर नहीं जाना चाहिए, इस बात पर भी सरकार पाबन्दी लगाये। तीन बातें तो मेरी यह हैं। कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग बातें कहीं हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं असलियत को बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे जाटव जाति के लोग हैं, वह बिल्कुल निहायत गरीब हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसी जाति के लोग हैं, जो आपके लिए सड़क, मकान और कुएं बनाते हैं। आपके सारे कामों को हम लोग करते हैं, हमारी जाति के लोग करते हैं और दूसरी ओर वह लोग शक्तिशाली हैं, उनके पास सब हथियार मौजूद हैं। (व्यवधान) यह तो डाक्टर भीमराव अम्बेड़कर संविधान बना गये, आप लोग तो बनाने ही नहीं देते। (व्यवधान) हमसे तो आप लोगों ने बेगार करवाई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो यह है कि जो वहां का चेयरमैन हैं, उस पर आरोप लगाया गया है। हमारे भी कई साथियों ने लगाया है और भी अन्य लोगों ने लगाया है लेकिन चेयरमैन का बिल्कुल दोष नहीं है। चेयरमैन ने जाटव जाति के लोगों की मदद की है। चाहे कोई भी नाराज हो, चाहे वह मेरे साथी हों या और कोई हों, मैं सही बात को सही कहूंगा। वहां के चेयरमैन ने हमारी जाति के लोगों की मदद की है और झगड़ा तो और भी ज्यादा बढ़ता लेकिन वह तो चेयरमैन की हिम्मत थी जो झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा। दूसरी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी आपके सामने लाना चाहता हूं कि जो वहां के अधिकारी हैं, वह एक ही समुदाय, जाति के हैं। उन्होंने जान–बूझकर झगड़ा करवाया है। वे कोई भी हों, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। वहां एक ही जाति के लोग लगे हुए हैं। उनको वहां से तुरन्त हटाया जाये। उन्होंने जाटवों में जाकर गोलियां चलाई हैं। जितनी गांव के लोगों ने गोलियां नहीं चलायीं, मारपीट नहीं की जितनी उन्होंने की है। दूसरी बात यह है कि जाटवों के 80-85 घरों में आग लगाई गई है, जिनके साथ लूट-पाट किया है, जिनके टेलीविजन गए है, जिनकी सोने की जंजीर गई है, जिनकी चांदी की चीजें गई हैं, जिनके सारे गृहस्थी के सामान को लूट लिया गया है, जिनके कपड़ों में आग लगा दी गई है, उनके पक्के घरों में घुस-घुसकर सारे सामान को लूट ले गये हैं और इस तरह से वहां हाहाकार मच रहा है। वहां के लोग, जो गांव के गरीब हैं, वह गांवों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आज यह स्थिति बनी हुई है। आप वहां जाकर देख लीजिए, हम भी जायेंगे और अब भी जा रहे हैं और गये भी हैं, वहां स्थिति बहुत भयंकर है। कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए माननीय गृह मंत्रीजी कि एस. सी. के लोगों ने आजादी से लेकर आज तक कहीं भी कोई दंगा किया हो। वह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अपना पेट पालते हुए झगड़ा कहां करेंगे। उनके पास कोई भी बंदूक, लकड़ी, फरसा, तलवार नहीं है और असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं और यह भी असत्य है कि आगरा, भरतपुर और बयाना के कोई लोग गये हैं। बयाना के लोग जरूर गये है। बयाना के लोगों की कम से कम ढाई सौ, तीन सौ रिश्तेदारी है हिण्डौन में, हमारे यहां के सभी लड़के धमाल देखने जाते हैं। जाटव जाति के दो लड़के थे, जिनको बिना वजह पकड़ लिया गया है, केस बना दिया गया है। एक का नाम सत्यप्रकाश और दूसरे का नाम ब्रजेश है। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों लडकों को बिना वजह पकड़ लिया गया है। दोनों लड़के अपना नाना मामा के यहां गये थे। उनको पुलिस ने रात के 11-12 बजे पकड़ लिया, उनके खिलाफ केस बना दिया गया है, उनको छुड़वाया जावे।

तीसरी बात यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह झगड़ा चल रहा है, जाट भी हमारे आदमी हैं, हमारा और उनका झगड़ा किस बात का है। हमसे क्यों झगड़ा करते हो ? हम झगड़ा करने वाले नहीं हैं। आपकी बेगार करें, अब एम. एल. ए. बन गये हैं। लड्ढा आपने फलाना काम क्यों नहीं किया। हम तो आपकी वैसे ही बेगार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के साथ जो ज्यादती होती हैं, हमारी बारातों को भी चढ़ने नहीं दिया जाता है, बड़े ताज्जुब की बात है। आज प्रजातंत्र को 40 साल हो गये। कहीं बारात चढ़ेगी एस. सी. के लोगों की तो चमार की बारात नहीं चढ़ेगी, प्रजातंत्र में यह क्या बात है। अब इतने दिन प्रजातंत्र को हो गये, राज किसी का भी रहा हो, चाहे कांग्रेस का हो, बी. जे. पी. का हो, जनता दल का हो इस बात से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरा लेना-देना तो इस बात से है कि एस. सी. के लोगों की बारातों को चढ़ने नहीं दिया जाता है, यह क्या बात है ? सरकार इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाती है ? सरकार इस पर कानून बनाये कि एस. सी. के लोगों की बारातों को क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता है और कई बातें ऐसी हैं उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता दल के नेता आदरणीय नत्थीसिंहजी, जो हिण्डौन गये, इन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने यह कहा है कि जाटवों ने झगड़ा किया है, यह बिल्कुल गलत है। जाटवों ने कोई झगड़ा नहीं किया है, मैं इसका खंडन करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने यहां बोला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कल के "अमर उजाला" में लिखा है, उसकी कटिंग मौजूद है। मैंने प्रद्युम्नसिंहजी को दे दी है। आज इस तरह का भेदभाव नेताओं में है। नेता क्यों भेदभाव करते हैं ? आज नेता वोटों में भी भेदभाव करते हैं। क्या हम लोग आपको वोट नहीं देते, या हम लोग आपके साथ नहीं रहते। हमारे साथ इस तरह का अन्याय क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे 80 लोगों के जो घर जल गये हैं, उनको जल्दी से जल्दी सहायता मिलनी चाहिए और जो बदमाश और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हिस्ट्रीशीटर हैं, उनको एक को भी नहीं पकड़ा है। चाहे वह किसी भी जाति के हों, हिस्ट्रशीटर हैं और मैं इस बात को भी अलग से गृह मंत्रीजी को बता दूंगा, कि उनके घर पर सामान जमा है। आज भी लूट का सामान उनके घर पर हिण्डौन में जमा है। उन लोगों का सारा सामान सोने की चीज और भी जितनी चीजें हैं, सबको लूटकर एक जगह इकट्ठा कर रखा है। वह उसको देंगे नहीं, उसको बांटेंगे और बांटकर खा जायेंगे। इस बात की सरकार जांच करे और मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, सी. आई. डी. से। सी. आई. डी. से नहीं, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जो सबसे बढ़िया जज है, उससे जांच करायें। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। सी. आई. डी. और उसमें फर्क क्या है। सी. आई. डी. वाले वही रिपोर्ट दे देंगे। आज पुलिस ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है, मैं कहना चाहूंगा पुलिस ने खुद जाकर जाटवों पर गोली चलाई है और कम से कम 40–50 चक्र गोलियां चलाई है पुलिस ने जाटवों पर....

श्री उपाध्यक्ष : आ गई यह बात।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पुलिस ने सबसे ज्यादा अत्याचार किये हैं और पुलिस दोषी है, उसको नहीं बख्शा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निर्भयलाल जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपको इन्हीं बातों को कहता हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो जाट जाति का आदमी मरा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रसादजी समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मिनट तो कई घंटे के हो जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मिनट लूंगा। क्या देर लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हमारी बात समझो। ऐसा है कि हमारे नेता नत्थी सिंहजी ने जो यह आरोप लगाया है कि धनकुटा से वह आदमी मरा है, धनकुटा से नहीं मरा वह, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रभान : यह रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपोर्ट में आप कुछ भी कर दें, वह पत्थर से मरा है। किसी को पत्थर लगा, यह नहीं कहता कि पत्थर किस जाति का लगा हो, वह पत्थर से मरा है। रिपोर्ट झूठी है, वह रिपोर्ट बिलकुल झूठी है। पत्थर से मरा है। किसी के पत्थर लगा, चाहे इधर से लग जाय चाहे उधर से लग जाय। धनकुटा से बिलकुल नहीं मरा है। यह रिपोर्ट झूठी करायी गयी है। मैं इतनी बात कहते हुए निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी, कि हमारे उन दो जाटवों को जो बन्द किया है उनको छुड़वाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय निर्भयलालजी।

श्री निर्भय लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हिण्डौन का जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ है यह बड़ा दुखद दंगा हुआ है। वहां मैं, माननीय नत्थी सिंहजी, माननीय चन्द्रभान जी, माननीय रामेश्वर जी, हमारे भरोसीलाल जी साथ-साथ गये थे। हमने सबसे अलग-अलग करके पूछा। हम सबसे पहले रैस्ट हाउस पर पहुचे। असलियत दोनों तरफ से छुपायी जा रही है, असलियत को कोई नहीं कहता। दस आदमी असलियत नहीं कहते। मैं साफ-साफ बात कहने के लिए आप से निवेदन कर रहा हूं। बात यह है कि सबसे पहले यह हुआ, वहां पर बताया गया कि होली के त्यौहार पर 10–20 जाटव तलवार लेकर आये। जाटों ने पहले इन्फार्मेशन की कि जाटव तलवार लेकर आये हैं क्योंकि उनको सही टाइम पर होली दहन नहीं करने दिया जा रहा था। यह भी बात सही है। फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन को कह दिया तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की कि पुलिस लगायी, केवल आठ आदमी लगाये गये थे। पहले पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई। पत्थरबाजी होकर वे इधर-उधर अलग-अलग हो गये, दोनों तरफ से अलग हो गये। फिर क्या हुआ कि पुलिस के साथ जाकर बाहर गांव के आदमियों ने आकर उन पर दुबारा हमला किया। पुलिस ने फायरिंग सीधी की, बारह बोर के छर्रे लगाये। बीस आदमियों के छर्रे लगे हुए हैं। उनकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस ने इतनी कमी की है। (व्यवधान) नहीं, मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उनकी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने इतनी ज्यादती की है जाटवों के साथ कि सामने से गोली चलायी। जाटव भाग गये। उनके 87 घरों में आग लगायी है। यह बड़े दुख का विषय है। इस राज में और पहले के राज में बड़ा अन्तर है। पहले तो कम से कम पूछ-ताछ तो करते थे, थोड़ी बहुत पूछ तो की थी शिड्यूल्ड कास्ट की। मैंने ऐसा देखा है कि इस बी जे.पी. के टाइम में तो शोषण हो रहा है शिड्यूल्ड कास्ट का। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं आपकी मार्फत कि वहां जाटव भयभीत हैं, पुलिस अधिकारियों को तुरन्त वहां से हटाया जाय। जब तक उनको नहीं हटाया जायेगा वे भयभीत रहेंगे। वे किसी काम पर नहीं जाते, अपने घरों में रहते हैं। लैट्रिन तक करने नहीं जाते। वहां की यह मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर जी। प्रश्न रूप में कीजिए, बहुत समय हो गया है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बारह महीने जो मनमुटाव होता है होली के अवसर पर वह मनमुटाव दूर हो और प्रेम और सौहार्द्र का वातावरण बने, इस दृष्टि से होली मनायी जाती है। हिण्डौन के अन्दर दो सम्प्रदायों के बीच झगड़ा हुआ, वे नजदीक आने की बजाय काफी दूर जा रहे है। ऐसा वातावरण वहां बन रहा है, बनाया जा रहा है। इस बारे में माननीय गृह मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया। मैं भी उस जगह का निरीक्षण करने वालों में था। वहां की जो सही जानकारी हमें मिली है वह मैं माननीय गृह मंत्रीजी को, सरकार को और इस सदन को देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि इस झगड़े को जाट-जाटव का विवाद जो बनाना चाहते हैं, यह सौ फीसदी मिथ्या है,

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

गलत है। जब मैंने अखबार पढ़े तो मुझे खेद हुआ कि हर अखबार के अन्दर इसे जाट-जाटव का झगड़ा बताया गया। यह सौ फीसदी गलत है। वहां पर धमाल का प्रोग्राम कई सालों से चलता है। नक्शे के अन्दर जो बताया गया है उसके अनुसार जाट की सराय से वह धमाल चलती है और चामरवाड़ा, हरिजन, चौबेवाड़ा, बसवारा-वाड़ा बंगला, गूजरवाड़ा, कचहरी, लोहरे बाजार, काना हनुमान, जम्बा मस्जिद, पोस्ट ग्राफिस, यूं होती हुई वापस जाट की सराय तक आती है। धमाल जहां जाट की सराय से रवाना होती है वहां हर समुदाय का व्यक्ति होता है। इस घटना के दिन भी जो लोग रवाना हुए उनमें केवल जाट ही नहीं थे। उसमें कोली भी था। हरिजन भी था, उसके चोट लगी है। उसमें ब्राह्मण भी था, उसमें महाजन भी था, उसमें कुम्हार भी था, हर समुदाय के लोग उस जुलूस के अन्दर थे। इसलिए जो इसको यह कलर देना चाहते हैं कि यह जाट और जाटव के बीच में है, यह बिल्कुल मिथ्या है। जो समुदायों के बीच में वैचारिक मतभेद या मतभेदों को लोग-बागों में इतना उजागर, इतना प्रोवोक कर दिया कि उसने एक झगड़े का रूप ले लिया। सही स्थिति यह है कि होली के दिन पण्डितों ने जो मुहूर्त निकाला था उसके अनुसार छः बजकर पन्द्रह मिनट पर होली का दहन होना था। जब वहां कई सालों पहले झगड़ा हुआ था तो राजा मानसिंह जी ने यह रास्ता तय किया और वहां पर कोई मुस्लिम अफसर था उसको हटाकर होली के धमाल का प्रोसेशन निकालने के आदेश दिये। तब से लेकर अब तक हर होली पर्व पर और धमाल के ऊपर सरकार की तरफ से पुलिस की व्यवस्था होती है। छः बजकर पन्द्रह मिनट पर होली का दहन नहीं हुआ। यह बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करने लायक बात है, गृह मंत्रीजी, कि छः बजकर पन्द्रह मिनट पर होली का दहन नहीं हुआ, होली का दहन रात को डेढ़ और दो बजे के बीच में हुआ। जब दहन हुआ तो वहां पुलिस मौजूद नहीं थी। माननीय निर्भय लालजी ने जो बात बतायी है यह बात सत्य है। कुछ नंगी तलवारें उस वक्त एक समुदाय द्वारा लायी गयी बतायी गयीं। रात को पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि कल इस तरह मनमुटाव की वजह से दंगा हो सकता है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने मात्र आठ कांस्टेबल, कोई अधिकारी नहीं, उस प्रोसेशन के साथ भेजे। जाटव समाज का जहां मोहल्ला आता है वहां भंगियों और जाटवों के बीच में इतना गन्दा रास्ता है कि वहां से सुअर भी नहीं निकल सकता, लेकिन एक ट्रेडीशन बना हुआ है कि रास्ता यह है। उधर से जब जुलूस निकला है तो दो समुदायों के बीच में लोगों ने प्रोवोकेशन किया है, लोगों को उत्तेजित किया है। यह बात भी सही है। एक तरफ कुछ लोगों ने यह कहा कि राजा मानसिंह के फैसले के अनुसार आपका मौलिक अधिकार है धमाल बोलने का। इनमें कुछ ऐसी धमाल हैं कि मैं अपने मुंह से इस सदन के अन्दर उन्हें बोल नहीं सकता गृह मंत्रीजी, लेकिन मैं आपको अलग से दे दूंगा। एक समाज में कहा गया कि आपका मौलिक अधिकार है बोलने का और दूसरे समाज के अन्दर कहा गया कि इस तरह की अभद्र धमाल हमारे समाज के बीच में, हमारे मोहल्ले में नहीं बोली जानी चाहिए। जैसे ही जुलूस

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

गया है वहां उसका विरोध हुआ है, पत्थर-बाजी हुई है। फिर लूटपाट भी हुई है और आदमी भी मरा है। गृह मंत्रीजी, मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि यह झगड़ा श्रीगणेश से लेकर अन्त तक करीब चार घण्टे तक हुआ। पहले पत्थरबाजी हुई है मारपीट हुई है। एडिशनल एस.पी. हिण्डौन के अन्दर मौजूद था। एडशिनल एस.पी. की प्रजेंस के अन्दर मैं कहूंगा कि जाटवों के मोहल्ले के अन्दर लूटमार हुई है। उस वक्त हिण्डौन के अन्दर एडिशनल एस.पी. मौजूद था, उस मोहल्ले के अन्दर मौजूद था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे उनका जुलूस निकाला जा रहा था और पीछे पीछे उस मोहल्ले में लूटमार हो रही थी। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भाग रही हैं, घरों को जलाया जा रहा है। वहां पर चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे बिस्तर हों या खाने-पीने का सामान हो, हर घर के अन्दर होली जलायी गयी है।

यहां तक कि एक व्यक्ति जो बाहर रहता बताया उसके साढ़े 7 हजार रुपये के नोट जले और अध-जले हुए हमने अपनी आंखों से देखे और वहां पर सोने और चांदी के जेवर भी जले हैं, वहां पर लूट-पाट भी हुई है। गृह मंत्रीजी यह सोचने की बात है कि जब समय पर होली का दहन नहीं हुआ, रात को होली का दहन हुआ है, वहां नंगी तलवारें आना साबित हैं, पुलिस को जब माकूल रिपोर्ट मिल चुकी थी तो इस प्रोसेशन के वक्त पुलिस की माकूल व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इस दंगे के श्रीगणेश होने से अन्त तक 4 घण्टे का टाइम लगा, हिण्डौन के इर्द-गिर्द के अन्दर, 30-40 किलोमीटर रेंज के अन्दर और पुलिस स्टेशन्स हैं जहां मृतक के बारे में यह कहा जाता है कि वह कैसे मरा? मृतक के घर पर आप भी जाकर आये हैं, उसके घर की हालत आपने भी देखी है, आपकी कान्फिडेन्स के आदमी हैं हिण्डौन में हैं, आपने जानकारी भी की है, हमने भी जानकारी की है जो सूचना आपको मिली है, हम को भी मिली है। यह सही है कि मृतक, मूसल जो होता है, इधर धनकूटा कहते हैं और हमारी तरफ मूसल कहते हैं, मूसल की चोट से मरा है। एक ही मूसल नहीं, ऐसे प्रोसेशन के अन्दर इस तरह की चीजें ले जाना इनका एक रिवाज है, वह इसको बुरा नहीं मानते हैं लेकिन मैं यह भी पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी आपके कथन से और जो हमें जानकारी मिली है इस घटना के करीब 12–13 घंटे के बाद में उसकी मृत्यु हुई है, तो इसका डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं हुआ?

(3.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : आप रीपिटिशन कर रहे हैं, यह बातें आ गई हैं यहां पर इनको कहने से क्या फायदा?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने दोनों समुदायों के लोगों से जानकारी हासिल की है। वहां पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक समुदाय को शक है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ दूसरों को शक है और कामन जो आपस में हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि एस.एच.ओ., डीवाई. एस.पी., ए.एस.पी. और डी.आई.जी. इन चारों पर दोनों समुदायों के अन्दर एक दूसरे के ऊपर शक और

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

शंकाएं हैं, इस कलर को लोग-बाग और उजाकर कर रहे हैं अब, जो फसल है और दूसरे व्यक्ति ने काश्त की है, एक तरफ यह कहा जाता है कि आपकी बोई हुई फसल को जमीन का मालिक काट कर ले जा रहा है और दूसरी तरफ जमीन के मालिक को यह कहा जा रहा है कि आपकी जमीन पर जो व्यक्ति काम करते हैं वह फसल को काट कर ले जा रहे हैं। और दोनों समुदायों ने इस बात की तस्दीक की है। हमने मौके पर जाकर देखा कि वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने किसी पर आरोप लगाये, किसी ने नहीं लगाये, किसी ने इसका विरोध किया लेकिन यह बात सत्य है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर जो नगरपालिका है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे नेताओं ने जो बात की है उसके अलावा इण्डिजुअली, पर्सनली अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, अलग मैंने बात की है। अध्यक्ष कहता है कि उपाध्यक्ष ने प्रोवोकेशन करवा कर लड़ाई करवादी और उपाध्यक्ष कहता है कि अध्यक्ष ने दूसरे समुदाय में प्रोवोकेशन करवाकर लड़ाई करवा दी। दोनों तरफ काज एक है। अध्यक्ष ने कहा कि इसने मेरे खिलाफ अविश्वास रखवा दिया और लोगों को भिड़वा कर इस प्रकार का मेरे खिलाफ वातावरण बनवा दिया और उपाध्यक्ष कहता है कि हमने जो अविश्वास पेश किया था उसको डिफीट देने के लिए इन्होंने अध्यक्ष ने प्रोवोकेशन करवा दिया। यह दोनों एडमिशन्स वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मेरे से व्यक्तिगत तौर से अकेले में एडमिट किया है। अब लोगों ने इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया ...

श्री गोविन्द सहाय : यह कौनसी तारीख की बात है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अभी बता देता हूं, यह 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को हम गए हैं। अगर आपको जो कहना है वह बाद में कहिये मेरे को....

श्री गोविन्द सहाय : मैं 3 को वहां गया हूं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे मन में जो विचार है और मैंने जो जानकारी हासिल की है उसको सदन में कहने का मुझे हक है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काने और इसको दो समुदायों में ही नहीं, दो विशेष जातियों का रूप और कलर देने का काम किया है इसको रोका जाना चाहिये। हमारे नेता माननीय श्री नत्थीसिंह जी और हमने इस बात का प्रयास किया था कि हर समुदाय के 4 और 8 वहां के लोग जो यह चाहते हैं कि वहां पर शान्ति हो और दोनों समुदाय मिल कर रहे। उन्होंने इस बात का प्रयत्न भी किया है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बाहर गांवों से किसी भी तरफ के लोग जो आने वाले थे उनमें से किसी भी व्यक्ति ने आकर उस जलती हुई आग में घी डालने का काम नहीं

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

किया है बल्कि यह काम तो वहां जो लोकल राजनीतिक मतभेद हैं उसी का कारण है।

अन्त में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि मृतक व्यक्ति को, चाहे साम्प्रदायिक दंगे में मरा हो, चाहे दो समुदायों के बीच में दंगा होने से मरा हो, जहां आपने एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रुपये दिए है, मैं समझता हूं कि माननीय श्री भैरोंसिंहजी इस बात के लिए कोई आक्षेप सरकार पर नहीं सुनना चाहेंगे कि ऐसे वातावरण में जो व्यक्ति मरा है उसको कम राशि दी जाय, इसको भी कम से कम एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए दी जाय, बल्कि उससे भी ज्यादा दी जाय।

जहां तक इस दंगे में जो लूट-पाट और हानि हुई है, रिपोर्ट में 58 है और मौके पर 86 हैं और हमने करीब 50 का निरीक्षण किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब कहा जा चुका है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसलिए इस दंगे में हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जाय। साथ ही मृतक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लिया जाय।

इसके अलावा हमने भी काम किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी या गृह मंत्रीजी या उपाध्यक्ष महोदय स्वयं वहां पर जाकर इस तनाव को दूर करने का प्रयास करें ताकि यह आगे नहीं बढ़े और लोग अमन-चैन से रह सकें, धन्यवाद।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया है ?

डा. चन्द्रभान : हमको दो-तीन सवाल करने हैं इतना ही आपसे निवेदन करना था। हम रिपीट नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल करिये, सीधे।

डा. चन्द्रभान : सीधे ही करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह दंगा जातीय दंगा नहीं था....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आ गई है।

डा. चन्द्रभान : मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसको कास्ट का कलर देने में राज्य सरकार का भी योगदान रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पापुलर डेली "राजस्थान पत्रिका" जिसमें लीड न्यूज में हैड लाइन्स में आई। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह खबर इस पत्रिका के हिन्डौन संवाददाता है, उसके द्वारा नहीं भेजी गई थी, बल्कि पुलिस मुख्यालय से यह खबर भेजी गई थी और जब पुलिस हैड क्वार्टर से इस तरह की खबरें जाती हैं और वह जब खबरों में छपती हैं तो इससे प्रदेश में टेंशन बढ़ेगा। इसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है कि क्योंकि श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में जनता दल की ओर से "सामाजिक न्याय" का जो संघर्ष चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करिये आप ।

डा. चन्द्रभान : उसमें पालिटिकल एलाइनमेंट फोर्सेज का हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करिये ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय आप सुनिये तो सही, जब इनको इतना समय देते हैं तो मुझे आप दो मिनट का समय क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप इस विषय से सम्बन्धित बोलिये ।

डा. चन्द्रभान : हां, इसी से सम्बन्धित बोल रहा हूं । आज जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह के आरोप लगते हैं तब तो मना नहीं करते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक दल जो पिछड़े वर्ग के लोगों, मध्यम किसान जातीय लोगों को एक साथ नहीं आने देना चाहते हैं वह भी इसका अनुचित राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं । इसी के साथ मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह घटना एक मार्च की है और 28 तारीख की रात को पूर्व में यह घटना घटित हो चुकी थी, पुलिस की नालेज में आ गया था और इतना ही नहीं पिछले वर्ष भी होली के त्यौहार पर ऐसी घटना घटते-घटते बची थी और यह बात पुलिस की नालेज में हैं, इतना ही नहीं होली की रात को वहां पर पत्थर इकट्ठे हो गये थे और यह पत्थर दो तीन दिन पहले से इकट्ठा करना शुरू हो गया था । माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं राजस्थान सरकार की इन्टेलिजेन्स है या नहीं ? यह बहुत बड़ी बात है इन्टेलिजेन्स को कोई जानकारी नहीं होती है केवल पुलिस के 8 आदमी जाते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल्कुल गलत है जो यह आरोप लगा रहे हैं ।

डा. चन्द्रभान : और जो मुआवजे की बात आपने कही है । हम लोगों ने भी सब घरों को देखा है, नुकसान तो 10 लाख से ज्यादा का हुआ है । नत्थी पुत्र रामस्वरूप यह दो भाई हैं, दिल्ली से दोनों साढे 7 हजार रुपये कमाकर लाये थे उनके पूरे ही 50-50 के नोट जल गये, इसके अलावा सोने चांदी के जेवर भी थे, कइयों की इस वजह से शादी नहीं हो सकी लेकिन अभी तक 30 हजार रुपये को ही सरकारी इमदाद दी गई है । गृहमंत्रीजी 1 तारीख की घटना है और आज 11 तारीख हो गई, 10 दिनों में सरकार वहां पर मदद नहीं पहुंचा सकी है । मृतक भोला जाट, जब औरों को 1 लाख रुपये दिये जाते हैं तो इनको 1 लाख रुपये क्यों नहीं दिये जा सकते हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में बार-बार क्यों घोषणा करना चाहती है एक साथ क्यों नहीं घोषणा करना चाहती है ? और अभी भी स्थानीय पुलिस के ऊपर, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के जो जाटव मौहल्ले के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं उनको विश्वास नहीं है । अभी भी जाटवों के घरों में लोग नहीं है । उनकी औरतें बच्चे भी नहीं हैं । अभी भी घर सूने पड़े हैं । इतने आतंक की स्थिति वहां पर बनी हुई है तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि सब लोग वहां पर रहे, एक पीस कमेटी वहां पर बने और इस पूर मामले को जातीय रूप न दिया जाए । राजनैतिक लाभ की दृष्टि से इसे न सोचा

(डा. चन्द्रभान)

जाए और जो मृतक है उसे एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और सभी लोगों को मुआवजा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री रामकरण सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मै केवल एक सवाल करूंगा। इस बदलती हुई स्थिति में राज्य सरकार प्रदेश में जो गन्दे गीत, गन्दे गाने और इस तरह से जुलुसों पर नियंत्रण करके रोक लगाना पसन्द करेगी ? इसका जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बात को नहीं मानती है, जातीय दंगे की बात जाने दीजिये, कि हरिजन बस्ती के अन्दर जाटवों के मौहल्ले से पुश्तैनी अधिकार का नाम लेकर अगर सवर्ण लोग जाति की बात नहीं कसता हूं सब तरह के लोग थे, अगर निकलते हैं और गन्दा फाग गाते हैं तो क्या वह अन्याय नहीं है और क्या वह कानून की अवहेलना नहीं है ? तो उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि यह जो प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज अगेन्स्ट एस. सी. एण्ड एस. टी. एक्ट जो सबसे बड़ी देन है इस देश को राजीव गांधी की क्या उसकी तारीख में नहीं आता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जबर्दस्ती सौहार्द कायम करने के लिए इस देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर एस. सी. के लोग कब तक बलिदान करते रहेंगे ? आज आप सांमजस्य की बात करते हैं। आज आप इस मामले को, एक आदमी का कत्ल हो गया, हरिजनों के घरों में आग लगा दी गई, सब लोग बरबाद हो गये, वह भाग गए, इतना बड़ा अत्याचार हो गया गया और आप अब इसकी लीपा-पोती करना चाहते हैं। क्या, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की जो डेरेलिक्शन आफ ड्यूटी हैं या जो पुलिस ने इन्तजाम नहीं किया बावजूद सूचना के वो आपकी इन्वेस्टीगेशन में कवर हो जाएगा, वह आल टू गेदर डिफरेंट आस्पेक्ट है, आप क्या उसकी जांच करवाना चाहते हैं। एक एडीशनल एस. पी. खुद वहां साथ-चल रहा था। एडीशनल एस. पी. सी. आई. डी. (सी. बी.) का, वह क्या जांच करेगा ? एक तो इन्वेस्टीगेशन आपको हायर आफीसर से करवाना चाहिये, एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आ गई। माननीय सदस्य यह रिपीटेशन है। कई सदस्य इस बात को पूछ चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिपीटेशन नहीं है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में यह मुकदमे विथड्रा नहीं होने चाहिये, इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये and culprits must be brought to book कोई जातीय संघर्ष की बात नहीं है। There should be no politics in it चाहे बी. जे. पी. का आदमी हो या किसी का भी आदमी हो जो गिल्टी है He should be brought to book सरकार इस बारे में निर्णय ले। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा सवाल है।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल आर्य)

त्यौहार राष्ट्र के जीवन में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने और भाई चारे की भूमिका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना सरकार का विशेष दायित्व है। होली के त्यौहार पर हिन्डौन में जो कुछ घटना हुई वह वास्तव में एक दुखद घटना है। इस बाबत इस पर चर्चा तो होगी ही।

मेरे कुछ प्रश्न हैं कि धमाल खेलने जब कुछ लोग जा रहे थे तो उनके हाथ में लाठियां, फरसे, भाले और दूसरे शस्त्र आदि थे, और इस बात की पूर्व आशंका थी कि धमाल खेलने जाते वक्त जाटवों और जाटों में अराजकता की स्थिति बनी हुई है इसकी आशंका पहले से ही थी। तो पुलिस प्रशासन ने इस बात को रोकने के लिए, शस्त्र लेकर लोग जा रहे थे, इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं की कि लोग शस्त्र लेकर नहीं जावें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब सारा पुलिस प्रशासन वहां पर था तो हरिजनों के घर जलाये जा रहे थे उनके खाने पीने का सामान, उनके बिस्तर उनके जेवर और दूसरे सामान जब जलाए गये उनके साथ मार-पीट की गई तो पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? आखिर यह सारा काम कोई एक दो घण्टे में तो हुआ नहीं, चार पांच घण्टे तो लगे होंगे। वहां पर पुलिस प्रशासन हरिजनों के प्रोटेक्शन में फेल रहा। इसकी जांच की जानी चाहिए और जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सीधा सा सवाल है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हिन्डौन के मामले में जब इतना बड़ा दंगा हो गया इसके बावजूद वहां के करीबन 80-81 हरिजन परिवारों के घर नष्ट हो गये, जला दिये गये। उन्होंने पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की कोशिश की तो क्या पुलिस के अधिकारियों ने उन हरिजनों की एफ.आई.आर. दर्ज की? यदि नहीं, तो क्यों? इसका आप जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस...

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी बात नहीं माननीय सदस्य बैठें।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा :...के एस.एच.ओ. ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जो जाटों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें केवल सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जाटव समाज और एस.सी. समाज के थे जो मौके पर नहीं थे जो प्रोफेसर, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर, लैक्चरर इस प्रकार के अधिकारी जो वहां पर मौके पर ही नहीं थे उनके नाम से रिपोर्ट दर्ज हुई है... (व्यवधान) सीधी सी बात है 8 जो अधिकारी हैं वह मौके पर ही मौजूद नहीं थे उनकी एफ.आई.आर. दर्ज की है उनके नाम वापस ले लेने चाहिये। मैं उनके नाम बताना चाहता हूं। रामस्वरूप मैनेजर जो बैंक आफ (व्यवधान) बड़ौदा में, वह मौके पर ही नहीं था, रामस्वरूप जो टीचर है, सोहन लाल रोडवेज का कन्डक्टर है, सुरेन्द्र बाकोलिया जो एडवोकेट है और नत्थीलाल एक टीचर है

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

यह मौके पर ही नहीं थे । इनकी रिपोर्ट एफ.आई.आर. में दर्ज की है इनको तत्काल उसमें से निकाला जाना चाहिये । दूसरी बात....

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं माननीय सदस्य ।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : दूसरी बात जो अधिकारी वहां पर, जो एक ही समुदाय के लोग थे, जब दो समुदायों में लड़ाई हुई जाट और जाटव समाज में लड़ाई हो गई सारे पेपर बोल रहे हैं इसके बावजूद एक ही समाज के अधिकारी वहां पर रहने से जो एस सी. के लोग है उनमें....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आ गई, माननीय सदस्य बैठें।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : भय और आतंक व्याप्त है। जब तक आप इसको नहीं हटायेंगे वह लोग वैसे के वैसे डरे हुए और भयभीत हैं इसलिए आप तत्काल उन लोगों को वहां से हटाइये और दोनों समाज के लोग जिनमें झगड़ा हुआ है दोनों ही समाज के अधिकारी वहां पर नहीं लगने चाहिये बाकी किसी भी जाति के आप अधिकारी लगा दीजिये ताकि उस एरिया में शान्ति हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्डौन की घटना के ऊपर विस्तार से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। वैसे मैंने अपने स्टेटमेंट में सारा विवरण सदन के सम्मुख रखा है। मै स्वयं भी 3 तारीख को हिण्डौन गया और हिण्डौन जाकर के दोनों ही समुदायों के लोगों से मैंने बात चीत की और केवल समुदाय के लोगों से ही नहीं बल्कि उन परिवारों के घरों में भी गया हूं, एक-एक जाटव परिवार के घर में जाकर के मैंने देखा है, जहां पर कि उनकी क्षति हुई है और उनके घरों में आग लगी है सारी घटना की जानकारी मैंने मौके पर ली है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई कमियां पुलिस फोर्स की या किसी भी वजह से रही हों उसके लिए मैं गुरेज नहीं करता। पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को आप मानेंगे कि होली के दिन सारे प्रान्त के अन्दर, होली मनाई जाती है और सारे प्रान्त में होली मनाने की वजह से पुलिस फोर्स सब जगह स्कैटर्ड रहता है। एक ही जगह पर कोई सारा फोर्स वहां आ जाए ऐसा सम्भव नहीं था और जो कुछ भी फोर्स वहां उपलब्ध था, उस फोर्स के बल से यह जो धमाल निकल रही थी उसके साथ में वह फोर्स मौजूद थी ।

यह जो धमाल हिण्डौन में निकाली जाती है वह कोई आज की नहीं है और मुझे बताया गया करीब चालीस-पचास वर्षों से बल्कि इससे भी अधिक वर्षों से यह धमाल निकाली जाती है और इसी प्रकार से इसका जो रास्ता तय किया हुआ है जैसा कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मुझे भी एक फर्मान वहां बताया था कि साहब इनका रास्ता भी तय है और रास्ता तय होने की वजह से उसी रास्ते से धमाल गुजरती है। गत वर्ष भी यह निकली और कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं

(श्री दिग्विजय सिंह)

हुई। इस वर्ष मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि किन कारणों से हुई पर इस वर्ष जब वह धमाल निकल रही थी और इसके साथ 1500 से 2000 के बीच में लगभग आदमी बतलाए जाते थे और सभी समुदाय के थे जैसा आपने कहा कोली समाज के भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे, दूसरे वर्ग के भी थे और धमाल रास्ते आगे चलते चलते जाटवों के मोहल्लों में पहुंची। उस वक्त इसको रोका गया और उसको रोक कर कहा गया कि आप इस मोहल्ले में होकर नहीं गुजरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की भाषा ये होली के हुड़दंग में, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको जाटव समाज ने उचित नहीं समझा और खास तौर से उन नौजवान व्यक्तियों ने खूब एतराज किया कि हमारी बहन-बेटियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर दोनों समुदायों को जो फोर्स मौजूद थी उसने समझाया। दोनों को समझाया गया और उनको कहा गया कि आप भी जिद नहीं करें कि आप आगे बढ़ें और जाटव समाज को भी कहा गया कि आप उत्तेजित न हों। इसका कुछ न कुछ रास्ता हम निकालते हैं ताकि आपके जो धमाल इधर होकर जा रही है इसको रोका जा सके। दोनों समुदायों के अन्दर कुछ तनाव इस प्रकार का रहा कि जो धमाल निकल रहे थे उन्होंने तो उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया अगर निकलेंगे तो इधर से ही निकलेंगे। हमारी परम्परागत रूप से जिस प्रकार से हम निकलते आये हैं निश्चित रूप से वही मार्ग रखेंगे। हम मार्ग छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर जब ज्यादा तनाव बढ़ता दिखा तो कुछ लोग जो धमाल के अन्दर थे वह आगे बढ़े और पुलिस से वहां रुक नहीं पाये। पुलिस फोर्स का 10 या 12 का जाब्ता था इससे अधिक नहीं था। यह मैं खुद स्वीकार करता हूं। पुलिस फोर्स बाद में आई जब यह हुआ। वहां रुके नहीं और आगे बढ़े तो एकदम से जाटवों के मोहल्ले से पत्थरों की बरसात शुरू हुई। उसके फलस्वरूप कुछ चोटें आई। चोटें आने के बाद वह जो समूह वहां इकट्ठा था वह कुछ तो आगे बढ़ा, कुछ बिखर गया और बिखरने के फलस्वरूप उसमें से कुछ लोग दूसरे रास्ते अपना कर जाटवों के घरों के अन्दर घुसने की कोशिश करने लगे। वह चाहते थे आगजनी भी करे। बाद में वह हुई भी। इस बीच में पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य वहां जा कर आये हैं वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि पुलिस ने वहां 58 राउंड गोलियां नहीं चलाती तो हादसा इससे भयंकर हो जाता।

डा. चन्द्रभान : पुलिस की प्रिजेन्स में आगजनी हुई।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो बोलेंगे हर एक मामले में। उपाध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस वहां पर 58 राउंड गोलियां नहीं चलाती तो मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप इसे राजनीतिकरण न दें, इसको आप मानवीय दृष्टिकोण से सोच कर बात करें। अगर पुलिस उस वक्त 58 राउंड गोलियां नहीं चलाती तो वहां पर इतना बड़ा हादसा होता जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहे थे, एक भयंकर स्थिति हो जाती। न मालूम कितनी लाशें वहां बिछती, दोनों समुदायों के लोगों के अन्दर कितने ही लोग मारे जाते इसलिए मैं इस बात के लिए पुलिस प्रशासन की तो इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उसने सूझ-बूझ से काम लिया और हवा में फायर किया।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : क्या पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस छोड़ी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक अश्रु गैस छोड़ने का सवाल है। आप सही कह रहे हैं। परन्तु थाने में अश्रु गैस उपलब्ध नहीं थी। जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है तो उसका विकल्प भी सोचना पड़ता है। इसलिए विकल्प के हिसाब से उन्होंने मौके पर यही उचित समझा कि हम फायरिंग करेंगे। फायरिंग करने से दोनों तरफ की भीड़ नियन्त्रित होगी, अगर नियन्त्रित नहीं होगी तो कम से कम इससे भयभीत होगी और भयभीत होकर रुकेगी। पुलिस ने जो कार्य किये इससे बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। उपाध्यक्ष महोदय, जो बात यहां कही गयी, किसी राजनैतिक कार्यकर्ता की वजह से, उनके भड़काने की वजह से, इस बात के लिए मैं समझता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो पहले ही न्यूट्रल हो गई।

श्री दिग्विजय सिंह : साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं आपने कहा कि रामस्वरूप जाटव जो कि पार्षद है उनको पकड़ा है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की बात होती या बचाव की होती तो बी. जे. पी. के पार्षद को क्यों पकड़ते ? मैंने तो आपके कांग्रेस के पार्षद से भी बात की है। जो कांग्रेस के पार्षद है श्री शर्मा या व्यास हैं उनसे बात की और उनसे ही मैंने सारी जानकारी इस बात की ली। उन्होंने मुझे सही-सही बात बताई कि साहब इसके अन्दर निश्चित रूप से जो कार्य पुलिस प्रशासन ने किया है वह बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है अन्यथा यह बहुत भयंकर हादसा होता। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पुलिस ने बढ़िया किया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : ज्यों ही यह हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंच गया और उन्होंने वहां जिन घरों के अन्दर आग लगी थी, क्षति हो गयी, जिनके खाने के लिए आटा तक नहीं रहा, ओढ़ने के लिए रजाई तक नहीं रही, उन सबके लिए व्यवस्था की। जिला प्रशासन ने तुरन्त पहुंच कर वहां सारी व्यवस्था की और उनको आटा और ओढ़ने के लिए कम्बल इत्यादि सब उपलब्ध कराये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : केवल 35 कम्बल बांटे गये हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : स्वयं सेवी-संस्थाओं को भी कहा गया। वह भी आगे आई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। स्वयं

(श्री दिग्विजय सिंह)

सेवी संस्थाओं ने आगे आकर के इनकी मदद की है। इसके साथ–साथ राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है वह मैंने आपके सामने बताई है। हम जो कुछ भी मदद देना चाहते हैं वह निश्चित देंगे। और सी. आई. डी. से जांच करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब कोई प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया। मुझे हां और ना में जवाब चाहिए। आगे के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे इसको रोकने के लिए। मेरा एक ही सवाल है और वह सवाल यह है कि इस बदलते हुये माहौल में आप इस तरह से जो हथियार लेकर और दूसरी तरह से त्यौहार मनाये जाते है इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में इसको रोकने की क्या कोई व्यवस्था करने के बारे में सोच रही है ?

श्री दिग्विजय सिंह : आपका सुझाव बहुत अमूल्य है इसलिए इस पर निश्चित रूप से अध्ययन करके विचार करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक रूप से मैंने मंत्री महोदय से तीन बातें कहीं थीं। मंत्री महोदय, एक तो इसकी जांच ए. एस. पी. के. बजाय डी. आई. जी. से बड़े अधिकारी को दी जाय। उसके बारे में आपने कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। दूसरा, जिन परिवारों के आप कह रहे हैं 30 हजार की सामग्री भेजी। आपके जाने के बाद दूसरे दिन मैं गया हूं। वहां पर चूल्हा जलाने के लिए अनाज, आटा, दाल तक की कोई सप्लाई नहीं थी न वहां कम्बल बांटे गये वहां पर, किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई। आपने 2 लाख 41 हजार की बात कही। जो हमने असेसमेंट करा लिया, 10 लाख से ज्यादा का मुआवजा वहां बनता है।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन जवाब नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय। आखिर मुआवजे की घोषणा करेंगे आप। जो मृतक आदमी है उसको श्री भैरोंसिंहजी सरकार ने राजस्थान में मरने वाले आदमी को एक लाख रुपये का तो वैसे ही डिक्लेयर कर रखा है। मोला जाट को एक लाख तो डिक्लेयर करें कम से कम। राजस्थान सरकार ने तय कर रखा है, राजस्थान में कोई आदमी मरे उसको एक लाख रुपये दिये जाते हैं यहां आप 15 हजार रेट कर रहे हैं। रेट आप कम क्यों कर रहे हैं ? जब आपकी सरकार ने तय कर रखी है। इन तीन बातों का जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। आपने कहा कि पुलिस प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। जब उनको पता था झगड़ा हो सकता है तो 8–10 आदमी ही क्यों लगाये ? ज्यादा आदमी क्यों नहीं लगाये। यह बहुत बड़ी कमी थी पुलिस की। इस बात के लिए कुछ नहीं कहा। आपने कहा 10 आदमी वहां मौजूद थे, ज्यादा आदमी क्यों नहीं भेजे, प्रशासन की बहुत बड़ी कमी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं क्या ? इसका जवाब तो आ गया ।

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । क्या यह सत्य है कि पुलिस प्रशासन की दृष्टि से धूलिया के दिन पुलिस धूलिया नहीं मनाती है ?

श्री दिग्विजय सिंह : क्या नहीं मनाती है ?

श्री उपाध्यक्ष : धूल वाले दिन होली नहीं खेलती है ।

श्री दिग्विजय सिंह : हां, होली नहीं खेलती है ।

श्री सम्पत राम : क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह उचित होता कि ऐसे अवसर पर झगड़े आम तौर से हो जाया करते हैं । उस समय पुलिस को काफी अलर्ट रहना पड़ता है, सब चीजों की देख-भाल करनी पड़ती है । आपने अभी फरमाया कि चूंकि पुलिस को सब जगह यह माहोल देखने को मिल रहा था यह बात सत्य नहीं है । उस समय आपके पास ऐसे कितने स्थान थे जहां पर धूलिया पर झगड़ा होने की आशंका थी, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पुलिस नहीं जा सकती ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि ऐसी आशंका थी और जगह भी । मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ऐसे पर्व के दिन सभी जगह सतर्कता रखने के लिए रहना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभी मौजूद थे । एडिशनल एस. पी. मौजूद थे, डी. एस. पी. मौजूद थे और 5 आदमी थे आर. ए. सी. के । सब कुछ पुलिस की देख रेख में हुआ और आप उनको बचा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बाद की बात है । बताया नहीं ? (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई । बहुत लम्बा बिजनेस है, माननीय सदस्य ।

श्री सम्पतराम : माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा यह तो स्वीकार है । लेकिन जब और जगह से टेंशन आपके पास और पुलिस प्रशासन के पास नहीं आया और अकेला हिण्डौन कस्बा इस तरह की बीमारी से ग्रसित हुआ तो क्या दूसरे स्थानों से कोई पुलिस फोर्स वहां नहीं आ सकती थी ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो खुद ही गृह मंत्री रह चुके हैं । थोड़े दिन पहले ही थे ।

श्री नत्थी सिंह : तभी तो पूछ रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : आपको मालूम है कि बाद में तो फोर्स आ गई थी । आर. ए. सी. आ गई थी, फोर्स आ गई थी, एडिशनल एस. पी. आ गया था, डी. आई. जी. आ गया था और एडिशनल फोर्स भी आ गई थी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री सम्पत राम : आज जो मौके पर गए हैं उन माननीय सदस्यों ने तथ्य सामने रखे हैं । जो निश्चित समय होली का

(श्री सम्पत राम)

फंक्शन था वह किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हुआ। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर वहां टेंशन था। जब रात को ही टेंशन था तो फिर वहां का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था ? उसने अपने सीनियर अधिकारियों को क्यों नहीं इतला दी कि समुचित व्यवस्था करने के लिए और फोर्स भेजें ?

श्री दिग्विजय सिंह : उस समय वहां पर इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं नजर आया था जिसके लिए इतला कर सके। वह आपके समय के हिसाब से 6.15, 6.30 का था वो देर से मंगली पर इस प्रकार का वहां पर कोई टेंशन नहीं था कि जिससे स्थिति यह बनती कि दूसरे दिन कोई झगड़े की आशंका हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) मेरे पास समय की सीमा है।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। हम समय की सीमा को नहीं मानते हैं, लेकिन मुआवजे के बारे में, उच्च स्तरीय जांच के मामले में उनको क्या देंगे इसकी घोषणा नहीं की गई है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मृतक परिवारों को क्या दे रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मुआवजे के बारे में घोषणा करें। मृतक परिवारों के लिए और जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए मुआवजे की घोषणा की जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इन बातों का जवाब आना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो वाद पक्ष देने के लिए गये थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनको छोड़ा जाय, (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पुलिस की नेग्लिजेंस के लिए पुलिस की तारीफ की जा रही है। पुलिस की नेग्लिजेंस के कारण यह हादसा हुआ और गृह मंत्रीजी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी मुआवजे की घोषणा करें। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जाटव परिवारों के जिन लोगों की क्षति हुई है, उनके लिए कोई मुआवजे की घोषणा नहीं कर रहे हैं। दूसरे मोलाराम जाट के परिवार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यह घोषणा नहीं करते हैं तो कांग्रेस (आई) सदन का बहिष्कार करती है।

(कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री नत्थी सिंह : सद्भाव कायम करने के लिए अपील की गई है। उस संबंध में

(श्री नत्थी सिंह)

सरकार का कोई रेस्पोंस नहीं है। यह संवेदनहीनता है। मैं तो संवेदनशील समझता था। इस सरकार के धोखे पर जनता दल सदन का बहिष्कार करता है।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन) (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : श्री गंगानगर के प्रमुख कस्बे संगरिया में 10.3.91 को····

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। आज क्योंकि बजट पर भी कुछ विचार हो रहा है और यह बड़ा गंभीर मामला है। सांगरिया का सिर्फ 2 कत्ल का नहीं है पूरे जिले में जो व्यवस्था है, उसका है, इसलिए कल ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट आज ही देना चाहती है।

श्री दिग्विजय सिंह : फिर 2 दिन बाद बाहर जा रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह 2 दिन बाद ले लें।

श्री दिग्विजय सिंह : हां, दो दिन बाद (व्यवधान)

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। मेरा एक निवेदन है। हर रोज एक स्टेटमेंट होगा। अगर एक स्टेटमेंट पर 3–4 घण्टे लग जाय, मैं हिण्डौन की अहमियत कम नहीं समझता पर बजट स्पीच की अहमियत भी कम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बड़ी अहमियत है।

श्री केदार नाथ शर्मा : नियम भी है और व्यवस्था भी की गई है कि जिन लोगों ने मोशन दिए हैं वे बोल लें। स्टेटमेंट के बाद अपने जो मिसिंग पाइन्टस हैं उन पर क्लेरीफिकेशन मांग लें। इसके बाद अगर क्वेश्चन आन्सर में ले गए और एपिडिशन में ले गए तो हमारा कोई भी बिजनैस एक्जास्ट नहीं हो पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे से मत कहो, सभी से कहो। चेयर की सुन कहां रहे हैं ?

श्री केदारनाथ शर्मा : चेयर से करें। जिन लोगों के मोशन पर हस्ताक्षर हैं उनके अलावा 5 जो ग्रुप लीडर्स है वे प्रश्न पूछने के लिए अधिकारी हैं। यह हमारी व्यवस्था है। इस पर फायदा सरकार को है, बजट स्पीच पर बहस नहीं कर पायेंगे, टाइम मिल नहीं पाएगा। श्री हेतराम जी ने यह ठीक किया कि सांगरिया स्टेटमेंट 2 दिन बाद आ जाय नहीं तो सारा टाइम इसी में हो जाता। इसलिए व्यवस्था को थोड़ा स्ट्रांग करिए, आप कंट्रोल करिए।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। समय के आवंटन की घोषणा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक 1991–92 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए कार्य सलाहकार समिति टाइम डिक्लेयरेशन नहीं हुआ। टाइम ऑफ पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी–10 घण्टे

(श्री उपाध्यक्ष)

30 मिनट, कांग्रेस (आई)-6 घण्टे, जनता दल पार्टी-3 घण्टे 20 मिनट, जनता दल (गु्प) विधायक दल-3 घण्टे, सी.पी.एम.-10 मिनट, निर्दलीय-1 घण्टा कुल 24 घण्टे चर्चा के लिए हैं। मैं चर्चा शुरू करूं। श्री मदनलाल सैनी।

आय-व्ययक 1991-92 पर सामान्य वाद विवाद

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार और मजदूरों का जो बजट वित्त मंत्री व राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, इस बजट में जो विलक्षणता और जो विशिष्टता आई है उस विशिष्टता को ध्यान में रखने पर यह साफ लगता है कि राजस्थान में पहली बार गांव का बजट रखा गया है जिसमें गांव की चिन्ता हैं, गरीब के बारे में चिन्ता की गई है, किसान के बारे में चिन्ता की गई है और मजदूरों के बारे में चिन्ता की गई है।

इस प्रकार के बजट का मैं समर्थन करता हूं और मैं हाउस से भी यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के बजट को पास करें, स्वीकार करें। आज के समय में बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है उस बेरोजगारी के समाधान के लिए इस बजट में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है कि जिसके कारण से गांव के पढ़े-लिखे नौजवान लोगों को बेरोजगारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा और उनको काम-धन्धा मिलेगा। बैंकों से इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि गांव के शिक्षित नौजवान युवकों को काम मिल सके, उनको अधिक ऋण मिल सके जिसके कारण से वह उद्योग-धन्धे चालू कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है कि आज तक तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जिन मजदूरों को दस रुपये बण्डल के हिसाब से मिलता था उन गरीब वनवासी मजदूरों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने उन वनवासी गरीब मजदूरों के लिए दस रुपये से बढ़ा कर बीस रुपये किया है, यह बहुत बड़ा तोहफा उनका है। पिछले समय उन्होंने मजदूरों की मजदूरी चौदह रुपये से बढ़ा कर बाइस रुपये की थी, इस बार एक बड़ी उछाल उन्होंने ली है, दस रुपये से बीस रुपये किया है।

यही नहीं, किसानों की दृष्टि से पच्चीस हजार कुओं को कनेक्शन दिया है, इन पच्चीस हजार कुओं को कनेक्शन देने के कारण किसान के खेत में जहां आज बारानी की फसल होती थी, सिचाई की फसल होगी, वहां पर ज्यादा लोग काम कर सकेंगे। इसके कारण राजस्थान में बढ़ रही बेकारी पर भी अंकुश लगेगा और खेती अधिक होने के कारण से मंहगाई पर····

(3.40 म.प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

भी अंकुश होगा और लोगों की माली हालत भी ठीक होगी। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विद्युत की आगे आने वाली कमी को पूरा करने के लिए गैस पर आधारित

(श्री मदनलाल सैनी)

बिजली घरों की स्वीकृति के लिए लिखा है, वह लड़ाई कर रहे हैं, बरसिंघसर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। यह सारे इस प्रकार के विषय हैं जो आने वाले समय में बिजली की कमी को पूरा करेंगे। मुझे निश्चित विश्वास है कि इस प्रकार का बजट, इस प्रकार की विद्युत नीति पहले कभी किसी सरकार ने, किसी मुख्य मंत्री ने नहीं रखी।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के साधनों के विकास के बारे में पिछले साल 90–91 के 182.73 करोड़ रुपये की तुलना में इस बजट में 232.17 करोड़ रुपये के खर्चे का प्रावधान किया है। इसके कारण से सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जायेगा, सिंचाई के माध्यम से किसानों में सम्पन्नता आयेगी। कई इस प्रकार की योजनायें बनाई गई हैं जाखम परियोजना है, माही की परियोजना है, बीसलपुर की परियोजना है, गुड़गांव की परियोजना है, इनके आने से आज जहां बंजर भूमि है, जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान की सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार की एक विलक्षण योजना कृषि के बारे में और बनाई गई है। जवाहर रोजगार योजना के तहत 150 अधूरे पड़े काम भी जून माह तक पूरे होने की योजना इस बजट में प्रदर्शित की गई है।

पानी की चारों तरफ समस्या है। पीने के पानी की विशेष योजना बनाई गई है। प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक गांव में चाहे हैण्ड पम्प के माध्यम से हो, चाहे उच्च जलाशय के माध्यम से हो, गांवों में पानी पहुचना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था बजट में की गई है। खेती के बारे में जो प्रयास किया गया, माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो नीति रही उसी का परिणाम है कि हिन्दुस्तान में सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहले नम्बर पर है इस प्रकार की जो नीतियां रहीं, वह नीतियां निश्चय ही अन्य उत्पादनों में और तिलहन के उत्पादन में हमें हिन्दुस्तान में आगे ले जाकर खड़ा करेगी, इससे प्रदेश की सम्पन्नता बढ़ेगी। तिलम् संघ की जो स्थापना हमने इस दृष्टि से की है वह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रकार की योजना से किसानों के खेत में अच्छी फसल लहलहायेगी जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। फव्वारा योजना पर अनुदान, सामूहिक कुओं के ऊपर अनुदान इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं और एस.सी. एस.टी. के लिए और दूसरी जो व्यवस्थायें की हैं, पन्द्रह हजार रुपये उनको अनुदान देने की बात कही है उसके अन्तर्गत पांच हजार परिवार लाभान्वित होंगे। यह सारी जो स्थितियां बन रही हैं, खेती की ठीक ढ़ंग से व्यवस्था करने के लिए जो जमीन है उसका पूरा उपयोग हो, पानी का पूरा उपयोग किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

सहकारिता के क्षेत्र में जो चुनाव कराये गये वह भी एक बहुत बड़ा अनुकरणीय विषय है। जहां लम्बे समय से चुनाव नहीं हुए, सहकारिता के क्षेत्र में चुनाव कराये गये और जो कर्जा माफ किया गया है, जो 170 करोड़ रुपये का कर्जा आंका गया था आज वह 241 करोड़ रुपये का कर्ज माफ हुआ है। इस प्रकार से 9 लाख 72 हजार व्यक्तियों

(श्री मदनलाल सैनी)

को इस कर्जा माफी के कारण लाभ मिला है। यह सहकारिता के क्षेत्र में इस बजट की अपनी एक विशेषता है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले समय में पिछली सरकारों ने जो इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों की कमी रखी थी, विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे, आज हम उन अध्यापकों की कमी को भी पूरा कर रहे हैं, जगह जगह साक्षात्कार लिये जा रहे हैं। आर्थिक कमी होने के बावजूद भी इस बजट में एक हजार नए विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चालू करने की योजना है। पच्चीस प्राथमिक विद्यालय चालू करने की योजना है शहरी क्षेत्र में, वैसे ही 25 विद्यालय क्रमोन्नत करने का, मिडल से सैकण्डरी में, सैकण्डरी से हायर सैकण्डी में हायर सैकण्डरी से सीनियर हायर सैकण्डरी में, इन पर जो भार आने वाला है उसको और शिक्षा का विकास किस प्रकार से हो, यह इंगित करता है। यही नहीं, किसी भी साल में एक साथ इतने नये कालेज नहीं खोले गये, ऐसा प्रयास कम ही बजटों में देखने को मिला है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक साथ पांच नये कालेज खोलने की जो घोषणा की है वह निश्चय ही शिक्षा के क्षेत्र में वह किस ओर राजस्थान को ले जाना चाहते हैं, इस ओर इंगित करता है। मार्च के माह तक जहां पर अध्यापकों की कमी है वहां अध्यापक लग जायें, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाये, यह जो व्यवस्था की है, मैं इसका बड़ा समर्थन करता हूं। उन्होंने एक विषय जो शिक्षा जगत में लिया है वह नैतिक शिक्षा का लिया है। वास्तव में यह बात ठीक है कि ठीक ढंग से लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती। विद्यार्थी राष्ट्र के रीढ खम्भ हैं, वह राष्ट्र का भावी नागरिक है, उसको जैसी शिक्षा दी जायेगी उसी अनुसार राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण ठीक दिशा में, ठीक लाइन पर हो इस दृष्टि से नैतिक शिक्षा का समावेश किया गया है। धार्मिक ग्रन्थों में क्या कहा गया है, हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या कहा है, साधु-संतों ने क्या कहा है; जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिये, सह-अस्तित्व के साथ किस प्रकार से रहना चाहिये, यह सारी शिक्षा इस नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत आने के कारण से भाई-चारा बढ़ेगा, लोगों का सादा जीवन होगा, उच्च विचार होंगे, सबको सुनने की पात्रता बढ़ेगी। भगवान महावीर ने कहा था कि सबकी बात सुनो, हो सकता है हम कह रहे हैं वह भी ठीक हो, सामने वाला कह रहा है वह भी ठीक हो, इसलिए सुनते ही भड़को मत, इस प्रकार की जो अधैर्यता आज जमाने में आती जा रही है, नैतिक शिक्षा के कारण लोगों की अधैर्यता समाप्त होगी, धैर्यता बढ़ेगी। इसके कारण से छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे विवाद समाप्त होंगे। निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि इस बजट में नैतिक शिक्षा का समावेश कर उन्होंने एक इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो राजस्थान के नव युवकों को, जो पीढ़ी पांच और दस साल बाद तैयार होकर निकलेगी उस पीढ़ी के माता पिता यह बात जरूर कहेंगे कि आज उनका बुढ़ापा ठीक है। वह इस कारण से है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जिसने बच्चों में नैतिक शिक्षा का जागरण किया और आज वह मां-बाप की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार का जो बजट प्रस्तुत किया

(श्री मदनलाल सैनी)

है, नैतिक शिक्षा का इसमें समावेश किया है उसकी मैं सराहना करता हूं।

माननीय सभापति जी, चिकित्सा के क्षेत्र में और व्यक्ति को क्या चाहिये, शिक्षा चाहिये, पानी चाहिये लेकिन यह सब होने के बाद यदि उसके शरीर की रुग्णता के समय पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकती तो उसके जीवन में और कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। व्यक्ति को समय पर ठीक ढंग से और कम दूरी पर उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो व्यवस्था की है उसमें 50 पी. एच. सी. और नये सेन्टर्स खोलने का निर्णय लिया है, 15 रेफरल अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है, 50 उप-केन्द्र खोलने का निर्णय किया है, गांवों और शहरों के लिए अलग से चिकित्सा अधिकारी होगा ताकि पूरी जांच हो सके, चैकिंग हो सके कि कौन अधिकारी और कौन डाक्टर, कौन कर्मचारी किस प्रकार की व्यवस्था में कहीं ढिलाई तो नहीं दे रहा है। इसके कारण से गरीब जनता में कोई स्वास्थ्य संबन्धी कठिनाई तो नहीं हो रही है। इन सारी बातों को व्यस्थित ढंग से रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। एक नयी रचना की है, एक नया स्ट्रक्चर और मेडिकल विभाग में उन्होंने बजट रखा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है और 25 आयुर्वेद अस्पतालों के खोलने का भी निर्णय किया गया है।

समाज कल्याण विभाग में भी समाज के गरीब लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो अपनी व्यवस्थायें नहीं कर सकते हैं उन लोगों की व्यवस्था करने के लिए भी 30 नये छात्रावासों के निर्माण का, उनको बनाने का निर्णय भी इस बजट में लिया है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को 1 करोड़ 35 लाख की आर्थिक सहायता देने का जो बजट में प्रावधान किया गया है, निश्चय ही इस प्रावधान के कारण से गरीब लोगों के बच्चे आगे आ सकेंगे। उनकी सम्पन्नता आज की तुलना में आगे बढेगी, वह समाज में सम्मानपूर्वक जी सकेंगे ऐसा मेरा मानना है और उन्होंने बनवासी क्षेत्रों में जो आरक्षण सर्विस में छोटे क्लास में चपरासियों की सर्विस होगी और उन नौकरियों में 50 प्रतिशत का जो आरक्षण उस क्षेत्र के लोगों को दिया है निश्चय ही गरीब लोगों को बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिलाने का बनवासी क्षेत्र में बहुत बडा रास्ता अख्तियार किया है, मैं इस रास्ते का स्वागत करता हूं।

पीने के पानी के बारे में जैसा मैं कह रहा था एक हजार एस. सी., एस. टी. के गांवों में पानी पहुंचाने की दृष्टि से भी व्यवस्था की गयी है। वनों को हरा भरा करने की दृष्टि से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की रोकथाम हो, भूमि के कटाव को रोका जा सके और इस दृष्टि से जो योजना बनी है वह योजना सराहनीय है। 24 लाख पौधों के वितरण करने का लक्ष्य बनाया गया है। तेंदू पत्ता में मजदूरी का जो भुगतान है मजदूरों को 10 रुपया से बढ़ाकर 20 रुपया किया है वास्तव में दरिद्र नारायण की सेवा है। यह जो विशिष्ट योजनायें दरिद्र नारायण की सेवा की योजना बनी है, अन्त्योदय की चाहे योजना

(श्री मदनलाल सैनी)

हो, यह सारी योजनायें गांव के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनायें इस प्रकार की हैं। 1287 अधूरे काम पूरे किये जाने का जो बजट में प्रावधान किया गया है इसके कारण से जो पैसा हमारा फंसा था और किसी कारण से काम बीच में रुक गया था और थोड़े पैसों की जरूरत थी, पूरे हो सकते थे उन सारे कामों को जो वर्षों से पड़े थे, थोड़े पैसे खर्च करके 1287 ऐसे अधूरे पड़े काम पूरा करने का जो निर्णय लिया है जिसके कारण से इन सबका उपयोग हो सकेगा।

मान्यवर सभापति महोदय, उद्योगों में हस्तशिल्प को विशेष महत्व दिया गया है। वर्षों से उपेक्षित रहे राजस्थान का यह हस्तशिल्प वह चन्दन का काम हो, वह हाथी दांत का काम हो या फिर वह खरड़ का या नगीनों का काम हो, संगमरमर का काम हो इस प्रकार के कामों को और महत्व दिया गया है। हस्तशिल्प टैक्स में रियायत दी गयी है इसके कारण भी आज राजस्थान में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और हस्तकौशल भी बढ़ेगा। इस प्रकार का बजट वास्तव में सराहनीय बजट है।

सार्वजनिक उपक्रम जो घाटे में जा रहे हैं, जो उनको काम दिया था वह नहीं कर पाये हैं उन उद्योगों के बारे में भी विचार किया जा रहा है। आज तक जैसा चलता था चलने दो, चलने दो—जैसा हो रहा है होने दो—यह जो त्रासदि थी उसको रोककर उस पर विचार किया जायेगा कि किस प्रकार से उनको ठीक किया जा सकता है। कम्प्यूटर लगाकर खर्च में बचाने की योजना भी बजट में कहीं गयी है।

पर्यटन के बारे में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि अधिक से अधिक लोग पर्यटन के लिए राजस्थान में आयें और जो विदेशों में राजस्थान और हिन्दुस्तान के बाहर के हिस्से के हैं वहां पर पर्यटन के डवलपमेण्ट के कारण से कला और संस्कृति के विकास के कारण से सारी इस प्रकार की व्यवस्था हम कर सकेंगे जिसके कारण से राजस्थान का नाम सब जगह होगा।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ एक दो बात हैं, आज अखाद्य तेल जो साबुन के उपयोग में आता है, उसको टैक्स से माफ करना चाहिए। हजारों गरीब लोगों के काम आता है। इस अखाद्य तेल को राजस्थान को छोड़कर आन्ध्र, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय—इन सब क्षेत्रों में अखाद्य तेल पर जो साबुन के काम आता है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। हमें भी इन पर टैक्स माफ करना चाहिए। गेहूं और चीनी के बड़े और छोटे व्यापारियों को जो 7 दिन में विक्रय करने की अनिवार्यता है इसमें भी ढील देनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बजट के उन विषयों का भी स्वागत करना चाहूंगा कि जहां गोटा उद्योग को बहुत बड़ी राहत दी गयी है। और टैक्स माफ किया गया है। वहां पर मतीरा, तुम्बा, अम्बाड़ी के बीच जो गांव-गांव के आदमी पैसा प्राप्त करते हैं उन टैक्सों में भी छूट देकर बहुत बड़ी गरीबों को राहत दी है।

(श्री मदनलाल सैनी)

वनवासी क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग लगें और वहां पर मजदूर मजदूरी कर सकें, 75 पर्सेन्ट की जो टैक्स में छूट दी है सीमेन्ट उद्योग को, मिनि सीमेन्ट प्लान्ट को इसके लिए श्री माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बड़ा आभारी हूं। जिला स्थानों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करके उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है—इस प्रकार की बात की है और 23 जिलों में तो गठन कर दी हैं और शेष जिलों में शीघ्र गठन होने वाली हैं—यह व्यवस्था लागू होने पर बड़ा चमत्कारिता परिवर्तन होगा।...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : दो मिनट। न्याय के क्षेत्र में 5 ए. डी. जे. कोर्ट्स की स्थापना करना, दो फेमिली कोर्ट्स और 20 नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के खोलने का निर्णय किया है उसके कारण से दूर-दराज गांवों के गांवों से जाकर रात को ठहरना पड़ता हैं लोगों को इस कारण होने वाला खर्चा समाप्त हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इस बजट में जो एक विशेष बात रही है वह यह है कि सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी जो जीवनभर मकान नहीं बना सकते इस मंहगाई में, एक बीमा योजना इस प्रकार बनाई है, कि आज कर्मचारी अतिरिक्त ऋण ले सकेंगे। इसके कारण से एक साल में दो हजार कर्मचारियों के मकान बन जायेंगे और एक बड़ी रिलीफ कर्मचारियों को इसके कारण से मिलेगी।

राजस्थान विकास कोष की स्थापना निश्चय ही एक अद्भुत सराहनीय और ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी का है। प्रवासी राजस्थानियों को इस ओर आकर्षित कर यहां की योजनाओं में उनको भागीदार बनाये जाने का जो उन्होंने निर्णय किया है मैं समझता हूं स्वागत योग्य है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं वह है तीन नये जिले बनाये जाने के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है और कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

(4.00 म. प.)

श्री मदनलाल सैनी : मैं कल मेरे क्षेत्र से लौटकर आया हूं। शनिवार को मैं वहां था। लोगों ने कहा हमारे यहां आइये। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमने सवामनी की है। आप रविवार को आने वाले हैं। हमने कहा कि सवामनी तो मंगलवार और शनिवार को होती है तुम काहे की सवामनी कर रहे हो, कि हम इस बात की सवामनी कर रहे हैं कि आज राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने किसानों पर बारानी जमीन से लगान माफ किया है। किसानों के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती इसलिये यह सवामनी कर रहे हैं। आज इस बजट के लागू होने के बाद गांव गांव में सवामनी हो रही है। इस प्रकार की जो व्यवस्था मुख्य मंत्री जी ने की है बजट में और भी बातें हैं आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार की तरफ से पाबन्दी है ज्यादा खाना खिलाने में। आप कहां से सवा-मणी खिला रहे हो ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका समय आने पर बोलिएगा। व्यवधान न डालें। कृपया बिराज जाइये। डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, यह क्रम कैसे तोड़ रहे हैं आप ? अब तो कांग्रेस का नम्बर है।

श्री सभापति : मेरे पास जो लिखा हुआ है उसी पर बोल रहा हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक बी. जे. पी. के बोल चुके, फिर बी. जे. पी. बोलेंगे, यह कैसे होगा ? (व्यवधान)

आसन भी तो परम्परा का ध्यान रखें।

श्री सभापति : समय आपको बता दिया गया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समय बता दिया यह ठीक है....आसन की यह बात ठीक है। आपने समय बता दिया लेकिन क्रम तोड़ दिया, यह क्रम क्यों तोड़ा आपने ?

श्री सभापति : आप बैठिये तो सही, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइंट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

श्री सभापति : समय साढ़े दस घंटे बी. जे. पी. का है और कांग्रेस का 6 घंटे। इस तरह से क्रम रखा तो साढ़े दस घंटे का अनुपात नहीं आएगा इसलिए दो बी. जे. पी. के, एक जनता दल का, एक कांग्रेस का....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : दस घंटे उनका है, 6 घंटे कांग्रेस का, सवा तीन घंटे हमारा है फिर दूसरों का है, क्रम कैसे नहीं आएगा ? (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : जो अन्य दलों के माननीय सचेतक हैं, कृपया आपके माध्यम से मैं उनको निवेदन कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यह निर्णय और फैसला आपसे लेना है, सरकारी मुख्य सचेतक से निर्णय नहीं लेना है हमें। आप उन्हें कहिये कि वह अपना आसन ग्रहण करें।

श्री सभापति : उनकी सुन तो लीजिए (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम उनसे व्यवस्था नहीं चाहते हैं, हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं आपके माध्यम से माननीय सचेतक महोदय को निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य सचेतक की बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर मुख्य सचेतक की सुनने को तैयार नहीं हैं, हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर स्पष्ट कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने पाइंट आफ आर्डर बाद में दिया, उससे पहले वह खड़े हो चुके थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं खड़े हुए। सभापति महोदय, हम सामान्य बजट पर वाद विवाद कर रहे हैं। दो पक्ष हैं। एक वह पक्ष है जो सत्ता में बैठा है जिसके साथ जनता दल (दि.) और बी. जे. पी. है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जनता दल और सी. पी. एम. है। हमारे दोनों के जो टाइम हैं वह लगभग बराबर बैठता है इसलिए आपने जो यह सवाल उठाया दस घंटे उनका हो सकता है, तीन घंटे उनका हो सकता है—13 घंटे, 6 घंटे इनका है, 5 घंटे इनका है. निर्दलीयों का एक घंटे है और वह मिला कर 12, सवा 12 घंटे बनते हैं। आपने जो व्यवस्था दी है कि वह दो बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से वाद विवाद नहीं होगा। वाद विवाद का मतलब है एक पक्ष बोले और दूसरे पक्ष को सुनने का मौका दें और फिर दूसरा सुनें। इसलिए आप इसमें व्यवस्था दीजिए क्या इसका मतलब यह भी हो सकता है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : संख्या के अनुसार बोलते हैं, इधर तो संख्या ज्यादा है इसलिए दो बोलेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका मतलब यह हो सकता है कि वह सारे के सारे एक बार बोल कर निकल गये। क्या आप यह भी कर सकते हैं कि 10 घंटे बी. जे. पी. वाले बोलते रहे, फिर कांग्रेस वाले बोलें और चल दें। यह कर सकते हैं क्या ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम मुख्य सचेतक की व्यवस्था नहीं चाह रहे, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि आज जैसे वाद विवाद में 20 सदस्य भाग लेंगे और उसी हिसाब से रोज जितने घंटे तय हुए हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम सुनने को तैयार नहीं हैं। हम आसन से व्यवस्था चाहते हैं। आसन व्यवस्था दे।....हमारा क्रम क्यों तोड़ा गया, यह व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलते रहेंगे तो कैसे व्यवस्था दूंगा मैं। आप बैठ तो जाइये। व्यवस्था का प्रश्न जब आपने उठाया तो उसमें व्यवस्था देने के पहले नियम है कि जो भी इस व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं उनको सुन कर ही व्यवस्था देते हैं इसलिए उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है उसके बाद व्यवस्था देने में ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, मुझे यह संकेत दिया गया था कि आज बीस माननीय सदस्य बोलेंगे। बीस में जो दलों की संख्या हैं बी. जे. पी. जो उनके समर्थक विधायक हैं वह और जनता दल (एस) के....

श्री नत्थी सिंह : एस कहां है, यहां कोई एस नहीं है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको इस तरह बोलने पर +++ आनी चाहिए। अपने सचेतक को बुलाइये, आप कैसे बोल रहे हैं। अपने सचेतक को बुलाइये। +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह +++ की बात है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, यह परम्परा नहीं है, दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : +++ शब्द एक्सपंज कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको +++ आनी चाहिए....(व्यवधान)

(4.00 म.प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान कभी आपको माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य सचेतक बार बार हाथ के इशारे करके बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। कुछ भी नोट नहीं किया जाय (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री अध्यक्ष : बहुत बोल चुके हैं। आप बिराजिये। आप बहुत उत्तेजना में आ रहे हैं। बैठिये बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : बिना आज्ञा के कोई नहीं बोल रहा। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो समय अलाट किया गया है, इसमें जो जनता दल (दिग्विजय सिंह) और भारतीय जनता पार्टी और हमारे समर्थक सविधायक हैं, उनकी संख्या के आधार पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Mr. Pareek, I warn you. आप खड़े हुए तो ठीक नहीं होगा। बैठिये आप (व्यवधान)

क्या मजाक बना रखा है हाउस को आपने। बैठिये आप। प्लीज सिट डाउन। I say sit down. I say sit down, sit down. I name you; sit down. (व्यवधान)

बाहर चले जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री अध्यक्ष : मैं बाहर निकलवा देता हूं। सार्जेन्ट को बुलाइये। अभी बाहर निकलवा देता हूं। I will just ask you to go out (व्यवधान) I will just ask you to go out.

कई माननीय सदस्य : ऐसे आदमी को बाहर निकालो। बाहर निकालो। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन का अपमान है। जो आसन का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को बाहर करो। सदन में व्यवधान पैदा करने वाले व्यक्ति को बाहर निकालो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। बैठिये आप। अब आप बोलेंगे ? इनको बाहर भेजिये। इनको बाहर ले जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : बाहर जाइये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : ××× (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : अब आप पीछे-पीछे क्यों हट रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आपका यह अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

आप इनको ले जाइये बाहर। ये नहीं मानेंगे। ले जाइये। आज इन्होंने तय कर रखा है। उनको चुप कराइये ना आप। (व्यवधान)

प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये। इनको चुप तो करारये आप। (व्यवधान)

प्लीज सिट डाउन। अब आप क्या कार्यवाही चलने नहीं देंगे ? प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तेजनावश माननीय सदस्य ने कुछ असंसदीय शब्द यहां कहे, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने। (व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : शब्द तो कुछ भी असंसदीय नहीं थे। असंसदीय आचरण किया है। कहना नहीं माना, इतना जरूर किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

प्लीज कृपया बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी उत्तेजनावश हम लोग भी, ये तो नए सदस्य हैं, हम पुराने सदस्य भी कभी-कभी आसन के आदेश की अवहेलना करते हैं और मुद्दा कुछ था नहीं और वे कुछ बोलना चाहते थे और उन्होंने आदेश की पालना नहीं की। कई दफा सदन के अन्दर ऐसे मौके आए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखिये। हां, बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आपका क्या आचरण है ? अब आपको क्या कहेंगे, अध्यक्ष महोदय। आपने आचरण किया है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है। आप इंटरप्ट कर रहे हैं तो आपका आचरण क्या है ? अब आपको सदन से नहीं निकाला जाय ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें जिससे कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शान्तिपूर्वक चल सके, और यहां सदन में कई दफा ऐसे मौके आये हैं अध्यक्ष महोदय, आज साल भर में तो कभी किसी को बाहर किया नहीं, इससे भी अधिक उत्तेजनात्मक मौके आये। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आसन बहुत उदार है.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम बोल चुके हैं। मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री सांवर मल (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सुमित्रा जी, मुझे अनुमति मिल गई है। मुझे एक मिनट के लिए बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर फैसला तो दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हाउस में कई बार इस तरह की स्थिति बनती है जब माननीय सदस्य कई सीमाओं को पार कर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है और यह जिन माननीय सदस्य के बारे में जो स्थिति बनी है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने उल्टे हाथ और लगा लिये। सुमित्रा सिंह जी ने पाइन्ट आफ आर्डर रखा है। कम से कम कान तो सुनते, आंखों के सामने हाथ तो नहीं लगाते।

श्री अध्यक्ष : अपनी आंखों पर लगा रहा हूं। आपकी आंखों पर तो नहीं लगा रहा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिनका आचरण हम लगातार देख रहे हैं, अधिक उत्तेजना में रहे हैं। आज कुछ अधिक ही उत्तेजना उनमें आई है। मैं माननीय सचेतक महोदय से भी यह निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो निर्णय आपने लिया है, उस पर तो पुनर्विचार करके भविष्य में वे ऐसा नहीं करें, इतना ही पर्याप्त होगा और जो सचेतक महोदय हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा उन पर नियंत्रण रखें। ताकि काम ठीक चल सके और कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई बोलेंगे। आप विराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आज हम 1991-92 के आय-व्ययक पर विचार कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब राजस्थान के इतिहास का निर्माण हुआ था, उस वक्त राजस्थान का बजट केवल 1600

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

करोड़ रुपये था और इस वर्ष का बजट करीब 53 अरब रुपये का है। हम विकास पर और प्रशासन पर बहुत भारी खर्चा कर रहे हैं।

इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले 40 सालों में हर क्षेत्र में भारी तरक्की हुई है। चाहे स्कूल हो, चाहे भवन हो, चाहे सड़कें हों, बिजली, चिकित्सा और अन्य सिंचाई, इन सबमें भारी तरक्की हुई है लेकिन यदि हम जो योजनाएं हमने बनायी है उन योजनाओं में व्यवहारिक ध्यान रखते तो हमारी तरक्की और भी अधिक होती। आज भी हम जानते हैं कि शिक्षा पर करीब 900 करोड़ रुपये हम खर्च करते हैं। गांव गांव में शिक्षण संस्था हर स्तर की चल रही हैं लेकिन साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि 365 दिन में से 180 दिन तो छुट्टी होती है और शहरों के नजदीक जो स्कूल आये हुये हैं, जो शिक्षण संस्थाएं आयी हुई हैं उनमें अध्यापक आम तौर से जो शहर में रहने वाले हैं वह हमेशा जाते हैं, हमेशा वापस आते हैं तो वह वहां पर आने-जाने जो, बसों का समय है, उसी अनुसार समय बना रखा है। जो शिक्षण संस्थाएं बहुत ही इन्टिरियर में आयी हुई हैं, खास तौर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में वहां पर अध्यापकों के पद आम तौर से बहुत समय तक रिक्त रहते हैं और यही हालात जो छोटे मोटे हास्पिटल्स हैं उनकी रहती है। इसलिए इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि शिक्षा विभाग की स्कूलों में अध्यापक समय पर बराबर हर हालत में लगने चाहिये और पूरे समय तक वहां पर ठहरे। डाक्टर, ए.एन.एम, नर्सेज यह भी बराबर समय पर वहां पर रहें, समय पर पहुंचे और समय पर उनकी पोस्टिंग भी हो। आप जानते हैं, जैसे सुबह ही चर्चा हो रही थी भेड़ों के बारे में या भेड़ों के चारागाह के बारे में। इसी का मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। भेड़पालकों की आबादी ज्यादा बढ़ने के कारण भेड़पालकों और दूसरे पशुपालकों की कठिनाई बहुत अधिक बढ़ गयी है और आम तौर से भेड़पालक एक जिले से दूसरे जिले में घास और पानी की तलाश में जाते हैं और राजस्थान में ही नहीं जाते पड़ौस के प्रदेश में भी जाते हैं लेकिन भेड़ विकास की हमने जो योजनाएं बनायी हैं वह हमारी परिस्थितियों के अनुसार नहीं है। हमारे जितने भी भेड़ विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, डाक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है वह आस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के

(4.23 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

भेड़ पालकों की जो योजनाएं हैं, उनका जो भेड़ पालने का तरीका है उसके ऊपर आधारित है और नतीजा यह हो रहा है।

जहां तक दवा दारू का प्रश्न है और रोगों के उपचार का प्रश्न है उसके अन्दर तो कुछ मदद मिली है लेकिन भेड़ों के चारागाह, चरने के स्थान, इस बारे में बिल्कुल ही हम व्यवस्था नहीं कर सके हैं। जब भेड़ विभाग के अधिकारियों के सामने प्रश्न आता है तो उनकी जो फिलोसफी है, उनका जो दर्शन है उनके अनुसार अगर भेड़ पालन होता हो तो राजस्थान के अन्दर आज तक भेड़ें खत्म हो गयी होती। क्योंकि बहुत कम भेड़पालक ऐसे हैं राजस्थान में जिनके खुद के चारागाह हैं। पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देशों में, आस्ट्रेलिया में भेड़पालन का बिल्कुल ही दूसरा तरीका है । अगर किसी के पास भेड़ें हैं तो प्रति भेड़ के हिसाब से कितनी जमीन उसे चाहिये उस हिसाब से उसके पास जमीन है. हरे चारे की जरूरत है तो उसके ट्यूबवैल है, पीने के पानी के लिए ट्यूब वैल है। तो वहां पर उस हिसाब से भेड़ पालन होता है लेकिन हमारे यहां पर भेड़ के लिए कोई अलग से चारागाह नहीं है। परिस्थितियां बदल गयी हैं ! पहले तो बड़ी जमीन खाली पड़ी रहती थी और भेड़ पालक अपनी भेड़ें चराते थे। लेकिन आज जो मुख्य समस्या है वह भेड़ पालकों की यह है कि चार महीने तक खरीफ की फसल खेतों में होती है उस वक्त भेड़ पालकों को भेड़ें चराने का स्थान नहीं मिलता। इसलिए वह वनों के अन्दर अपनी भेड़ों को ले जाता है चाहे सवाईमाधोपुर हो, चाहे, चित्तौड़ हो, चाहे कोटा, झालावाड़ और बूंदी हो इन इलाकों के अन्दर ले जाता है और जाते वक्त खेतों में नुकसान होता है इसलिए तरह तरह के टटे हो जाते हैं और वहां पर स्थानीय मवेशी वालों के उनके आपस में बहुत से विवाद खड़े होते रहते हैं। तो भेड़ विवाद में मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या भेड़ विभाग ने इस समस्या का विचार किया है और इस समस्या को हल करने की ओर उन्होंने कभी सोचा है ? मेरी जानकारी में उन्होंने बिल्कुल ही नहीं सोचा क्योंकि इनका जो भेड़पालन का तरीका है उनके अनुसार तो, राजस्थान में तो, भेड़पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए कि उनके पास जो टेक्नोलोजी है, उनके पास जो भेड़ पालने का तरीका है वह यहां लागू हो नहीं सकता लेकिन मुख्य समस्या जैसा मैंने कहा कि चार महीनों की है। चार महीने तक उनको स्थान अगर कहीं मिल जाय तो ठीक है। हमारे यहां पर भेड़ पालने का तरीका विचित्र है। यहां पर फसल लेने के बाद में जो घास, पत्ती, फली, डण्ठल जो खेत के अन्दर बच जाते हैं, जो किसी के काम में नहीं आते वह भेड़ों के खाने के काम में आते हैं। इस तथ्य को हमको समझाना चाहिये और भविष्य में ऐसा जमाना नहीं आ सकता कि भेड़ पालकों को हम जमीन दे सकेंगे। भेड़ पालने का तरीका यही रहेगा कि दूसरे प्रदेशों के अन्दर जब फसल हो जाय तो छह महीने तक वह बाहर रहेंगे, चार महीने राजस्थान में चरायेंगे और असल में चार महीने का जो कठिनाई का समय है उसके लिए हमको व्यवस्था करनी है। उसके बारे में व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है, उसके तीन चार तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता था कि भेड़ वालों को हम 10, 20, 30, 40, 50 बीघा भी अगर भूमि आवंटित करते हैं तो वह चार महीने वहां पर अपनी भेड़ों को रोक सकते हैं। जैसे जोधपुर के इलाके में जो भेड़ आम तौर से तालाबों के आस-पास जो गोचर भूमि है या बन्जर भूमि है वहां पर फिरती रहती हैं। तो वर्तमान में हम में से किसी ने भी, भेड़ विभाग ने कभी रिकमण्ड नहीं किया कि भेड़ पालकों को कोई भूमि दी जाय। इसलिए मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि भेड़पालकों की एक स्पेशल कैटेगिरी बनानी चाहिये और उनको जमीन कुछ न कुछ जरूर अलाट करनी चाहिये उससे, उनका जो बहुत बड़ा कष्ट है, उसका निवारण होगा और आप लोग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

झगड़े से बच जायेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने यहां पर पहाड़ बहुत हैं, छोटे छोटे पहाड़ों के इर्द-गिर्द 1-1 डेढ-डेढ़ किलो-मीटर का इलाका ऐसा होता है, छोटे मोटे नाले, खाले, पथरीली जमीनें होती हैं वर्त-मान में उनमें कुछ भी नहीं होता है। आपके भू-संरक्षण, जल संरक्षण के इतने कार्यक्रम वन विकास के इतने कार्यक्रम चलते हैं तो उनके अन्दर ऐसी घास, झाडियां लगायी जानी चाहिये ताकि हर वक्त में तीन-तीन चार-चार स्थान ऐसे मिल जायें जहां पर उस जिले की भेड़, बकरी और ऊंट खास तौर से ठहर सकें। ऊंट का आज से 20 साल पहले बड़े-बड़े झुण्ड जिसको टोला कहते हैं वह हुआ करता था लेकिन आज ऊंट के ठहरने की कोई जगह नहीं है जिसके कारण ऊंट का व्यवसाय करीब-करीब समाप्त हो रहा है, और ऊंट आप जानते हो कि हमारे प्रदेश की यह मोनोपोली है और आसपास के प्रदेश को हम ऊंट देते हैं। ऊंट पालकों से मेरा निकट का सम्पर्क रहा है और उनका यही कहना है कि अगर हमको कोई जगह इस तरह की विकसित करके सरकार दे देती है तो ऊंट पालन हो सकता है।

इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वन विभाग का सवाल। वनों का जो अभी वर्तमान में विकास कर रहे हैं वह उद्देश्यहीन है। वन लगाना चाहते हैं। वन होने चाहिये। वनों के अनेक फायदे हैं। लेकिन हमारे यहां पर हमको एक दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी। मैं कई दफा सदन में कहता हूं कि हमारे वृक्ष, झाड़ियों, पौधे छोटे मोटे हरे भरे पेड़ इतने सुन्दर नहीं हैं लेकिन उनमें यह क्षमता है कि इतने बड़े पशु धन, इतनी बड़ी संख्या में पशु धन का पालन करते हैं। इस सच्चाई को आप नहीं छिपा सकते यदि हरे चारे से ही अच्छे पशु हो गये होते, तब तो बंगला देश में और गंगा जमुना की घाटी में और सिंचित क्षेत्रों में सबसे बढ़िया जानवर होते सबसे बड़ी गाय होती, सबसे बड़े ऊंट निपजते। लेकिन जहां हरा भरा प्रदेश है वहां पर गाय का कद आम तौर से हमारे यहां की बकरी जितना है, जबकि हमारे यहां हरा चारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहां पशुओं का कद घोड़े की तरह है। क्या पशु पालन विभाग कभी इस गहराई में गया है कि यहां पर सूखा होते हुए भी, अकाल होते हुए भी, इतने बढ़िया नस्ल के पशु क्यों होते हैं? इसका एक ही कारण है कि यहां का जो घास, पेड़ पौधे हैं, वह पौष्टिक हैं। जब मैं वनों की बात कर रहा था, क्या कभी वन विभाग ने यह उद्देश्य रखा कि इन पेड़ों को प्रोत्साहन दें?

पशु पालन विभाग कहता है कि हरा चारा हो जब ही पशु का पालन हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हरा चारा हमारे यहां नहीं होता है, फिर भी पशु इतने बढ़िया होते हैं। इसका कारण यह है कि हरे चारे का सब्स्टीट्युट हमारे यहां पर है पाला या लूम, या दूसरी छोटी मोटी झाड़ियां जिसे खाकर वह हरे चारे की पूर्ति करते हैं। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, जहां पशुपालन होता है, वहां पर हरा चारा सर्वत्र हम पशुओं को उपलब्ध करा दें। वह तो उपलब्ध नहीं करा सकते लेकिन स्थानीय वनस्पति, झाड़ियां, पेड़ पौधे, इनको हम

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ज्यादा से ज्यादा लगायें तो मैं आप से कह सकता हूं कि हरे चारे की पूर्ति पूर्व में भी हम यहां करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन वन विभाग की गलती है, उन्होंने इस बारे में गहराई से कभी सोचा ही नहीं। इसलिये स्थानीय झाड़ियों को, वृक्षों को प्रोत्साहन तो देते नहीं, प्रोत्साहन देते हैं अंग्रेजी बबूल को, इजराइली बबूल जो या यूकेलिप्टस को जो न तो कोई पशु खा सकते हैं न चर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वन विभाग को दोहरी नीति अपनानी चाहिये। पहले तो हमारे यहां जो देशी वृक्ष काटे जा रहे हैं, केर काटी जा रही है, खेजड़ी काटी जा रही है, गमटी काटी जा रही है, खांखरी काटी जा रही है, बन्ठी काटी जा रही है फोग काटा जा रहा है, स्थानीय सभी वनस्पतियां काटी जा रही हैं, इन पर क्योंकि यह पशु चारा है, पशु इन पर निर्भर करते हैं इसलिये इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये और वन विभाग को यह निश्चित करना चाहिये कि पलीदे के लिये, जलाऊ लकड़ी के लिये, ईंधन के लिये हम अफारेस्टेशन करेंगे। जो झाड़ियां हैं और जो वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं उनका अफारेस्टेशन करें। इससे एक तरफ तो ईंधन के लिये लकड़ी मिल जायेगी। और यही नहीं यदि हमारे पास स्थान नहीं है, तो जैसे माठ है, माठ में स्थानीय वृक्षों को जो लगाये उसको आपको इनाम देना चाहिये लोगों को। जितनी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर रूंझ है, गूंजी है, इस तरह के जो वृक्ष हैं, वह ज्यादा से ज्यादा लगायें, तो पशु को चारा मिलेगा और हरे चारे की जरूरत भी नहीं रहेगी और काम हो सकेगा।

तो कब विभाग को गहराई से विचार करके स्थानीय वृक्षों को, झाड़ियों को बल देना चाहिये। यही नहीं, हमारे यहां सूखी खेती बाड़ी का तरीका, आप जानते हैं, खास तौर से जो मारवाड़ के रहने वाले हैं, कि पाला है, वह डिस्क प्लो करने से, कट-कर के, पेड़ जिसमें हजारों रुपये का पाला होता था, वह पाला सब खत्म हो गया। तो स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करके खेती बाड़ी वालों को चाहिये कि जैसे खेजड़ी को पूरे देश में साया कर लीजिये। खेजड़ी संसार का एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में सवाई होती है। लाइन्स कायम कर दीजिये ताकि खेजड़ी है जो चारा दे सके।

पास में पाले की लाइन निकाल दीजिये, उसमें पाला पैदा हो। उसके पास में सेवण घास की लाइन, उसकी खेती लगा दीजिये ताकि वह भी हो। अफसोस की बात यह है कि सिंचित खेती के अन्दर तो बीज और खाद, और कीटनाशक दवाओं की मेहरबानी से हमने तरक्की की है लेकिन सूखी खेती के अन्दर कोई नये प्रयोग नहीं हुए हैं और कोई डिमोंस्ट्रेशन का प्लाट आपको यह नहीं मिलेगा कि सूखी खेती को उन्नत कैसे करना चाहते हैं, चारा उसमें कैसे पैदा करना चाहते हैं। इस बात पर कतई तौर पर विचार नहीं होता।

मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अन्धी नकल करना विदेशों की, यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। बराबर मांग आती है कि हमारे यहां विश्वविद्यालय खोल दिये जायं। 5–7 विश्वविद्यालय अपने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

खुल गये लेकिन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय क्यों खोले जाते हैं। उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि हमारी क्षेत्रीय विशेषता, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा साहित्य हो, हमारी भूमि, भूमि से उपजने वाली वस्तु, जाति-बिरादरी में उस हिसाब से अनुसंधान करें कि हमारी जो विशेषताएं हैं, उसको आगे लाये और उसको विकसित करने के लिये अनुसंधान करें। मैं पूछता हूं, शिक्षा मंत्रीजी बिराजमान हैं, सदन के नेता महोदय अच्छी तरह से परिचित हैं, राजस्थान की कौनसी समस्या के बारे में, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने अनुसंधान किया है या आपका कौनसा विभाग है जिसके सामने कोई समस्या आई और उस पर अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय के पास भेजा हो। एक भी ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर उन्होंने जानकारी की हो। अनुसंधान भी करते हैं तो प्योर साइंसेज, प्योर सब्जैक्ट्स हैं, उसके बारे में। चाहे बांटनी का है तो यहां के वृक्षों की बांटनी नहीं, फण्डामेंटल जो बहुत गहराई के प्रश्न हैं, जिसका एलाइड साइड से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह अनुसंधान करते हैं। हमारे यहां की चीज का हमने अगर अनुसंधान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन हमारे लिये अनुसंधान करेगा। चाहे शिक्षण संस्था हो, खास तौर से विश्वविद्यालय है, खेती-बाड़ी का विभाग है, पशुपालन का विभाग है, उसको मिलाकर के और पहले हमको यह समझना है कि उस कार्य को, कोई नया तो खेती करना सिखा नहीं रहे हैं, नई सूखी खेती हमको सिखा नहीं रहे हैं, पशुपालन में कोई नया हम आपको सिखा नहीं रहे हैं। हजारों वर्ष के अनुभव में पशुपालन के कुछ तरीके हमने अपनाये हैं, हमने खेती के कुछ तरीके अपनाये हैं। तो पहले हमारे अधिकारी उसको तो समझें कि ये क्या निरे बेवकूफ हैं जो इस तरह से खेती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। उनके पास बहुत लम्बा अनुभव है। उसको हम समझें और उसके बाद यह समझें कि हमारे पास इस समस्या का कोई नया इलाज है तो वह निकालें या गाइडेंस दें। एक ग्रामीण है। ग्रामीण को शहर लाये आज ही, मेरे चाचा या मेरे घर वालों को, जो धोती फेंटा बांधते हैं, उनको यहां लाकर पैण्ट पहनाना चाहूं। एक दिन में पैण्ट पहन लेंगे क्या वे ? तो सवाल यह है कि जो हमारे तरीके हैं पुराने, उन पर काम करते आये हैं, उन पर अपनी आमदनी करते आये हैं, उसमें चेंज, उसमें बदलाव किस तरह से लायें। इसके बारे में कभी कोई विचार होता नहीं है। कोई भी स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं है।

कुछ वर्ष पहले मैं अपने दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र में गया था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमारे यहां वर्षा देर से होती है। देर से होने पर बाजरी, ग्वार, मूंग मोठ बोते हैं तो फसल रोड हो जाती है, फसल डपट जाती है। आज बोई, कल बरसात हो गई। वह गई। बराबर बरसात हो। जब तक 10 दिन सूखे नहीं निकलते, तब तक फसल पनपती नहीं है। तो आम तौर से या तो बरसात लेट आती है। लेट आने के बाद में महीने भर बरसात रहती है। महीने भर में पांच दफा बोते हैं और पांच दफा वह खाली चली जाती है। मैंने कहा कि इसका कुछ आपके पास इलाज है

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तो कहा कि इस समस्या की हमको जानकारी नहीं है। इस समस्या की जानकारी नहीं है। इसका सीधा सा एयरेशन का कोई ऐसा इक्विपमेंट या इम्पलीमेंट निकाल ले तो ऐसा इक्विपमेंट न तो उनके पास है, न उस पर वे सोचते हैं, न विचारते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। वह अगर उससे निकल जाय आगे तो खेती में किसानों की तकदीर बदल जायेगी। लेकिन स्थानीय समस्याओं के बारे में उनको जानकारी ही नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्थानीय समस्याओं के बारे में स्थानीय टेक्नोलोजी नहीं अपनायेंगे, तब तक हम हो नहीं सकते हैं।

अब पेयजल समस्या को आप ले लीजिए। 90 प्रतिशत हमारी पेयजल योजनाएं नलकूपों के बारे में चल रही हैं। मैं आपको कहता हूं कि भू-जल करीब-करीब समाप्ति पर आ गया है और 10 वर्षों में पूर्ण समाप्ति पर आ जायेगा पिछले वर्ष आपने पानी की कठिनाई का सामना किया था, उस वक्त अपने पास बहाना था कहने को कि वर्षा नहीं हुई है। इस साल उससे भी ज्यादा कमी होगी, इस साल तो काफी वर्षा हुई है लेकिन फिर भी कठिनाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने एक गलत तरीका अपना लिया है कि वर्षा के जल को छोड़ दिया है। उस पर आधारित हमारी कोई योजना ही नहीं है। कोई दो प्रतिशत बड़े शहरों की योजनायें हैं जो बरसात पर आधारित हैं। बाकी सब भू-जल पर आधारित हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि पानी खड़वा हो जायेगा या खत्म हो जायेगा या बहुत गहरा चला जायेगा तो हमारी जल प्रदाय योजनाएं हैं उनमें भी हमने क्या किया है। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं बनायी गयी हैं। मेरे इलाके में तो जो पूर्णतया असफल हैं। लम्बी दूरी में जो पाइपों से पानी भेजा जाता है वह सब जगह असफल है। यह भी मैं आपको बता दूं कि उसमें लोगों को पानी मिलता नहीं है। मुश्किल क्या है कि उन्होंने पानी के हौज बनाये हैं जिसको 20–30 ऊंट आयें तो पूरा पानी पी जायं। इतने छोटे हौज बनाये हैं। उसमें व्यवहारिक सुझाव यह है कि आप बड़े आकार के कुण्ड बनायें हर गांव के अन्दर और रोजाना पानी देने की बात मत करो। बारी बांध दीजिए। 7 दिन में दें। एक को पहले दिन भर दिया दूसरे को दूसरे दिन, तीसरे को तीसरे दिन। यह करेंगे तो लोगों को सहूलियत होगी-नहीं तो पाइप वाटर वाली जो योजनाएं हैं वह कभी सफल नहीं होने वाली है। इसी तरह से सीवरेज की योजना है। मल-मूत्र बहाने की, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह अनाप शनाप पानी खर्च कर रहा है। इसको मेकेनाइज करो और कोई तरीका निकालो इतना पानी है नहीं। खाद से भी वंचित होते हैं, पानी से भी वंचित होते हैं इतने बड़े देश के लिए कोई आधुनिक इक्विपमेण्ट लायें, तरीका निकालें जिससे लोगों को सर पर मैला न ढोना पड़े। मशीन से एकत्र हो सके। इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी। वर्ना इतना पानी हमारे पास नहीं है और आगे के जमाने में और मुश्किल पड़ेगी। यह न्यू फाउण्डेशन अमेरिका का एक आधुनिक हिस्सा है वहां पर इसी तरह से खर्च किया। वह टापू था उसका भू-जल खत्म हो गया, नीचे खारा पानी आ गया तो उन्होंने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लाजमी कर दिया है कि जो नया मकान बनायेगा उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने खुद का टांका बनाये और पानी बरसात में इक्ट्ठा करे। हम को भी बड़े-बड़े शहरों में करबों में, गांव में तो टांके बनाते थे आजकल आपके भरोसे बनाने बंद कर दिये लेकिन जब तक हम इस परम्परा को वापस शुरू नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। पानी की भविष्य के अन्दर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जब तक भू-संरक्षण और जल संरक्षण की कोई योजना राजस्थान के पूरे क्षेत्र की नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपये आपके बरबाद होते रहेंगे।

एक नाला छोटा सा चलता था उससे गांव के दस कुए चलते थे हर वर्ष थोड़ा पानी आता और कुओं का स्तर ऊंचा आ जाता, खत्म होता, अगले साल फिर आ जाता, अब एक जगह आपने पानी को बांध दिया तो थोड़ा पानी पाताल में चला गया या एक आध फसल की पिलाई कर दी तो नीचे वाले कुए सूख गये। यह समस्या जगह जगह आ रही है और कई जगह पानी बहुत गहरा चला गया है। कभी कहीं बाढ़ आती है तो लोगों को डराकर चली जाती है लेकिन वह पानी समुद्र में चला जाता है तो हमको भू-संरक्षण और जल संरक्षण की पूरे क्षेत्र की योजना बनानी चाहिए। जहां पर पानी का स्तर नीचा जा रहा है वहां खूब कुए हैं तो उनको वहां से पानी दिया जा सकता है या उसका स्तर कैसे ऊंचा किया जा सकता है। राजस्थान कैनाल आयी है, राजस्थान कैनाल का पानी बरसात में और किसी काम में नहीं आता है तो नजदीक के क्षेत्र में उसे भूमिगत करने की तकनीक विकसित करने की योजना बनानी चाहिए।

इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने "बूंद बूंद से सिंचाई" फव्वारों से खेती", बहुत सी ग्रामीण विकास की योजनाएं बनायी हैं। बहुत अच्छी हैं लेकिन भू-संरक्षण, लघु सिंचाई और जल संरक्षण इनकी योजनाएं बिल्कुल डिफेक्टिव हैं। यह योजनाएं नुकसान देने वाली हैं। करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, एम. एल. ए. साहबान भी यह देखते हैं कि मैंने यह बांध बनवा दिया, इंजीनियर सोचते हैं कि 50-60 लाख का अपने यहां काम आ गया। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि इन योजनाओं से कितना लाभ होने वाला है या इन से कितना नुकसान होने वाला है इस ओर भी हम को ध्यान देना चाहिए।

जब हम आमदनी की बात करते हैं, रेवेन्यु में हम आमदनी काफी बढ़ा सकते हैं। चाहे रोडवेज से हो, आप जानते हैं कि एक साधारण ठेकेदार होता था और दूसरे तीसरे दर्जे की सड़कों पर बसें चलाता है, ट्रान्सपोर्ट वालों का पेट पालता है, पुलिस वालों का भी पेट भरता है, अपना खुद का भी पेट भरता है। हमारे पास सबसे बढ़िया रूट्स हैं फिर भी कभी थोड़ा सा नफा, कभी घाटा होता है। इसके अन्दर हम को पूरी सख्ती बरतनी चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े। आपकी रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी है वह बहुत भारी है। इससे काफी आमदनी होती है लेकिन साथ-साथ इवेजन भी बहुत होता है। इस बात की ओर भी आप ध्यान दें कि अगर कर को, स्टाम्प ड्यूटी को कम करते हैं तो क्या

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आमदनी बढ़ेगी ? प्रयोग के तौर पर भी कुछ करके देख सकते हैं। आप जानते हैं पुराने राज्य के अन्दर आमदनी का सोर्स या तो भू-राजस्व था या शहरों और कस्बों में जमीन का बेचान था, उससे थी। मेरे देखने की बात है कि 100–150 रुपये के अन्दर एक बीघा जमीन मिलती थी आज एक गज या एक स्क्वायर मीटर की कीमत दो-तीन हजार है और कितने प्लाट्स बिके हैं लेकिन अन्ततोगत्वा इससे आमदनी क्या हुई ? तो इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं बधाई दूंगा जयपुर के पुराने निर्माता को जिसने जयपुर का निर्माण किया, एक अद्वितीय शहर बनाया। उसके बाद में किसी प्लानर ने, बाहर की बस्तियां बनायीं, सी-सकीम, सेक्रेटेरिएट बनाया। स्टेच्यु सर्किल अच्छा सर्किल है, यहां देखो तो ऐसा लगेगा, कि बड़े शहर के अन्दर आये हैं बनीपार्क में भी जांय तो वहां पर भी कलेक्ट्री के सामने एक बगीचा है, स्क्वायर है पर आपने जो प्लानिंग किया है उसमें दिल्ली से आयें तो क्या देखेंगे जयपुर में एरोड्रम से आयें तो जयपुर में क्या देखेंगे, भरतपुर से आयें तो जयपुर-शहर में क्या देखेंगे ? अजमेर से आयें तो क्या देखेंगे। फिर क्या टाउन प्लानिंग है ? यही नहीं, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं जिसको सिविल लाइन्स कहते हैं। कहीं भी छोटे-छोटे प्रदेश में भी चले जाइये कुछ न कुछ सौंदर्य जरूर है अच्छी प्लानिंग है, बाग बगीचे हैं। यहां क्या है देखने को इधर से आयें या उधर से आयें। तो कहने का मतलब यह है कि टाउन प्लानिंग के अन्दर हम लोग पूरी तौर से असफल हुए। कितने लोगों ने करोड़ों अरबों की जमीन हथिया ली। उसमें हम कुछ नहीं कर सके। इसके बारे में मैं कहता हूं कि टाउन प्लानिंग खाली लाइन खींच दे तो मैं भी खींच सकता हूं। पर यह बड़ा गहरा काम है। शहर के बनाने के ऊपर लोगों की आदत निर्भर करती है। क्षमा कीजिए जयपुर वाले। परन्तु जयपुर सीधी सड़कों पर बसा हुआ है इसलिए कहते हैं कि यहां आपस में प्रेमभाव नहीं रहता है। कुछ सही भी हो सकता है। क्योंकि सीधी सड़कों के कारण वे एक दूसरे को खास जान पहचानते नहीं। बच्चे भी साथ खेल नहीं सकते हैं। जोधपुर और दूसरों शहरों में लोग ज्यादा प्रेम से रहते हैं क्योंकि बीच में चौक है और चारों तरफ लोग बसे हुए हैं। औरतें बाहर आयीं तो बात कर सकती हैं। बच्चे खेल सकते हैं। एक्सीडेण्ट का डर नहीं रहता है। वहां ब्याह शादी हो सकती है और कई सामाजिक कार्यक्रमों को किया जा सकता है। बुड्ढे आदमी औरतें बेकार रहती हैं उनको आपस में कम्पनी मिल जायेगी। चौक के बीच में छाया वाले वृक्ष लगा दीजिए। वहां बुजुर्ग आ जांय बहुएं भी बाहर बरतन मांजने आयें तो आपस में मेल मिलाप हो। बच्चे भी आपस में मिल कर खेलें हमारी जो संस्कृति है वह व्यक्तिवादी नहीं है। हम साथ रहकर बहुत ज्यादा सम्बन्ध रखने वाले हैं। हमारा भारतीय समाज है, संस्कृति है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। इसलिए इस सीधी लाइन पर पुनर्विचार करें। अगर ऐसा करेंगे तो एक्सीडेण्ट से बचेंगे। गुण्डागर्दी और आवारागर्दी से बचेंगे क्योंकि एक ही प्रवेश का रास्ता होगा। हर एक व्यक्ति आ नहीं सकेगा लेकिन टाउन प्लानर्स ने सोचा नहीं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मैं टाउन प्लानर्स से पूछता हूं कि आपने कितना अंदाजा लगाया था 1981 की पापुलेशन का, 91 का कितना लगा रहे हैं। जो आरम्भ में मास्टर प्लान का आकार था वह कितना रहा। जब जनसंख्या के बारे में आप विचार नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं साहब यह अप्रत्याशित था।

जब देश के अन्दर औद्योगीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, शिक्षा फैली है, गांव के अन्दर रोजगार के अवसर नहीं हैं, तो लोग एक जगह आ रहे हैं। दुनियां के दूसरे देशों के उदाहरण लेकर हम अध्ययन करें और उस हिसाब से नगर नियोजन करना चाहिए था, वह कुछ नहीं किया। 10 लाख का प्लान करते हैं, हो गये 20 लाख। 20 लाख का प्लान करते हैं, हो गये 50 लाख। तो न तो कोई आबादी पर नियंत्रण रहा, न कोई टाउन प्लानिंग हुआ, न लोगों का आपस में मिलने-जुलने का रहा। आप प्लाट देते हो। आप जानते हो कि हम परिवार को एक बहुत बड़ी यूनिट मानते हैं, एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं। पांच भाई हैं, एक थोड़ा अमीर है, बाकी गरीब हैं, तो जैसे वह पहले रहते थे कि एक ही घर के अन्दर वह सभी निवास करते थे, उसी का सिस्टम करो, ताकि गरीब-अमीर सभी साथ रह सकें। एक सामूहिक गैस्ट हाउस हो, सामूहिक बैठने की जगह हो, तो यह जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनका टाउन प्लानिंग में कोई ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरा यह है कि कुछ इस तरह की योजनाओं को ...

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक यह है कि हमारा शौक पक्की सड़कों की तरफ बहुत है। डामर की सड़कें खास तौर से और मुख्य जो सड़कें हैं, चाहे नेशनल हाइवे हो, चाहे स्टेट हाइवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे सब-डिवीजनल रोड हो, वहां तक तो मैं मानता हूं कि डामर की सड़कें होनी चाहिए लेकिन एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है तो डामर की सड़क की जरूरत नहीं होनी चाहिए और जो ग्रेवल रोड है, उस पर हमको ज्यादा जोर देना चाहिए लेकिन ग्रेवल रोड की तरफ विभाग कतई ध्यान नहीं देता है और न बनाता है। नतीजा यह है कि यह कीमती सड़कें, 2-3 लाख रुपये एक किलोमीटर पर लगे, वह कभी बन नहीं सकेंगी और इसका पैसा तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों और ठेकेदारों को जाता है और उसमें केवल अर्थवर्क होता है और उसमें एक गांव से दूसरे गांव को चारों

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तरफ से हम जोड़ सकते हैं और आप जानते भी हैं We have roads or we have no roads but we pay for roads and we pay more if we have no roads. सड़कें हर हालत के अन्दर जरूरी हैं इसलिए कच्ची सड़कों पर हम ज्यादा जोर दें। छोटे-छोटे स्थानों को जोड़ने के लिए, तो इससे हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। दूसरा, यह जैसे क्षेत्रीय हिसाब से बहुत दूर-दूर तक आप पानी पहुंचाना चाहते हैं, लिफ्ट से और दूसरी नहरों से। मेरा एक क्षेत्र ऐसा है, माननीय देवीसिंहजी जानते हैं, खिदरत से लगाकर बारू तक, राजस्थान नहर से सिर्फ दस किलोमीटर दूर, केवल दस मीटर की ऊँचाई, टेबल टॉप प्लेट, कोई एक दड़ा या डूबा उसमें नहीं है, बहुत ही उपजाऊ जमीन, और उसमें लिफ्ट नहीं दी जा रही है और जगह आप करोड़ों, अरबों खर्च कर रहे हैं और यह क्षेत्र ऐसा है जो सदा ही अकाल से, इस साल भी अकाल से पीड़ित है जबकि सब जगह वर्षा हुई है। तो इस तरह की जो प्रायोरिटी वाली योजनाएं हैं, जिनसे अपने को त्वरित गति से लाभ मिलता हो, उन पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने यह बहुत ही अच्छा किया है, मैं बधाई देता हूं कि मुंसिक न्यायालय आपने 20 या 25 बढ़ाये हैं। यह देखिये कि न्याय व्यवस्था सरकार का प्रथम दायित्व है। आज किसी गरीब आदमी का कोई खेत छीन ले, पिटाई कर दे, मकान छीन ले तो उसकी उम्र में उसको न्याय नहीं मिल सकता। 20–25 साल लगते हैं। तो अपनी यह क्या न्याय व्यवस्था है। इसलिए आपने अच्छी शुरूआत की है। मैं समझता हूं कि आपको न्यायालय ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए, ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके। अब कहने को तो बहुत बातें हैं, समय हो गया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : डाक्टर श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने जो मुख्यमंत्री और वित्त-मंत्री हैं, बजट प्रस्तुत किया है. उसके बारे में यही कहना चाहूंगी। एक संस्कृत का श्लोक है :—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख
भाग् भवेत्।

कोई दुखी नहीं हो, सब सुखी रहें, कोई किसी के लिए भयकारी न हो। यह बजट ऐसा है कि सबको सुख देने वाला है, मैं बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं, माननीय शेखावत साहब ने विकासोन्मुख बजट रखा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 60 प्रतिशत गांवों के लिए पैसे का प्रावधान किये जाने के कारण से यह ग्रामीण विकास.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विघ्न नहीं डालें, बैठ जायें।

श्री किशनाराम नाई : बोलो ना, बोलण दो। थारे कने और कोई रास्तो ही कोनी....

श्री सभापति : कृपया विघ्न नहीं डालें।

श्री किशनाराम नाई : और कोई बात ही कोनी ।

श्री सभापति : बैठ जाइये । डाक्टर उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 60 प्रतिशत गांव की ओर खर्च किये जाने के प्रावधान गांवों में किसानों को सुख मिलेगा और निश्चित रूप से जिनकी ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह धन्यवाद देंगे । माननीय शेखावत साहब ने शिक्षा, चिकित्सा ग्रामीण विकास, शहरी विकास के सम्बन्ध में और ऊर्जा और जल के क्षेत्र में इस तरह का समायोजन किया है, इस बजट में कि यदि गागर में सागर कह दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्रशंसा करना चाहूंगी कि आपने जिन किसानों से, सरपंचों से कांग्रेस सरकार ने काम के अधिकार को, जो 77 से 80 तक दिये गये थे कि वह गांव मे बैठे, तय करें और कार्य करें और खुद 7–7 हजार की तीन योजना बनायें । एक खत्म हो जाये फिर एक और बना लें, वह कार्य भी माननीय शेखावत साहब ने पहले किया था उसी अनुरूप अब हजार के कच्चे कार्य 50 हजार के कार्य का अधिकार सरपंच को दिया है, जो कांग्रेस ने वापस ले लिया था और मैं समझती हूं, इतना था नहीं । अब जो बढ़ाकर दिया है तो गांव में विकास की गंगा निश्चित रूप से आयेगी । ग्रामीण जन जैसा चाहेंगे, अपने-अपने क्षेत्र का विकास कार्य कर सकेंगे । अन्त्योदय की योजना गरीबों के हित में पुनः लागू की गई, मैं बधाई देती हूं । जो कार्य जवाहर योजना के तहत पहले किये जा रहे थे, उनमें और सुधार कर के जिस रूप में लाया गया है, निश्चित रूप से कार्य होंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना का जो निर्णय लिया है, एक बहुत अच्छा निर्णय है । इससे हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, प्रतियोगिता में आकर, उनको अपनी-अपनी शिल्प दिखाने का मौका मिलेगा और बोर्ड के माध्यम से सहूलियतें मिलेंगी । मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय शेखावत साहब से, कुछ बातें हैं, सबने बजट पढ़ा है, मैं एक-एक बिन्दु की प्रशंसा करना चाहूं, तो भी कम होगा लेकिन कुछ बातें छूट गई हैं, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वह जब अपना भाषण दें, तब उसमें उनका समायोजन भी कर लें, जिनसे लोगों को सुविधा हो । कृषि भूमि के सम्बन्ध में रूपान्तरण का मामला बहुत वर्षों से अटका हुआ है । कांग्रेस ने उसको अटका छोड़ा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विकास शुल्क की जो····

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : आपने उसको उलझा दिया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कृपा करके चुप रहेगें या पहले आपकी बात का जवाब दूं ?

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 25 रुपए विकास शुल्क तय करके इस मामले को सुलटायें । केवल जयपुर में ही 40 हजार आवासी ऐसे हैं जो इस कारण सुखी हैं कि यह मामला अभी सुलझ नहीं रहा है, यद्यपि माननीय शेखावत साहब ने बेरी कमीशन के रूप में एक तीन-सदस्यीय समिति बनाकर इस मामले को निपटाने का सोचा । उसकी रिपोर्ट आ गयी, उसको कबसे लागू किया जायेगा, यह मैं समझती हूं वे अपने भाषण

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कच्ची बस्तियां कांग्रेस के राज में विकसित नहीं हो पायी, उनका समाधान नहीं हो पाया जबकि बराबर घोषणा की गयी कि हम समाधान करेंगे। श्री शिवचरण जी माथुर ने अपने जन्म दिन पर 59 पट्टे बांट दिये, कभी राष्ट्रपति को बुलाकर कुछ पट्टे बंटवा दिये। इससे काम चलने वाला नहीं। मेरा सुझाव है कि बस्ती के अनुसार शिविर लगाकर इन बस्तियों में जितने लोग आज बैठे हैं उनका निपटारा करेंगे तभी निपटारा हो सकता है। अन्यथा यह एक ऐसी असाध्य बीमारी हो जायेगी कि कभी निबटने वाली नहीं होगी। बस्तीवार कैम्प लगाकर जो जो सुविधा देनी है-जल, बिजली, सड़क, वह पहुंचाकर उनको समुचित बसाया जाय। इस बड़े शहर राजधानी में अभी भी स्लम्स रहें, यह कभी शोभनीय नहीं रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नगर निगम की हमारी मांग रही। नगर निगम बनाया जाय, यह सिद्धान्तः सरकार ने भी स्वीकार किया। वार्डों का परिसीमन हो और विकास प्राधिकरण भंग किया जाना चाहिएं। यह कार्य नहीं करता, कार्य को उलझाता है और एक वितृष्णा-सी पैदा करता है। सुख-सुविधा की कोई उम्मीद इससे नहीं करनी चाहिए, इससे मोह भी नहीं करना चाहिए। इसको भंग किये जाने की घोषणा सरकार शीघ्र से शीघ्र करेगी, मैं ऐसा उचित समझती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ वर्षों पहले विद्युत और पानी में व्यावसायिक दरें लागू की गयी थीं, जो कि हमारे प्रदेश के 5–6 नगरों में हैं। जब हमने पानी की दरों में एक हजार गैलन पर इतनी, एक गैलन पर इतनी, उससे ज्यादा पर इतनी अर्थात् जितनी खपत की जायेगी उस खपत पर पैसा बढ़ा दिया तब यह उचित नहीं लगता कि उस पर व्यावसायिक दरें लागू रखें, पूरे मकान में कहीं कोई एक बोर्ड लग गया तो उससे व्यवसायिक दर वसूल की जाय। मैं समझती हूं कि सरकार निर्णय तो ले चुकी अब इसको यहां पर स्पष्ट करेगी कि इसे कब समाप्त करने जा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर एक ही मकान पर कई तरह के टैक्स लिये जाते हैं। हाउस टैक्स भी है और भूमि-भवन कर भी है। इसको एक तरह से करके एक टैक्स लें, जिससे इसकी विविधता से लोगों का कष्ट मिटे। इस सुझाव के बारे में मैं चाहूंगी कि उत्तर के रूप में जब अपना भाषण देंगे, माननीय मंत्रीजी, तब बोलेंगे।

एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि जयपुर की जल समस्या के समाधान के लिए बीसलपुर योजना से जयपुर को इसी वर्ष जोड़ने के लिए एक अच्छी राशि का प्रावधान किया गया है। यह कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। रामगढ़ का बंध बिलकुल सूख गया, उसकी खुदायी होनी चाहिए जिससे आने वाली वर्षा का जल वह ज्यादा ग्रहण कर सकें, उसका लाभ मिले। बीसलपुर योजना ही नहीं, मैं सुझाव देना चाहती हूं कि चम्बल को भी जयपुर तक लाना चाहिये। जब तक इन दोनों नदियों का पानी जयपुर में नहीं आ पायेगा, जयपुर की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अधिग्रहण क्षेत्र के छोटे मोटे सीलन के जो खेत हैं या छोटे मोटे नाले हैं उनमें जो कुएं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खोदे जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से आस-पास के खेत सूख गये। ग्रामीण जन इतने दुखी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं वे आन्दोलन पर उतारू हैं। या तो उनको समझा बुझाकर काम करें वर्ना मेरी विस्तृत योजना आपको बताना चाहती हूं, मैंने पहले भी बताया है कि गावों के फूटे हुए छोटे-मोटे बांधों की मरम्मत होनी चाहिये। वह चाहे जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे युद्ध स्तर पर अन्य कोई योजना बनाकर की जाय। इतना पानी आता है, मूसलाधार बरसात भी होती है लेकिन बहकर चला जाता है। उस पानी के संधारण का कोई तरीका मालूम नहीं पड़ रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इन छोटे छोटे तालाबों का कार्य करे जो चाहे सिंचाई के काम आते हैं चाहे पेयजल के काम आते हैं। राज्य सरकार का सबसे पहला कार्य पेयजल उपलब्ध कराना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह धन्यवाद देने की बात है कि पांच हजार हैण्ड पम्पों द्वारा ढाणियों और माजरों में पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। लेकिन उसमें पाबन्दी क्यों एक छोटा गांव, उसमें सौ की संख्या हो या साठ की हो या चालीस की हो, उस संख्या पर पाबन्दी क्यों? एक ओर तो हम कहते हैं कि परिवार नियोजन का कार्य करें, राष्ट्रीय कार्य है और दूसरी ओर सीमा लगा दी पानी की, जिस तरह कांग्रेस ने 250 की सीमा लगा रखी थी और 250 पर भी एक नल नहीं मिलता था। मैं बधाई देती हूं, जलदाय मंत्रीजी ने काफी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है जल पहुंचाने का, लेकिन यह जो पाबन्दी लगाई है तत्काल इसे हटा लें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य होगा।

मैं तो बिन्दु पर बोल रही हूं, विस्तार से बोल नहीं रही। मैं कहना चाहूंगी कि 1980 से नौकरियों में पाबन्दी है, पढ़े-लिखे लड़के दर-दर भटक रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछलीबार 31 से उम्र बढ़ा कर 33 कर दी, लेकिन कुछ लोग हैं जो 33 को भी पार करने चले हैं। यह एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं....

श्री सभापति : ये समाप्त करने वाली हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : गर्मी काफी है, ए. सी. चलवा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चिकित्सक, शिक्षक ऐसी टैक्निकल पढ़ाई करे हुए, जो बी. एड. भी कर चुके, द्वारा शिक्षा प्राप्त कर चुके। उनको भी नहीं मिल रहा है रोजगार। रोजगार कार्यालय के द्वारा भी रोजगार नहीं दिया जा रहा। उस पर अलग-अलग विभाग अपनी कुछ वाण्टस निकालते हैं उसके आधार पर नियुक्ति मिलती है। इससे अव्यवस्था इतनी बढ़ी है कि युवाओं में आक्रोश है। अपने स्वरोजगार योजना के तहत पैसा देकर उनको रोजगार देने की बात कही, उसके लिए तो मैं बधाई देती हूं लेकिन नौकरियों पर से पाबन्दी उठाने का मैं आपसे आग्रह करती हूं और यह निवेदन करना चाहती हूं कि नियोजन कार्यालयों द्वारा ही नियुक्तियां होनी चाहिये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो दो तीन बातें कहूंगी, पहले ही बहुत व्यवधान हो चुका।

श्री सभापति : सबको ही बोलना है कुछ न कुछ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो तीन मिनट में समाप्त करती हूं। राज्य का सारा कार्य हिन्दी में होना चाहिये। हिन्दी में कार्य करने की बाध्यता के लिए हमने, कई बार कहा। मुझे दुख है कि अबकी बार बजट स्पीच का एक भाग अंग्रेजी में छपा मध्य प्रदेश ने, जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिन्दी में कार्य चालू किया और चुंगी माफ की। उन्होंने जैसी व्यवस्था की, उन कामों से उदाहरण लेकर हमको जो मौलिक चिन्तन की चीजें हैं उनको लागू करना चाहिये अपने प्रदेश में।

साथ ही गांवों में एक विभीषिका बन गई शिक्षकों के असम्मान की। पंचायतों से शिक्षा तत्काल वापस ली जानी चाहिये क्योंकि जो शिक्षक चपरासी की तरह खड़ा रहेगा वह निश्चित रूप से पढ़ा नहीं पायेगा। मेरे ये कुछ सुझाव हैं, अन्य सुझाव मैं कभी बाद में देने का प्रयास करूंगी। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरमल। (अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री रामकिशन : सभापति जी, महिला के बाद महिला बोल सकती है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिलाओं के बोलने में पुरुष आपत्ति क्यों करते हैं ? आपको क्या परेशानी है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो मुख्य मंत्रीजी को, जो वित्त मंत्री भी हैं, बधाई देना चाहूंगी कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके वह अपना दूसरा बजट रखने में सफल हो गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल ही नहीं होता है बल्कि वह जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का, राज्य के संसाधनों के परिपेक्ष्य में नीतियों और प्रयासों का एक दस्तावेज भी होता है और इसीलिए उस दस्तावेज में राज्य की जनता को अपने भविष्य की झलक दिखाई देती है। मैं इस बजट को यदि देखूं और कहूं तो निश्चित तौर से मुझे यह कहना पड़ेगा कि इसमें न तो पिछली उपलब्धियों का कोई लेखा जोखा है और राजस्थान की जनता को अपने भविष्य की बहुत धुंधली तस्वीर दिखाई देती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं, पिछली बार 1990–91 में खुद मुख्य मंत्री और वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो कहा था, उसको थोड़ा कोट करना चाहूंगी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि–

"वर्षा की कमी, निरन्तर रूप से पड़ने वाले अकाल, ऊर्जा के स्रोतों का अभाव, कुछ ऐतिहासिक विरासत और कुछ भौगो-

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

लिक विषमताओं के फलस्वरूप, विकास की यात्रा में राजस्थान पीछे रह गया है। देश के चौदह बड़े राज्यों की उपलब्धियों की नवीनतम तुलनात्मक जानकारी के आधार पर, गांवों को सड़क से जोड़ने की दिशा में हमारा तेरहवां स्थान है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा की दृष्टि से बारहवां स्थान है, ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में भी हम बारहवें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति विकास कार्यों पर खर्चे की दृष्टि से हम आठवें हैं और प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्रम संख्या नौवीं हैं, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में भी हम नौवें स्थान पर हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग में हमारा स्थान तेरहवां है और शिक्षा के क्षेत्र में हम चौदहवें स्थान पर हैं।"

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से केवल इतना-सा स्पष्टीकरण चाहूंगी, इस एक साल में इन विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर हम कहां क्या उन्नति कर पाये, यह हम देखें तो बड़ी निराशाजनक तस्वीर दिखाई देती है और वह यह है कि पर कैपिटा इन्कम में जहां हमारा पिछले वर्ष 9वां स्थान था वह तो हो गया 10वां, शिक्षा के क्षेत्र में लिटरेसी का प्रतिशत वही 24·38 है, जो पिछले 10 साल से लगातार चला आ रहा है : 890 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करने के बावजूद, इस बार 890 करोड़ रुपये से अधिक शिक्षा पर खर्च करेंगे उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को जो अपना भविष्य दिखलाया है वह बड़ा निराशाजनक है। वह इसलिए के पूर्व शासन के 5 हजार स्कूल बन्द करके पूरे एक साल तक एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई, 5 हजार बन्द करके इस साल केवल हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। 30 जिले बना दिये, 30 जिलों में 25 प्राथमिक शालाओं को अपर प्राथमिक अर्थात मिडल बनायेंगे और 25 ही मिडल को सैकण्डरी बनायेंगे। यह करके मैं इतना कह देना चाहती हूं कि पिछली बार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो जरूर दो नये कालेज और 10 नये विषय खुले थे लेकिन बाकी प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और सैकण्डरी के अन्दर तो किसी प्रकार की स्कूलें खुलीं विषय और न ही कोई उपलब्धि उन्होंने की। फिर यह और दावा करते हैं कि अगले वर्ष तक हम सारे प्रान्त के अन्दर सम्पूर्ण साक्षरता कर देंगे। कैसे कर देंगे ? जादू के डण्डे से कर देंगे। यह बजट तो नहीं बताता है कि अगले वर्ष तक हम सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि यह शिक्षा का हाल है जो कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। किसी भी क्षेत्र के अन्दर उन्होंने रत्ती भर प्रगति साल भर के भीतर की नहीं। पिछले वर्ष जो 30 करोड़ की बचत बताई वह तो धन राशि लैप्स होने के कारण प्रतीत होती है।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाया। उन्होंने कई योजनाओं के बारे में कहा था कि "राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धौलपुर, सूरतगढ़ व मांडलगढ़ ताप विद्युत परियोजनायें भारत सरकार में अटकी पड़ी हैं एवं कारगर ढंग से पैरवी नहीं किये जाने के कारण

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

पिछली सरकारें इन्हें मंजूर नहीं करा पाई थीं। ऐसी ही हालत पलाना लिग्नाइट योजना की है। यदि यही हालत रही तो आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग व सप्लाई का अन्तर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जायेगा।"

यह तो हुआ हमारे पिछले साल का रिकार्ड कि क्या हुआ, कैसे पिछली सरकारें कमजोर थीं। बड़े जोर-शोर से वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी, मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, श्री शिवचरणजी माथुर उस समय मुख्य मंत्री थे, उस समय कहते थे कि आप अपने मांडलगढ़ की योजना को ही मंजूरी नहीं दिलवा सके तो आप राजस्थान के विकास का क्या दम्भ भर रहे हो। लेकिन अब मुझे बड़ी हंसी आती है। धौलपुर की योजना का क्या हाल हुआ? जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट भाषण में और इस बजट भाषण में दुबारा कहा है कि ये हमारी सारी की सारी योजनायें जो कई बार नामंजूर हो गई थीं उनको हमने वापस मंजूर करवा लिया है लेकिन वे यहां पर नहीं हैं। उन्होंने श्री शिवचरणजी माथुर की श्रेणी में अपने को कमजोर नेतृत्व की श्रेणी में बैठा लिया है। बताओ मुख्यमंत्री जी आपकी +++। धौलपुर की योजना तो गई गड्ढे में। उसका तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पिछली बार विद्युत सैक्टर में 238 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। 238 करोड़ रुपए में से 112 करोड़ तो इनमें खर्च करने थे ट्रांसमिशन लाइनें बनाने के लिए....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, +++ शब्द असंसदीय है, इन्हें एक्सपंज करवाया जाय।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोई असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे आपत्ति नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ असंसदीय नहीं है।

श्री सभापति : हां, ठीक है, कह दिया, नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, +++ को असंसदीय बता रहे हैं मुझे एतराज है।

श्री सभापति : ठीक है, बात समाप्त हो गई। कृपया चालू करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं बहुत ध्यान रखती हूं कि कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करूं.... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यदि यह संसदीय है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं है। समय का ख्याल रखें।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्या ने यह बात कही है उनके +++ है इसलिये यह कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री हरिसिंह : +++ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : चालू रखिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूं कि कोई असंसदीय शब्द मेरे मुंह से कम से कम सदन में नहीं निकल जाय। मैंने किसी भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मुहावरों का प्रयोग तो होगा और होता रहेगा। मैंने मुहावरे का प्रयोग किया है यदि माननीय सदस्य नहीं समझ पाये तो उस का मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विद्युत के अन्दर पिछली बार 238 करोड़ रुपये के बजट की बात कही थी। उसमें 112 करोड़ रुपए खर्च किये जाने थे ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और वितरण के ऊपर। पैसा उन पर खर्च नहीं किया गया। अब उसकी कुछ बिलिंग कर दी गई हो सामान मंगवाने के लिए, तो अलग बात है, बाकी वह पैसा कतई खर्च नहीं किया गया। मुझे अफसोस है, माननीय सभापति महोदय, (व्यवधान)

आप सुनिये। सुन तो रहे नहीं हैं आप लोग और न सुनना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि विद्युत के क्षेत्र के अन्दर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में पिछली बार कही और राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि हम आज 22 पर्सेन्ट की शार्टेज में हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी शार्टेज 35 पर्सेन्ट तक हो जायेगी। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि एक भी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को हम अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। चित्तौड़गढ़ के सुपर थर्मल पावर मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में हवाला दिया है और यह कहा है कि भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के अन्दर निजीकरण के इस प्रस्ताव के बारे में जो हिदायत दी है मैंने भी उसकी मांग की है और मैं भी चाहता हूं कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो। लेकिन मैं उन्हें इस खतरे से आगाह कर देना चाहती हूं, ढाई साल बीत गए, चित्तौड़गढ़ का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो था उसका लाइसेन्स दिया गया था सैन्चुरी मिल वालों को, बिड़ला को। आज दिन तक, ढाई वर्ष के अन्दर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करके उन्होंने नहीं दी। कब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आई? कम से कम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा होने के अन्दर पांच वर्ष लगते हैं। अभी तक भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके नहीं दी है।

श्री हरिकुमार औदित्य : प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी तक नहीं आई है, मुझे मालूम है। चैलेंज करती हूं आपको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक सब्मिट नहीं की गई है। सभापति महोदय, यह हाल तो चित्तौड़गढ़ का है।

बरसिंहसर की बात कहते हैं कि बरसिंहसर नैवेली लिग्नाइट से हमने मंजूर करा लिया। उसकी पोजीशन यह है, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां हैं नहीं, मन्त्रिमण्डल के सदस्यों, आपको कहती हूं, आप बताना, वे जवाब देंगे मेरी इस बात का कि उस बरसिंहसर का नैवेली लिग्नाइट के साथ जो एम. ओ. यू. हुआ था उसकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ने क्लियरेंस कर दी, लेकिन क्लियरेंस के साथ एक कन्डीशन जोड़ दी। कन्डीशन यह कि इसको भारत सरकार मन्जूरी दे। इसका मतलब केबिनेट के पास वह मामला जाएगा और अब केबिनेट कुछ कर ही नहीं सकती है, नीतिगत फैसले कुछ कर नहीं सकती है इसलिए मामला आया गया हुआ। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि अब वह भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन पड़ा हुआ है। भारत सरकार अब उसे कर नहीं पाएगी। कोई नयी सरकार आएगी तब बात और है। तो, बरसिंहसर भी गया। पीछे बचा केवल एक सूरतगढ़। सूरतगढ़ की सुपर ताप थर्मल की जो योजना है उसको आप करवा सकते हो क्योंकि क्लियरेंस है। उसकी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोल लिंकेज के बारे में भी एश्योरेंस मिल गया है कि दे दी जाएगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में, जल्दी से जल्दी भी पूरा करें तो भी कम से कम चार–साढ़े चार साल लगते हैं। और यह प्राइवेटाइजेशन के चक्कर के अन्दर फिर पड़ रहे हैं। मैं कहती हूं कि आपके पास एक्सपर्टीज की कमी नहीं, आपके पास टेक्निकल नो–हाउ की कमी नहीं। आपके पास इतने इन्जीनियर्स हैं जो कोटा के ताप थर्मल पावर को चला रहे हैं तो फिर आप सूरतगढ़ का उनसे क्यों नहीं बनवा सकते ? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार सारी अपने नीतियों को उल्टी दिशा क्यों दे रही है। कहां तो हम छोटी–छोटी चीजों के नेशनलाइजेशन की बात करते थे और कहां अब हम विद्युत उत्पादन की भी निजीकरण की बात करने लगे। इस निजीकरण के जरिए....खतरों को आपने मापा नहीं है। एक दिन भी यदि पावर स्टेशन को ....कर दिया तो सरकार गिरने की स्थिति में जो सकती है। (व्यवधान)

अब आप मेरे को सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद टोकिए। सभापति महोदय, मैं प्रोटेक्शन चाहूंगी आपका कि आप इनको थोड़ा अनुशासन में रखें।

मैं निवेदन कर रही थी कि आप इसे साढ़े चार साल में पूरा कर सकते हो यदि आप इसे अपने विद्युत बोर्ड से बनवाओ तो। मैंने जैसा आपसे कहा कि कमी है तो केवल पैसे की। मुख्य मन्त्री जी तो खुद ही कह रहे हैं, खुद ने अपने भाषण में कहा है कि विदेशी सहायता के बलबूते पर हम इस तरह के कई उद्योग धंधे लगाएंगे। तो इसमें विदेशी सहायता क्यों नहीं ले रहे ? विदेशी सहायता के आधार पर क्यों नहीं इस सूरतगढ़ को शुरू कर रहे हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सभापति महोदय, एक तरफ तो यह हाल है और दूसरी तरफ हाल यह कि 70 करोड़ रुपया, इस विद्युत बोर्ड को सबसे बड़ी आमदनी देने वाला कोई सैक्टर यदि है तो वह है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में एक तो वैसे ही यहां की इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सबसे ऊंची, गुजरात के बाद तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की टैरिफ सबसे ऊंची है, और उसके बाद में राजस्थान के किसान से 70 करोड़ रुपया वसूल किया गया है, सारे घाटे की जिम्मेदारी जैसे यहां के किसान के ऊपर है। बाकी सैक्टर में छूट दी गई है। उद्योगों को छूट दी गई है और सारा का सारा बोझ यहां के कृषि उपभोक्ताओं के ऊपर लाद दिया गया है, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, अपनी नयी विद्युत नीति के जरिए। नयी विद्युत नीति की एक छोटी-सी पुस्तक सबके पास पहुंची है। मुझे सबसे अधिक अफसोस तो इस बात का है, मैंने सुना तो यह था कि हाकिम चला जाता है हुकम नहीं जाता है लेकिन भैरोंसिंह जी की यह जो सरकार है, उनके नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके हाकिम के साथ-साथ हुक्म भी जाता है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है। इसी सदन के अन्दर मेरे घोषणा करने के बाद, इस सदन में मैंने घोषणा की थी कि किसी की दरख्वास्त लेने के 25 रुपए को एक हजार रुपए नहीं किया जाएगा, 25 रुपए ही रखा जाएगा। ताइद करेंगे उधर बैठने वाले लोग भी और इधर बैठने वाले लोग भी, लेकिन उसके बाद आज दिन तक वही एक हजार रुपया प्रार्थना पत्र के साथ लिया जा रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सामान्य के लिए नहीं है यह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय हरिकुमार जी, आपको पता नहीं है, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं सारी बातें सुन रहा हूं, लेकिन 25 रुपया जनरल में नहीं है वह प्रायोरिटी के लिए है।

अनेक माननीय सदस्य : सबसे एक हजार पच्चीस लिया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मन्त्री जी को राइट आफ रिप्लाई है, वे हर बात का जवाब दें। मैं गलत बात कहती हूं तो वे बराबर कहें कि पिलानी से आने वाली सदस्या ने सदन को गुमराह किया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने सदन का जिक्र किया है इसलिए बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोलता। मैंने सारी बातें नोट कर लीं, मैं बोला कुछ नहीं। आपने कई बातें गलत कहीं लेकिन मैंने टोका नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साधारण कैटेगरी वालों से तो अब जमा करवाने का प्रश्न यूं नहीं पैदा होता कि उनकी एप्लीकेशन तो 1982-85 से पहले की है, इसलिए उनका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप समझे नहीं औदिच्य साहब, मेरे कहने का मतलब तो यह है। मैं एक हजार रुपए की बात ही नहीं कह रही हूं, एक साल की प्रायोरिटी लेनी है तो हजार दो; दो साल की प्रायोरिटी लेनी है तो दो हजार रुपए

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जमा करवाओ। नयी विद्युत नीति में यह भी है। इसका मतलब यह हुआ, गरीब के लिए जिस वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं मुख्य मन्त्री जी और कहते हैं कि मेरे खजाने के ऊपर गरीब का पहला हक होगा, उन मुख्य मन्त्री जी को मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि गरीब का पहला हक नहीं है बल्कि विद्युत बोर्ड के अन्दर एक हजार रुपए दे दो और एक साल की प्रायोरिटी पाओ; दो हजार रुपया दे दो और दो साल की प्रायोरिटी पाओ। यह विद्युत नीति बनी है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं एक आदेश पढ़कर सुनाना चाहूंगी। यह आदेश निकला राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार का आदेश है। 10/10/90 का, इसकी जो धज्जियां उड़ी हैं वह भी बताना चाहूंगी। हमारी सरकार का यह आदेश था।

In exercise of the power conferred by sub-section 1 of section 78(A) of the Electrticity (supply) Act, 1948; यह 78(ए) हुआ, जिसमें राज्य सरकार निर्देश देती है (व्यवधान) सुनो +++ सुनो ये +++ क्या करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। Central Act 54 of 1948, the State Government

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्या ने सदन के सभी सदस्यों को +++ कहा है।

श्री सभापति : इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैंने कहा कि +++ क्यों करते हो। मैंने +++ नहीं कहा।

श्री सभापति : दुबारा नहीं कहें। कृपया जारी रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार का आदेश है, सुन लीजिए, आपकी सरकार का है :

The State Government hereby give the following directions to the Rajasthan State Electrictiy Board :—"Rajasthan State Electricity Board will allow a subsidy of Rs. 4000/- per pole of 11 KV/LT lines required to be extended for releasing agricultural connections to the pending applications of general category received upto 1.4.1982, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes categories received upto 1.4.1985. The subsidy will be allowed for the poles required for releasing agricultural connections @ one pole per HP connected load subject to a maximum of 19 poles per connections."

+++ शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लेकिन इस 10-10-1990 के आदेश को, 25 तारीख को हमने त्याग पत्र दे दिया, विद्युत बोर्ड ने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फैंक दिया। आज भी तीन पोल के बाद में पूरे तीन हजार दो सौ पचास रुपये लोगों से वसूल किये जा रहे हैं। यह आदेश है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं मेरी पार्टी का टाइम ले रही हूं।

श्री सभापति : अभी बहुत लोग हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहती हूं; माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कई जगह मैंने-मैंने करके शब्द कहा है। भेल, कोल इण्डिया, एन.टी.पी.सी. के 39 40 करोड़ रुपये थे वे सीधे भारत सरकार ने हमारे काट लिये। ऐसा पहले भी होता रहा है लेकिन मैंने जोरदार पैरवी की है इसलिए आगे से नहीं कटेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को दुरुस्त करना चाहती हूं (व्यवधान)

मैं उन्हें करेक्ट करना चाहूंगी। दुरूस्त से मेरा मतलब है करेक्ट। केवल एक बार कटा है पहले 1985 में····

श्री सभापति : आपकी पार्टी में भी बहुत लोग बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी पार्टी में बोलने वालों की चिन्ता आपको क्यों हो रही है? मुझे चिन्ता है।

श्री सभापति : आपने बीस मिनट ले लिये हैं, आप कृपया बता दीजिए किसका नाम काटना है। समय काफी हो गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलेंगे तो क्या होगा? आप मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं? आपके सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे मेरी बात तो पूरी कहने दीजिए।

सभापति महोदय, मैं कह रही थी कि एक बार काटा पहले। उसके बाद अब मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी के हाथ में, जबकि हर बार कहते हैं मैंने ऐसा सुझाव दिया विद्युत मंत्रियों की कान्फ्रेन्स में यह कहा, वह कहा। 39 करोड़ पूरा कट गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि चुनाव से पहले मुख्य मंत्रीजी ने जनता से कई वायदे किये थे। हम भी साथ थे, हमें इस बात का अफसोस है। हम लोगों को क्या कहें। तीन बड़े-बड़े मुद्दों के ऊपर जाइण्ट मेनीफेस्टो था, आपके इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी थे और हमारे में भी थे तीन बड़े बड़े वायदे। वृद्धावस्था पेंशन और गरीबों की कर्जा माफी। गरीबों की कर्जा माफी कैसे की, वह तो मैं क्या बताऊं आपको? डिफाल्टर्स को फायदा मिल गया, लेकिन जो आदमी लगातार टाइम के ऊपर अपनी किश्त चुकाता रहा ऐसे एक आदमी को एक नया पैसा भी रियायत नहीं दी गयी। जो डिफाल्टर्स थे यह रियायत उन्हीं को मिली है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्जा नहीं चुकायें, सरकार का पैसा हजम करने की नीयत रखें, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिला है। बाकी जिसने समय पर अपनी किश्त चुकाई है ऐसे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

एक आदमी को भी फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, इसके बारे में भी आप सोचिये कि उन लोगों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए जो लोग समय के ऊपर अपनी किश्तें चुकाते रहे हैं। यह सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए। आपको जाना पड़ेगा चुनाव में, लोग पूछेंगे जब, तो क्या जबाब देंगे आप?

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी मुख्य मंत्री को याद दिलाना चाहूंगी, क्या हुआ वृद्धावस्था पेंशन का? जिस वृद्धावस्था पेंशन की बात हम चुनाव की हर मीटिंग में किया करते थे कि 65 साल से बड़े हर आदमी को हम सम्मानजनक पेंशन देंगे, उसकी उम्र के आधार पर यदि उसे राजकीय खजाने से कोई और तरीके से पेंशन नहीं मिलता है, तो सम्मानजनक पेंशन देंगे। उस सम्मानजनक पेंशन का क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिए। बहुत समय हो गया। बहुत लोगों को बोलना है। मुझे तो सबकी बात देखनी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी पार्टी का समय ले रही हूं।

श्री सभापति : 15 माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं मेरी पार्टी का समय ले रही हूं। माननीय सभापति महोदय, आप करते हो मुझे डिस्टर्ब। आप मेरा समय जाया करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रही थी कि बड़ा ढोल पीटा था आपने कर्जा माफी का, लेकिन हश्र जो हुआ वह सबके सामने हैं।

मैं इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस साल के बजट में आपकी टैक्स रेवेन्यू घटी है। आपका स्वयं का दिया हुआ जो आय-व्ययक है, बजट स्टडी इसके मुताबिक आपकी टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है और नोन टैक्स रेवेन्यू घट रही है जो कि अच्छे बजट का लक्षण नहीं है। इसके साथ ही कहते हैं कि हमने गरीब को गणेश मान कर यह ग्रामीण विकास योजना शुरू की है। योजना शुरू की है, लेकिन सोशियल सर्विसेज के अन्दर जो खर्चा हो रहा है उसका प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले इस साल घटा दिया है। कैसी वेलफेयर स्टेट हुई जो सोशियल सर्विसेज में अपना खर्चा घटा दे और थोथे नारे दे? वह कैसी वेलफेयर स्टेट हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई?

सभापति महोदय, इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूंगी। मैंने जैसा कहा था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भौगोलिक, ऐतिहासिक सारे पिछड़ेपन के कारण दे-दिला कर स्टेट के बारे में कहा था कि हम सारे क्षेत्रों से सबसे पीछे हैं। लेकिन पर केपिटा इन्कम के हिसाब से मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, साल भर में, आधे समय मैं भी, अपने आपको शामिल करती हूं हमने क्या उसके बाद में आपने क्या किया? हमारी पर केपिटा इन्कम पिछले वर्ष से इस बार घट गयी है। सबसे अधिक तमाशे की बात तो एक और है सभापति महोदय। यह जो

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आय–व्ययक अध्ययन दिया है इसमें अलग आंकड़े दिये हैं। आय-व्ययक अध्ययन में तो पर केपिटा इन्कम राजस्थान की बताई 2595 और यह जो बजट एट ए ग्लांस है इसमें बता दी है 3595 मगर इतने विशाल वित्त मंत्रालय में चैक करने का किसी ने कष्ट नहीं किया कि हम ऐसी बात लोगों को कहने जा रहे हैं जिसमें हमारे आंकड़े अलग-अलग हैं। 3595 लिखा है जबकि 2595 है। हम नवें नम्बर पर थे पिछले वर्ष। इस वर्ष पर केपिटा इन्कम के हिसाब से हम इण्डियन एवरेज से बहुत पीछे हैं। इण्डियन एवरेज तो आज 3366 है और हमारी है 2595, लेकिन उसके बाद भी पिछले वर्ष से इस बार हम और नीचे चले गये हैं। पिछली बार हम नवें नम्बर पर थे और इस बार 10 वें नम्बर पर हैं। यह उल्टी प्रगति हमने जरूर कर ली है कि 10 वें नम्बर पर आ गये। माननीय सभापति महोदय, पर केपिटा इन्कम के अन्दर इतना ही नहीं 17 राज्यों में केवल दो राज्यों से आगे हैं उड़ीसा और यू.पी. से। इसके अलावा बाकी के फिगर्स नॉट एवेलेबल हैं, एन.ए.एन.ए. लिखा हुआ है तो हम केवल दो स्टेट्स से ही आगे बढ़ करके हैं बाकी हम सबसे पीछे हैं। एक साल की उपलब्धि हमारी यह हुई है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, जैसा कि शुरू में ही हमारी शिक्षा के मामले में मैंने बताया था कि 890 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद हमारी स्थिति क्या है? कितना सा हम एक्सटेंशन कर पायेंगे? रिडीकुलस। 30 जिलों में एक-एक स्कूल तो खोलते। आप चाहें अपने ही क्षेत्रों में खोल लेते। लेकिन एक जिले के एक तो हिस्से में आना चाहिये। 30 जिलों में 25 स्कूल का बंटवारा कैसे करेंगे? कौन से 5 इसमें रह जायेंगे, मेरे यह बात समझ में नहीं आई।

इन सबके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि आपके राज्य का जो पब्लिक डेट है वह भी पिछले साल की तुलना में इस साल करीब-करीब दुगना हो गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगी इन वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद, उन्होंने बार-बार केवल एक ही बात का एक ही भाषा का प्रयोग किया है मैंने ऐसा किया मेरी सरकार ने ऐसा किया, मैंने यह सुझाव दिया, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान को तो कोई और संभाल लेगा, आप तो बिल्कुल इण्डियन स्टेट्स के, बिल्कुल नेशनल लेवल के लीडर हो चुके हैं। वहां आपकी आवश्यकता भी है, क्योंकि बी. जे. पी. में इनसे योग्य आदमी नहीं दिखाई देता (व्यवधान) देखिये, इनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह तो टीम ही ऐसी आ गई, भैरोंसिंह जी, क्या कर सकते थे? (व्यवधान) हम भी पहुंचे थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, वे तो नेशनल लेवल पर पधारें, राजस्थान तो छोटा सा प्रदेश है। कोई भी संभाल लेगा। यहां तो घाटा ही होता है, घाटा ही होता रहेगा। क्योंकि पिछले 10....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(श्री सभापति)

आपकी विद्वता में कोई शंका नहीं आती। कृपया समाप्त करें।"

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसन पर होकर आपने मुझे प्रमाण-पत्र दे दिया, आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कि वे अब नेशनल लेवल पर पधारें राजस्थान को कोई और संभाल लेगा, ताकि राजस्थान प्रगति के रास्ते पर बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि इस बजट की भविष्य की धुंधली तस्वीर से राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा, मैं अपना विरोध प्रकट करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, राजस्थान एक साधन सम्पन्न किन्तु पिछड़ा प्रदेश है। यहां के लोगों की कठिन मेहनत करने तथा जोखिम उठाने की जो आदत है वह सारे देश में प्रसिद्ध है। विस्तृत भू-भाग, उन्नत पशु-धन, विपुल खनिज–सम्पदा, उपजाऊ अन्नपूर्णा धरती प्राकृतिक विपुलताएं और मन मोहक हस्त-कलाएं हमारे विकास के आधार स्तम्भ हैं। लेकिन आजादी के बाद से राज करने वाली कांग्रेस सरकार की कई दोषपूर्ण नीतियां थीं राजस्थान की त्रासदी कहना चाहिए कि विपुल संभावनाओं के बावजूद भी आज भी राजस्थान की गिनती देश के पिछड़े प्रदेशों में होती है। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली उद्योग सड़क, सिंचाई व कृषि आदि, सभी क्षेत्रों में हमारी गिनती देश के 4-5 पीछे के राज्यों में की जाती है। एक तरफ प्रान्त में भ्रष्टाचार व्याप्त है, गरीबी मुंह बांए खड़ी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या का आधिक्य है तो दूसरी तरफ अशिक्षा तथा अनिश्चित मानसून से भी यहां के हालात खराब हैं। राज्य सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि योजनाओं में इस तरह की प्राथमिकताएं तय की जायं ताकि धनराशि का प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले। स्थानीय प्राथमिकताओं व संभावनाओं को देखते हुए विकास योजनाएं बनाई जायं। इस बजट भाषण के अध्ययन से स्पष्ट जाहिर है कि प्रान्त की सरकार इन सब में तालमेल बैठाते हुए प्रान्त के सर्वांगीण विकास के पथ पर बढ़ रही है। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि विभिन्न विभागों में मितव्ययता बरत कर फिजूलखर्ची को रोककर बचत करने का प्रयास किया जायगा। इस बात की प्रसन्नता है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में इस बाबत जो कमेटी बनी थी उसके सुझावों के आधार पर प्रान्त में पिछले साल 34 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जो सूझ-बूझ का ही प्रतीक है।

अब तक केन्द्र सरकार में राजस्थान का सबल प्रतिनिधित्व नहीं करने की वजह से राजस्थान के कई हितों के मामलों में राजस्थान को घुटने टेकने पड़ते थे, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी ने कुशल नेतृत्व क्षमता और सूझ-बूझ से दूसरे प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों के साथ राजस्थान के हितों के लिए जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उससे आशा जगी है और प्रान्त के हितों का अधिक से अधिक लाभ होगा। यह राजस्थान के मुख्य मंत्री के कठिन परिश्रम, सूझ-बूझ और राजनीतिक चातुर्य का

(श्री हीरालाल आर्य)

ही परिणाम है कि योजना का आकार पिछले सालों की बनिस्बत बढ़ा है। वर्ष 1989-90 में प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार 795 करोड़ रुपए था जो वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद 1990-91 की योजना का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 20.30 प्रतिशत बढाकर 956 करोड़ रुपये किया गया और इस साल 1991-92 की योजना 1166 करोड़ रुपये की जो स्वीकृत हुई है वह पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार दो वर्षों में ही राज्य की योजना का आकार 46 प्रतिशत बढ़ा है। इससे राजस्थान के व्यापक हितों पर काम करने का एक व्यापक अवसर प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत यदि बजट का हम अध्ययन करें तो पिछले साल की बनिस्बत विभिन्न मदों में इस साल अधिक राशि आवंटित की गई है जिससे प्रान्त का सर्वांगीण विकास होगा। वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में आवंटन बढ़ा है। विद्युत के क्षेत्र में पिछले वर्ष के 238.41 करोड़ रुपये के स्थान पर अगले वर्ष 317.51 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु पिछले वर्ष 182.73 करोड़ रुपये के बनिस्बत 232.57 करोड़ रुपये, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 237.45 करोड़ की तुलना में 288.14 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 57.15 करोड़ रुपये की तुलना में 74.14 करोड़ रुपये तथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु 82.37 करोड़ की तुलना में 97.03 करोड़ रुपए तक की वृद्धि हुई है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, समय बहुत अधिक हो गया है।

श्री हीरालाल आर्य : इसको और अधिक सरल बनाने के लिए पंचायतों को और अधिक अधिकार दिया गया है। "अपना गांव अपना काम" योजना चला कर गांवों के विकास में भागीदारी लेकर सरकार के साथ गांव वाले कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें, इसकी एक योजना चलाई गई है। इस साल दस करोड़ की बनिस्बत इस योजना में अगले साल पचास करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है जिससे एक तरफ गांवों का विकास होगा, दूसरी तरफ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। सिंचाई के क्षेत्र में....

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था में सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : बहुत अधिक हो गया आपका समय, कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : इस वर्ष 1.23 करोड़ये रुप के प्रावधान के स्थान पर अगले वर्ष 232 57 करोड़ रुपये का प्रावधान है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : देश में चम्बल सिंचाई परियोजना....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : मैं अपने कोटा की चम्बल सिंचाई परियोजना के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। चम्बल सिंचाई परियोजना देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसमें तीन बांध और एक डेम है। इससे निकलने वाली नहरों से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है।

श्री सभापति : कृपया आसन को सहयोग करें, समाप्त करें। नम्र निवेदन है कि समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : इस में क्षार वगैरह अधिक बढ़ने से इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलता था। एक तरफ बहुमूल्य भूमि का नुकसान हो रहा था, दूसरी तरफ उत्पादन में कमी आती जा रही थी। इस दृष्टि से चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास का एक कार्यालय कोटा में खोला गया जिससे प्रथम चरण में 1980 तक काम किये जाने थे। लेकिन 1980 के बाद....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : इस चम्बल सिंचाई परियोजना के प्रथम फेज के काम तो नौकरियों में आरक्षण के कोटे में जो बैक-लॉग है उसको अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा किया जाना चाहिए।

राज्य में गरीबी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब व्यक्तियों के हितों की सरकार विशेष चिन्ता करेगी, इस प्रकार की भारतीय संविधान में व्यवस्था है। पिछली जनता सरकार ने गरीबी दूर करने का एक अभिनव परीक्षण किया था और गरीब को गणेश मान कर अपनी सारी प्रवृतियों का उसको केन्द्र बनाया था। गरीब व्यक्ति का खजाने पर पहला हक हो, इस दृष्टि से अन्त्योदय योजना वर्ष 1977 में लागू की गई थी। गरीबी उन्मूलन की यह एक अभिनव योजना थी। इसको सारे प्रांतों ने और सारे देश ने सराहा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के नाम से कर दिया। सामाजिक चेतना तथा राजनीतिक सम्बल के अभाव में पिछले वर्षों में इस योजना के चयन में पक्षपात तथा ऋण देने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको देखते हुए फिर इस सरकार ने यह तय किया है कि अन्त्योदय योजना वापस लागू की जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : इसमें चयन की नई प्राथमिकता तय करके लोगों का चयन किया जा चुका है। ऋण शिविर तथा मेले लगाकर इनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 35.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 1991 तक 87 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। अगले वर्ष 46.98 करोड़ रुपये का प्रावधान है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : एवं 1.37 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किये जाने का

(श्री हीरालाल आर्य)

प्रावधान है। अन्त्योदय योजना गरीबों के विकास का एक अभिनव प्रयोग है। अन्त्योदय गरीबों के लिए एक फोस्टर मदर है, यह सबकी पोषक माता है। अन्त्योदय योजना के तहत बिना रंग भेद, लिंग, धर्म आदि का भेद किये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सवर्ण सभी का समान रूप से विकास किया जाता है जिससे एक तरफ गरीबी दूर करने में मदद मिलती है और राष्ट्रीय एकता को कायम करने में भी इससे मदद मिलती है। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। जिससे निश्चित रूप से राजस्थान प्रांत का सर्वांगीण विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बजट का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जायेगा। बजट का 62 प्रतिशत पैसा गांवों के विकास में लगाया जायेगा जिससे गांवों के विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति थी उसको सबल नेतृत्व मिलेगा। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि गाडगिल फार्मूले को परिवर्तित किया जाय। उसमें परिवर्तन के आधार पर प्रांत को 15 प्रतिशत राशि अधिक मिलेगी। यह राशि पिछले साल केवल दस प्रतिशत ही थी। इसी प्रकार पहली बार रेगिस्तान को विशेष समस्या के रूप में सम्मिलित किया गया है जिससे आशा है कि केन्द्र से मिलने वाली जो सहायता है उसमें राजस्थान को अधिक राशि मिलेगी।

गरीबी और बेरोजगारी की समस्या राजस्थान के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में से एक है। कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण गरीब, गरीब होता गया और अमीर, अमीर। बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। अधिक रोजगार प्रदान करने वाले विकास कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। कृषि, पशुपालन, वन विकास, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कें आदि रोजगारपरक जो कार्यक्रम हैं उन पर अधिक पैसा लगाने की आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या एक चिन्ता का विषय है। आज रोजगार कार्यालयों में लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं। हमारी योजनाओं का आकार इस प्रकार से बनाया जाये ताकि जो योजनाएं हैं उनमें रोजगार अधिक मिले और शिक्षा का विकास भी हो। इस प्रकार वर्ष 1991–92 की योजना के कामों में लगभग साढ़े तीन लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस बात को देखेगी कि बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर किया जायेगा। सन् 2000 तक बेरोजगारी दूर करने का जो समयबद्ध कार्यक्रम सरकार ने लिया है, वास्तव में यह स्वागत योग्य है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है जिससे प्रशासनिक कार्य-कुशलता में कमी आई है। मैं मांग करना चाहूंगा कि उक्त प्रतिबंध को अविलम्ब हटाया जाये, सरकारी सेवाओं का आवश्यकतानुसार विस्तार किया जाय और नये पद सृजित किये जाय। विशेष तौर से सरकारी हुए जिसमें....

श्री सभापति : क्या रिकार्ड न करने का आदेश दूं मैं ?

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन सड़कों के, नहरों के, ड्रेनेज के, वन विभाग के आधे काम हुए....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन बाद में ये काम नहीं हो सके ।

श्री सभापति : कृपया आसन के साथ सहयोग करें, समाप्त करें ।

श्री हीरालाल आर्य : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम फेज के काम होने से और दूसरे फेज का काम नहीं होने से उस क्षेत्र का जो समुचित विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया । मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसके दूसरे फेज को नहीं लिया गया है, राज्य सरकार के विचाराधीन है । उस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि दूसरे फेज का काम करवाया जाय । उस योजना को स्वीकृत करें, और सी. ए. डी. की जो मूल योजना थी उसकी सैकण्ड फेज को प्रारम्भ करें ।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री हीरालाल आर्य : कैचमेन्ट का काम जिससे किसान हमेशा लाखों करोड़ों रुपयों के ऋण के उस पैसे को चुका नहीं पाते, थे सरकार ने कैचमेन्ट का पैसा वसूल नहीं करने की जो घोषणा की है उसको हाड़ौती क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिला है । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तीन जिले जो बनाये गये हैं और तहसीलों का पुनर्गठन किया जायेगा इस बात की भी गांवों में और खास तौर से हमारे बारां जिला बनाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भारी प्रशंसा की जा रही है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

(6.00 सायं)

श्री हीरालाल आर्य : हाड़ौती के किसानों के साथ सीलिंग के मामले में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है । कभी पुराने एक्ट के तहत और कभी नये एक्ट के तहत बार-बार सीलिंग के केसेज री-ओपन करने से हाड़ौती का किसान बड़ा परेशान है । इसलिए बार बार केसेज री-ओपन किये जा रहे हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री हीरालाल आर्य : इस तरह के केसेज को दुबारा नहीं खोलने की व्यवस्था करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस बार बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो कहने को बहुत सी बातें हैं लेकिन कुछ विशेष बात ही मैं आपके सामने अर्ज करूंगा । हमने पिछले चुनावों के अन्दर कुछ वादे किये थे उसमें एक वादा यह था कि जो भी योजना बनायेंगे उसका पचास प्रतिशत हिस्सा हम हमारे ग्रामीण

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेंगे लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमने पिछली साल भी 62 और 60 प्रतिशत हिस्सा इस योजना पर खर्च किया और इस बार हमने जो नयी योजनाएं बनाई हैं उसमें 62 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने का पूरा वादा किया है। इसके अलावा एक नयी चीज जो 40 साल के बाद पहली बार नजर आई है वह यह है कि अधिकतर बजट जो बनता था उसकी प्रक्रिया के अन्दर उसकी राशि का आवंटन करने के बारे में जो फार्मेलिटीज थी उसमें 6–7 महीने का अरसा लग जाता था। इस बार मुख्य मंत्रीजी ने यह अपने भाषण में बताया है कि अप्रेल से ही जो भी राशि बजट की होगी वह आवंटित कर दी जायेगी ताकि जो भी खर्चा करना होगा उसके लिए पूरा समय मिलेगा और यह एक नयी चीज है। पहले हमेशा जनवरी से मार्च के बीच में बजट का खर्चा होता था उससे जो पैसा खर्च होता था उसमें अधिकतर भ्रष्टाचार होता था और जल्दी में जो काम होता था उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता था। इसलिए यह जो नयी दिशा मुख्य मंत्री जी ने दी है यह बड़ी प्रशंसनीय है और इससे मुझे उम्मीद है कि हम जो भी पैसा बजट के ऊपर खर्च करेंगे उसका पूरा लाभ एक-एक पैसे का गरीब जनता को मिलेगा।

राजस्थान के अन्दर एक सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की है। राजस्थान के अन्दर जितने भी पढ़े-लिखे युवक हैं उनमें अधिकांश बेरोजगार हैं। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह वादा किया है कि करीब 3.5 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा और सबसे बड़ी आशा की बात तो इसमें यह बताई गई है कि सन् 2000 तक बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा। राजस्थान के नवयुवक इस पर बड़ी उत्साह से ध्यान देंगे और हमें उम्मीद है कि हम इस प्रकार से कार्यक्रम बना करके प्रतिवर्ष बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो सन् 2000 तक इस पर काबू पा लेंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस देश के और इस प्रदेश के नौजवानों के लिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर भी काफी सुधार करने का प्रयास किया है। पिछले दो तीन वर्षों के अन्दर सरकार ने ऐसी-ऐसी जगहों पर स्कूल खोले जहां न तो अध्यापक उपलब्ध हैं और न कोई व्यवस्था है लेकिन पिछले साल प्राथमिक शालाओं को इसलिए नहीं खोला गया था क्योंकि वहां पर अध्यापक उपलब्ध नहीं थे। इस साल एक हजार विद्यालय प्राथमिक शालाओं के गांवों में खोलने का सुझाव दिया गया है। जिससे उम्मीद है कि पिछले साल जो कमी रह गयी थी उसे इस बार पूरा कर लिया जायेगा।

राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। राजस्थान के अन्दर हम 54 प्रतिशत बिजली पैदा करते हैं और 46 प्रतिशत बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है। इसे दूर करने के लिए हमारी सरकार जो भरसक प्रयास कर रही है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। राजस्थान के अन्दर करीब 700 गांवों को विद्युतीकृत करने का वादा किया गया है और 2500 नलकूप जो कृषि क्षेत्र के अन्दर हैं उनको बिजली देने का वादा किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे राजस्थान के अन्दर जो भी गांव रह

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

गये हैं उन्हें अधिक से अधिक संख्या में विकेन्द्रीकरण करने में सफलता मिलेगी ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । राजस्थान के अन्दर हमने जो पिछले चुनाव के समय लोगों से वादा किया था कि 60 और 65 साल के जो भी लोग हैं उन्हें हम पेन्शन देंगे और मुझे अफसोस है इस बात का कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा । इसलिए मुझे निवेदन करना है; उनसे अपील करनी है कि बजट के उत्तर में कम से कम यह वायदा जरूर करें कि 65 और 60 साल के जो भी लोग हैं उन्हें पेन्शन दी जायेगी ।

एक अन्य विषय राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है उसके बारे में मुझे निवेदन कहना है । दिनों दिन राजस्थान में स्थिति खराब होती जा रही है । हमें साम्प्रदायिता को कन्ट्रोल करना है तो उसके लिए मेरे निम्न सुझाव हैं । प्रत्येक गांव और शहर के अन्दर जितने भी वार्ड्स हैं उनमें शांति समितियां बनाई जायें और उन शांति समितियों की हर माह के अन्दर मीटिंग की जाये और उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाये और उनके सुझावों पर अमल किया जाये ।

दूसरे पूरे प्रदेश में सभी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस और जलसे निकलते हैं वह धार्मिक निकलते हैं । उनके बारे में मेरा निवेदन है कि उन पर पाबन्दी लगाई जाये क्योंकि जितने भी दंगे फसाद होते हैं उनके अन्दर हमेशा नारेबाजी होती है और वह कन्ट्रोल में नहीं रहते इसलिए जो भी यह सार्वजनिक जुलूस वगैरह होते हैं उन पर पाबन्दी लगाई जाये तो हमेशा के लिए यह बीमारी मिट सकती है । अगर किसी को जुलूस निकालना है या कोई सभा करनी है तो कम्पाउन्ड वाल के अन्दर ही करने की उनको इजाजत दी जाये । आप सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाये ।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान के अन्दर एक एन्टी-राइट्स फोर्स, का गठन किया जाये ताकि जहां भी दंगे हों वहां पर ऐसी फोर्स जाकर दंगे को शांत करें । ऐसी फोर्स के गठन के लिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक अधिकारी से लेकर नीचे के सिपाही तक उनमें दोनों समुदायों के लोग हों और यह फोर्स स्पेशल अलग-अलग डिविजनों में रखी जाये ताकि जब-जब भी दंगों की आशंका हो वहां पर इस प्रकार की फोर्स को लगाई जाये ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो और इस प्रकार की फोर्स होगी वही राइट्स को कन्ट्रोल कर सकती है ।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

चौथा निवेदन मेरा यह है कि साम्प्रदायिक दंगे होने वाले क्षेत्रों के अन्दर हमें वहां के पुलिस अधिकारी जो भी पुलिस अधीक्षक हों, कलक्टर हों उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाये और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये । एक दो बार ऐसा किया जायेगा तो हमेशा के लिए इस बीमारी पर कन्ट्रोल कर पा सकेंगे ।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नागौर शहर में बिजली की भयंकर कमी है और नागौर से कगु एक ऐसा गांव है जहां 150 किलोमीटर तक की लम्बी लाइन है बिजली की। राजस्थान क्या पूरे मुल्क में ऐसी कोई भी इतनी लम्बी लाइन नहीं है बीच के अन्दर किसी तरह का कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है। एक जगह कोई फाल्ट हो जाता है तो पूरी लाइन बन्द हो जाती है और टैल एंड पर गांव आने की वजह से वहां पर बीच में कोई जी.एस.एस. लगे हुए नहीं हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि नागौर शहर में 220 के. वी. का पावर स्टेशन लगाया जाय और मेड़, टेऊ, परासर इन तीन स्थानों पर 33 के. वी. का सब-स्टेशन लगाया जाय जिससे वहां के लोगों को बिजली पूरी मिल सकेगी।

नागौर शहर में पिछले 10 सालों में पानी की भयंकर कमी रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 10 साल तक इतने बड़े शहर के लिए पानी की कोई नई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले दिसम्बर में प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने वहां पर जनता से वादा किया था कि राजस्थान कैनाल का पानी नागौर में लाया जाएगा इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि नागौर में सबसे बड़ी समस्या पानी की है इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कैनाल का पानी नागौर में लाया जाय।

नागौर जिले में संगमरमर, जिप्सम और लाइम स्टोन के बड़े भण्डार हैं लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उनको काम में नहीं लाया जाता और कोई भी उद्योग नीति उन पर नहीं बनाई जाती और न उनके हिसाब से उद्योग लगाये जाते हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि लाइम स्टोन के 25–30 कि.मी. के भण्डार वहां पर मौजूद हैं लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनके खनन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। अवैध खनन जरूर होता है लेकिन प्रतिबन्ध होने की वजह से सरकार को कोई रायल्टी नहीं मिलती। मेरा निवेदन है कि नागौर जिले के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है जब कि जोधपुर, बीकानेर वगैरह में लाइम स्टोन के खनन की सरकार ने पूरी इजाजत दे रखी है इसलिए इस तरह के अवैध खनन को रोकने के लिए और लाइम स्टोन के भण्डार को काम में लेने के लिए इस पाबन्दी को फौरन दूर किया जाय।

इसके अलावा नागौर के आस-पास करीब 30 कि.मी. में बहुत बड़ी मात्रा में जिप्सम उपलब्ध है लेकिन उसको भी सही उपयोग लेने के लिए कोई भी योजना सरकार ने आज तक नहीं बनाई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जिप्सम को काम में लेने के लिए नयी योजनाएं बनाई जावें और गांव-गांव में घरेलू उद्योगों के लिए कोई स्कीम बनाई जाय ताकि वहां के लोगों का विकास हो।

इसके अलावा नागौर जिले में सिंचाई के साधनों की बहुत बड़ी कमी है इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई पर राजस्थान सरकार जो भी खर्चा कर रही है उसका कम से कम 10% हिस्सा नागौर पर खर्च किया जावे क्योंकि पिछले 40 साल में सिंचाई पर

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है इसलिए नागौर जिले का भी सिंचाई में पूरा ध्यान रखा जाय।

ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब पर जो टैक्स लगाया हुआ है उसको समाप्त किया जाय जिससे किसानों को राहत मिलेगी। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, सदन के नेता और मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी ने जो बजट 91–92 के लिए पेश किया है मैं इस बजट को किसान विरोधी बजट मानता हूं क्योंकि जब भैरोंसिंह जी ने विधान सभा में जब पिछली मर्तबा हम आये थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए यह सरकार सर्वोपरि ध्यान रखेगी लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उनके बजट भाषण में पेज 33 पर उन्होंने जो बीमा पालिसी रखी है उसमें लिखा है कि एक नई साधारण बीमा योजना लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के विभागों, राजकीय उपक्रमों, बोर्डों आदि की संपत्तियों का बीमा जो इस समय बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है अब राज्य सरकार की इस योजना के अंदर कराया जाना संभव होगा पर बड़े दुःख की बात है कि माननीय सदस्य जो बार बार किसानों की दुहाई देते हैं, इसमें कहीं नहीं जोड़ा गया कि फसल बीमा का भी कोई प्रावधान किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि किसानों का नुकसान नहीं होता। अभी ओलावृष्टि में लोगों की पूरी फसल नष्ट हो गई। पिछली बार बाढ़ आई थी, सूखा पड़ा था अगर किसानों की हितैषी यह सरकार होती तो सबसे पहले बीमा योजना के अंदर फसल बीमा योजना को सर्वोपरि रखती और आज ये लोग सत्ता में आ गये हैं आप (व्यवधान) बात सुनिये, पुराने लोगों को ध्यान होगा जब तत्कालीन उपाध्यक्ष माननीय किशन मोटवानी की लड़की की शादी थी और रात को बहस हो रही थी यहां पर फसल बीमा पर तो माननीय विपक्ष के सदस्य जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्होंने रात के 11 बजे तक विधान सभा में + + + किया और उस समय माननीय शिवचरण माथुर के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने उसी टाइम 66 करोड़ रुपये जमा कराये थे और लोगों को फसल बीमा में 66 करोड़ दिलाये क्योंकि फसल बीमा में यह नीति है कि तीन हिस्से होंगे एक हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देगी, दूसरा केन्द्रीय सरकार और एक हिस्सा राज्य सरकार देगी लेकिन आज 100 में से 33 रुपये देने के लिए भी यह लोग तैयार नहीं हुए, इतनी किसान विरोधी सरकार है। बड़े दुःख की बात है आज कृषि मंत्री जी हमारे वहां के हैं, सभापति महोदय, आप भी अलवर से हैं वहां आपको भी ध्यान होगा, नकली खाद बनाने वाले लोग पकड़े गये जिस खाद से न सिर्फ फसल नष्ट हुई बल्कि खेती भी नष्ट होने की सम्भावना हो गई उनके खिलाफ सिर्फ एफ.आई.आर. लाज करवादी, आज तक नहीं कहा गया कि उन लोगों को पकड़ा गया या नहीं। जो गलत खाद बनाते थे उनको रोका गया या नहीं। इस तरह की सरकार है यह जिसकी किसानों के प्रति यह नीति है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जुबेर खान)

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट असंतुलित भी है। मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है कि प्रान्त के किसी हिस्से में कोई योजना लागू नहीं की जाय या सुविधा नहीं दी जाय लेकिन मेरी पीड़ा है कि पूर्वी राजस्थान जो सबसे ज्यादा लगान देता है श्री गंगानगर के बाद में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है आज इस बजट में अलवर और भरतपुर के नाम से कोई चीज नहीं रखी गई है। तिलहन के संयंत्र लगाये गये वह भी दूर दूर लगा दिये, अलवर भरतपुर को उनसे भी वंचित रखा गया और तिलहन में सबसे ज्यादा सरसों स्टेट में अलवर और भरतपुर में होती है लेकिन तिलहन का संयंत्र अलवर में लगा हुआ था उसको राजनैतिक द्वेष से उठा कर दुर्गापुरा जयपुर के पास लगाया गया। इस तरह का अन्याय इस पूर्वी राजस्थान के साथ किया गया है। एक मेवात विकास बोर्ड हुआ करता था, आपने भी सभापति महोदय 5 जनवरी की सभा अटेण्ड की थी उसमें यह तय किया गया, मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में, कि जो पुराने अधूरे काम पड़े हैं उनके लिए 24 लाख रुपये दिये जाएंगे और 10 पंचायत समितियों को दो लाख के हिसाब से 20 लाख दिये जाएंगे ताकि अधूरी पड़ी सड़कों को पूर्ण करा लिया जाय। आज 90-91 का बजट खत्म हो रहा है मुश्किल से 20 दिन बचे हैं आज तक कोई पैसा अधूरे कामों को पूरा करने के लिए नहीं दिया गया और एक-एक पंचायत समिति को दो लाख देने थे, आज तक उनकी स्वीकृति नहीं गई इस प्रकार का अन्याय सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में और पूर्वी राजस्थान के विरूद्ध किया जा रहा है।

श्री सम्पत सिंह : हमने मेवात विकास बोर्ड बना दिया....

श्री जुबेर खान : यह तो मानेंगे जब माननीय मंत्री महोदय, आपके-हमारे क्षेत्र में उसके नाम से काम शुरू हो जाएंगे और अधूरे काम पूरे हो जाएंगे तभी मानेंगे कि विकास बोर्ड बना है।

सभापति महोदय, एक राष्ट्रीय राजधानी परियोजना चलती है जिसमें अलवर भरतपुर के क्षेत्र आते हैं, अलवर का ज्यादा आता है उसमें यह प्रावधान है कि जो केन्द्रीय राजधानी में सुविधाएं हैं जितना पानी वहां प्रति व्यक्ति गैलन के हिसाब से मिलना चाहिए उतना ही इस क्षेत्र में मिलेगा। जिस तरह से सड़कें, पेय जल, विद्युतीकरण की सुविधाएं हैं उसी तरह से यहां दी जाएगी लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सारी यह जो केन्द्रीय परियोजना है उसका पैसा या तो अलवर शहर में लगा दिया जाता है या भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दिया जाता है जबकि छोटे छोटे कस्बे हैं चाहे कोटकासिम, तिजारा, खैरथल, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़ आदि हों उनमें कोई पैसा नहीं लगाया है। इसका भी शहरीकरण कर दिया गया है सिर्फ दो शहरों में सारा पैसा लगा दिया जाता है।

सभापति महोदय, जो औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं अलवर और भिवाड़ी में, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उनमें स्थानीय लोगों को कितना रोजगार दिया जाता है? बार-बार स्वयं मुख्य मंत्री जी सदन में कहते रहे हैं कि चार प्रतिशत लेकिन एक साल से ऊपर आपकी सरकार को आये हो

(श्री जुबेर खान)

गये हैं आज तक आप लोगों ने कौन से ऐसे कदम उठाये हैं ताकि वहां के स्थानीय लोगों को उन उद्योगों में रोजगार मिले।

किसानों से आप जमीन एक्वायर करते हैं 35 हजार रुपये बीघे के हिसाब से और उसको जब बेचते हैं तो तीन–तीन लाख रुपये बीघे में उद्योगपतियों को बेचते हैं। तो किसानों से तो आप इतना शोषण कर रहे हैं जो जमीन उपजाऊ है, चाहे भिवाड़ी के आस पास हो चाहे, अलवर के आस पास हो, लोगों से एक्वायर कर ली जाती है 35 हजार रुपये बीघे में।

सरकार के द्वारा साढ़े तीन लाख रुपये बीघा में, यह कहां का औचित्य है और उसके बदले में जो बेरोजगार हो जाते हैं किसान, जिनकी जमीन ले ली जाती है। जबकि यह प्रावधान है कि स्थानी लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार दिया जायेगा। आज आप तमाम उद्योगों की लिस्ट मंगाकर देख लीजिये 4 या 5 प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार को कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि किसी एरिये को जिला बना दिया गया, कहीं पर मेडिकल कालेज खोल दिया गया, कहीं पर पोलिटेक्नीक कालेज खोल दिया गया। मेरी यह भरपूर मांग है कि पूर्वी राजस्थान में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि नौगांवा में कृषि अनुसंधान केन्द्र का काफी बजट है और वह क्षेत्र भी ऐसा है जो उपजाऊ है। आप तो भली-भांति जानते हैं सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। इस बात को रोकने के लिए कि वहां के लोगों में यह भावना नहीं आये कि हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग यहां पर खेती करते हैं और हमारी खेती का लगान तो ले लिया जाता है और दूसरे क्षेत्रों में विकास किया जाता है। मैं मानता हूं उन क्षेत्रों में भी कीजिये जहां ज्यादा जरूरत है लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा तो हमें भी दीजिये। हमें तो बहुत खुशी हुई थी जब हमारे क्षेत्र से किसी भी तरह से 3–3 मंत्री बने थे तो हो सकता है मुख्य मंत्री जी इस बार के बजट में पूर्वी राजस्थान का ध्यान रखें लेकिन बहुत दुःख की बात है और मुझे तो यह भी डर है कि हमारे भाई जो यहां मंत्री बने हैं, इनसे भी जनता जरूर पूछेगी कि मंत्री बनने पर हममें जो आस जगी थी कि पूर्वी राजस्थान अलवर और भरतपुर में खास तौर से कोई विकास के कार्य होंगे, सड़कों के कार्य होंगे, पेयजल के कार्य होंगे, सिंचाई के कार्य होंगे। कोई कार्य नहीं हुए है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं। आप तो साथ आये हैं, कम से कम हमारी कोई बात नहीं रखते तो इन लोगों की बात तो रख लीजिये। इन क्षेत्रों में भी आप विकास करा दें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : मैं तो बात ही आपकी रखूंगा।

श्री जुबेर खान : बहुत–बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, एक बड़ी बात जो देखने को मिली पहली बार, पेज नं. 17 पर बजट भाषण में कहा गया है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि विद्यालयों में

(श्री जुबेर खान)

नैतिक शिक्षा का अभाव है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः बच्चों में प्रारम्भ से ही....नोट करने की बात है विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों पर आधारित नैतिक शिक्षा दी जाय तो उनके विचारों में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात लगती है मुझे तो कि वे लोग जो साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार हैं वे आज इस तरह की बातें करते हैं और आप इनमें क्या छापते हो, आप अपने मन का शुद्धिकरण कर लो। मुंह में राम है तो बगल में भी राम रख लो। इसकी जरूरत हो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जो उल्टी नीति है। मुंह से राम-राम तो हम भी करते हैं, सारा देश करता हैं, गांवों में तो खासतौर से करते हैं लेकिन बगल में लेकर छुरी मत चलाइये।

श्री सम्पत सिंह : जुबेर खान जी, वक्फ बोर्ड पर पिछले बरसों से धूल जम रही थी। हमारे तरीकों से वह संगठन....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्हें कोई बीच में इन्टरप्ट करने का अधिकार नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : माइनोरिटी की बात कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या माइनोरिटी की बात करेंगे। जितने दंगे हुए हैं राजस्थान में सारे रिकार्ड तोड़ दिए। 50 आदमी मर गए। आप लोग +++ करो। ज्युडीशियल इन्क्वायरी तक नहीं की। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपकी आदत क्या हो गई कल्ला जी। आप थोड़ा सुना करो। कल्ला जी आप तो सीनियर आदमी हो। ऐसी क्या बात है। थोड़ा सुना करो आप।

श्री सभापति : कृपया शांति बनाए रखें।

श्री जुबेर खान : अब मेरी समझ में आया है कि ये शब्द क्यों जोड़ दिए गए हैं। आज हो सकता है आप लोगों में इनके बीच में आने से थोड़ी-बहुत सद्‌बुद्धि आ गई हो। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमजान खां (भेड़ व ऊन राज्य मंत्री) : धन्यवाद देना चाहिए इस पाइन्ट पर आपको।

श्री जुबेर खान : मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे तो रहा हूं कि इन लोगों के बीच में आने के बाद आपका यह सोच तो हुआ कि नैतिक शिक्षा की बात की जाय।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सुनो जुबेर खान जी, पिछले 40 सालों में आपने नैतिक शिक्षा का जो सत्यानाश किया है इसलिए लिखा है वह।

श्री सम्पत सिंह : बुलावें क्या मार्शल ?

श्री सभापति : कृपया जारी रखें। कृपया विघ्न न डालें। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

अब आप समाप्त करने का प्रयास करें। अब समय हो गया है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मन से यह बात कही गई है तो मुख्य मंत्री जी ने और तमाम लोगों ने यह बात कही है जिनके माध्यम से यह बात कही गई है इसके लिए बहुत आभारी हैं। अगर आज तक भी इस तरह की बात आ जाती है, मैं खास सम्प्रदाय के लिए नहीं बल्कि इस देश की एकता और अखण्डता के लिए जो राज्य पूरे देश में साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए मशहूर था उसमें अगर इस तरह की शुरुआत की जाती है तो इसका पूरा समर्थन करता हूं और उम्मीद करते हैं इस पर आगे चलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ये जब मुख्य मंत्री बने थे तो वे योजनाओं की बहुत बातें करते थे। हरा-भरा राजस्थान, गोपाल योजना, अपना गांव-अपना काम, भगीरथ योजना, 30 जिले–30 काम। ये अच्छी बात हैं आप तो कहते थे कि घोषणाएं तो इधर से आती हैं आप तो इसको अमलीजामा पहनाइये। इसमें कुछ करके दिखाइये। क्यों लगता नहीं है कि इन योजनाओं में पिछले एक वर्ष में कोई सार्थक परिणाम आए हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे हों मंत्री महोदय, लेकिन वे रिजल्ट नहीं आए तो आने चाहिए थे। तो मेरा निवेदन है कि भैरोंसिंह जी के लिए भी लोग यह कहने नहीं लग जाएं कि खाली घोषणाएं करते हैं। इस पर कोई कदम उठाए जाय।

दूसरा, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बहुत बातें आई। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम कमेटियां बना दीं कि भ्रष्टाचार को बेरी कमेटी समाप्त करेगी और व्यय में ललित किशोर चतुर्वेदी कमेटी कटौती करेगी, एक मथुरादास माथुर कमेटी, एक पानी का सदुपयोग करेगी, भैरोंसिंह जी की खुद की कमेटी और पंचायत राज को सुदृढ़ करेगी हरलाल सिंह खर्रा कमेटी और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करेगी एक सचिव कमेटी। लेकिन बहुत दुःख की बात है, सदन के सामने इन कमेटियों की कोई एक बात भी नहीं है। और तो और अगर इस बेरी कमेटी में कुछ अधिकारियों को लिप्त किया गया उन्होंने मालूम किया कि कौन-कौन लोग भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के बजाय एक बी. के. मीणा के खिलाफ कार्यवाही की। जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. कांग्रेस के शासन में लीज हो गई थी। सबको मुख्य मंत्री ने अगल-बगल में बिठा लिया। यह कोई अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नाम लेकर बात कहूं। लेकिन जो आज बेरी कमेटी की रिपोर्ट में दोषी अधिकारी पाए गए हैं तमाम लोग मुख्य मंत्री की अगल-बगल में बैठ राज चला रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। बहुत दुःख की बात है कि एक तरफ तो कमेटियों बनाते हैं कि भ्रष्टाचार रोका जाएगा। तमाम चीजों का सदुपयोग कैसे हो, दुरूपयोग कैसे रोका जाय और जब कमेटियां रिकमन्डेशन दे देती हैं यह तथ्य बता देती हैं कि कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो मुख्य मंत्री जी फाइलों को अपनी अलमारी में बन्द कर देते हैं। कुछ फाइलें तो पिछले 6 महीनों से बन्द पड़ी हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा

(श्री जुबेर खान)

यह निवेदन था कि जो यह बजट आया है, यह बजट किसान विरोधी है । यह बजट पूरा संतुलित बजट नहीं है । इसमें कुछ क्षेत्र को खास तौर से पूर्वी राजस्थान को छोड़ा गया है । मेरी मांग है कि जब जवाब दें तो फसल बीमा योजना के प्रावधान इसमें अवश्य रखे जाय क्योंकि फसलों को इसमें नहीं लिया गया है ।

सभापति महोदय, पिछले टाइम में जब आप रोजगार की बात कर रहे थे, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अभी जोधपुर में इन्होंने बिजली विभाग के 2 सर्किल की जगह 4 सर्किल बढ़ा दिये ।

श्री सभापति : अब टाइम नहीं है अब समाप्त करें ।

श्री जुबेर खान : बहुत अच्छी बात है सर्किल बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा और जल्दी सुविधायें मिलेंगी । लेकिन दुःख की बात है कि इन्जीनियर्स तो पूरे के पूरे 36 रख लिये लेकिन जो 360 वर्कर्स रखने चाहिये थे उनमें कटौती कर दी गई और छटनी कर दी गई । जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या को सब मालूम है । यह रोजगार का हाल है ? इसमें कहा है कि साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन यह सही नहीं है कि साढ़े तीन लाख दिन देंगे या साढे तीन लाख लोगों को कितने दिनों के लिए रोजगार देंगे । परमानेन्ट देंगे या वर्किंग आवर्स के हिसाब से साढ़े तीन लाख देंगे ? यह मुख्य मंत्री गोली बाजी में तो मशहूर हैं ही । कह ही देते हैं लेकिन आज यहां के नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित हैं और आपके मैनिफेस्टो में था कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं करेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और हम स्वच्छ प्रशासन देंगे और संवेदनशील प्रशासन देंगे । एक बात पर भी यह सरकार खरी नहीं उतरी है और मेरा आपसे निवेदन है कि या तो खुद ही अपनी गलतियां सुधार लीजिये वरना जनता खुद ही सुधार देगी आने वाले 2–4 महीनों में । यही शब्द मैं कहना चाहता था । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीचन्द मेहता ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री वित्त मंत्री की हैसियत से जो राजस्थान का 91-92 का बजट पेश किया है वह एक ऐतिहासिक बजट है । इस बजट से राजस्थान के हरेक वर्ग को सुविधा मिलेगी और यहां के किसान वर्ग की बीगोटी बारानी जो माफ करने की घोषणा की है इससे राजस्थान के 80–90 प्रतिशत किसानों को लाभ पहुंचेगा । इसके साथ साथ कर्जा माफी की ऋण मुक्ति में जो 9 लाख 22 हजार किसानों के कर्जे माफ किए हैं । इसमें मैं कुछ संशोधन चाहूंगा । यह कर्जा उन लोगों का माफ हुआ है जो लोग दिवालिये घोषित किए जाने लायक थे, मगर जिन लोगों ने एक किश्त भी जमा करवा दी है और साहूकारी दिखाई है कर्जा लेने में और किश्त जमा कराई है उसे इस योजना का कोई फायदा नहीं हुआ है । इसलिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इसपर पुनः विचार करें । दिवालिया कर्जा लेते रहेंगे और दीवाला निकलता रहेगा और जब उसको मुक्ति पत्र

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

मिल गया है तो उसको कर्जा दिया जायगा। जिन लोगों ने व्यवहार रखा है, फसल पकी है, पैसा जमा करवाया है उसको इस योजना का फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है।

अतः इस योजना के अन्तर्गत किसानों को फायदा मिले ऐसी योजना बनानी चाहिये।

इसके साथ साथ आपने किसानों को बिजली में 700 गांवों को विद्युतीकरण करने की योजना बनायी, 25 हजार किसानों को कुओं पर बिजली देने की योजना बनायी है। वह तो बहुत अच्छी बात है।

इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर आपने 62 प्रतिशत धन आवंटित किया है उसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं।

एक आपने घोषणा की थी वृद्धावस्था पेन्शन की। इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कोई डाइरेक्शन नहीं है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर इसका प्रावधान रखे क्योंकि हमने घोषणा की थी और लोगों को यह विश्वास दिलाया था और विश्वास के मुद्दे पर हमने वोट प्राप्त किये थे। इसलिये इस बारे में मैं यह सुझाव देता हूं कि इसका प्रोवीजन रखें।

इसके साथ-साथ नर्मदा कैनाल योजना है। नर्मदा कैनाल योजना गुजरात से राजस्थान में आयेगी और कैनाल योजना का फायदा सांचौर तहसील के 80 गांवों को, बाड़मेर तहसील के 50 गांवों को फायदा होगा। उस योजना पर आपने 548 करोड़ रुपये की भारत सरकार से मांग की है कि विदेशी कर्जा हमें दिलाया जाय। भारत सरकार ने गुजरात सरकार को तो पैसा दे दिया है और एक पत्र गुजरात की सरकार ने हमें लिखा है कि हमारी सरकार समय पर यह कार्य पूरा कर देगी। अतः राजस्थान की सरकार इस बारे में अभी से कोशिश करे। इसलिए मैं राज्य के मुख्य मंत्रीजी एवं सिचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रारम्भिक है जैसे लैण्ड एक्वीजीशन का कार्य है कम्पनसेशन का कार्य है, इसके लिए सिंचाई विभाग का अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय सांचौर में खोल करके जो प्राइमरी कार्य है उनको पूरा कर दें ताकि नया पैसा आपको बजट से मिलने वाला है या विदेशों से कर्जा लेने वाले हैं वह समय पर आपको मिल जावे और समय पर गुजरात की सरकार इस कार्य को पूरा कर देगी। आप इस कार्य को अपने हाथ में पुनः लेकर के बढोत्तरी करेंगे।

इसके साथ-साथ सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं लूणी नदी का पानी पूरा का पूरा अरावली से निकल करके जालौर जिले में से होता हुआ सांचौर में, बाड़मेर से होकर कच्छ में जाता है। इस पानी को रोक करके लोगों को सुविधा दी जाय। माइनर इरिगेशन के लिए पैसा दिया जाय तो यह पानी इकट्ठा होकर काश्तकार के काम में आ सकता हैं।

इसके साथ-साथ सरकार डाक्टर अम्बेडकर शिक्षण संस्था खोलने के लिए पिछड़ी जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

संस्था के लिए पैसे का प्रोवीजन रखा है। मगर इसके अन्दर जालौर जिले को बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि जालौर जिला जिसकी कान्स्टीट्यूएंसी शिड्यूल्ड कास्ट की है, लोक सभा का सदस्य शैड्यूल्ड कास्ट का है और उस जगह पर डाक्टर अम्बेडकर शैक्षणिक संस्था के लिए पैसा नहीं दिया जाय यह एक आश्चर्य की बात है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जालौर जिले को भी इसमें शामिल कर दिया जाय। अरावली पहाड़ के उत्थान के लिए आपने योजना बनायी। अरावली पहाड़ से हम देश को हरा भरा करेंगे। अरावली पहाड़ की नदिया कहां हैं। जालौर जिला जो अरावली पहाड़ से लगा हुआ है उस जिले को इग्नोर किया गया है इस बजट के अन्दर। मैं माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जालौर जिले को इसके अन्दर शामिल किया जाय ताकि लोगों को यह मालूम रहे कि अरावली पहाड़ से जालौर जिले में, बाड़मेर में लाभ मिला है, अरावली पहाड़ उसका हिस्सा है। लेकिन उस पहाड़ को इग्नोर किया गया और नागौर जैसे इलाके के अन्दर जहां अरावली का कोई हिस्सा नहीं, अरावली से कोई सम्बंधित नहीं है, हम विरोध नहीं करते कि नागौर को क्यों दिया जाय मगर हम यह कहते हैं कि जालौर जिले को इग्नोर क्यों किया गया ? इसलिए मान्यवर मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जालौर जिले को भी इसमें सम्मलित किया जाय।

पेयजल के बारे में मैं इस बात के लिए राजस्थान की सरकार को बधाई दूंगा कि आज दिन तक 40 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने यह नहीं सोचा कि ग्रामीण के सिवाय ढाणियों में लोग रहते हैं, उनको भी पानी की सुविधा दी जाय। यह हमारी राजस्थान की सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि जिन्होंने ढाणियों की जनता को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई और यहां तक कि 50 हजार ढाणियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी 40 साल के अन्दर जो काम कांग्रेस की हुकूमत नहीं कर सकी वह काम राजस्थान की मौजूदा सरकार कर रही है इसलिए बधाई की पात्र है।

इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। नैतिक शिक्षा का प्रश्न क्यों उठा। नैतिक शिक्षा का प्रश्न इसलिए उठा कि आज दिन तक 40 साल के अन्दर नैतिक शिक्षा के नाम पर स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हुई। अब तक तो अनैतिकता की शिक्षा छात्रों के झगड़े, मास्टरों की पिटाई छात्रों द्वारा यह अनैतिकता की शिक्षा हुई है। इसलिए हमारी राजस्थान की सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्री जी ने यह महसूस किया है कि शिक्षा में गिरावट आ गई है और इस गिरावट को ऊंचा लेने के लिए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना अत्यन्त ही आवश्यक है। बच्चा अगर नैतिकता नहीं समझेगा तो बाप की कद्र कैसे करेगा, अध्यापक की कद्र कैसे करेगा। हमारी प्रोपर्टी किसकी है। यह हमारी प्रोपर्टी है। आज तोड़-फोड़ वगैरह यह सब क्यों होता है ? यह सब 40 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने हमको दी है, जिन्होंने नैतिकता के नाम पर शोषण किया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मुद्दों की बात जो नहीं बताई गयी है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां का 40 साल में कोई विकास नहीं हो रहा है और बजट के भाषण से 62 पर्सेण्ट पैसा गांवों की जनता को मिलेगा पेयजल पर खर्च होगा और पेयजल की सुविधा हमारे जो किसान ढाणियों में बसे हैं उनको पीने की सुविधा मिलेगी और हजार प्राइमरी स्कूलें खोलने का इस बजट में प्रोवीजन रखा है, मिडिल स्कूलों का राजस्थान को देखते हुए बहुत कम कोटा किया है। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी से मैं कहूंगा कि प्राइमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों की तादाद बढ़ायी जाय। आपने 25 रखा, 80 रखा है यह राजस्थान को देखते हुए, आज की शिक्षा प्रणाली को देखते हुए यह बहुत कम है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हर तहसील को कम से कम तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय दें, सीनियर विद्यालय दें। इस प्रकार का इस बजट के अन्दर आप व्यवस्था करें ताकि हर व्यक्ति को पढ़ाई की उन्नति करने का मौका मिले।

आरक्षण की सुविधा के नाम पर कांग्रेसी +++ करते थे कि हम आरक्षण करेंगे मगर इस बजट के अन्दर अनुसूचित जाति और जन जाति की जहां आबादी है वहां पर 50 प्रतिशत छोटी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था राजस्थान की मौजूदा सरकार ने की है। कांग्रेस ने तो आज तक उसके नाम का शोषण किया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 40 साल तक····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : कि मुसलमान भाइयों के वोटों का शोषण करते रहे, वक्फ बोर्ड की स्थापना नहीं कर सकी जो राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना करके यह दिखा दिया कि मुसलमानों की हमदर्द आप नहीं हैं, मुसलमानों के हमदर्दी हम हैं। इस बात का प्रमाण पेश किया है। आपने तो शोषण किया है पिछड़ी जाति के नाम पर। सांचौर के अन्दर भूतपूर्व गृह मंत्री माननीय बूटासिंहजी ने घोषणा की थी। सन् 1965 के छात्रावास और उसके लिए 88 में दो लाख रुपये स्वीकृत हुए थे उसको भी आपने काट दिया। आप पिछड़ी जाति की उन्नति की बात करते हैं, आप जन जाति की उन्नति की बात करते हैं परन्तु पिछड़ी जाति का शोषण करने वाले आप लोग हैं। अब पिछड़ी जाति का उत्थान होने का समय आया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का बजट किसान हितकारी और यह चिल्ला क्यों रहे हैं, कहते हैं कि किसान विरोधी है। यह किसान विरोधी नहीं है, यह कांग्रेस विरोधी है। यह बजट कांग्रेस के विरोध में है। यह किसानों के हित में बजट है। कभी आपने सोचा था। बिगोड़ी माफ से कितने किसानों को लाभ होगा। लाखों किसानों को लाभ होगा। लोग आज जय जयकार बोल रहे हैं कि वाह ऐसी सरकार जिसने वायदा किया। हमने वायदा पांच साल का किया। एक साल के लिए नहीं मगर चमत्कार एक साल में दिखा दिया। हमने एक साल में 241 करोड़ रुपये

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

के ऋण को माफ किया अभी चार साल और बाकी हैं।

इसके साथ-साथ मैं गृह मंत्रीजी को एक और सुझाव दूंगा। सांचौर तहसील का बोर्डर इलाका लगता है। तीन पाइण्ट सांचौर के लगते हैं—गुजरात का लगता है, पाकिस्तान का लगता है और बाड़मेर जिला लगता है। इसलिये मैं माननीय गृहमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सांचौर तहसील को बोर्डर तहसील डिक्लेयर किया जाय ताकि जो बोर्डर की सुविधा है, वह सांचौर तहसील को उपलब्ध हो। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र के पाइण्ट देखिये। मैं आपके साथ चलकर दिखाकर आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तहसील को किस तरह इग्नोर किया गया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को और राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का प्रगतिशील बजट पेश किया। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकरण।

श्री रामकरण (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, इस सत्र में हमारे बजट पर जो चर्चा हो रही है, इसके सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं, सुझाव भी दिये हैं। मैं इस बजट के बारे में विशेष रूप से जो खामियां रही हैं, उसके बारे में और भी कुछ नये तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं।

यह खुशी की बात है कि जब मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ, हमारे जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी इस सदन में मौजूद हैं। हमारे नागौर जिले में आज पेयजल की जो सारी व्यवस्था है, वह केवल कुओं के द्वारा है और हमारा पूरा राजस्थान और हमारे सदन के माननीय दोनों पक्षों के सदस्य यह मानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार वर्षा की कमी के कारण आज करीब करीब सारे कुए सूख गये हैं। जो बजट पेश किया गया है इस बजट में और हमारे भारत सरकार ने जो सर्वे करवाये हैं, उसमें यह लाया गया है और प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात मौजूद है कि इस नागौर जिले की जनसंख्या को आने वाले 50 वर्ष के बाद किस जगह शिफ्ट की जायगी। उस सर्वे में यह बात इसलिये आयी है कि नागौर में आगे आने वाले 50 वर्ष के बाद जमीन के अन्दर पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। बड़े दुःख की बात है कि हमारी सरकार इस बजट में, इतना विकासशील हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं, इतने बड़े जिले के लिये इन्होंने कोई भी स्थाई व्यवस्था के बारे में कोई भी बात नहीं की।

तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कई जिलों को आपने इस राजस्थान नहर, जिसे इन्दिरा गांधी नहर कहते हैं, उससे पानी पहुंचाने की बात कही है, नागौर जिले की जनता के लिये पेयजल के बारे में इस बजट में कोई व्यवस्था की बात नहीं की है। मेरा सुझाव है कि इन्दिरा गांधी नहर से नागौर को लिफ्ट से पानी पहुंचाकर स्थायी पानी की व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव रखा जाय।

(श्री रामकरण)

दूसरा, यह मैं मानता हूं कि यह योजना कुछ बड़ी भी है, इसमें कुछ समय भी लगता है। तकनीकी सेंक्शन भी लेनी पड़ती है, बजट का भी मामला होता है। गर्मी शुरू हो गई, अभी से गांवों में त्राहि-त्राहि पीने के पानी की शुरू हो गई। अधिकांश कुएं सूखे हुए हैं। सारे पाइप आपके खाली पड़े हैं। जगह-जगह लोग टंटे कर रहे हैं। तो मैंने पिछले सत्र में भी बजट के अन्दर यह सुझाव दिया था कि तत्काल पेयजल की समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है कि जितने भी आपके कुएं हैं, उनको आप भारत सरकार से भारी मशीनें मंगाकर जगह-जगह उनको बोर करा के गहरा करायें। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि हर पांच किलोमीटर में आप टैस्ट ट्यूबवैल खुदवा लें, अगर वह आपका टैस्ट ट्यूबवैल सफल होता है तो उसके डबल फायदे हो जाते हैं—पेयजल की आपकी समस्या दूर हो जायेगी और हर किसान को यह मालूम पड़ जायेगा कि जमीन के नीचे पानी की क्या पोजीशन है। अगर पानी मिलता है तो किसान भी जगह-जगह अपने खेतों में कुएं खोदेंगे, देश की पैदावार बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने पिछले बजट में भी यह बात कही थी कि हम करेंगे, परन्तु इस बजट में भूजल के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो मेरा सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से और जन स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें। मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं, करीब 70 मीटर नीचे जहां इतना हार्ड पत्थर आता है, मेड़ता और डेगाना तहसीलों के गांवों में कि जितनी भी कुएं खोदने की प्राइवेट मशीनें हैं, वह सब फेल हो गई। पांच पांच, दस दस दिन उन लोगों ने कोशिश कर ली, पर एक इन्च भी जमीन नीचे से नहीं टूटती। मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था और अभी हमारे माननीय उप प्रधान मंत्री जी भी नागौर आये थे उन्होंने कहा था कि बड़ी मशीनें भेज देंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की मशीन अगर आये, तो तत्काल हमारे नागौर जिले में कम से कम मेड़ता और डेगाना क्षेत्र में एक मशीन लगाकर तत्काल अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो पूरे क्षेत्र की जनता प्यासी मर जायेगी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस मामले को थोड़ा गम्भीरता से लें।

माननीय सदस्यों ने बड़ा स्वागत किया कि ढाणियों के लिये भी इस बजट में प्रस्ताव रखा गया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस बजट में केवल 500 ढाणियों की बात कहीं गई है जो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की ढाणियां हैं, उनको ही पानी देने की बात कही गई है। सवर्ण लोगों की ढाणियों में पीने का पानी देने की सरकार को कोई चिन्ता ही नहीं। 500 ढाणियां जो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हैं, उनकी ही बात कही गई है। दूसरे वर्गों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो पीने के पानी के मामले में तो कम से कम राजनीति नहीं लायें, इसमें भेदभाव नहीं किया जाये। अगर मैं कहीं चूक गया हूं, तो माननीय मंत्री जी मुझे करेक्ट कर लें।

एक माननीय सदस्य : सभी ढाणियों के लिये है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पैसा तो कुल 43 करोड़ है और सारी ढाणियों के लिये है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्री रामकरण : बिजली के बारे में पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत ही सारगर्भित और आंकड़ों के साथ बात बताई। पिछले बजट में राजस्थान में 25 हजार कुओं पर बिजली देने की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कही थी। मैं यह बता दूं सदन को कि इन 25 हजार कुओं की जो बात बजट में कही गई थी, उनमें से केवल 12 हजार कुओं पर, जो तत्काल योजना के तहत आते थे, वहां पर ही कनेक्शन दिये गये। इस प्रकार की आपकी बिजली की नीति है। आज भी इस नये बजट के द्वारा 25 हजार कनेक्शन देने की बात कर दी है। यह 25 हजार कनेक्शन तो केवल जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें ही मिलेंगे। जो गरीब आदमी हैं, उनके लिये कोई अलग से व्यवस्था नहीं की है, तत्काल योजना के तहत भी कोई टारगेट्स नहीं रखे हैं। ऐसी कोई भी बात बजट में नहीं की गई है और बिजली के बारे में सबसे ज्यादा किसान का शोषण हो रहा है। एक किसान मजबूरी के साथ अगर अपना कनेक्शन लेता है तो उसको 50 से 60 हजार रुपये देने पड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार केवल पूंजिपतियों की हिमायत करती है, गरीबों के अधिकारों की सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, केवल अपने वोटों और पैसे की चिन्ता है। राजस्थान में 30 करोड़ रुपये केवल इस प्रकार की योजना के लिये जमा हैं, केवल उन लोगों को ही कनेक्शन मिलेंगे। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल आप अमीरों की चिन्ता नहीं करें। राजस्थान के गरीब काश्तकार हैं, उनके अधिकारों की भी चिन्ता की जाये। उनके लिये अलग से कोटा दे दीजिये और तत्काल विद्युत कनेक्शन देने की बात करें।

जहां कृषि इस प्रदेश का और देश का धंधा है उसमें आज इस प्रकार की छोटी-छोटी आंकड़ों की बात तो बजट में बहुत कह दी गई है एस. सी., एस. टी. को इतना दे देंगे, अन्यों को कितना आज आपने दिया है? उन लोगों के कुओं को गहरा करने की आवश्यकता है, कुएं गहरे नहीं हैं, जगह जगह बोरिंग की जरूरत है। उनके कुओं को गहरा करने के लिए आपने बजट के अन्दर कहीं पर भी ऐसी कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं की है। जो कुवे सूख गये हैं, जिनमें पानी नहीं है, किसान की हैसियत नहीं है कि सरकार उनको किसी प्रकार की सब्सिडी देगी या योजनाएं बनायेंगी। इस प्रकार 62% इस बजट का पैसा गांव की तरफ लगाने की बात कही गयी है वह एक थोथा नारा है, यह एक स्टण्ड की बात है। वास्तव में साल भर के अन्दर सरकार की जो प्रगति है वह हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के साथ बतायी। किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है।

बिजली की एक समस्या ऐसी समस्या है जिसके बारे में सारे किसान भयंकर रूप

(श्री रामकरण)

से पीड़ित हैं, किसान का सबसे ज्यादा शोषण होता है। क्या बिजली बोर्ड का पूरा घाटा पूरा करने की जिम्मेदारी किसान की है? इसके अन्दर भी भेदभाव है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन हैं कि गरीब काश्तकारों के हितों की रक्षा की जाय, उनको संरक्षण दिया जाय, उनके कुओं को गहरा करने की योजना बनायी जाय। उनको पैसा दिया जाय और गरीब किसानों को तत्काल बिजली देने की व्यवस्था की जाय।

आज सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने इसके लिए बार बार जोर दिया है। अगर किसी भी कारखाने में नुकसान होता है, छोटी मोटी फैक्ट्री में नुकसान होता है, सबको बीमे के जरिये तुरन्त मुआवजा देने की व्यवस्था है। इसके अन्दर केवल लीपापोती की गयी है। फसल बीमा की कोई ठोस व्यवस्था बजट के अन्दर नहीं रखी गयी है। अकाल से, बाढ़ से ओलावृष्टि से और किसी प्रकार की विपरीत हवाओं से किसान की सारी फसलें तबाह हो रही हैं, सरकार ने कभी भी किसान के हित की चिन्ता नहीं की। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की। बीमे की बात केवल ढकोसला है। वह जो किसान और गांव की बात करते हैं यह थोथा नारा है। 62 प्रतिशत जो बजट गांव के विकास की तरफ लगाने की बात है थोथी बात है। कोई भी गरीब या किसान की ठोस व्यवस्था सरकार ने नहीं की है केवल एक आंकड़ों का बजट पेश किया है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि अगर वे वास्तव में गरीब और किसान के हमदर्द हैं तो आपको इसके अन्दर ठोस काम करना होगा। एक बात जरूर स्वागत योग्य है कि आपने बारानी जमीन पर लगान माफ किया है। यह वास्तव में सराहनीय काम है। अच्छे काम की हम तारीफ भी करते हैं।

विद्युतिकरण की बात अगर मैं आंकड़ों से बताऊं तो तीन बजट के अन्दर राजस्थान इस साल सबसे पिछड़ा हुआ है। आपके 1988-89 में 1446 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ और 1989-90 में 2039 ग्रामों का विद्युतिकरण हुआ....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री रामकरण : दो मिनिट लूंगा आपके। इस बजट में केवल 250 ग्रामों का विद्युतिकरण हुआ जबकि इस बार आप 700 ग्रामों की बात कर रहे हैं। आज जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है और आप बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। इसके अन्दर हरिजन बस्तियां 1988-89 में 1041 को बिजली दी गयी थी, 1989-90 में 1696 बस्तियों को दी और इस साल केवल 110 बस्तियों को दी गयी है। इसमें भी घाटा है। 33 के.वी. की लाइनें जो राजस्थान में 1988-89 में 218 किलोमीटर बिछायी गयीं थीं, 1989-90 में 338 किलोमीटर बिछायी गयीं और इस बार केवल 170 किलोमीटर बिछायी गयी हैं। 33 के. वी. के पावर हाउस जिसकी आज जगह जगह आवश्यकता है वह 1988-89 में 158 बनाये गये थे, 1989-90 में 136 बनाये गये हैं और इस साल केवल36 बनाये गये हैं। इसलिए बिजली के मामले में जो विकास का सबसे बड़ा साधन है आप पिछड़े हुए हैं। अगर बिजली नहीं है, कुओं पानी में नहीं है और खेती को

(श्री रामकरण)

पानी नहीं मिलेगा तो खेती की तककी नहीं होगी इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में मैंने जो सुझाव दिये हैं उसके बारे में सरकार गौर करे और उसके अनुसार इसमें संशोधन करे । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री नत्थी सिंह : क्यों बढ़ा रहे हो ? आप एक बी. जे पी. का और बुला दो ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री दिग्विजय सिंह : आधा घण्टा बढ़ा दो ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का स य आधा घण्टा बढ़ाया गया ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री रामकरण : आपने समय बढ़ाने के लिए कॉल किया जो सदन ने नो शब्द का उच्चारण किया । इधर से भी और उधर से भी । उसके बाद आपने बढ़ा दिया ।

श्री सभापति : समय को बरबाद न करें । कृपया विराजें ।

श्री रामकरण : इसमें आप वोट करवाइये । समय हम बरबाद नहीं कर रहे हैं । समय तो आप बरबाद करवा रहे हैं । दुबारा करवाइये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, दुबारा पूछ लें ।

श्री सभापति : समय न बरबाद करें । आगे चलें । (व्यवधान)

ज्यादा लोगों ने "हां" कहा उसके आधार पर समय आगे बढ़ाया है ।

श्री रामकरण : दुबारा बुला लें.... । (व्यवधान)

+++ दुबारा बुला लीजिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सत्ता पक्ष के लोगों ने "नो" कहा है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आधा घण्टे बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सभापति)

सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

माननीय शिवकिशोर सनाढय।

आय-व्ययक वर्ष 1991-92 पर सामान्य वाद विवाद

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री के रूप में जो बजट इस विधान सभा में रखा गया है उसका राजस्थान में सर्वत्र स्वागत हुआ है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें पेशेवर राजनीतिज्ञ कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों ने इस बजट की आलोचना की है। बाकी इस बजट की प्रशंसा सारे क्षेत्रों में हुई है....

श्री नत्थी सिंह : पेशेवर से क्या मतलब ? ऐसा लगता है आप सबसे ज्यादा पेशेवर हैं।

श्री रामकरण : पेशेवर कोई नहीं है। यहां तो माननीय सदस्य हैं। आप पेशेवर किसको मानते हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं माननीय नत्थीसिंह जी को इसका क्या जवाब दूं इन का यह आब्जेक्शन हो सकता है पर डिक्शनरी उठाकर देखें और उन लोगों की तरफ देखें जिन्होंने कि अपना पेशा राजनीति को बना रखा है और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ इसी से चलाते हैं। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में मैंने पेशेवर शब्द का प्रयोग किया है ऐसे लोगों ने इस बजट का निश्चित रूप से विरोध किया है। बाकी सभी लोगों ने निश्चित रूप से सराहना की है। जो किसान नेता हैं, उद्योगपति हैं, चेम्बर आफ कामर्स के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों ने इसकी सराहना की है और इसका कारण यह है कि यह जो बजट रखा गया यह राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है, यह राजस्थान की खुशहाली का बजट है।

जिस तरीके से 1 अप्रेल, 1951 में जब भारत सरकार ने विकास की योजना आरम्भ की थी राजस्थान के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था कि राजस्थान का विकास होगा, खुशहाली होगी लेकिन यदि उस दिशा में देखें तो केवल एक विषय में कृषि के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में इसके ऊपर जितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, कृषि और सिंचाई पर योजनाकाल से लेकर अब तक 2547.82 करोड़ की राशि विनियोजन हुई है जो कुल योजना राशि का 31.2 प्रतिशत हैं। लेकिन 1951 से 1987-88 तक कृषि की उपज बढ़ती रही लेकिन उसके बाद उसका गिरना आरम्भ हुआ। यह गिरने का कारण क्या था। क्योंकि राजस्थान में कृषि और सिंचाई की जितनी योजनाएं बनायीं गयीं थी वह इतनी आधारहीन और थोथी थी, इतनी गलत थी कि हमको उसी बरसात के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। और जब बरसात नहीं हुई तो हमको अकाल का सामना करना पड़ा और यदि कृषि और सिंचाई के साधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया होता तो इन में योजना राशि का 31.2 प्रतिशत खर्च हो जाय और उसके बाद भी हमें उसी ईश्वर के जल पर आश्रित रहना पड़े यही हमारी विफलता का सबसे बड़ा सबूत है।

(7.00 रात्रि)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बार कृषि के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में न केवल इन मदों पर राशि ही नहीं बढ़ायी गई है बल्कि जिस तरह की संकल्प जाहिर की गई हैं, जिस तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया है उससे कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ होगा। इस बजट के अन्दर विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा ग्रामीण विकास, कृषि आदि सभी मदों में राशि का आवंटन हुआ है। ऐसी कौनसी मद है जिसके अन्दर राशि का अवंटन अधिक नहीं किया गया है। इससे लगता है कि विकास की तरफ, खुशहाली की तरफ हमारा यह बजट जाने वाला है। चूंकि ऐसा कहा गया है कि हम लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि हम हर हाथ को काम देंगे, बेरोजगारी मिटायेंगे, बेरोजगारी मिटाने के संदर्भ में अभी साढे तीन लाख लोगों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लेने का एक संकल्प इसके अन्दर किया गया है। जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, रोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं का निर्माण इसमें किया गया है। इसके साथ साथ जो एक समिति का गठन किया है, जो समिति बेरोजगारी को मिटाने के संदर्भ में निर्णय देने वाली है, मैं राजस्थान की हुकूमत से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आज समितियां बनती रही हैं और उन समितियों की रिपोर्ट ठंडे बस्तों में डालकर जिस तरीके से रखा गया है, अगर ऐसे ही कोई ठंडे बस्ते में डालने की बात हो तो ऐसी समितियों को न बनाया जाये। लेकिन अगर ऐसी समिति है जो रोजगार देने वाली समिति है, तो निश्चित रूप से उसकी क्रियान्विति होनी चाहिये। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी राजकीय सेवाओं में जाने वाले जो बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार अगर यह निर्णय ले सकती है कि उसकी जो परिवहन की बसें हैं उसमें उन्हें फ्री जाने की इजाजत दी जायेगी तो राजस्थान की हुकूमत को भी उन बेरोजगारों के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये जो राजकीय सेवा हेतु साक्षात्कार के लिए कहीं पर भी जायें, राज्य परिवहन की बसों में उनको निश्चित रूप से फ्री पास दिया जाना चाहिये। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि एक तरफ गरीबी की रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में टकटकी लगा–कर देख रहे हैं, उसके बाद में यदि 5–10 पद खाली हैं और एप्लीकेशन्स मांगी जाती हैं तो उसमें हजारों की तादाद में एप्लीकेशन्स आती हैं और उस पर जो पोस्टल आर्डर लगाया जाता है वह उस गरीब के ऊपर भार स्वरूप पड़ता है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आवेदक शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में लगाया जाता है, उस आवेदक शुल्क को उन बेरोजगारों के लिए समाप्त करें। ऐसा करके हम उन बेरोजगारों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे जिनको वर्षों से इस बात की आशा थी कि यदि परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है तो हम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमारे यहां पर बहुत बड़े बड़े पदों के सृजन में वाइस चांसलर को एक अधिकार है कि वह पांच हजार तक की नौकरी दे सकता है, वह एक आदमी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

को नौकरी का अधिकार दे सकता है। लेकिन एल. डी. सी. जो राज्य का सबसे छोटा कर्मचारी है, आर पी.एस.सी. उसका सलैक्शन करती है। 1986 में जिन एल. डी.सीज का सलैक्शन कर लिया, जिन स्टेनो ग्राफर्स का सलैक्शन कर लिया, उनको 1986 से आज तक नौकरी नहीं दी गई। आज एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को इस सदन में उठाया था कि इतनी रिट दायर हुई हैं उसके संदर्भ में क्या हमें उन लोगों को, जो हमारे यहां सलैक्ट हो गये हैं, जिनको हमें नौकरी देनी चाहिये थी, वह आज भी इस नौकरी के इन्तजार में हैं। मैं हुकूमत से निवेदन करूंगा कि जो स्केल नम्बर एक से लेकर छह तक प्रतिबंध लगा रखा है, इस प्रतिबंध को समाप्त करें ताकि सरकारी नौकरियों के अन्दर वह लोग आ सकें। स्कूल आज खाली पड़े हुए हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज लैब ब्याय नहीं हैं। आप परीक्षाएं लेने जा रहे हैं लेकिन उन बच्चों की; जिनको प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं होता, क्या स्थिति होगी। आज लैब असिस्टेंट नहीं हैं, स्कूल में लाइब्रेरियन नहीं हैं, एल.डी.सी. नहीं हैं, यू.डी.सी. नहीं हैं और हजारों लोग आज सड़कों पर घूम रहे हैं रोजगार के इन्तजार में कि सरकार कब उनको रोजगार दे। मैं बहुत ही नम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग बेरोजगारों की, जो गरीब बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है उनकी आह न लें। आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण किया है नौकरी में आने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि किसी तरीके से जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की बहबूदी के लिए अपना श्रम देना चाहते हैं, अपनी बुद्धि देना चाहते हैं उन लोगों को निश्चित रूप से नौकरी देने के लिए आप योजना बनायें और उन गरीबों की तरफ देखें, जिन गरीबों की बात, किसानों की बात, देहातों की बात हम करते रहे हैं। पिछली बार इस सदन में कहा गया कि पंचायती राज में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनमें उस जिले, उस तहसील के लोगों को इतने अंक दिये जायेंगे लेकिन इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से, लालफीताशाही की वजह से आज भी जिला परिषदों के अन्दर जिन टीचर्स का चयन हो गया, उन लोगों को नौकरी नहीं दी गई। उनको कोर्ट में जाना पड़ा। शिक्षा विभाग के अन्दर एक फार्मूला बना है, वहां बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरिट के आधार पर सलैक्शन होता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं तो वह फार्मूला पंचायत समितियों पर क्यों नहीं लागू हो सकता। हजारों बेरोजगार लोग, जिन्होंने एस.टी.सी. बी.ए. बी.एड. किया, इतना पढ़े लिखे उन्होंने सैकड़ों रुपये पोस्टल के जरिये उन जिला परिषदों को भेज दिये लेकिन वह आज भी इन्तजार में हैं कि हम लोगों को नौकरी दी जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने भी लोग जिनके सलैक्शन हो गये हैं, उन सबको नौकरी दी जाय। मैं इस विषय में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्दर भी कुछ झलक थी, हमारी विद्युत की योजनाओं के संदर्भ में राजस्थान के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मुख्यमंत्री ने भी अपने बजट भाषण में 317.91 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा है। यह विद्युत की योजनाएं तो होंगी लेकिन जो उद्योगपति आज भी बिजली की चोरी कर रहे हैं, जिन उद्योगों पर बिजली का करोड़ों रुपया बकाया है, उनकी वसूली के लिए भी उसी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आप उन उद्योगों में देखें तो सही कि उनका उत्पादन क्या है और उनका बिजली का क्या खर्चा है ? अगर आप इस तरीके से चैक करेंगे तो यह विद्युत की चोरी भी बचायी जा सकेगी। आज भी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अनाधिकृत बिजली जलती है। आपके इंजीनियर्स, जे. ईएन. की नॉलेज में यह सारी बात होती है क्योंकि प्रशासनिक ढांचा इस तरह से चरमरा कर रह गया है कि भ्रष्टाचार की गंध सब जगह से आती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रशासनिक ढांचे का कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ पालन किया जाय तो यह विद्युत की चोरी रुक सकती है। अगर यह विद्युत की चोरी रुक जाती है तो इससे राजस्थान को बहुत कुछ लाभ होने वाला है। प्रशासनिक दृष्टि से यह भी कीजिएगा कि जो बिजली का उपभोक्ता है उसके सामने आज समस्या है कि उसके यहां पर अगर अंधेरा है तो वह बिजली वालों को केवल टेलीफोन करता रहेगा और जा–जाकर नाम लिखाता रहेगा लेकिन होगा कुछ नहीं। जिन लोगों को कनेक्शन चाहिए वह कनेक्शन के लिए तड़पते रहेंगे। लेकिन जब तक उनको रिश्वत नहीं दी जायेगी तब तक उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल सकता। मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप प्रशासनिक सुधार कीजिएगा ताकि इसे रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट के अन्दर इसे समाप्त कर रहा हूं। राज्य में पिछले 40 वर्षों में उच्च शिक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। यूनिवर्सिटीज में, कालेज में, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में। मैं राजस्थान की सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह 1951 से लेकर अब तक के आंकड़े निकाल कर देखें कि उच्च शिक्षा के अन्दर जिस तरह की आशातीत सफलता प्राप्त हुई है वैसी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कालेज, मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कालेज, जो वर्तमान में है वहीं पर सुविधा और बढ़ा दी जाय। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। उदयपुर का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज है, उसमें सब तरह की मशीन हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, टीचिंग के लिए प्रोफेसर्स हैं। वहां पर यदि थोड़ी-सी सुविधाएं और जुटा ली जायं तो नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि उसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज में ही हम कुछ फैकल्टीज डवलप करके उन्हीं मशीनों, उन्हीं पढ़ाने वाले लोगों से निश्चित रूप से पैसे को बचा सकते हैं। हमको चाहिए कि हम इसे निजी क्षेत्र में जाने दें, कालेज मेडिकल कालेज को। रोक लगानी चाहिये शहरों के अन्दर, और हमारे पास जो इंजीनियरिंग कालेज हैं, मेडिकल कालेज हैं उनकी क्षमताओं को हमें बढ़ाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इसके

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

साथ-साथ कि आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में गांव उपेक्षित हैं। जिस ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वह आज चिकित्सा की दृष्टि से उपेक्षित है। मैं खासकर कहना चाहता हूं कि उदयपुर का जनजाति क्षेत्र जो है उसमें मेडिकल कालेज है, लेकिन उस मेडिकल कालेज के साथ जो हास्पिटल है उस हास्पिटल की तुलना यदि आप अन्य हास्पिटल से करें तो जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो गरीब हैं, कहीं दूर जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं बस और दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, समय नहीं है दो मिनट का, कृपया समाप्त कीजिए। और लोग बोलने वाले हैं, साढ़े सात बजे स्थगित हो जायेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : राजस्थान सरकार ने यह जो कला एवं संस्कृति प्रतिष्ठान की घोषणा की है, मैं इसकी सराहना करता हूं कि जिस तरह से आज नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है उसी तरह से आज आवश्यकता है ऐसे प्रतिष्ठानों की। जिस तरह से अकादमीज बनायी गयी, उन अकादमी के पीछे जो मोटो था, जो लक्ष्य था यदि उसी तरीके से हमारा यह सांस्कृतिक प्रतिष्ठान लालफीताशाही में फंस गया, उन अधिकारियों को यदि बैठा दिया गया तो शायद उसकी पुनरावृत्ति होगी जैसा आज अकादमीज में हो रहा है। इसलिए मैं राजस्थान की हुकूमत से निवेदन करूंगा कि इसमें मनीषियों को लायें, सारे देश से ढूंढकर लायें लेकिन उन लोगों को लाकर बैठायें जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के ज्ञाता हैं, जो भारतीय मनीषा के अनुरूप इस प्रतिष्ठान को चला सकते हैं। उन लोगों के हाथ में न सौंपे जो केवल प्रशासनिक आधार पर इन प्रतिष्ठानों को चलाते हैं। यह कहता हुआ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं।

श्री सभापति : बहुत समय मिलेगा, फिर दे देना सुझाव।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक सुझाव और देना चाहता हूं। कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण के लिए जो रुपया इसमें प्रस्तावित किया गया है इससे निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारी वर्ग की, जो गरीब हैं, अपना मकान नहीं बना सकता, 30–35 साल की नौकरी के बाद भी अपना घर नहीं बना सकता, चिन्ता की है राजस्थान की हुकूमत ने। अब वह निश्चित रूप से अपना एक घर बना सकेगा 30–35 साल के बाद में। इसी के साथ–साथ कहना चाहता हूं कि 1985 में यात्रा भत्तों में चेंज किया गया था। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गयी, कितनी बढ़ गयी है। क्या वह चेंज नहीं किया जाना चाहिए। मैं राजस्थान की हुकूमत से निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कि वह कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की तरफ भी ध्यान दें।

यह ट्रिब्यूनल राज्य कर्मचारियों के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए केवल जयपुर में है। आज सारे राजस्थान के कर्मचारियों को यहां आना पड़ता है। इसके पीछे केवल एक मंतव्य था कि उसे कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, उसका पैसा नहीं खर्च होगा, उसे न्याय सुलभ होगा। लेकिन आज उतना ही पैसा उसे खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस ट्रिब्यूनल को आप जगह-जगह लगाइयेगा, केवल उदयपुर के लिए ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि वह प्रत्येक डिवीजन में जाय ताकि कर्मचारियों को सस्ता न्याय सुलभ हो सके।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेवेन्यू की बैंच जाती रहती है उसी तरीके से हाई कोर्ट की एक बैंच उदयपुर के क्षेत्र में जानी चाहिए। जनजाति क्षेत्र के लोग, जो गरीब हैं, जो जेलों में सड़ते रहते हैं केवल इसलिए कि वे जोधपुर में नहीं पहुंच पाते। उन लोगों को बरसों तक न्याय नहीं मिल पाता। यह संवेदनशील सरकार मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया सभापति महोदय, उसके लिए।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने वर्ष 1991-92 का बजट पेश किया। इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, चाहे किसी दल से आते हैं सभी लोग किसान की तारीफ करते हैं और उसकी हिमायत की बहुत आवाज उठाते हैं। लेकिन हकीकत हमारे जैसे ग्रामीण अनपढ़ आदमी महसूस करते हैं। 85 प्रतिशत गांवों में किसान हैं। वे जिधर नाराज हुए उधर उनको वे रवाना कर सकते हैं, इसलिए इनको तो +++ बनाने के कागज बनाओ, दस्तावेज बनाओ। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, महलों में बैठे लोग हैं, काबिल लोगों बैठे हैं, जिनके दिमाग पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनकी मंशा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सरकार बार-बार बड़े जोर से कह रही है कि 60 प्रतिशत बजट हम गांवों में खर्च कर रहे हैं। पिछले एक साल में.... (व्यवधान)

देखिये, बीच में मत बोलिये। आपको एतराज अगर हो तो मैं बैठ जाऊं। बात कहने का हमें अधिकार मिला है। आप सत्ता में हो, चाहोगे वो होगा, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हम जानते हैं लेकिन हमारी बात कहने दो।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के बजट में, जो 80 प्रतिशत गांवों की जनता को पानी सप्लाई करता है और 85 प्रतिशत शहरों की जनता को सप्लाई करता है, 60 प्रतिशत पैसा है इसमें ? नहीं देख लो। भारत सरकार ने सीमावर्ती विकास कार्यक्रम एक अलग दिया है राज्य सरकार को, जिसके तहत सीमावर्ती जिलों को काम

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमीन खां)

मिलेगा । जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के इंजीनियरों ने नये रेवेन्यू गांवों और 250 से अधिक आबादी समूह की ढाणियों की स्कीम बनाकर राज्य सरकार के पास पेश कर दी है। लेकिन एक भी स्कीम, मैं चैलेंज करता हूं, कि उसमें से मंजूर नहीं हुई है। तो क्या यह गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है ?

नम्बर दो, शिक्षा के स्तर में हिन्दुस्तान में राजस्थान पीछे है और राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर पीछे हैं। आधे सैकण्डरी स्कूल गांवों में ऐसे हैं जिनमें हैड मास्टर नहीं है, एल. डी. सी. नहीं है। जहां अच्छा स्टाफ है वहां 60 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ किसी सैकण्डरी स्कूल में नहीं है। पंचायती राज लीजिए, बाड़मेर जिले में 253 ग्राम पंचायतें काम करती हैं। जिसमें 252 ग्राम सेवकों और सचिवों के पद स्वीकृत हैं राज्य सरकार से। उसमें से 161 पद रिक्त हैं और नियुक्तियों पर पाबन्दी लगी हुई है। जिला परिषदों ने पंचायती राज की जो स्कूल चलती थीं उन स्कूलों में सलेक्शन किया। राज्य सरकार ने घपलाबाजी का बहाना बनाकर 27 जिला परिषदों के आर्डर कैंसिल किये। धन्यवाद जुडीशियरी को कि राजस्थान की हाई कोर्ट ने वह रुकावट हटायी और कुछ मास्टर मिडिल स्कूल में पहुंचे हैं। बाकी उन ग्रामीण स्कूलों की हालत आज बुरी से बुरी है। आज शहरों के स्कूलों में पद इतने खाली क्यों नहीं हैं ? जब ग्रामीण सरकार है, किसानों की हिमायती, बुलन्द आवाजी सरकार है तो शहर वालों को रवाना करें और उनको ग्राम और ढाणियों में बैठा दें। यह मत समझना कि कांग्रेसी हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। मैंने अच्छी बात की। 1980 में जब मैं एम. एल. ए. बनकर आया था इसी विधान सभा में, भैरोंसिंह शेखावत को धन्यवाद दिया था एक बात के लिए और हमारे कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों के लिए नाराजगी जाहिर की थी। आज भी कहता हूं कि सीमावर्ती इलाके में नालायकी, ज्यादती, नाजायज, ओछी हरकतें, जो हमारे राज में हुई वह कम से कम भैरोंसिंह जी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भैरोंसिंह जी जो सन् 1977 में था वह आज, हम महसूस करते हैं कि नहीं हैं। क्यों ? अब हम उसकी हालत देखते हैं कि वह मजबूर है। अब वह दूसरी मैजोरिटी के लोगों में काफी कमजोर हुआ है। गृह मंत्री महोदय, आपके राजस्थान में सैकुलरिज्म है, यह सैकुलर स्टेट है लेकिन आपने कुछ मंत्री ऐसे भी बनाये हैं जो फतवे भी देते हैं।

जैसे लोक सभा में आरिफ मोहम्मद खान ने दिया था। 100 कान्स्टेबिल्स की यह सी.आई.डी. पुलिस में भर्ती हुई जिसमें एक मुसलमान कान्स्टेबिल फिजीकली फिट हुआ। क्या यह सैकुलर स्टेट है ? आपके जितने भी बोर्ड बैठे हुए हैं नियुक्तियों में उन में कितने शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और माइनोरिटी के मैम्बर या चेयरमैन नियुक्त किए हैं। जब ऐसी भावनाएं आप तय नहीं करेंगे तो इन कागजों और भाषणों से कोई अधिकारी परवाह करने वाला नहीं है। भारत के संविधान के तहत जिन लोगों को रिजर्वेशन की सुविधाएं मिली हुई हैं उनको ही जब अधिकारी ताक में रख सकते हैं तो यह माइनोरिटी की हिदायतों और बातों की

(श्री अमीन खां)

कतई परवाह नहीं करते हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, जवाहर नाम का एक आदमी अभी 27 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा जिसके खिलाफ कोई केस पूर्व में रजिस्टर्ड नहीं था और उसकी मौत तक का केस पुलिस रजिस्टर्ड नहीं कर सकी। उसका ढाई साल से केस पैण्डिग है, पुलिस चालान पेश नहीं कर सकती है। चालान इसलिए पेश नहीं कर सकती है, क्योंकि एक आदमी को बिना मुकदमे के 27 दिन बन्द रखने और उसकी मौत हो जाने के सम्बन्ध में एफ.आर. देने पर तो कोर्ट काग्निजेन्स ले लेगी। लेकिन वक्त निकलवा कर माफ करवाते हैं। और उसके मुलजिमान आपसे आदेश लेकर वापस वहां जाने की धमकियां दे रहे हैं, गांव आने की धमकियां दे रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, यह इन्सानियत की इज्जत और इन्सान के फण्डामेंटल राइट की हत्या का सवाल है। इसी मामले में डाइरेक्टर जनरल, पुलिस के पास शिकायतें आई। तब डाइरेक्टर जनरल, पुलिस ने उसकी ईमानदारी से जांच करवाई। जांच की रिपोर्ट है जो-जो लोग हजारों तोला सोना खा गये उस मुतल्लिक रिपोर्ट है, पर उस जांच रिपोर्ट पर विभाग कोई कार्यवाही नहीं करने जा रहा है।

अब रहा सवाल बिजली का। दूसरी जगहों पर ज्यादा रोशनी हुई तो मुझे पता नहीं है पर हमारे जिले में एक भी नया गांव स्वीकृत नहीं हुआ। पेयजल योजनाओं के तहत एक भी नया गांव स्वीकृत नहीं हुआ। दो फीट भी कोई सड़क नई मंजूर नहीं हुई हैं। मैंने आज भी नियम 295 के तहत यह उल्लेख किया कि पूर्व में अकाल राहत कार्यों के जो सैकड़ों-हजारों किलोमीटर सड़कें बनी थीं उनकी रिपेयरिंग इत्यादि का कोई भी इन्तजाम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जैसे गांव के अनपढ़ आदमी का सोचना यही है कि 15 पर्सेण्ट आदमी एक तरफ हैं और 85 पर्सेन्ट आदमी एक तरफ हैं। उन 85 पर्सेन्ट लोगों को +++ जो बनायेगा वह देश और राज्य में राज करेगा अन्यथा राज करना मुश्किल है। आज आप चाहे नौकरी पेशे में देख लो कितने ग्रामीण लोग नौकरी में हैं और कितने इन 15 पर्सेन्ट लोगों के आला अफसर, आर.ए.एस. आई पी.एस. आई.ए.एस. बन गए हैं। मैं अपने खुले दिमाग से इस मुतल्लिक चाहे जो कुछ भी हो एक तो धन्यवाद देता हूं चौधरी कुम्भाराम को जिन्होंने कुछ ऐसी मिसालें जरूर राजस्थान में कायम की थीं ताकि अधिकारी मन चाहे जैसे नहीं कर सकते थे।

दूसरे नम्बर पर सवाल आता है आज गांव के आदमियों को हर जगह दबाने का। आज गांव के आदमी शिकायतें लिए हुए घूमते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जब इधर बैठते थे, चाहे मैं कांग्रेसी था इनका भाषण शौक और बड़े प्रेम से सुनता था। इनके जितना हमारे लीडर्स का हमें पसन्द नहीं आता था। इन्दिरा गांधी नहर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की नहर है। राजस्थान की जनता को ही नहीं बल्कि देश की जनता को अनाज देने

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमीन खां)

वाली नहर है। इस साल में कितने फलांग आगे इस नहर को बढ़ाया है और इस नहर पर जैसलमेर और बाड़मेर के भूमिहीन गरीब किसानों में से कितनों को जमीन दी है? कहीं नहीं है। वहां सफेद कारों में अटैचियों का इन्तजाम होता है। आने वाले आते हैं और जाने वाले जाते हैं। हमें तो आज भी शक है कि इस नहर पर जमीन पंजाब के लोग हासिल कर सकते हैं और लोगों को ही मिलेगी। हम लोगों को तो कागजों, दस्तावेजों और भाषणों में समझाया जायेगा।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं बहुत अदब के साथ अन्त में एक और बात फण्डामेंटल राइट को चैलेन्ज करने के सम्बन्ध में आपको नोट करवाना चाहता हूं। सीमावर्ती इलाकों में परिचय-पत्र बनाये जा रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि यह परिचय-पत्र बनाने का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह केवल सीमावर्ती इलाकों में ही नहीं पूरे देश में भी बनने चाहिए। इससे हमें सुविधा है तकलीफ नहीं है। लेकिन परिचय-पत्र बनाने के लिए पुलिस के एस.पी. को अधिकृत नहीं किया। जिला कलक्टर को नहीं किया है। पुलिस के सब इन्सपेक्टर जो एस. एच. ओ. होता है उसको नहीं किया है रेवेन्यू विभाग में तहसीलदार को नहीं किया है। आपका बी.आई का एक कान्स्टेबिल लिख देता है कि यह आदमी तस्करी करता है तो उस आदमी को यह परिचय-पत्र नहीं दिया जाता है। ऐसे कई सरपंचों को नहीं मिलता है। हमारे यह बात समझ में नहीं आई है कि यह परिचय-पत्र सरकार देश के नागरिकों की पहचान के लिए बनवा रही है या किसी के चरित्र को सर्टिफाइड करने के लिए बनवा रही है।

अगर चरित्र को सर्टिफाइड करके परिचय पत्र दे रही है तब तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। वह कुछ भी लिखें और किसी के भी रुक जायें लेकिन भारत के नागरिकों को, चाहे वह हत्यारा है, चाहे वह हजारों केसेज में मुल्जिम है, देश के नागरिक का प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा। उसको फांसी दी जा सकती है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नागरिक होने का प्रमाण पत्र देने से रोकता कौन है? 500 रुपये दो और परिचय पत्र ले जाओ। इसमें लगातार भ्रष्टाचार की बात जारी है। ऐसी हरकतों को आप रोकें। आपके कानूनविदों को आप पास में बैठायें, इसका कलंक आखिर सरकार पर आता है। मैंने पूर्व में हमारी सरकार को भी कहा था कि आप तो इसको गुमराह होकर मानते नहीं हो लेकिन श्री भैरोंसिंह जी का राज आयेगा, तब वह ऐसी गलत बातों को बन्द कर देंगे। वाह-वाही तो उनको मिलेगी। लोग इस बात को मानेंगे कि इन्होंने इन्सान के हकों को पहचाना है। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी तरफ से इस तरह की बेईमानी का इन्स्ट्रक्शन नहीं है जिससे अधिकारियों को खुली छूट मिले। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि यह आपका फर्ज है। हमारा फर्ज है बोलना, हमारी समस्याओं को कहना लेकिन उन समस्याओं का इलाज करना आपका फर्ज है। देश के संविधान और विधान सभा के नियम कानून कायदों को जो लोग तोड़ते हैं उन लोगों को आप इतना अधिकार न दें जिससे कि

(श्री अमीन खां)

एक 500 रुपये पाने वाला आदमी लिख दे कि यह संदेह जनक है। वहां पर जिले का एम पी. है, कलक्टर है रेवेन्यू विभाग में तहसीलदार है पटवारी है जन-प्रतिनिधियों में प्रधान है, सरपंच है, ग्राम सेवक है, जब ऐसे लोग किसी आदमी को आइडैन्टिफाई करते हैं तो उसके बाद में किसी आदमी पर संदेह करना तो एक इन्सान के साथ में जायदती करने के समान है और वहां पर इस तरह की जायदती चलती है।

अन्त में मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस बजट में कोई लेना देना नहीं है। पांच हजार स्कूलें बन्द की और एक हजार नई स्कूलें आप खोलने जा रहे हो, पच्चीस नई मिडिल स्कूलें बनाने जा रहे हो। हम समझते हैं कि पच्चीस स्कूलें तो आपके मंत्रियों के क्षेत्रों तक नहीं पहुंचेगी, हम एम.एल.एज, तो उम्मीद ही क्या रखें और उसमें भी हम विपक्ष वाले तो बिलकुल ही उम्मीद नही रखते हैं। लेकिन मंत्रिमण्डल के सदस्यों की भी पूर्ति इनसे नहीं होगी।

भेड़ व ऊन मंत्री महोदय, हमारे पास मात्र भेड़ों का धन्धा है। मंत्री तो आप हो जवाब आप दे रहे थे, बिलकुल गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे थे। मंत्रीजी, आप नाराज नहीं होना। मैं पशुओं का या कृषि का कोई भी सवाल उठाता हूं, बराबर ध्यान रखता हूं आपका मुख्य मंत्रीजी भी मैं बड़ी इज्जत से जवाब देते हैं। आपने खुरसाड़ा और मारुाड़ा की बीमारी तक का कोई जवाब नहीं दिया। हजारों लोगों की गाय भेड़ बकरी खुरसाड़ा मसाड़ा से मर जाती हैं। न कोई डाक्टर है न कोई दवाई है। साठ पर्सेन्ट बजट आप कहां पर खर्च कर रहे हैं? यह यूनानी हकीम जितने भी हैं इनका ड्राफ्ट जाता है बाड़मेर और जैसलमेर में, तनख्वाह लेने के लिए जरूर एक दिन आदमी पहुंचाता है। उसके सिवाय यूनानी औषधालयों में कोई आदमी नहीं रहता है चाहे आप श्री गंगारामजी से पूछ लो या श्री अब्दुल हादी जी से पूछ लो। यही आयुर्वेदिक औषधालयों की हालत है। हमने तो वास्तव में यह यकीन किया था कि साठ परर्सेण्ट पैसा गांवों में जाता है। सड़क बनती नहीं है, पेयजल की योजना बनती नहीं है, नया गांव कोई विद्युतिकृत होता नहीं है, यूनानी औषधालयों में तो ड्राफ्ट लेने के लिए आदमी एक दिन जाते हैं और वापस आकर शहरों में अपनी बीबियों को स्कूटरों पर घुमाते हैं उनका कोई इन्तजाम नहीं है। तो फिर यह भ्रष्टाचार कहां बंद हुआ, कहां साठ पर्सेन्ट गांवों की बहबूदी के लिए कुर्बानी देगी। इसलिए हम इस बात से मायूस है।

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1991 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांयकाल 7.30 बजे मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1991 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या. 211 की सूची

ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर (राजस्थान)

क्र. सं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा		किस्म जमीन	नाम खातेदार
1	2	3	4	5	6
1.	649	6 –	12	बारानी 2	राजदेवी बेवा हनुमान सहाय
2.	650	5 –	01	बारानी 1	मदन गोपाल, लादू नारायण पि. हरीनारायण जाति महाजन साकिन देह ।
3.	652	1 –	10	बारानी 2	श्री मंजूरानी गर्ग धर्म पत्नी भीमसेन गर्ग अग्रवाल हि. 1/2 श्री भीमसेन गर्ग पुत्र मोहनलाल गर्ग 1/2 हि. मेठ स्टेचीज प्लांट नं. 6, जवाहर नगर, जयपुर ।
4.	654	1 –	02	,,	,,
5.	653	1 –	01	,,	,,
6.	655	1 –	05	,,	,,
7.	658	1 –	07	,,	,,
8.	659	1 –	00	,,	,,
9.	660–661/2	1 –	12	,,	कुमारी सिवानी पुत्री श्री भीमसेन गर्ग अग्रवाल निवासी मेठ स्टेचीज प्लाट नम्बर 6, जवाहर नगर, जयपुर ।
10.	662	3 –	07	,,	भीमसेन गर्ग पुत्र मोहन लाल गर्ग जाति अग्रवाल निवासी मेठ स्टेचीज प्लाट नं. 6, जवाहर नगर, जयपुर ।

1	2	3	4	5	6
11.	663	2 –	19	बारानी. 2	शैलेन्द्र पुत्र भीमसेन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी मेठ स्टेंचीज जवाहर नगर, जयपुर।
12.	664	5 –	06	,,	स्वतंत्र कुमार पुत्र रामनारायण गुप्ता एवं श्रीमति कान्ता गुप्ता धर्म पत्नी श्री विजय गुप्ता।
	योग :	32 –	02		

ग्राम मीनावाला, तहसील व जिला जयपुर।

1.	36	2 –	11	बारानी. 3	श्री रामनाथी पत्नी श्री नारायण मीना नि. बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
2.	37	10 –	04	,,	कृष्ण गोपाल पुत्र महावीर प्रसाद रूंगटा निवासी बगड हाल, जयपुर।
3.	42	13 –	01	,,	,,
4.	38	3 –	03	,,	श्रीमती गीता देवी पत्नी भवानी सिंह मीना नि. बामनवास जिला सवाई–माधोपुर 1/2 व श्रीमति रामनाथी बाई पत्नी श्री नारायण मीना नि. बामनवास, सवाई माधोपुर।
5.	41	16 –	11	बारानी. 3	,,

16.01

गै. मू. 0·10.

1	2	3	4	5	6
6.	40	10 –	01	बारानी. 3	गुरु कितरसिंह पुत्र हरड़मल सिंह बराड जाट निवासी ग्राम रेनवाली जिला हिसार
	योग :	55 –	11		

योग ग्राम मीनावाला 55–11

योग ग्राम सिरसी 32–02

कुल योग : 87–13

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर।)

विधान सभा क्षेत्र जैतारण की तहसीलों में एम. एल. लाईम स्टोन के पट्टे

216. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निम्बोल सिणला, डिगरणा तहसील जैतारण क्षेत्र में एम. एल. लाइम स्टोन खनन् पट्टे वर्ष 1980 से 1990 तक किन-किन व्यक्तियों ने आवेदन किये? विभाग द्वारा कितने प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत कर खनन् पट्टे दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन आवेदकों के तकनीकि आधार पर आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये एवं इससे विभाग को प्रति वर्ष कितने रुपयों की हानि हुई? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने विचार रखती है?

उत्तर

(1) निम्बोल सिणला, डिगरणा तहसील जैतारण क्षेत्र में एम. एल. लाईम स्टोन खननपट्टों हेतु वर्ष 1980 से 1990 तक 111 व्यक्तियों ने आवेदन किया, जिनकी सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है। उक्त आवेदन पत्रों में से 13 खनन पट्टों की संविदा किया जाकर पट्टे जारी किये गये हैं जिनकी सूची प्रपत्र "ब" पर संलगन है।

(2) जिन आवेदकों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये हैं उनकी सूची प्रपत्र "स" संलग्न है। आवेदन पत्रों का निस्तारण अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 व 1986 के अन्तर्गत किया गया है। प्रार्थना पत्रों के अस्वीकृत होने से विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षा निरीक्षकों के पद

217. **श्री रामेश्वर दयाल** (चौमू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षा निरीक्षकों (पी. टी. आई.) के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार, विद्यालयोंवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा-अधिकारी प्रथम व द्वितीय, जयपुर ने उक्त पदों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर मैरिट सूची बनायी थी तथा उसके आधार पर कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति दी गयी व कुछ को नहीं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि देवीसहाय यादव व श्री कृष्ण जाट ने नियुक्ति नहीं मिलने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन नं. 589/1988 दायर की थी? क्या उस पर

(श्री रामेश्वर दयाल)

न्यायालय ने दिनांक 25 अक्टूबर, 1990 को निर्णय दिया कि याचिका कर्ताओं को सरकार 3 माह में नियुक्ति देवें परन्तु अभी तक दोनों व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं दी गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों के कुल 222 पद रिक्त हैं। जिलेवार, विद्यालयवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। नियुक्ति मेरिट के आधार पर दी गई थी।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्री देवीसहाय यादव द्वारा रिट दायर की गई थी। श्री श्रीकृष्ण जाट की कोई रिट राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर राजकीय अधिवक्ता की राय प्राप्त हो गई है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु विधि विभाग से राय प्राप्त की जाकर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

थानागाजी क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालयों में औषधि हेतु आवंटित बजट

218. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी-क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1990-91 में आवंटित बजट में से आधी धनराशि की भी दवाइयां प्राप्त नहीं हुई हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्मित औषधियों की उपलब्धता के आधार पर औषधियां औषधालयों को वितरित की जाती हैं।

(2) राज्य सरकार इस संबंध में निम्न कार्यवाही करने का विचार रखती है—

1. क्रय की प्रक्रिया को सरल करना
2. विभागीय रसायन शालाओं की वर्तमान निर्माण क्षमता में वृद्धि करना।
3. घटक द्रव्यों के क्रय हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान का पूर्ण उपयोग करना।
4. बजट प्रावधान में वृद्धि करना।

इसके लिये कोई भी विभागीय अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पशुओं की नस्ल उन्नत करना

219. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(1) क्या राज्य सरकार पशुओं व विशेष कर भेड़ों की नस्ल को उन्नत करने का विचार रखती है ? क्या पशुओं का पालन-पोषण मुफ्त की चराई के आधार पर न होकर, निजी जमीनों पर लाभकारी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां।

जी नहीं। राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर में भ्रष्टाचार प्रकरण

220. **श्री हजारी लाल** (खेतडी) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर में लगभग एक-करोड़ पांच लाख राशि के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त-धनवन्तरी, रामकुवार स्वामी को इसलिये जमानत पर छोड़ना पड़ा कि उनके खिलाफ पुलिस 90 दिन की निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं कर सकी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह एक महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसकी तफ्तीश राजस्थान के अलावा बाहर के प्रान्तों में मुलजिमों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी व अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग बैंकों से तफ्तीश एवं रिकार्ड इकट्ठा करने में काफी समय लगा है और अब भी इसकी तफ्तीश चल रही हैं। सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।

सवाई माधोपुर में बीहड़ सुधार हेतु एनीकटों का निर्माण

221. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में बीहड़ सुधार व भू-सर्वेक्षण द्वारा सन् 1987 से अब तक भूमि के कटाव रोकने हेतु कहां-कहां पर एनीकटों का निर्माण व भूमि को लैंवलिंग कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एनीकटों एवं भूमि लैवलिंग के कार्य की देखरेख के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो इस अधिकारी द्वारा कब-कब व कहां-कहां एनीकटों की जांच की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही हैं कि उक्त एनीकटों में से कई एनीकट घटिया सामग्री प्रयोग में लेने के कारण ध्वस्त हो चुके हैं या दरारें पड़ गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवा कर दोषी अधिकारी को दण्डित करना चाहती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में बीहड़ सुधार एवं भू–संरक्षण द्वारा सन् 1987 से

(कृषि मंत्री)

अब तक विभिन्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये एनीकटों की सूची संलग्न तालिका "क" में सदन की मेज पर रख दी गई। वर्ष 1991 के कार्य प्रगति पर हैं, जिला सवाई माधोपुर में भूमि समतलीकरण का कार्य सीधे मशीनों द्वारा या अन्य साधनों से नहीं, कराया गया।

(2) वर्ष 1989 तक उप निदेशक (भू-संरक्षण), जिला भू-संरक्षण अधिकारी सवाई माधोपुर व सहायक अभियन्ता (भू-संरक्षण) हिण्डौन को कार्य की देखरेख के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया था। वर्ष 1989 से इस कार्य की देखरेख अधिशाषी अभियन्ता, बीहड़ सुधार कार्यक्रम सवाई माधोपुर, जिला भू-संरक्षण, सवाई माधोपुर व सहायक अभियन्ता, भू-संरक्षण हिण्डौन, करौली, खण्डार व गंगापुर को नियुक्त किया हुआ है। उक्त एनीकटों में से विभागीय पद्धति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। एनीकटों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई जांच अधिकारी नहीं लगाया गया और न ही कोई जांच रिपोर्ट तैयार की गई।

(3) जी नहीं, कोई भी एनीकट न ध्वस्त हुआ ना ही कोई दरार पड़ी।

वर्ष	योजना का नाम	एनीकट का नाम	पं समिति
1	2	3	4
1987-88	डी. पी. ए. पी.	1. छान	खण्डार
		2. खजन डूगर	,,
		3. बहरावण्डा कला	,,
		4. तालचिडा	नादौती
	आर. एल. जी. पी.	5. टोक्सी	गंगापुर
		6. हिन्डौन	हिन्डौन
1988-89	डी. पी. ए. पी.	1. राजपुरा	नादौती
		2. गुढा चन्द्रजी	,,
		3. कैलाशपुरी	खण्डार
		4. वागोरा	,,
		5. वागोरा सामोद	,,
	आर. एल. ई. जी. पी.	6. रजवाना	सवाई माधोपुर
		7. पडाना	,,
		8. जीवद	वामन वास
		9. चैनपुरा	करौली

1	2	3	4
	मैसिव माडा	10. राम नगर	करौली
		11. मकवरा	वामनवास
		12. आदलवाडा	स. माधोपुर
		13. अ'लूदा	बौली
1989-90	जवाहर रोजगार योजना/ आर. एल. ई. जी. पी.	1. श्योरोली	गंगापुर
		2. महमदपुरा	सपोटरा
		3. अटा	करौली
		4. आतरहैडा	टोडा भीम
1990-91	माडा योजना	1. सैडी	गंगापुर
		2. रामडी	सवाई मायोपुर
		3. जौला	"
		4. करेला	"
		5. दुब्बीवनास	"
	डी. पी. ए. पी.	6. पाल	नाडोती
		7. जारा	"

श्रमिकों की दैनिक मजदूरी एवं उनका स्थायीकरण

222. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने राजस्थान में मजदूरों को दैनिक मजदूरी के रुपये 14 के बजाए 22 रुपये दैनिक मजदूरी देने का कब निर्णय लिया ?

(2) 22 रुपये दैनिक मजदूरी किस तारीख से दी जा रही है ?

(3) दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों को कितने समय के पश्चात् स्थायी किया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दैनिक मजदूरी 14 रुपये के बजाए 22 रुपये दैनिक मजदूरी दिनांक 2.7.90 से देने का निर्णय लिया गया।

(2) 22/- रुपये दैनिक मजदूरी दिनांक 2.7.90 से दी जा रही है।

(3) दैनिक श्रमिकों को स्थाई किये जाने हेतु विभिन्न विभागों या संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए उनके अपने अलग-अलग सेवा नियम बने हुए हैं जिसके अनुसार उन्हें स्थाई किया जाता है।

भीलवाड़ा जिले में पौध-संरक्षण

223. **श्री लक्ष्मीलाल** (ग्रासीन्द) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में गत पांच वर्षों में अर्थात् 1986 से 1990 तक प्रतिवर्ष विभाग और किसानों द्वारा कितने पौधे तैयार किये और कहां कहां लगाये गये ?

(2) वर्ष 1991–92 में विभाग, ने किसानों व अन्य पौधशाला के मार्फत कितने पौधे तैयार कराने का लक्ष्य एवं वित्तीय प्रावधान रखा है ?

(3) क्या विभाग, चारागाहों और अन्य जगहों पर लगाये गये पौधों के संरक्षण की उचित देखभाल करता है ? यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में गत पांच वर्षों में विभाग एवं किसानों द्वारा तैयार किये गये पौधों की संख्या परिशिष्ट "क" के अनुसार तथा जिन स्थलों पर इन पौधों को लगाया गया उनकी सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) 1991–92 में विभागीय पौधशालाओं के माध्यम से 11 लाख एवं किसानों व अन्य पौधशालाओं के माध्यम से 3 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा जिसके लिये रुपये 5.27 लाख एवं रु. 0.90 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।

(3) जी हां ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेद विभाग में वार्ड ब्वाय के पदों पर नियुक्ति

224. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा वार्ड ब्वाय के पदों की नियुक्ति दिनांक 24 जुलाई, 1988 को की गई थी ? यदि हां, तो उनको कहां कहां पदस्थापित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वार्ड ब्वाय की नियुक्ति देने के बाद उनको आज तक वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या नियुक्तियों में अनियमितताएं पायी गई हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) जो वार्ड ब्वाय दो वर्ष से बिना वेतन के नौकरी कर रहे हैं, उनको वेतन देने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2, 3, 4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

विधान सभा क्षेत्र रूपवास के गांवों का विद्युतिकरण

225. **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री निर्भयलाल)

(1) वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया ?

(2) कितने गांवों का विद्युतिकरण का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से कितने शेष रहे ? शेष गांवों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास के चार ग्रामों का विद्युतिकरण अब तक किया जा चुका है।

(2) वर्ष 1990–91 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास के 15 ग्रामों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 11 ग्रामों का विद्युतिकरण शेष है। इन शेष ग्रामों का विद्युतिकरण इस माह के अन्त तक करने का लक्ष्य है।

मांगरोल ग्राम में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना

226. **श्री श्री चन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986 में मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड कानपुर को मांगरोल ग्राम के पास सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धारित समयावधि में सीमेन्ट उद्योग स्थापित नहीं होने पर सरकार ने इसकी समयावधि बढ़ा दी ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेन्स की शर्तों की पालना नहीं होने पर लाइसेन्स रद्द करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील शम्भुपुरा के ग्राम मांगरोल के पास सीमेंट उद्योग लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा मैसर्स जे.के. सिथेटिक्स लि. कानपुर को दिनांक 18 अप्रेल, 1981 को आशय–पत्र स्वीकृत किया गया था।

(2) बड़े उद्योग की स्थापना आशय-पत्र के औद्योगिक लाईसेंस में परिवर्तित होने पर सम्भव है। तथापि भारत सरकार द्वारा आशय–पत्र की वैद्यता समयावधि में दिनांक 30·6·91 तक वृद्धि की गई है।

(3) जी नहीं। दी इण्डस्ट्रीज (डवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1951 के अंतर्गत इस प्रकार की शक्तियां भारत सरकार को ही प्रदत्त की हुई हैं, राज्य सरकार को नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं हेतु भवन

227. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नवम् वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं के लिये जहां भवन नहीं है अथवा अपर्याप्त

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भवन हैं, वहां दो कमरे मय बरामदे के स्वीकृत कर धनराशि आवंटन करने हेतु आदेश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो यह काम किस एजेन्सी से कब तक करवाया जायेगा ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा उन गांवों में प्राथमिक शालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है जहां भवन व्यवस्था नहीं थी। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से कराये जा रहे हैं। कार्य इसी वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

नगरपालिकाओं के नगरपरिषद में परिवर्तन के मानदण्ड

228. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका को नगर परिषद् बनाये जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार बालोतरा नगरपालिका को नगर परिषद् बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका की आबादी 50,000 या इससे अधिक होने पर नगरपरिषद् बनाये जाने का मानदण्ड है।

(2) वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर बालोतरा की आबादी काफी कम है। इसलिए नगरपरिषद् बनाये जाने का अभी कोई विचार नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक बोर्ड में रोजगार

229. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सैनिक बोर्डों में रोजगार हेतु कितने भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज है उनमें से कितने सैनिकों को अब तक रोजगार दिया गया है ?

(2) क्या सरकार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, विभिन्न कार्यालयों में रोजगार प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) 17,764 पूर्व सैनिकों के नाम जिला सैनिक बोर्डों में रोजगार हेतु दर्ज हैं। जिनमें से अब तक 14,960 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है।

(2) जी हां।

बाड़मेर जिले की बरसाती नदियों के क्षतिग्रस्त स्पर (ठोंकरे) एवं तटबन्धों की मरम्मत

230. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह जुलाई, अगस्त, 1990 में अतिवृष्टि और बाढ़ से

(श्रीमती मदन कौर)

बाड़मेर जिले की बरसाती नदियों पर बने स्पर (ठोंकरें) और तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुये थे ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या लूनी नदी पर बीठूजा से गांधव तक किसी स्पर या तटबंध का काम अभी तक हाथ में नहीं लिया गया ?

(3) क्या गांव डेडावास (तहसील गुडामालानी) को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां। तो वह कार्य कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बजट आवंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। बजट उपलब्ध होते ही कार्यों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

(2) जी हां।

(3) डेडावास गांव (तहसील गुडा-मालानी) को बाढ से बचाने के लिये डेडावास बाढ बचाव कार्य को आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत करवाया गया था। लेकिन गत वर्ष आई भयंकर बाढ से उक्त कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वांछित बजट राशि आवंटन होने पर, कार्यों को पुन: प्रारम्भ करवाया जायेगा।

विधानसभा क्षेत्र छबडा के ग्राम उचावद में अवैध खनन कार्य

231. **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा के ग्राम उचावद में पट्टी फर्श का पत्थर निकलता है ? यदि हां, तो वहां कब से अवैध खनन हो रहा है ?

(2) क्या वह भूमि खान विभाग की है ? यदि नहीं तो खान विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) छबड़ा के गांव उचावद में पट्टी फर्शी का कोई खनन पट्टा वर्तमान में चालू नहीं होने से कोई पत्थर नहीं निकल रहा है। परन्तु इस क्षेत्र में पट्टी फर्शी का पत्थर उपलब्ध है इस क्षेत्र में कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है।

(2) खान विभाग के नाम पर अलग से कोई भूमि अंकित नहीं होती है परन्तु सरकारी सिवाय चक भूमि में जहां भी खनिज उपलब्ध होता है वहां पर खनिज विभाग को खनन पट्टा स्वीकृत करने का अधिकारी है। विभाग द्वारा उक्त सिवाय चक भूमि पर पट्टे स्वीकृत करने के बाद राजस्व पत्रों में खनिज भूमि अंकित कराने हेतु नीति बनाने का सरकार का विचार है।

झुन्झुनू जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

232. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में कुल कितने सी. हा. सैकण्डरी एवं सैकेण्डरी, विद्यालय हैं ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद कब से रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) झुन्झुनू शहर के किन किन विद्यालयों में अध्यापक कब से डेपूटेशन पर हैं ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में शिक्षा विभाग के अधीन 27 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 127 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं ।

(2) उक्त विद्यालयों में श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण दिनांक सहित सदन के पटल पर रख दी गई हैं । इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) झुन्झुनू शहर के किसी भी राजकीय विद्यालय में अध्यापक डेपूटेशन पर नहीं हैं ।

झुन्झुनू जिले के सीनियर हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण :–

क्र सं.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों के रिक्त पद I	II	III	कब से रिक्त हैं
1	2	3	4	5	6
	सीउमावि				
1.	झुन्झुनू	1	–	–	9/90=1,
2.	उदयपुर वाटी	2	–	–	2/91=2
3.	खेतड़ी	1	–	–	10/90=1
4.	विसाऊ	3	–	–	11/90=3, 9/90=1, 2/91=2
5.	मण्डावा	–	–	–	
6.	नूआं	3	–	–	10/90=1, 1/91=2
7.	सिवाना	1	–	–	10/90=1, 1/91=1
8.	बुडाना	1	–	–	4/90=1
9.	गोरोर	1	–	–	3/90=1
10.	बबाई	1	–	–	4 90
11.	सिमला	1	–	–	7/90=1
12.	खेतड़ी नगर	3	–	–	2/90, 2/90, 2/91

1	2	3	4	5	6
13.	गुडागोडजी	1	–	–	1/91
14.	गुडापेख	1	1	–	9/90, 2/91
15.	बनगोठडी	2	–	–	7/90, 1/91
16.	कादडी	2	–	–	1/91, 4/91
17.	चनाना	4	–	–	3/90, 4/90, 1/91, 29/1
18.	मण्डूला	1	1	–	7/90, 3/91
	राजकीय बालिका सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय				
19.	झुन्झुनू	3	2	–	4/89, 12/90, 1/91
20.	सूरजगढ़	2	–	–	8/90, 7/90
21.	गुढागाडुजी	4	–	–	2/91

विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना

1	2	3	4	5	6
	राजकीय माध्यमिक विद्यालय				
1.	टाई	–	–	–	2/91
2.	जाबसर	–	1	–	2/91
3.	हंसासर	–	1	–	2/91
4.	बारेट	–	1	–	2/91
5.	अलीपुर	–	1	–	1/91
6.	गडानिया	–	2	–	1/91
7.	चारावास	–	1	–	2/91
8.	काकरिया	–	2	–	1/91
9.	दलेलपुरा	–	[illegible]	–	1/91
10.	भमसर	–	1	–	1/91
11.	शेखसर	–	1	–	2/91
12.	भालोठ	–	1	–	2/91
13.	सोहनी	–	1	–	2/91

1	2	3	4	5	6
14.	खिरोड	–	1	–	2/91
15.	इन्द्रपुरा	–	1	–	2/91
	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय				
16.	पौंक	–	1	–	2/91
17.	इसलामपुर	–	1	–	2/91
18	अलसीसर	–	–	1	1/91
19.	चिड़ावा	–	–	1	2/91
20.	बुहाना	–	–	1	2/91
21.	बीसाऊ	–	–	1	1/91
22,	सिवाना	–	–	1	2/91
23.	छापोली	–	–	1	1/91

राजस्थान में आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

233. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में आयुर्वेद के कितने प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनमें कितने विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा कितने प्राइवेट चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राइवेट आयुर्वेद प्रशिक्षण-केन्द्रों का सरकार द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था है ?

(4) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण-विद्यालयों में कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) राज्य के 5 आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिसमें तीन राजकीय क्षेत्र में तथा तीन निजी क्षेत्र में हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराया जाता है।

(3) उदयपुर व धौलपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावास सुविधायें हैं। अजमेर

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

एवं जोधपुर में छात्रावास सुविधा अभी नहीं है, बापूनगर जयपुर तथा भाँकरोटा, जयपुर में यद्यपि छात्रावास की व्यवस्था है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है।

(4) राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पदों का सृजन किया हुआ है। निजी क्षेत्र में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में इन मापदण्डों के अनुरूप पद सृजित नहीं हैं, जिनकी व्यवस्था उन्हें ही करनी है।

परिशिष्ट--क

राजस्थान राज्य में संचालित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची-

क. सं.	नाम प्रशिक्षण केन्द्र
	राज्य सरकार के द्वारा संचालित
1.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन
2.	राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।
3.	राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर
	निजी संस्थाओं द्वारा संचालित
1.	आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, मचकुण्ड धौलपुर
2.	रामचन्द्र शिक्षण संस्थान, बापूनगर-जयपुर
3.	श्री भगवती विद्या मन्दिर समिति, भांकरोटा-जयपुर।

पुलिस थाना कोटपूतली में दर्ज मामले

234. **श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटपूतली थाना में 1975 से अब तक 409 के किस किस के कितने केस दर्ज कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन मुकदमों में कितनों के चालान हुए ?

(3) चालान के बाद क्या नतीजे रहे।

(4) कितनों को किन कारणों से अदमपैरवी रखे ?

(5) क्या कोई केस रिकार्ड न देने के कारण भी अदालत में चालान नहीं किया ?

(6) क्या यह सही है कि 409 का

(श्री रामकरण सिंह)

मु. नं. 53 दिनांक 24.2.1978 का केस लाखों का गबन है, जिसे पुलिस ने दबा दिया ?

उत्तर

(1) थाना कोटपूतली पर सन् 1975 से अब तक धारा 409 भा. द. स. के 5 अभियोग दर्ज हुए हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) थाना कोटपूतली पर धारा 409 के 5 पंजीकृत मुकदमों में से तीन का चालान किया गया। विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर है।

(3) न्यायालय द्वारा एक अभियोग का निस्तारण किया जा चुका है जिसमें मुल्जिम बरी किये जा चुके हैं। शेष अभी दो अभियोग न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(4) थाना कोटपूतली पर कुल पांच पंजीकृत अभियोगों में से दो में एफ. आर. अदम सबूत दी गयी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं। मु. नं. 53 में कुल 23740 रुपये का गबन था। अन्वेषण के बाद एफ. आर. अदम सबूत दी गई है।

"अ"

पुलिस थाना कोटपुतली पर वर्ष 1975 से अब तक धारा 409 भादंसं के अन्तर्गत दर्ज अभियोगों का विवरण मय निस्तारण के

क्र. सं.	मु. नं.	दर्ज होने की तिथि व धारा	नाम परिवादी	नतीजा चालान	नतीजा एफ.आर	नाम पता मुल्जिमान	नतीजा कोर्ट
1.	78/75	19.4.75 धारा 409 भादंसं	श्री कृष्णबिहारी शर्मा प्राचार्य महाविद्यालय कोटपुतली	चालान	—	श्री लीलाराम पुत्र ग्यारसीलाल चमार नि. कोटपुतली पूर्व कैशियर	बरी दि. 27.9.82
2.	169/76	12.9.76 धारा 409 भादंसं	श्री रामस्वरूप बीडीओ डी.एम. कार्यालय, जयपुर	,,	—	श्री भंवरसिंह सरपंच, ग्राम पचायत पाथरेडी	पेण्डिग कोर्ट
3.	214/76	21.11.76 धारा 409एभादसं	,, ,,	,,	—	श्री ताराचद सरपंच, ग्राम पंचायत केसवाना	,, ,,
4.	53/78	24.2.78 धारा 409 भादंसं	श्री रामप्रकाश मलहोत्रा बी.डी.ओ. कोटपुतली	,,	एफ.आर. अदमसबुत	श्री शंकर लाल भू.पू. सरपंच, बासडी	,, ,,
5.	180/83	2.8.83 धारा 409 भादंसं	श्री मोतीलाल पुत्र कन्हैया लाल बीडीओ, डीएम कार्यालय, जयपुर	,,	,,	श्री रामशरण रावत, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पनियाला	,, ,,

परिशिष्ट "ब"

1. अभियोग संख्या 53/78 धारा 409 भादसं थाना कोटपुतली जिला जयपुर ग्राम दिनांक 24.2.78 को श्री रामप्रकाश मलहोत्रा विकास अधिकारी पंचायत समिति, कोटपुतली की रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली पर श्री भंवर लाल तत्कालीन कार्य-वाहक सरपंच, ग्राम बासडी के विरुद्ध पंचायत कोष में गबन के आरोप पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया। श्री शंकर लाल ने दिनांक 9.8.68 को 750/-दिनांक 26.8.68 को 250/ दिनांक 1.11.68 को 300/- व दिनांक 23.8.69 को 10,570/- कुल 11,870/– रुपये स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर के पंचायत खाते में जमा कराने हेतु निकलवाये। बैंक की उक्त शाखा में पंचायत का कोई खाता नहीं मिला। पंचायत द्वारा अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 21.6.79 को एफ.आर. अदम सबूत दी गई। दिनांक 27.8.79 को पत्रावली अनुसंधान हेतु पुनः खोली गई। साक्ष्य के अभाव में ही अभियोग में पुनः 21.2.83 को एफ.आर. अदम सबूत दी गई। पंचायत विभाग आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण के पश्चात उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहा। गबन की सही राशि का पता पंचायत विभाग द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट से ही पता चल सकता है। जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

2. अ.सं. 180/83 धारा 409 भादसं थाना कोटपूतली जिला जयपुर ग्राम दिनांक 3.8.83 को श्री मोती लाल पुरोहित पंचायत प्रसार अधिकारी जिला-धीश कार्यालय जयपुर ने एक रिपोर्ट पेश की कि रामकरण रावत भूतपूर्व सरपंच ग्राम पनीवाला द्वारा पंचायत कोष की राशि का गबन किया गया है। श्री रामशरण रावत ने जोहड खुदाई खेडकी अकाल राहत कार्य में 6768/–रुपये का गबन किया। हरिजन कूप मरम्मत हेतु प्राप्त 720 किलो ग्राम गेहूं कीमतन 786.60 रुपये का गबन किया। इसी प्रकार वाऊचर सं. 149 के द्वारा 857/-60 पैसे का गबन किया। अंके-क्षण रिपोर्ट पंचायत विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर एफ.आर. अदम सबूत दिनांक 9.12.83 को दी गई। न्यायालय द्वारा एफ.आर. अदम सबूत में दिनांक 25.6.84 को स्वीकृत की गई।

कृषि उपज मण्डी यार्ड लालसोट का निर्माण कार्य

235. **श्री प्रसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नवीन कृषि उपज मण्डी यार्ड लालसोट का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा कर मण्डी चालू कर दी जायेगी ?

(2) नवीन कृषि उपज मण्डी यार्ड लालसोट में कुल कितनी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है एवं उक्त निर्मित मंडी में किसानों के लिये क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? नवीन मण्डीयार्ड लालसोट के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) नवीन कृषि उपज मण्डी यार्ड की कुल अनुमानित लागत क्या होगी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी यार्ड लालसोट के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के इसी वित्तीय वर्ष तक पूर्ण होने की संभावना है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 1991-92 में नवीन मण्डी यार्ड के चालू होने की संभावना है।

(2) कृषि उपज मण्डी लालसोट में कुल 61 दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें 14 दुकानें मय हाफ साइज गोदाम, 14 दुकानें मय फुल साइज गोदाम, 21 दुकानें मय प्लेट फार्म तथा 12 नं. खुदरा दुकानें। इस मण्डी निर्माण में किसानों की सुविधा के लिए कृषक विश्राम-ग्रह, टॉयलेट, पानी की व्यवस्था तथा थड़ियों का निर्माण किया जाकर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। नवीन मण्डी यार्ड लालसोट के नक्शे की प्रति संलग्न है।

(3) वर्तमान में नवीन कृषि उपज मण्डी यार्ड में अनुमानित लागत 112.78 लाख रुपये परियोजना व्यय एवं 39.78 लाख रुपये मण्डी समिति की स्वयं की आय से कुल 152.56 लाख रुपये के व्यय का अनुमान हैं।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में वन संरक्षण

236. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वनों का क्षेत्रफल देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है ? यदि हां, तो इसे संतुलित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सूखी व गीली लकड़ी काटकर प्रति दिन छकड़ों व ट्रकों से शहरों में चोरी से लाई जा रही हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने के क्या-क्या प्रयास किये गये ? नाकों पर भारी तादाद में चोरियां हो रही हैं उसे रोकने के लिए लम्बे समय से तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वन क्षेत्र बढाने के लिए वृहद स्तर पर विभागीय स्तर पर

(वन मंत्री)

जन सहयोग से वृक्षारोपण कार्य करवाये जा रहे हैं।

(2) राजस्व क्षेत्रों में लकड़ी का कटान राजस्व नियमों के अन्तर्गत होता है। परिवहन नियमों के तहत राजस्व क्षेत्रों से लाई गई वन उपज को ट्रकों तथा अन्य मशीनी उपकरणों द्वारा परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं। लकडी को बैलगाडी ऊंटगाडी आदि से लाने के लिए परिवहन नियमों में अधिकांश तहसीलों में छूट दी गई है। ट्रकों एवं अन्य मशीनी उपकरणों द्वारा परिवहन की जाने वाली वन उपज की चैकिंग वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है अवैध रूप से निकासी करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वन अपराध दर्ज कर दण्डित किया जाता है। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जैसलमेर जिले के गांवों में पेय जल योजनाए

237. **डा. जितेन्द्र सिंह** (जैसलमेर) : क्या भू-जल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के उत्तर एवं पश्चिम में लगभग 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम चूंधी, लुद्रवा, रामकुंडा, भरमसर, बैशाखी, पोहरा एवं कनोई में पेयजल के विपुल भंडार करीब 500 वर्ग मील क्षेत्र में मिले हैं ?

(2) क्या सरकार इनमें नलकूप बनाने की योजना बना रही है ?

(3) उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में लगभग 20 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बरमसर, कुरीया, चून्धी, पोहरा, कनोई, हाडा इत्यादि ग्रामों में भू–जल के भंडार मिले हैं। भू उपलब्धता सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण जारी है।

(2) विस्तृत सर्वेक्षण से पूर्व योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन

238. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में सरकार कृषि कुओं पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर सिर्फ 2000/– रुपये में आम किसानों को विद्युत कनेक्शन देती थी परन्तु अब सरकार ने नीति में परिवर्तन करके एक किसान को कुए हेतु कनेक्शन 52,500/– रुपये में देती है ?

(2) क्या सरकार काश्तकारों को राहत देने के लिये परिवर्तित नीति को वापिस लेने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कृषि विद्युत कनेक्शन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

की पूर्व नीति को पुनः लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि पूर्व में सिर्फ 2000/– रुपये में ग्राम किसान को विद्युत कनेक्शन विशेष प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता था अपितु राशि लाईन की लम्बाई पर निर्भर करती थी। यह कहना भी सही नहीं है कि अब एक किसान को कुए के कनेक्शन के लिये 52,500 रु. देने होते हैं। नई नीति के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ता से एल. टी. व एच. टी. लाइन के कुल खम्भों की कीमत 4250 रु. प्रति पोल के हिसाब से आंकी जाती है जब कि इसमें से 4000 रु. प्रति पोल के हिसाब से अनुदान मण्डल द्वारा दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 15000 रुपये है। जिन मामलों में प्रति उपभोक्ता 15000 रुपये से अधिक अनुदान की मांग हो उन पर विचारकर उचित आदेश देने के लिये उन्हें मण्डल की बैठक में रखा जा सकेगा। विद्युत मण्डल द्वारा औसतन एक कुए पर 25,000 रु. का अनुदान पड जाता है।

सामान्य श्रेणी के कृषकों पर किसी तरह से आर्थिक भार नहीं बढाया गया है। विद्युत मण्डल में करीब 2.25 लाख कृषि के कुओं के प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं और सामान्यतया कुओं के कनेक्शन में आठ वर्ष लगते है। जो लोग इस प्राथमिकता को लांघकर हाथोंहाथ कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिये तुरन्त प्राथमिकता योजना लागू की गई है जिसे कृषकों द्वारा स्वेच्छा से पसंद किया गया है और हर संभाग से बड़ी संख्या में इस योजना के तहत प्रार्थना पत्र दिये गये हैं जिससे इस श्रेणी में भी लाईन में लग करके काफी समय तक इंतजार करने की स्थिति पैदा हो गई है। इस श्रेणी का सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्रों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कई क्षेत्रों में तो सिस्टम ओवरलोड होने के कारण प्रार्थना पत्र लेने से मना करना पडा है। जो कृषक वरीयता लांघकर कनेक्शन लेते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी के कृषकों की सुविधा देना उचित नहीं होगा। अतः उनसे कुछ अतिरिक्त राशि ली जाती है। यह योजना स्वैच्छिक है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह भार सभी सामान्य कृषकों पर पड़ा है। सामान्य कृषकों की प्राथमिकता पर कोई असर नहीं पड़ा है और उन्हें बिना विशेष अतिरिक्त राशि के कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(2) चूंकि तुरन्त प्राथमिकता योजना कृषकों द्वारा स्वेच्छा से पसंद की गई है अतः इस नीति को वापिस लेना उचित नहीं होगा। कई जगह जन प्रतिनिधियों तथा कृषकों के साथ बैठकों में यह प्रश्न किया गया है लेकिन सभी ने यह मांग की है कि इस योजना को चालू रखना चाहिये। जो लोग इस योजना को आर्थिक भार मानते है वे सामान्य श्रेणी में कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अतिरिक्त राशि देकर इस योजना के अन्तर्गत कनेशन लेते हैं उन्हें रोकना उचित नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि इस योजना से प्राप्त अतिरिक्त राशि से ही बड़े पैमाने पर सामान्य श्रेणी के कृषकों के कनेक्शन के लिये सामान उपलब्ध कराया जा सका है। भारत सरकार द्वारा चालीस करोड़ रूपये की राशि के काटने से इस वर्ष विद्युत मण्डल पर यकायक अत्यधिक भार बढ़ गया था।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) पूर्व की नीति में जो युक्तिसंगत बातें थीं उनको यथावत रखा गया है परन्तु जिन व्यवस्थाओं से अनियमितताएँ एवं भ्रष्टाचार बढ़ता था उन नीतियों को बदलना भी उतना ही आवश्यक था। अतः अक्षरशः पूर्व नीति को जारी रखना राज्य सरकार उचित नहीं मानती है। नई नीति लागू करने से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों में विशेष कमी आई है।

बांसवाड़ा जिले में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय

239. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1987-88 व 1988-89 में कितने मिडिल स्कूल कहां कहां क्रमोन्नत किये गये ?

(2) उक्त क्रमोन्नत स्कूलों में कितने अध्यापक लगाये गये व इनकी नियुक्तियां किस आधार पर की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1987-88 में मिडिल स्कूल क्रमोन्नत नहीं किये गये एवं 1988-89 में निम्न 14 विद्यालय क्रमोन्नत किये गये :—

पंचायत समिति	स्कूल जहां क्रमोन्नत किये गये
गढ़ी	1. जौलाना
	2. ठीकरिया
	3. बांदेर्डी
	4. करणपुर
	5. बरजडिया
बांसवाडा	6. गोरेडी
	7. भूपेल
	8. भैंचडिया
पीपलखूंट	9. सोडलपुर
	10. कुटुम्बी
बागीडोरा	11. टाण्डीनानी
	12. हरिजन बस्ती
घाटोल	13. कन्ठाव
सज्जनगढ	14. टाण्डारत्ना

(2) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में जिन अध्यापकों को इन पाठशालाओं में नियुक्त किया गया है, उनकी सूची संलग्न है। 14 प्रधानाध्यापकों एवं 23 सहायक अध्यापकों को लगाया गया है। यह नियुक्तियां स्थानान्तरण द्वारा दी गई थी।

क्र.सं	उ. प्रा. विद्यालय का नाम	कार्यरत अध्यापक का नाम
1.	जौलाना	भीखाराम, प्र. अ.
		प्रेमशंकर, स. अ.

1.	2	3
		वासुदेव, स. अ.
		प्रमोद शाह, स. अ.
2.	ठीकरिया (गढी)	कमलाशंकर, प्र. अ.
		गलजी स. अ.
		प्रभूलाल, स. अ.
3.	पादेडी	भगवतीलाल, प्र. अ.
		रमणलाल स. अ.
		सुभाषचन्द्र, स. अ.
4.	करणपुर	गंगादास प्र. अ.
		बाबूलाल स. अ.
		शंकरलाल, स. अ.
5.	वारजडिया	खेमराम, प्र. अ.
		रमेशचन्द्र स. अ.
		मणीलाल, स. अ.
		सुखलाल, स. अ.
6.	गोरडी	सुभाषचन्द्र प्र. अ.
		मन्जुला स. अ.
7.	भुपेल	भूपेन्द्र उपा. प्र. अ.
		मोहनलाल स. अ.
8.	भचडिया	भगवतीशंकर प्र. अ.
		भरतलाल स. अ.
9.	सोडलपुर	चन्द्रपालसिंह प्र. अ.
		राधाचरण स. अ.
10.	कुटुम्बी	अक्षय कुमार प्र. अ.
		देवीलाल स. अ.
11.	टाण्डीनानी	देवकृष्ण, प्र. अ.
		नन्दकिशोर, स. अ.
		महेशचन्द्र शर्मा, स. अ.

1	2	3
12.	हरिजन बस्ती	कान्तीलाल, प्र. अ.
		बसन्तलाल, स. अ.
		भूपेन्द्र स. अ.
		नारेग डामोर स. अ.
13.	कन्ठाव	माधवलाल प्र. अ.
		शिवलाल स. अ.
14.	टाण्डारतना	गोतमलाल प्र. अ.

केशवराय पाटन क्षेत्र के ग्रामों हेतु मीठा पानी

240. **श्री मांगीलाल मेघवाल**(पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बून्दी के पत्र क्रमांक 3192 दिनांक 26-10-1990 के द्वारा केशवराय पाटन क्षेत्र के आठ गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु 50 लाख 11 हजार की योजना वृत्त कार्यालय कोटा को स्वीकृति हेतु भेजी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

उत्तर

जी हां । ग्यारह ग्रामों हेतु प्राप्त योजना की तकनीकी खामियों के कारण, सही प्रस्ताव बनाने हेतु, संबंधित अधिकारी को लौटा दी गई ।

नीम का थाना क्षेत्र के सिंचाई बांध

241. **श्री फूल चन्द** (नीमकाथाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में सिंचाई विभाग के कितने बांध अभी तक अधूरे हैं ? मय स्वीकृति राशि, समय, विलम्ब के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र के बड़े बांध जैसे माकड़ी-बांध, फतेहपुरा व दीपावास बांधों को सरकार अब किस योजना में कब तक पूरा करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) इन बांधों को डी.डी.पी. मद में स्वीकृति लेकर पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है । दीपावास एवं फतेहपुरा पर वर्तमान में जवाहर रोजगार योजना में कार्य प्रगति पर हैं ।

नीम का थाना क्षेत्र के सिंचाई कार्यों का विवरण

1. वर्तमान में वर्ष (1990–91 में) प्रगति पर चल रहे कार्य :

1.	दीपावास –	जवाहर रोजगार योजना	में प्रगति पर है।		स्वीकृति राशि 1.5 लाख रु.
2.	खिरोटी –	,,	,,	,,	1.3 ,,
3	फतेहपुरा–	,,	,,	,,	2.0 ,,
4.	गावडी–	,,	,,	,,	0.5 ,,
5.	बुजा	,,	,,	,,	1.0 ,,
					6.3 लाख

2. अकाल राहत के अधूरे कार्य जिन पर बजट उपलब्ध होने पर कार्य होगा।

1.	शिकार गढ़ बांध अनुमानित लागत	24 लाख रुपये
2.	झालरा बांध अनुमानित लागत	16 लाख रुपये
3.	दरीबा एनीकट अनुमानित लागत	2.5 लाख रुपये
4	नाकावाली एनीकट अनुमानित लागत	1.0 लाख रुपये
5.	सालावाली एनीकट अनुमानित लागत	5.0 लाख रुपये
6.	टपकेश्वर एनीकट अनुमानित लागत	1.0 लाख रुपये
7.	भैरूंघाटी एनीकट अनुमानित लागत	4.0 लाख रुपये
8.	जागनवास एनीकट अनुमानित लागत	7.0 लाख रुपये
		60.5 लाख रुपये

एक कार्य माकडी बांध का नहरों का कार्य अधूरा है जिसे डी. डी पी. में लेकर वर्ष 1991–92 मद विकास मद में पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यों में विलम्ब का मुख्य कारण धनराशि की कमी है।

जमवारामगढ़ क्षेत्र की मार्बल खानें

242. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवारामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ में मार्बल खानें हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि खान मालिकों को खनन हेतु जो भूमि आवंटित की गई है, वे वहाँ खनन करके अवैध रूप से अन्यत्र खनन कार्य कर रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध खनन को रोकने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जमवारामगढ़ में मार्बल खनिज के दो खनन पट्टा धारियों को छोड़ कर शेष सभी पट्टाधारी अपने स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन कार्य कर रहे हैं। अन्यत्र स्थान पर खनन नहीं कर रहे हैं।

(3) उक्त दोनों मामलों में विभाग के द्वारा अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही करने पर पट्टाधारियों द्वारा न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर खनन किया जा रहा है। सरकार की ओर से उक्त दोनों अवैध खननकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमों को जल्दी निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।

सपोटरा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक

243. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में हायर सैकेन्डरी व सैकेन्डरी स्कूलों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों हेतु पर्याप्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों नहीं।

(3) सपोटरा क्षेत्र में किस किस स्कूल में किस-किस विषय का अध्यापक कितने समय से नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

व्याख्याता	--	2
वरिष्ठ अध्यापक	—	3

पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(2) वित्तीय साधन उपलब्धि के आधार पर ही विद्यालयों के भवन निर्माण के बारे में विचार संभव हो सकता है।

(3) सपोटरा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सपोटरा क्षेत्र की विद्यालयों में विषयवार अध्यापक के रिक्त पदों का विवरण :—

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पद	विषय	कुल रिक्त	कब से रिक्त हैं
1.	रासी उ.मा.वि. सपोटरा	व्याख्याता	हिन्दी	2	12/88=1, 7/90=1
2.	रा.मा.वि. रोंधई	व. अध्या.	गणित	1	11/89=1
3.	रा.मा.वि. अडूंदा	व. अध्या.	गणित	1	2/91=1
4.	रा.मा.वि. बालोती	व. अध्या.	जी. विज्ञान	1	9/90=1

डग क्षेत्र के ग्रामों में आयुर्वेद औषधालय

244. **श्री बालचन्द** (डग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिलेगढ तथा बनी में आयुर्वेद औषधालय भवन तो बने हुये हैं परन्तु आस पास उपचार हेतु कोई औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बनी तथा सिलेगढ में निर्मित भवनों में आयुर्वेद औषधलय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिला झालावाड़ की तहसील पंचपहाड़ के ग्राम सिलहगढ़ एवं बनी में आयुर्वेद औषधालय के लिये भवन बने हुए हैं अथवा नहीं। इन दोनों ग्रामों में विभाग का कोई औषधालय संचालित नहीं हैं। जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार ग्राम बनी से 5 कि.मी. से कम की दूरी पर तथा ग्राम सिलहगढ़ से 5 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 1991–92 में राज्य में 25 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है, स्थान के चयन के समय इन ग्रामों के बारे में भी विचार कर लिया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 245
(स्थगित)

पंचायत समिति टौंक क्षेत्र के एनीकटों का निर्माण

246. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक पंचायत-समिति क्षेत्र में एनीकट निर्माण की पर्याप्त साइटें उपलब्ध हैं ?

(2) क्या विभाग द्वारा (भू-संरक्षण) एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जगह एनीकट बन सकते हैं व उनके निर्माण में कितनी-कितनी राशि लगाने का अनुमान है तथा किस-किस जगह कब-कब निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सहायक निदेशक कृषि (भू संरक्षण) इकाई-टौंक द्वारा स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार पं.सं. टौंक क्षेत्र में एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है। ग्राम साहेला, ग्राम पंचायत सोहेला, ग्राम मोटूका, ग्रा. प. जांला, ग्राम एवं ग्राम पं. बगड़ी तथा ग्राम व ग्राम पं. भरनी के नाले पर एनीकट बन सकते हैं। इनके निर्माण हेतु आलोच्य वर्ष में सोहेला एनीकट पर 2.0 लाख रुपये मोटूका एनीकट पर 2.50 लाख रुपये बगड़ी एनीकट पर 3.60 लाख रुपये जवाहर रोजगार योजना में तथा भरनी एनीकट पर 4.0 लाख रुपये माड़ा योजना में लगाने का अनुमान है।

चालू वित्तीय वर्ष में सहा. निदे. कृ. (भूसंर.) कार्यालय टौंक द्वारा उक्त चारों एनीकट साइटों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की योजना है। सिंचाई विभाग टौंक ग्राम कुरेड़ा में एनीकट का कार्य आरम्भ करवा रखा है, अनुमानित लागत 4.10 लाख रुपये है, यह कार्य जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत है।

टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में वृक्षारोपण

247. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत दो वर्षों में कुल कितने वृक्ष किस किस जाति के कहां कहां लगाये गये ?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1990 में वृक्षों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

(3) टोडाभीम एवं नादोती तहसील में कुल कितने मजदूरों ने पिछले दो वर्षों में कहां-कहां गड्ढे खोद कर वृक्ष लगाये ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत 2 वर्षों में कुल 3,44,145 वृक्ष देशी बबूल, टोर्टलिस, नीम ज्यूलीफ्लोरा, खैर इत्यादि के भांवरा, दलपुरा, पाल, गुढाचन्द्रजी तिमावा, गुमाना झाम का झाहर्रा, नांगल शेरपुर डेरा, बालासागर पाल गुमाना एवं गढभौरा साइटों पर रोपित किये गये।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1990 में वृक्षों पर कुल 15,21,736 रु. राशि खर्च की गई।

(3) टोडाभीम एवं नादोती तहसील में 7311 मजदूरों ने पिछले दो वर्षों में भांवरा, दलपुरा, पाल गुढाचन्द्रजी, तिमावा, गुमाना, झाम का झाहर्रा, नांगल शेरपुर, डेरा एवं बाला सामर साइटों पर गढढे खोदकर वृक्ष लगाये एवं अन्य वानिकी कार्य किये।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 363 का विवरण

जिलेवार कारागृहों की सूची

क. सं.	जिले का नाम	केन्द्रीय कारागृह का नाम	जिला कारागृह का नाम “ए” श्रेणी	जिला कारागृह का नाम “बी” श्रेणी	उप कारागृह का नाम प्रथम श्रेणी	उप कारागृह का नाम द्वितीय श्रेणी	उप कारागृह का नाम तृतीय श्रेणी
1.	अजमेर	अजमेर	—	—	—	—	—
2.	अलवर	—	अलवर	—	—	—	बहरोड़
3.	बांसवाड़ा	—	—	बांसवाड़ा	—	कुशलगढ	—
4.	बाड़मेर	—	—	बाड़मेर	—	बालोतरा	—
5.	भरतपुर	—	भरतपुर	—	डीग	—	बयाना
6.	भीलवाड़ा	—	—	भीलवाड़ा	—	—	गंगापुर
							शाहपुरा
							गुलाबपुरा
							मांडलगढ़
							जहाजपुर
7.	बीकानेर	बीकानेर	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बूंदी	—	—	बूंदी	—	—	नैनवा
9.	चित्तौडगढ़	—	—	प्रतापगढ़	—	चित्तौडगढ़	बेंगू
						निम्बाहेडा	कपासन
							छोटीसादड़ी
10.	चूरू	—	—	चूरू	—	राजगढ़	रतनगढ़
11.	धौलपुर	—	धौलपुर	—	—	—	—
12.	डूंगरपुर	—	—	डूंगरपुर	—	—	—
13.	गंगानगर	—	गंगानगर	—	—	रायसिंहनगर	करणपुर
						हनुमानगढ़	भादरा
14.	जयपुर	जयपुर महिला बन्दी	—	—	—	दौसा	बांदीकुई
						सांभर	कोटपूतली
							(+) बंद है।
15.	जौधपुर	जोधपुर	—	—	—	—	फलौदी
16.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	जैसलमेर
							पोकरण

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	जालौर	—	—	जालौर	—	भीनमाल	सांचौर + बन्द है
18.	झालावाड़	—	—	झालावाड़	—	अक्लेरा	भवानीमंडी
19.	झुन्झुनू	—	—	झुन्झुनू	—	—	खेतड़ी + बन्द है
20.	कोटा	—	कोटा	—	बारां	छबड़ा	रामगंजमंडी
21.	नागौर	=	—	नागौर	—	परबतसर मेड़ता (+) बन्द है	डीडवाना
22.	पाली	—	—	पाली	—	बाली सोजत जैतारण	—
23.	सवाई माधोपुर	—	—	गंगापुर सिटी	—	सवाई माधोपुर हिण्डौन	करौली
24.	सीकर	—	—	सीकर	नीमकाथाना	—	फतेहपुर
25.	सिरोही	—	—	सिरोही	—	आबूरोड़	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	टोंक	—	—	टोंक	—	—	मालपुरा
27.	उदयपुर	उदयपुर	—	—	—	—	सलुम्बर
							भीम
							कानोड़
							कोटडा
							मावली
							राजसमन्द

(+) पांच कारागृह वर्तमान में चालू नहीं है ।

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ. 21 (58) गृह/ग्रुप-8/76 दिनांक 15.11.76 ग्रोर से उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-8) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर वास्ते महा-निरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर।

विषय :—राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप बंदियों के वर्गीकरण एवं भोजन के सम्बन्ध में।

राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन की घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान कारागार नियम, 1951 के पार्ट IX सेक्शन 1 के नियम 4 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं, जिनकी क्रियान्विति तुरन्त प्रभाव से की जाये :—

1. सभी ग्रपराधी बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों को दी जाने वाली श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं।

2. सभी ग्रपराधी बंदियों एवं विचाराधीन बदियों को बिना किसी भेद के निम्नलिखित तालिका के ग्रनुसार भोजन सामग्री दी जाये :—

नाम वस्तु	श्रमिक मात्रा ग्राम में	ग्रश्रमिक मात्रा ग्राम में
प्रातःकालीन नाश्ता		
चाय	3	3
चीनी	20	20
दूध	25	25
भुना हुग्रा चना या धानी या नमकीन, भिगोया हुग्रा चना या नमकीन, भिगोया हुग्रा मोठ या नमकीन, भिगोया हुग्रा मूंग या चपाती।	60	60
दोपहर एवं सायंकालीन भोजन		
ग्राटा या	600	550
चावल	400	360
दाल	90	60
तेल	20	20

1	2	3
हरी सब्जी	200	200
मसाले	15	15
नमक	20	20
ईंधन (लकड़ी)	900	900
गुड़ (प्रतिदिन)	20	20
चटनी (पोदीना, धनिया, अमचूर मसाले सहित)	10	10

3. कारागार अधीक्षकों को यह निर्देश दिये जायें कि दिये जाने वाले भोजन की मात्रा और किस्म में किसी प्रकार की कमी नहीं हो तथा भोजन इस प्रकार दिया जाये कि उसके पौष्टिक तत्व कम से कम नष्ट हों।

4. सिविल बंदी जिन्हें स्वयं का भोजन लाने की अनुमति है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द वे बन्दी जिन्हें प्रथम श्रेणी की सुविधाएं हैं उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश दिये जा रहे हैं।

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 364 की सूची

जिला श्रीगंगानगर के विधानसभा क्षेत्र रायसिहनगर में स्वीकृत/संचालित औषधालयों की सूची मय पदस्थापित व रिक्त पदों की सूचना के।

क्र. सं.	स्थान औषधालय	पदस्थापित स्टाफ/रिक्त पद		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	परिचारक
1.	कूपली	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
2.	मोमेवाला	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
3.	4 बी. एल. डी.	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
4.	सतजण्डा	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त है
5.	विशनपुरा	पदस्थापित	पद सृजित नहीं	पदस्थापित
6.	डाबला	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त है
7.	थांदेवाला	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
8.	19 पी. टी. डी.	रिक्त है	पदस्थापित	पदस्थापित
9.	67 एन. पी.	रिक्त है	पदस्थापित	पदस्थापित
10.	15 पी. टी. डी.	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
11.	67 आर. बी.	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
12.	भादवावाला	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त है
13.	मचेवाली	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
14.	जैतसर	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
15.	मुकलावा	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
16.	बिलोचिया	पदस्थापित	पदस्थापित	रिक्त है
17.	रिडमलसर	रिक्त है	पदस्थापित	रिक्त है
18.	श्यामगढ़	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
19.	नानूवाला	रिक्त है	रिक्त है	पदस्थापित

(नर्स/कम्पा. के पद पर सतजन्डा औषधालय में पदस्थापित कम्पाउण्डर को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है)

20. अमरसर (रामजीवाला)—भवन व्यवस्था के अभाव में अभी औषधालय आरम्भ नहीं हो सका है।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की सूची

LIST OF SICK UNITS

1. Jaipur Udyog Ltd.
2. Oriental Power Cables Ltd.
3. Krishana Mills.
4. Banswara Textile Mills Ltd.
5. Banswara Fabrics Ltd.
6. Sunil Synchem Ltd.
7. Mewar Sugar Mills.
8. Suman Synthetics Ltd.
9. Man Industrial Corporation Ltd.
10. Rajasthan Vanaspati Products.
11. Mewar Textile Mills.
12. Swadeshi Cement Ltd.
13. Saraf Synthetic Ltd.
14. Indian Dairy Enterprises Ltd.
15. Bhilwara Wooltex Ltd.
16. Ceremics India Ltd.
17. Indian Fibres Ltd.
18. Saraf Papers Ltd.
19. Vikas Woolens Ltd.
20. Sagar Spinning Ltd.
21. Asisto Plup & Paper Ltd.
22. Ajay Paper Mills.
23. Lamps & Lightings.
24. A-run Mica Industries.
25. Kalyan Sundram Cement Ltd.
26. Premier Paper and Book.
27. Perfect thread Ltd.
28. Click Slotted Angecs Ltd.
29. Pratap Raj Copper Coils and Laminates Ltd.
30. Padma Paper Mills Ltd.
31. Bull Auto Ltd.
32. L.P. Casting Pvt. Ltd.
33. Spintex Tubes and Cones Ltd.
34. P.V.P. Ltd. (Earlier Premier Vegitable Products Ltd.)
35. Shree Pipes.
36. Jodhpur Woollens Mills Ltd.
37. Paliwal Mini Steel India Ltd.
38. Citizen Silk Mills Ltd.
39. Rajasthan Glyxol Ltd.
40. E.C.S. Papers.
41. Baxi Steel Ltd.
42. Shankar Steel Ltd.
43. Texco Ltd.-Velgana Calcutta.
44. Digvijay Cement Ltd.
45. Surya Powers Ltd.
46. Satsawan Paper Mills.
47. XLO United Clutch Products Ltd.
48. Tab India Ltd.

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 376 की सूची

क्र. सं. 1.	जिला 2	व्यक्तियों की संख्या 3	संस्थाओं की संख्या 4	पंचायतों की संख्या 5	आवंटित भूमि 6	क्षेत्र जिसमे पौधे लगाये गये 7
1.	जयपुर	3208	–	–	19370 बीघा	1050 बीघा 15 बिस्वा
2.	जोधपुर	–	9	–	107 एकड	12 एकड
3.	उदयपुर	–	5	18	952.13 एकड	827.30 एकड
4.	बांसवाडा	171	–	–	640.97 एकड	4 एकड
5.	भरतपुर	–	–	–	–	–
6.	डूंगरपुर	4013	–	–	2557 हैक्टर	1333 हैक्टर
7.	धौलपुर	651	–	–	4514 बीघा 12 बिस्वा	150 बीघा
8.	स. माधोपुर	380	–	–	786.99 हैक्टर	35.33 हैक्टर
9.	बीकानेर	–	–	–	–	–
10.	चूरू	–	–	–	–	–
11.	गंगानगर	–	–	–	–	–
12.	कोटा	1391	–	–	2757.28 एकड	194.87 हैक्टर
13.	पाली	594	–	–	1244.10 हैक्टर	191.89 हैक्टर
14.	चित्तौडगड़	782	–	–	2819.24 एकड	उपलब्ध नहीं
15.	सिरोही	–	–	–	–	–
16.	बाड़मेर	243	–	13	1569 एकड	114 एकड
17.	अलवर	2249	–	–	9244 बीघा	1106 बीघा
18.	अजमेर	1498	–	–	15829 बीघा 9 बि.	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
19.	जैसलमेर	127	–	–	566.76 हैक्टर	9 हैक्टर
20.	जालौर	73	–	–	1463 बीघा 7 बि.	उपलब्ध नहीं
21.	नागौर	39	–	–	263 एकड़	76 बीघा
22.	सीकर	266	–	–	384.85 हैक्टर	–
23.	झालावाड़	45	–	–	460 बीघा	319 बीघा 10 बिस्वा
24.	टौंक	173	–	–	742 एकड़	56 एकड़
25.	बूंदी	93	–	–	281.50 हैक्टर	–
26.	झुन्झुनूं	–	–	–	–	–
27.	भीलवाड़ा	2871	–	–	14515 एकड़	2353 एकड़

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची

बंजर भूमि विकास के तहत राजस्थान में गठित कमेटियों का विवरण

1. बंजर भूमि विकास के निर्देशन की राज्य स्तरीय कमेटी	1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
	2. शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण राजस्थान जयपुर	सदस्य
	3. शासन सचिव, कृषि उत्पादन	,,
	4. शासन सचिव, विशिष्ठ योजना संगठन, राजस्थान	,,
	5. शासन सचिव, राजस्व विभाग	,,
	6. शासन सचिव, सिंचाई विभाग	,,
	7. शासन सचिव, सा. नि. विभाग	,,
	8. सचिव एवं अध्यक्ष, इ.गा.न.प.	,,
	9. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर	,,
	10. श्री वी.आई. राजगोपाल, सलाहकार राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	,,
	11. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	,,
2. जिला स्तरीय कमेटी	1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
	2. जिला प्रमुख	सह अध्यक्ष
	3. अति. कलक्टर (राजस्व)	सदस्य
	4. अति. कलक्टर (विकास)	,,
	5. उप वन संरक्षक	,,
	6. जिला कृषि अधिकारी	,,
	7. अति. जिला विकास अधिकारी/ उप जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

1	2	4	5
3.	ब्लाक स्तरीय कमेटी	1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
		2. प्रधान पंचायत समिति	सह अध्यक्ष
		3. क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य
		4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार	,,
		5. विकास अधिकारी	,,
		6. कृषि प्रसार अधिकारी	,,
4.	ग्राम स्तरीय कमेटी	1. सरपंच	अध्यक्ष
		2. पटवारी	सदस्य
		3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
		4. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मिशन के तहत राज्य में वन विभाग के माध्यम से स्वीकृति एवं क्रियान्विति

क्र. सं.	नाम योजना	सातवीं पंचवर्षीय योजना में		वर्ष 1990–91		विवरण
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	जनवरी, 90 तक भारत सरकार द्वारा रिलीज राशि	दिसम्बर तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण योजना	552.35	549.06	–	–	यह योजना राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में इस योजना के तहत 27542 है. में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका हैं। वर्ष 1990–91 से योजना का समावेश क्र.सं. 4 पर अंकित फ्यूल एवं फोडर योजना के अन्तर्गत कराया गया हैं।
2.	सिल्वीपेस्ट्रोल योजना	88.73	69.56	–	–	वर्ष 1988–89 में प्रारम्भ की गई योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 तक 4090 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया हैं वर्ष 90–91 से इस योजना के समावेश क्र. सं. 4 पर अंकित फ्यूल एवं फोडर योजना में कर दिया गया है।

1	2	3	4	4	5	7
3.	एरिया ओरियन्टेड फ्यूल फोडर स्कीम	5.00	5.00	–	–	वर्ष 1989-90 में यह योजना झालावाड़ जिले में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत 400 है. क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया गया है। वर्ष 90-91 के इस योजना का समावेश क्र. सं. 4 पर अंकित फ्यूल एवं फोडर योजना में कर दिया गया है।
4.	फ्यूल एवं फोडर विकास की के प्र.यो.	–	–	171.97	130.80	इस योजना के तहत इस वर्ष 9530 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण एव चारागाह विकास कार्य करवाये गये हैं तथा आगामी वर्ष ऋतु में 4500 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु तैयारी (अग्रिम कार्य भी करवाये जा रहे हैं)
5.	लघु वन उपज योजना	31.25	31.24	30.00	27.75	वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गई इस योजना में वर्ष 1989-90 तक 500 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है। वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के तहत 750 है. क्षेत्र में लघु वन उपज देने वाली वृक्ष प्रजातियों के वृक्षारोपण लगाये गये हैं।

239

1	2	3	4	5	6	7
6.	बीज विकास योजना	19.60	17.85	10.00	–	उत्तम किस्म के बीजों का चयन परीक्षा एवं प्रमाणीकरण हेतु वर्ष 1988–89 में प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत बीज परीक्षण प्रयोगशाला बनवाकर इसके लिए आंशिकतौर पर संयत्र लगाये जा चुके हैं तथा अवशेष इस वर्ष लगाये जावेगें। आगामी वर्ष से योजना के तहत बीज की जांच प्रमाणीकरण का कार्य विधिवत प्रारम्भ हो जावेगा।
7.	हर्ष डको डवलपमेंट प्रोजेक्ट	18.35	2.00	23.74	17.00	वर्ष 1939–90 में प्रारम्भ की गई इस योजना में इस वर्ष 298 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।
8.	सिघाना, गुड गैरप ऑफ अरावली	30.37	8.29	47.95	46.87	इस योजना को 89–90 में प्रारम्भ कर इसी वर्ष 950 है. में वृक्षारोपण कराया गया है।
9.	वीकानेर एवं गंगानगर बंजर विकास योजना	26.70	–	–	8.00	वर्ष 1989–90 के अन्त में स्वीकृत की गई इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1990–91 में किया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 60 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया एवं आगामी वर्ष में 950 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
10.	कंदरा एवं रेतीले क्षेत्रों में हवाई बीजारोपण	–	–	13.00	–	इस योजना के तहत इस वर्ष 4000 है. कंदरा एवं रेतीले क्षेत्रों में हवाई बीजारोपण करवाया था परन्तु भारत सरकार से स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने से हवाई बीजारोपण का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका।
11.	विकेन्द्रित पौधशालाओं के माध्यम से पौध तैयारी	172.00	128.78	45.00	25.00	इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के माध्यम से कृषि वानिकी के तहत पौध वितरण हेतु पौधे तैयार कराये जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजना के तहत कुल 368.82 लाख पौधे तैयार किये गये एवं 263.20 लाख पौधे वितरण किये गये। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 1 करोड़ पौधे तैयार कराये जा रहे हैं।

नोट—इसके अतिरिक्त, पड़त भूमि विकास के द्वारा राज्य में सीधे ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी वित्तीय संसाधन पड़त भूमि विकास हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

२४१

बंजर भूमि विकास मिशन की ओर से स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध साधन

1. वाहन	जीप–2
	ट्रक–2
	मिनी ट्रक–1
	ट्रैक्टर–5
2. स्टाफ	वन रक्षक–138
	कनिष्ठ लेखाकार–2
	सांख्यिकी सहायक–1
	वाहन चालक–7
योग	148

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 380 की सूची

क्र. सं. नाम रेंज	कार्य का नाम	क्षेत्रफल (है.)	व्यय राशि (लाख)
रेंज–सिवाना			
(1) डी.डी.पी. योजना			
1. ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण			
	1. मवड़ी	15 हैक्टर	0.50
	2. देवन्दी	15 ,,	0.39
	3. रमणिया	15 ,,	0.73
	4. रमणिया	25 ,,	0.44
2. टिब्बास्थिरीकरण			
	1. रमणिया	25	0.43
3. परिभ्रांषित वनों का पुनरोद्धार			
	1. दंताला	50 ,,	1.47
	2. बिजलिया	50 ,,	1.61
	3. रमणिया	50 ,,	1.60
4. वाटर पोंइट वृक्षारोपण			
	1. रमणिया	5 ,,	0.44
	2. भीमगोडा	9 ,,	0.88
	3. पोकलसर	2 ,,	0.18
	4. कुसीप	3 ,,	0.13
	5. कुसीप	5 ,,	0.45
(2) जवाहर रोजगार योजना			
1. ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण			
	1. बामसीन	15 ,,	0.39
	2. मेली	15 ,,	0.33
	3. खाखरलाई	15 ,,	0.35

क. सं.	नाम रेंज	कार्य का नाम	क्षेत्रफल (है.)	व्यय राशि (लाख)
	रेंज–सिवाना			
		4. कुसीप	10 हैक्टर	0.26
		5. खण्डप	15 ,,	0.40
		6. समदरी	15 ,,	0.35
		7. काठाड़ी	15 ,,	0.40
	2. परिभ्रांषित वनों का पुनरोद्धार			
		1. समदड़ी	50 ,,	1.38
		2. फूलन	50 ,,	1.25
		3. मैली	50 ,,	1.42
		4. काठाड़ी	50 ,,	1.27
	रेंज–सिणदरी			
(1) डी.डी.पी. योजना				
	1. वाटर पोइंट वृक्षारोपण			
		1. सिणदरी	5 ,,	0.26
		2. खडाला	5 ,,	0.17
		3. भाटाला	2 ,,	0.07
		4. खुडाला	5 ,,	0.43
(2) जवाहर रोजगार योजना				
		1. खुडाला	10 हैक्टर	0.26
		2. अवाड़ीमान जी	15 ,,	0.40
		3. पायला	10 ,,	0.26
		4. गांगली	15 ,,	0.39

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या		
		पूर्ण	अपूर्ण	प्रगति पर
1.	डी. पी. ए. पी./डी. डी. पी.	6	–	14
2.	आर. एल. ई. जी. पी.	1	–	–
3.	अकाल राहत कार्यक्रम	2	3	–
		9	3	14

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित कृषकों की सूची		
		पूर्ण हुए कार्यों पर	प्रगति पर चल रहे कार्यों पर	योग
1.	डी. पी. ए. पी./ डी. डी. पी.	14	71	85
2.	आर. एल. ई. जी. पी.	3	–	3
		17	71	88

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 383 की सूची

तालिका (क)

पाली जिले में वर्ष 85–86 से 90–91 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा सम्पादित कराये गये खडीन निर्माण की प्रगति

क्र. सं-	तहसील	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत		अकाल राहत के अन्तर्गत		कुल खडीन निर्माण	
		संख्या	राशि लाख रु.	संख्या	राशि लाख रु.	संख्या	राशि लाख रु.
1.	रायपुर	–	–	4	6.29	4	6.29
2.	जैतारण	3	4.08	16	20.87	19	24.95
3.	सोजत	23	32.28	19	23.11	42	55.39
4.	पाली	25	29.12	59	52.43	84	81.55
5.	मारवाड जंक्शन	4	6.55	19	18.47	23	25.02
6.	देसूरी	7	9.72	10	6.45	17	16.17
7.	पाली	7	10.70	9	7.08	16	17.78
	योग :	69	92.45	136	134.70	205	227.15

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 385 की सूची

सिंचाई खण्ड बांसवाड़ा में राज्य योजना मद में आठ परियोजनाएं प्रगति पर चल रही की सूची :—

राज्य योजना मद :—

क. सं	नाम परियोजना	तहसील	सिंचाई क्षमता (हैक्टर में)	अनुमानित कुल लागत	मार्च, 91 तक सम्भावित व्यय	शेष लागत
1.	कर्लिजर	कुशलगढ़	1328	425.00	81.58	343.42
2.	सोनारिया	—	524	217.38	380.16	137.22
3.	वगेरी	बांसवाड़ा	309	179.50	105.02	74.48
4.	नवागांव	कुशलगढ़	187	109.40	93.20	16.20
5.	आमली खेड़ा	घाटोल	232	99.91	90.60	9.39
6.	झर	बागीडोरा	134	80.85	73.57	7.28
7.	सेवर खेड़ा	बांसवाड़ा	36	6.22	6.00	0.22
8.	भमरीटाण्डी	कुशलगढ़	323	115.87	99.27	16.60

उक्त योजनाओं में से क्रम संख्या 5 से 8 के वित्त वर्ष 91–92 में पूरा होने की सम्भावना हैं।

सिंचाई खण्ड बांसवाड़ा के अन्तर्गत अकाल राहत व एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत चलाई गई योजनाएं

अकाल राहत :—

क. सं	नाम योजना	तहसील	व्यय (लाख रुपये में)
1.	हिम्मतगढ़ी	कुशलगढ़	7.19
2.	पिपलोन	— ,, —	2.13
3.	कोठड़ी बगायचा	— ,, —	2.13
4.	देवकी का नाका	— ,, —	9.14
	एन. आर. ई. पी.		
1.	गोधलपुरा	कुशलगढ़	4.44
2.	चरखनी	— ,, —	29.23

माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट योजनाओं की सूची

क. सं.	नाम लिफ्ट योजना	कहां से प्रस्तावित है	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र हैक्टर में	अनुमानित लागत प्रारूप अनुसार रु. लाखों में
1	2	3	4	5
(क) माही बांध के भराव क्षेत्र से निकलने वाली लिफ्ट योजनाएं				
1.	नाथपुरा लिफ्ट योजना	नाथपुरा ग्राम के पास से	1000	140.00
2.	वंदरेल लिफ्ट योजना	पुराने खान्दु ग्राम के पास	1000	142.00
			2000	282.00
(ख) बांई मुख्य नहर से निकलने वाली लिफ्ट योजनाएं				
1.	पनियाला झुपेल	आर.डी. 8850 मी. बा. मु. न.	320	41.00
2.	गरनावट सांगा	आर.डी. 13490 मी.बा.मु.न.	214	21.88
3.	करजी नवाटापरा	आर.डी.18450 मी.बा.मु.न.	580	68.00
4.	इटाउवा	आर.डी. 23250 मी.बा.मु.न.	856	92.69
5.	रखेलपाड़ा	आर.डी. 6570 मी. छींछ वितरिका	301	16.48
6.	वोडीगामा	आर.डी. 270 मी. अरथुना वितरिका	1420	100.50

1	2	3	4	5
7.	झापोर	योजना बनाना शेष है।	170	15.68
8.	राखी	--	196	18.08
9.	पिपलोद नागावाड़ा	--	578	53.33
10.	कुशलगढ़	आर.डी. 30970 लो. वाई. मुख्य नहर	16000	3800.00
			20635	4227.64
		क एवं ख का योग :—	22635	4509.64 लाख

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची

नगर परिषद, जोधपुर में सेवा निवृत कर्मचारियों की पदवार संख्या का विवरण :—

क्र. सं.	पद नाम	सेवा निवृत कर्मचारी की संख्या
1.	सफाई कर्मचारी	469
2.	भिश्ती	23
3.	ड्राफ्टमैन	01
4.	जमादार	38
5.	ओवरसियर	02
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21
7.	ड्राईवर	08
8.	फायरमैन	04
9.	कनिष्ठ लिपिक	14
10.	राजस्व निरीक्षक/सफाई निरीक्षक	26
11.	तामिल कुन्दा	08
12.	नाकेदार/नाकागार्ड	16
13.	रोड़ लाइटमैन	02
		632

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 402 की सूची

क्र. सं.	मुकदमा नं.	थाना	धारा	चालान	एफ. आर.	जैर तफतीश
1	2	3	4	5	6	7
डकैती						
1.	337/90	कोटपूतली	396 भा.द.स.	—	—	जैर तफ्तीश
2.	338/90	कोटपूतली	395 भा.द.स.	—	—	जैर तफ्तीश
लूट						
1.	21/90	कोटपूतली	392 भा.द.स.	—	एफ.आर.अ. वकू	—
2.	24/90	,,	393 ,,	—	,,	—
3.	44/90	,,	392 ,,	चालान	—	—
4.	56/90	,,	392 ,,	,,	—	—
5.	60/90	,,	392 ,,	—	एफ.आर.अ.वकू	—
6.	171/90	,,	392/332/353 ,,	चालान	—	—
7.	215/90	,,	392/325/323 ,,	,,	—	—
8.	182/90	,,	392/323 ,,	,,	एफ.आर.अ.वकू	—

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की सूची

प्र. सं. 55/अता. "सूची"

पंचायत समिति केकडी के ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हरिजन बस्तियों की सूची।

	ग्राम का नाम	बस्ती
1.	सावर	1. खटीक, ढोली हरिजन बस्ती
2.	नाईकी	1. चमार
3.	घटियाली	1. मीणा
		2. कालबेलिया
		3. रैगर
4.	राजपुरा	1. भील, रैगर मोहल्ला
5.	बाजटा	1. चमार बस्ती
6.	आलोली	1. रैगर बस्ती
7.	मेहरू कलां	1. रैगर बस्ती
8.	कालेडा कंवर जी	1. मीणा, रैगर, चमार
9.	खेजडी	1. रैगर बस्ती
10.	नामाखेडा	1. रैगर बस्ती
11.	नीमेडा	1. रैगर बस्ती
12.	पाडलिया	1. रैगर बस्ती
13.	तीतरिया	1. हरिजन बस्ती
14.	नाई खेडा	1. हरिजन बस्ती
15.	आमटी	1. हरिजन बस्ती
16.	मोलकिया	1. हरिजन बस्ती
17.	कोहड़ा	1. हरिजन बस्ती

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 410 की सूची

खारी फीडर के निर्माण के पश्चात् रख–रखाव पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	व्यय की गई राशि (रु. लाखों में)	कार्य का विवरण
1973–74	0.45	इन वर्षों में कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन एवं
1974–75	0.68	भत्ते आदि का भुगतान तथा लघु मरम्मत कार्य
1975–76	0.41	आदि ।
1976–77	0·53	
1977–78	0.90	
1978–79	0.66	फीडर की साईड तथा वाल तथा कंकरीट की मरम्मत कार्य ।
1979–80	0·65	स्लिट सफाई कार्य एवं लाईनिंग मरम्मत कार्य ।
1980–81	0.34	वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान ।
1981–82	1.85	स्लूस गेट की मरम्मत एवं बैंक की मरम्मत तथा स्लिट की सफाई आदि ।
1982–83	1 43	कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं नहर की मरम्मत कार्य ।
1983–84	1.74	लाईनिंग, साईड मेशनरी एवं रेस्टोरेशन कार्य चेन 75 से 85/257 से 258/300 से 330, 815 से 816
1984–85	1.35	कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं नहर का मरम्मत कार्य ।
1985–86	0.14	कार्य प्रभारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते ।
1986–87	2.52	अकाल राहत के अन्तर्गत लाईनिंग मरम्मत कार्य चेन 362 से 371
1987–88	0.24	अकाल राहत के अन्तर्गत चेन 0 से 140 में बैंक की स्ट्रेन्थनिंग कार्य ।

1	2	3
1988–89	1.27	अकाल राहत के अन्तर्गत पुरानी चुनाई कार्य की मरम्मत कूठंवा पिक–अप–वीयर की मरम्मत का कार्य आदि ।
1989–90	0.87	रख–रखाव का कार्य एवं पुलिया का कार्य क्षतिग्रस्त क्षेत्र चेन 703 से 704 की मरम्मत का कार्य ।
1990–91	2.16	गत वर्ष का 703 से 704 चेन पर किये गये कार्य का भुगतान तथा कार्यप्रभारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान आदि ।
योग :–	18.19	

परिशिष्ट--16

अतारांकित प्रश्न संख्या 441 की सूची

प्रपत्र (अ)

विवरण	
1. ग्रामों की संख्या जिनमें घरेलू जल संबंध दिये जा चुके हैं।	12
2. ग्रामों की संख्या जिनमें न्यूनतम एक सार्वजनिक नल संबंध विद्यमान हैं।	113
3. ग्रामों की संख्या जहां हैण्ड पम्प योजनाएं संधारण में हैं।	7
विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल आबाद ग्राम (1981 की जनगणनानुसार)	132

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

कोटा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई, 90 से अब तक रिक्त पदों का विवरण की सूचना।

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या
	रा. सी. उ. मा. वि. (व्याख्याता)	
1.	शाहबाद	1
2.	सांगोद	4
3.	अंता	1
4.	मांगरो	1
5.	चेचट	2
6.	गुमानपुरा	3
7.	इटावा	3
8.	बांरा	1
9.	सीसवाली	1
10.	छबडा	2
11.	रामपुर	1
12.	आवा	1
13.	छीपाबडोद	1
14.	रामगंजमंडी	1
15.	राबासीउमावि रामपुरा	2
	वरिष्ठ अध्यापक	
16.	रासीबाउमावि चेचट	2
	पुस्तकालयाध्यक्ष I ग्रेड (राउमावि)	
17	रामपुरा	1

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या
18.	बारां	1
19.	छीपाबडोद	1
20.	मागरोल	1
21.	कैथून	1
	पुस्तकालय-III	
22.	किशनगंज शा	1
23.	शाहबाद	1
	प्रयोगशाला सहायक (रासीउमावि)	
24.	किशनगंज	1
25.	शाहबाद	1
26.	चेचट	3
27.	अटरू	1
28.	कैथून	2
	वरिष्ठ लिपिक (राउमावि)	
29.	किशनगंज	1
	कनिष्ठ लिपिक (राउमावि)	
30.	छटडा	1
31.	शाबाद	1
32.	मांगरोल	1
	च.श्रे. कर्म. (राउमावि)	
33.	गुमानपुरा	1
34.	चेचट	1
35.	कैथून	2
36.	भीममण्डी	2
37.	राबाउमावि बांरा	3
38.	राबाउमावि चेचट	2

क्र. सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पदों की संख्या
	प्रयोगशाला सेवक	
	(राबाउमावि)	
39.	रामपुरा	1
40.	श्रीपुरा	1
41.	भीममण्डी	2
42.	बांरा	1
43.	रामगंजमण्डी	3
44.	चेचट	2

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 426 की सूची

क्र. सं.	शाला का नाम	छात्र संख्या	लगाये गये अध्यापकों की संख्या	कुल अध्यापक
1.	प्रा. शा. ढाणी जस्सीकान	294	1	5
2.	,, ,, गुहाला	110	1	2
3.	,, ,, प्रतापपुरा	103	1	2
4.	,, ,, हसामपुर	561	1	8
5.	,, ,, भारू की ढाणी	150	2	3
6.	,, ,, ढाणी आगरी	141	1	3
7.	,, ,, पाटन	403	1	8
8.	,, ,, रायपुर पाटन (क.)	141	1	3
9.	,, ,, चला	350	1	7
10.	,, ,, जैतपुरा	84	1	2
11.	,, ,, कुण्डाला	33	1	2
12.	,, ,, नीमोद	253	1	4
13.	,, ,, प्रीतमपुरी	278	1	6
14.	,, ,, सालावाली	67	1	2
15.	,, ,, नाथूवाला	65	1	2
16.	,, ,, धांधेला (क.)	261	1	5
17.	,, ,, बागवाला	34	1	1
18.	,, ,, मोकलवास	81	1	2
19.	,, ,, नापावाली	214	1	4

1	2	3	4	5
20.	प्रा. शा. डेहरा	157	1	3
21.	,, ,, घासीपुरा	114	1	2
22.	,, ,, आगवाड़ी	135	1	4
23.	,, ,, ढाणी हीरानी	172	1	5
24.	,, ,, छाजा का नांगल	100	1	3
25.	,, ,, टोडा (क.)	60	1	2
26.	,, ,, भराला	125	1	3
27.	,, ,, भूदोली	378	1	7
28.	,, ,, ढाणी बहादुरसिंह	107	1	3
29.	,, ,, वरसिंहवास	68	1	2
			30	105

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में दलहन विकास के निम्न कार्यों हेतु निम्नानुसार कृषकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं :—

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुदान रु.	केन्द्रीयांश प्रतिशत में	राज्यांश प्रतिशत में
1.	**मिनिकट वितरण कार्यक्रम**			
	खरीफ			
	मूंग (4 किलो) कल्चर पैकेट की राशि सहित	64.81 प्रति मिनिकिट	100	—
	उड़द (3 किलो) कल्चर पैकेट की राशि सहित	47.30 ,, ,,	100	—
	रबी			
	चना (15 किलो) कल्चर पैकेट की राशि सहित	143.50 ,, ,,	100	—
	जायद मूंग (4 किलो) कल्चर पैकेट की राशि सहित	70.00 ,, ,,	100	—
2.	**ब्लाक प्रदर्शन**			
	खरीफ			
	मूंग, उड़द, मोठ व जायद मूंग	900/-प्रति है.	75	25
	रबी			
	चना	1400/-प्रति है.	75	25
3.	पौध संरक्षण उपचार	पौध संरक्षण रसायन की कीमत का 50 प्रतिशत या 75/-प्रति हैक्टेयर अधिकतम	75	25
4.	सीड विलेज कार्यक्रम	200/- प्रति क्वि.	75	25
5.	प्रमाणित बीज वितरण	300/- प्रति क्वि.	75	25
6.	आधार बीज उत्पादन	400/- प्रति क्वि.	75	25
7.	पौध संरक्षण यंत्र	पौध संरक्षण यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत या रु. 500/-प्रति अधिकतम	75	25
8.	कृषि औजार (दाल प्रोसेसर)	यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत	75	25

तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न लिखित सुविधाएं कृषकों को दी जाती हैं

1. रु. 300/–प्रति क्वि. के अनुदान के हिसाब से प्रमाणित संस्थाओं का तिलहन फसलों का प्रमाणित बीज कृषकों को दिया जाता है।

2. सीड मिनिकिट निःशुल्क दिये जाते हैं। यह मिनिकिट लघु एवं सीमान्त कृषकों को एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को चयन कर दिये जाते हैं।

(अ) तिल 0.2 हैक्टेयर– मूल्य 16.35

(ब) मूंगफली 0.1 हैक्टेयर– मूल्य 156.56

(स) सोयाबीन 0.1 हैक्टेयर– मूल्य 94.70

(द) सरसों 0.1 हैक्टेयर मूल्य 13.62

(य) सूरजमुखी 0.1 हैक्टेयर मूल्य 70.00

3. चयनित कृषकों के तिलहनें के वृहत प्रदर्शन आयोजित कर निम्न प्रकार से सुविधायें दी जाती हैं :—

(अ) मूंगफली–100 प्रतिशत या रु. 1000 प्रति हैक्टेयर (आगतों पर) जो भी कम हो, देय है। क्षेत्र 50 हैक्टेयर प्रति प्रदर्शन।

(ब) सोयाबीन–100 प्रतिशत या रु. 700 प्रति हैक्टेयर (आगतों पर) जो भी कम हो देय है। क्षेत्र 50 हैक्टेयर प्रति प्रदर्शन।

(स) तिल–100 प्रतिशत या रु. 300 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो देय है। क्षेत्र 50 हैक्टेयर प्रति प्रदर्शन।

(द) सरसों–50 प्रतिशत या 600 रु. प्रति हैक्टेयर (आगतों पर) जो भी कम हो देय हैं। क्षेत्र 50 हैक्टेयर प्रति प्रदर्शन।

(य) कुसूम–50 प्रतिशत या 400 रु. प्रति प्रदर्शन (आगतों पर) जो भी कम हो देय है।। क्षेत्र 50 हैक्टेयर प्रति प्रदर्शन।

4. पौध संरक्षण कार्य 50 प्रतिशत या 100 रु. प्रति हैक्टेयर (औषधि पर) जो भी कम हो देय है।

5. सफेद लट नियंत्रण 100 प्रतिशत या रु. 500 प्रति हैक्टेयर (औषधि पर जो भी कम हो देय है।

6. पौध संरक्षण यंत्र–50 प्रतिशत या रु. 500 प्रति यंत्र (जो भी कम हो) देय है। केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय है

7. उन्नत कृषि यंत्र–50 प्रतिशत या रु. 700/–प्रति यंत्र जो भी कम हो देय है। यह केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को देय है।

8. राईजोवियम वितरण कल्चर 50–प्रतिशत या 15/–रु. प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो देय है।

9. जिप्सम वितरण खरीफ– रु. 200 प्रति हैक्टेयर या 75 प्रतिशत जो भी कम हो देय है। रबी– रु. 200 प्रति हैक्टेयर या 50 प्रतिशत जो भी कम हो देय है।

10. स्पिकलर सेट– 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक/अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों को अधिकतम रु. 7000 प्रति सैट देय है। 33–1/3 प्रतिशत अन्य कृषकों को या रु. 7000 रु. सेट जो भी कम हो देय है।

परिशिष्ट--20

अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर की सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम		लम्बाई	डामरीकरण
1	2		3	4
1.	सम्पर्क सड़क	पाली सिरोही रोड़ से जाखेड़ा	5	डामर
2.	,,	स्टेशन रोड से कोलीवाड़ा	2.90	,,
3.	,,	खीमाडा	1.60	,,
4.	,,	कोशेलाव से पावा	10.00	,,
5.	,,	जवाई बांध रेल्वे स्टेशन से बीसलपुर	2.35	,,
6.	,,	कोशेलाव पावा से बसन्त	1.70	,,
7.	,,	कोशेलाव से बड़ गांव वाया बाबा गांव	10.00	,,
8.	,,	जालौर रोड़ से पोलवा	2.60	,,
9.	,,	शिवगंज पुलिस स्टेशन कोरटा	13.80	,,
10.	,,	सुमेरपुर पेट्रोल पम्प से भामन्दा	10.00	,,
11.	,,	बांकली से नावी	10.00	,,
12.	,,	सांडेराव बांगडी	4.20	,,
13.	,,	सिन्दरू	1.00	,,
14.	,,	बीरामी	2.00	,,
15.	,,	बामनेरा से कारेटा	1.50	,,
16.	,,	बालाऊ से राजपुरा	3.00	,,
17.	,,	कानपुरा	3.50	,,
18.	,,	गोगरा	4.25	,,
19.	,,	तखतगढ़ से पादरली	5.00	,,
20.	,,	बसवाना से बोया	12.00	,,
21.	,,	जवाई बांध से सेड़	11.00	,,

268

1	2	3	4
22. सम्पर्क सड़क	बेडा से कुमरिया	3.50	डामर
23. ,,	बाली से सेसली	3.70	,,
24. ,,	मुण्डारा से लराडा	6.00	,,
25. ,,	बेलार से चामुण्डरी	4.00	,,
26. ,,	कुमरिया से सेहलार	3.20	,,
27. ,,	मोरडू	1.25	,,
28. ,,	भन्दर	1.00	,,
29. ,,	बोथा से बाखा	3.4	,,
30. ,,	लोपाद से बसन्ता 7 K.M.	4.00	डब्लू.बी.एम.
		3.00	कच्चा
31. ,,	मालनू	2.50	डामर
32. ,,	सैन	3.00	डब्लू.बी.एम.
33. ,,	हानवरली से कोपलवाव	10.00	डब्लू.बी.एम. कार्य प्रगति पर है।
34. ,,	पालडी से सलोह	3.00	कलेक्शन
35. ,,	नवाखेडा	1.25	डब्ल्यू. बी.एम. की जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई।
36. ,,	सेवतलाव	3.00	के.आई.बी.एम. कच्चा
37. ,,	मालनू से लुन्दाडा	5.20	निविदायें दि. 15.3.91 को प्राप्त की जानी है।
38. ,,	चिमनपुरा	3.00	कच्चा मिट्टी कार्य व कलेक्शन प्रगति पर

1	2	3	4
39.	सम्पर्क सड़क बारवा से पतावा	3.00	कच्चा मिट्टी कार्य व कलेक्शन प्रगति पर है।
40.	,, लटाडा से सुनादा	3.00	कच्चा कार्यादेश फरवरी, 91 में दिया
41.	,, कोट बलियान से टिभरी	3.00	,,
42.	,, पैरवा से बैडल	3.00	कच्चा मिट्टी कलेक्शन प्रगति पर
43.	,, लालाराई से बाली	3.00	कच्चा कार्यादेश दि. 26.2.91 को दिया।

कृषि उपज मण्डी समिति पाली

44.	सम्पर्क सड़क मोरिया से सोनाई (लाखा)	5.00	कार्यादेश फरवरी, 91 में दिया
45.	,, बस्सी से पम्ती	4.00	
46.	,, लालकी (रोहिट)	4.00	,,
47.	,, खाती खेड़ा (पाली-खैरवा सड़क)	4.00	,,
48.	,, बान्दाई से ढाबर	2.00	,,
49.	,, पनावत्ता	2.00	,,
50.	,, खेतावास	2.00	,,

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर

क्र.सं.	वर्ष 1990-91 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई	राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क कोशेलाव से पावा	3.60
2.	,, तखतगढ़ से गोगरा	10.20
3.	,, कोथी वाडा	0.58
4.	,, भारून्दा	8.80
5.	,, बलवाना से बोया	15.00
6.	,, बीरायी	7.00
7.	,, कोशेलाव से बडगांव	15.00
8.	,, मोरडू	0.80
9.	,, शिवगंज से पारली	2.70
10.	,, पारली से कोरटा	13.30
11.	,, शिवगंज से कामनपुरा	0.65
12.	,, लापोद से बसन्त	7.50
13.	,, जवाई बांध से बेडा	4.60
14.	,, बोया से बारवा	1.45
15.	,, बेडा से कुमरिया	1.30
16.	,, कुमरिया से संदाला	2.30
17.	,, बेतार से चामुण्डरी	3.00
18.	,, बाली से सेसली	2.00
19.	,, मुण्डारा से लटाडा	5.40

नोट :—क्रमांक 1 से 5 तक की सड़कों का मरम्मत कार्य कराया गया है।